राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] विधान सभा के चतुर्थ सत्र का दसवां दिवस [संख्या 5

बुधवार,

दिनांक 5 मार्च, 1969

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.4 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(राजस्व, स्वायत्त शासन, उद्योग, सार्वजनिक निर्माण, समाज कल्याण, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, खनिज विभाग)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्रीमूलचन्द डागा।

ग्राम दीवानजी (तहसील पाली) में भूमि का अलॉटमैन्ट

83. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली तहसील के गांव दीवानजी, ग्राम पंचायत में सम्वत् 2023 व 2024 में किन किन को कितनी कितनी भूमि कब कब कहाँ कहाँ आवंटित हुई ?

(2) क्या यह सत्य है कि सम्वत् 2023 और 2024 में अलॉटमैन्ट के सभी नियमों का उल्लंघन कर जमीन उन लोगों को दी गई जो ग्राम पंचायत दीवानजी के नहीं हैं और जो नाबालिग हैं और जिनके कुटुम्ब के पास सैंकड़ों बीघा जमीन है ?

(3) क्या सरकार इस प्रकार के गलत अलॉटमैन्ट को रद्द करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उपमंत्री, राजस्व(श्री गंगाराम चौधरी):

(1) पाली तहसील के गांव दीवानजी पंचायत में सं० 2023 व 2024 में जिन जिन व्यक्तियों को जितनी जितनी भूमि जहाँ जहाँ आवंटित की गई है उसकी सूची संख्या 1 सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) यह सत्य है कि सम्वत् 2023 व 2024 में जो भूमि आवंटित की गई उसमें से जिन व्यक्तियों को जो नियम विरुद्ध भूमि आवंटन किया गया था वह जिलाधीश द्वारा रद्द किया जा चुका है। उनकी सूची संख्या 2 सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) गलत आवंटन नोटिस में आने पर उन्हें नियमानुसार रद्द करने की कार्यवाही की गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्रीमूलचन्द डागा: यह आवंटन कहाँ-कहाँ किन किन की मौजूदगी में किये गये ?

Page No 2

श्री गंगाराम चौधरी : नियमानुसार पंचायत के केन्द्र पर किया जाना चाहिये। यह लम्बी सूची है। सब के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि कहाँ कहाँ पर हुए हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह है कि संवत् 2023 व 2024 में आवंटन के नोटिस दिये होंगे किस किस एम. एल. ए. को, एम. पी. और प्रधान आदि को दिये गये ? कौन कौन इनमें से हाजिर था ? या तहसीलदार साहब ने लिख दिया और आवंटन हो गया। मैंने यह भी पूछा है कि किन किन नियमों की अवहेलना इन आवंटनों में की गई ?

श्री गंगाराम चौधरी : जिन छः व्यक्तियों को नियम विरुद्ध आवंटन किये गये थे वे रद्द कर दिये गये। कुछ और विचाराधीन हैं जैसा सवाल के जवाब में बताया सीरियल नम्बर 4, 6, 19, 22, 23, 35 और 45 पर जो व्यक्ति हैं उनके आवंटन के सम्बन्ध में मामले विचाराधीन हैं और अगर नियम विरुद्ध हुए पाये गये तो रद्द कर दिये जावेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : रद्द कर दिये, पर फिर भी आज तक वे काबिज हैं क्या यह सही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : रद्द किये गये आवंटनों में कब्जा करने की कार्यवाही नहीं हुई है तो अब कर दी जावेगी।

गौतम नगर, नई बस्ती, अजमेर के नागरिकों को सुविधाएं

84. **श्री भगवानदास शास्त्री :** (अजमेर पश्चिम) क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, अजमेर द्वारा गौतम नगर नई बस्ती रामगंज की तरफ सफाई बिजली व पानी की एवं सड़कों की सुविधा नहीं दी जा रही है ? यदि हाँ, तो जनता को कब ये सुविधाएं मिलेंगी ?

(2) क्या यह सत्य है कि नई बस्ती की जनता नगर परिषद् के साधारण टैक्सेज दे रही है ? यदि हाँ, तो क्यों नहीं उन्हें पानी एवं बिजली की सुविधा दी जाती है ?

(3) क्या यह सत्य है कि बस्ती के नागरिकों ने बार बार राज्य एवं स्थानीय नगर परिषद् के वरिष्ठ अधिकारियों का बस्ती की तरफ ध्यान आकर्षित किया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार परिषद् द्वारा उक्त सुविधायें दिलाने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उपमंत्री, स्वायत्त शासन (श्रीमुल्कराज थिन्द) (1) : जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता। पानी बिजली और सड़क की सुविधाएं दी जा रही हैं।

(3) नगर परिषद् के पास विभिन्न क्षेत्रों से माँगें आती हैं और साधनों के अनुसार जो कुछ सम्भव होता है, किया जाता है। इस बस्ती में पानी और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी जनता इस बस्ती में निवास करती है ?

श्री मुल्कराज थिन्द : 30 मकान पक्के हैं और इन तीस में से भी जो हाउस टैक्स देते हैं वे मुश्किल से 30 परसैन्ट होंगे।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सही है कि इस बस्ती में रहने वाले सब रेलवे कर्मचारी हैं ?

श्री मुल्कराज थिन्द : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सही है कि वहां शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है ?

श्री मुल्कराज थिन्द : इसकी जानकारी भी नहीं है। प्रश्न में सड़क पानी और बिजली के लिये ही पूछा गया था। सड़क का जहां तक प्रश्न है कुछ पर डामर नहीं हुआ है, वह किया जा रहा है और बिजली पानी भी उपलब्ध है।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सही है कि आप डामर की कहते हैं, वहां पर सड़क की कुटाई भी नहीं हुई है और बीच में बरसाती नाले पड़ते हैं एक मील के रास्ते में।

श्री मुल्कराज थिन्द : मेरे पास जानकारी के अनुसार निवेदन करूं कि जहां तक बिजली का सवाल है वहां 23 खम्भे रामगंज की बस्ती में लगे हुए हैं और 20 खम्भे गौतमनगर में हैं। और सड़क का जहां तक सवाल है कुछ अधूरी है, अगले वर्ष डामर किया जा रहा है।

श्री भगवानदास शास्त्री : ये बिजली के खम्भे हाईवे रोड़ पर हैं। गौतमनगर की बस्ती जो रामगंज से पहाड़ पर जाती है वहां पर एक भी खम्भा नहीं है। इसकी दो बत्तियां सैंक्शन हुई थीं वे राणावत महोदय ने अपने में ले लीं।

श्री मुल्कराज थिन्द : इसकी जानकारी कर ली जावेगी, और नहीं है तो उपलब्ध कराई जावेगी।

श्री भगवानदास शास्त्री : इतनी बड़ी बस्ती में शौचालय दो हैं और वे भी टूटे हुए हैं और स्त्रियों की लाज शर्म मर्यादा की कोई रक्षा वहां नहीं है, उनके लिए एक भी शौचालय नहीं है। पांच सौ लोग वहां बसते हैं और सुबह होते ही सबको कारखाने में जाना होता है। आपने जो कुछ भी उत्तर दिया उससे बिल्कुल भी सन्तोष मुझे नहीं है। रामगंज गौतमनगर पर न तो बत्ती है, सड़कें भी टूटी फूटी हैं, डामर नहीं है। बीच में बरसाती नाले आते हैं। उनमें बिच्छू कांटे निकलते रहते हैं, रोशनी के अभाव में लोगों को बिच्छू काटने आदि के कई केस हो गये हैं। अजमेर जैसी बस्ती, तीन लाख की आबादी, बजट में 56 लाख की रकम और फिर भी वहां की गरीब जनता को ये कम से कम सुविधाएं भी नहीं दी जावें तो यह शोचनीय स्थिति है। हाउस टैक्स भी देती है जनता, सैनीटेशन का टैक्स भी देती है क्या आप अब भी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, कब तक? यह भी बता दें। इसका मतलब तो यह है कि मुख्य मन्त्री जी वहां कई बार आये हुए हैं, पर फिर भी आते हैं तो उनके स्वागत के लिये दरवाजे बना सकते हैं, बिजली के बल्ब जगमगा सकते हैं। अकाल राहत कार्य के नाम पर यह सब भी आप कर सकते हैं, सरकिट हाउस से लेकर स्टेशन तक आप रोशनी दरवाजे कर सकते हैं उनके लिये·········

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर। प्लीज।

आपका प्रश्न हो गया। कब तक सुविधा उपलब्ध कराएंगे उत्तर दीजिये।

श्री मुल्कराज थिन्द : जैसा मैंने निवेदन किया कि बिजली का जहां तक सवाल है 20 खम्भे रामगंज में लगे हैं और गौतम कॉलोनी में भी हैं अब आपका कहना यह है कि ऐसा नहीं है मेरी जानकारी में तो यहां तक है कि उस बस्ती में लाइब्रेरी की स्थापना भी की गई है। मुझे इस बात से हैरानी है कि इतना होने पर भी वहाँ शौचालय नहीं हैं। जो जानकारी आपने दी है अगर वह सही है तो वहां शौचालय बनवा दिये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

ग्रामीण उद्योग परियोजना के अन्तर्गत ऋण

85. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(1) ग्रामीण उद्योग परियोजना द्वारा गत वर्ष और इस चालू वर्ष में कुल कितना ऋण ग्रामोद्योगों के लिये किस किस को, कितना कितना दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। इस ऋण की ब्याज दर क्या होगी ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान वॉर्स्टेड वूलन मिल, चूरू को भी लगभग 1 लाख रुपये दिये गये हैं ? यदि हां, तो यह किस आधार पर दिया गया ? क्या नियमानुसार यह दिया जा सकता है ? क्या यह मिल राजस्थान स्मॉल स्केल इन्डस्ट्री कारपोरेशन द्वारा संचालित है ? क्या यह सही है कि कारपोरेशन को इस उपक्रम के लिये राज्य सरकार से जो रकम मिली थी उसको अन्य तरह लगा दी गई। उसकी पूर्ति करने हेतु ऋण दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि इस मिल को 1 लाख रुपये की रकम दी जाने से लघु उद्योगों को नुकसान होगा ?

उद्योग मंत्री, (श्री हरिदेव जोशी) : (1) ग्रामीण उद्योग परियोजना द्वारा गत वर्ष 66-67 में 6,21,000 रु० का ग्राम उद्योगों के लिये ऋण दिया गया (सूची सदन की मेज पर रख दी गई है)। इस वर्ष अभी तक कोई ऋण नहीं दिया गया।

ब्याज की दर सहकारी समितियों के लिये ढाई प्रतिशत और अन्य व्यक्तियों के लिये 3 प्रतिशत थी।

(2) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

यह मिल राजस्थान स्मॉल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन द्वारा संचालित है।

राजस्थान वॉर्स्टेड वूलन मिल, चूरू के लिये राज्य सरकार द्वारा 12 लाख की रकम लघु उद्योग निगम के ऋण के रूप में दी गई थी जो केवल मिल की स्थापना में लगाई गई है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दौलतराम सारण : इस वर्ष ऋण नहीं देने के क्या कारण हैं?

श्री हरिदेव जोशी : भारत सरकार से स्वीकृति देर से आई।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह माना जाय कि ऋण इस साल बिल्कुल वितरित नहीं किया जायगा ?

Page No 5

श्री हरिदेव जोशी : हां, ऐसा ही माना जाय।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : यह ऋण शहरों में ही दिया जायगा, ग्रामों में नहीं •••

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर।

श्री हरिदेव जोशी : जो प्रोजक्ट ऐरिया में है उसी को ऋण दिया जाता है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि दस हजार की आबादी के कस्बों में यह ऋण दिया जाता है और वॉर्स्टेड वूलन मिल जो स्थापित की गई है वह इससे नीचे के क्षेत्र में स्थापित की जा सकती है।

श्री हरिदेव जोशी : शुरु शुरु में यह बात थी किन्तु ओवरऑल डेवलपमैन्ट के लिए यह प्रोजेक्ट जरूरी समझा गया था और भारत सरकार की स्वीकृति के बाद यह प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया था, बड़ी आबादी वाले कस्बे की बात नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : म्यूनिसिपैलिटी है वहां लोन नहीं दिया जाना चाहिए जो भी ऋण दिया गया है वह 80 प्रतिशत शहरों में दिया है, गांवों में नहीं दिया गया है।

श्री हरिदेव जोशी : शुरु में यह कन्सेप्शन था बाद में बदल दिया गया।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री दौलतराम सारण : बाद में बदलने के क्या कारण हैं ? ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देना सम्भव नहीं हो सका या आवश्यक नहीं समझा गया ?

श्री हरिदेव जोशी : आवश्यक तो था ही किन्तु फिर भी डिमारकेशन करके चलना बड़ा मुश्किल है कि अमुक अमुक क्षेत्र को ऋण नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : क्या मंत्री महोदय की जानकारी में है कि गावों में बसने वाले छोटे छोटे कारीगर अपने धन्धे चलाने में बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं और अधिकांश धन्धे बन्द हो चुके हैं क्या ऐसी स्थिति में उनको विशेष सहायता देकर प्रोत्साहित किया जा सकता है।

श्री हरिदेव जोशी : यह तय नहीं किया गया है।

श्री दौलतराम सारण : आपकी सूची से यह स्पष्ट है कि उनको ऋण करीब करीब नहीं दिया गया है।

श्री हरिदेव जोशी : कोई एप्लीकेशन ऐसी नहीं है जिसको ऋण नहीं दिया गया है। इस प्रोजेक्ट का स्कोप बढ़ाया गया हैं।

श्री दौलतराम सारण : जो ऋण लेने में सक्षम है, उन्हें ही ऋण मिला है। जो अशिक्षित है, ग्रामीण छोटे छोटे कारीगर हैं वे इस ऋण को प्राप्त कर पाते हैं और इसलिए वे वंचित रह जाते हैं जो उनके हक का ऋण है वे दूसरे ले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या मंत्री महोदय ग्रामीण परियोजना के अन्तर्गत•••

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । माननीय सदस्य । राजस्व मंत्री जी ।

मकराना की दुकानों का किराया

86. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या राजस्व मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मकराना में कुछ दुकानें तहसील परबतसर को किराये पर दी हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) उपरोक्त दुकानों में से किस किस दुकान के मालिक को कितना कितना किराया अभी तक नहीं चुकाया गया है और क्यों ? ये दुकान मालिक कौन कौन हैं व उनका कितना कितना किराया किस किस समय से बकाया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) किराया देरी से चुकाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं और क्या सरकार दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां । 5 दुकानें तहसील परबतसर को किराए पर दी हुई हैं ।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जिम्मेदारी निर्धारण के लिए उप-खन्ड अधिकारी दारा जांच कराई जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिए)

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि जिन लोगों ने तीन तीन साल से पैसे नहीं दिये उनको रकम का ब्याज दिया जायगा । 66 से नहीं दिया है ।

श्री गंगाराम चौधरी : उप खन्ड अधिकारी, द्वारा जांच की जा रही है उसके अनुसार जो निर्णय होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी ।

श्री विजयसिंह : तहसील में बकाया पैसे हैं वह समय पर नहीं मिलते हैं तो तहसील ब्याज लगाकर पैसे वसूल करती है तो क्या जनता के लोग ब्याज लगाकर पैसे वसूल नहीं कर सकेंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : कारण हो सकते हैं । कारणों की जानकारी की जाने के बाद ही निर्णय लिया जायगा ।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि वहां के तहसीलदार और जोधपुर के असिस्टैन्ट इंजीनियर को रिश्वत नहीं दी गई इस कारण······

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर । ऑर्डर ।

श्री विजयसिंह : तहसील में इतना बुरा हाल है कि वहां दो आने के चने भी नहीं मिलते ।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न ।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस तरह तीन तीन साल से किराया नहीं देना और ओवरसियर द्वारा असेस नहीं करना जहां रॉयल्टी का सवाल आता है वहां

(श्री विजयसिंह)

सरकार लाखों रुपया वसूल करके लेती है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (जयपुर) : आप मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री विजयसिंह : यह प्रश्न पिछले सदन में भी उठाया गया था, जब असैम्बली आती है तो इसको टाल दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर आप कब तक निर्णय ले लेंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय सदस्य इसमें स्वयं हित रखते हैं, उनकी एक दुकान है......

श्री विजयसिंह : बिल्कुल है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सत्य है ?

श्री विजयसिंह : यह बिलकुल सत्य है। मेरी दुकान है। मेरी रोक सकते हैं लेकिन जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिये बड़ी मुश्किल है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। यह साधारण नियमों की बात है कि किसी भी सदस्य का निजी मामला हो और उनका स्वयं का हित उसमें हो तो वह सदन में प्रश्न नहीं पूछ सकता है। उपयुक्त नहीं है।

श्री विजयसिंह : मेरा यह प्रश्न नहीं है किन्तु कई गरीब लोगों का प्रश्न है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य को यह पता नहीं है कि फ्लोर ऑफ दी हाउस पर पर्सनल इन्टरेस्ट या पर्सनल हित का प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

श्री विजयसिंह
श्री सूवालाल } : (एक साथ बोलने पर अश्रव्य।)

श्री विजयसिंह : माननीय मन्त्री महोदय को पता होना चाहिये, मेरी दुकान का असैसमैन्ट हो चुका है। जिनका असैसमेंट नहीं हुआ है उनके लिये है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

निवाई-टोंक सड़क पर बनास नदी के पुल के निर्माण पर व्यय

87. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) [श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु.) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) निवाई-टोंक सड़क पर बनास नदी की पुलिया कब बनी और कितनी लागत से ?

(2) यह निर्माण कार्य किसी ठेकेदार द्वारा किया गया था या विभाग द्वारा और उसकी गारन्टी कितने साल की थी ? किस इन्जीनियर की देख रेख में व नक्शा व प्लान किस के द्वारा बना था ?

(3) क्या सन् 1967–68 में यह पुल खराब हो गया था ? यदि हां, तो कब से कब तक खराब रहा और खराबी क्यों हो गई थी तथा खराबी की प्रथम जानकारी किस ऑफिसर के द्वारा कब दी गई थी ?

(4) 1967–68 में यह पुल भारी मोटरों बसों व ट्रकों के लिये कितने दिन बन्द रहा ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(5) खराब होने पर इस पुल की जांच किस के द्वारा की गई और इसकी मरम्मत में ऑफिसरों के टी. ए.-डी. ए. आदि में कुल कितना खर्चा हुआ और क्या क्या काम कितने समय तक किया गया ? अलग अलग कामों के खर्चे के अलग अलग आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(6) मरम्मत का काम किस की देख रेख में पूर्ण कराया गया और अब भी पुल के दोनों ओर फाटक व चौकी क्यों कायम कर रखी है ? क्या अब भी पुल में कोई खराबी हैं ? यदि हां, तो क्या ?

उप मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह मैसवाड़ा) : (1) यह पुल सन् 1936 में 3,30,000) रु० की लागत पर बनाया गया था।

(2) मैसर्स बर्ड एन्ड कम्पनी कलकत्ता द्वारा निर्माण कराया गया था। यह पुल भूतपूर्व रियासत टौंक के समय में बना था गारन्टी का लेखा जोखा इस विभाग की जानकारी में नहीं है। केन्द्रीय सरकार के अभियन्ताओं की देखरेख में बना था।

(3) जी हां, नवम्बर 1966 से सितम्बर, 1967 के प्रथम सप्ताह तक खराब रहा। सन् 1936 में जिस समय यह पुल बनाया गया था, वर्तमान भारी वाहनों के हिसाब से डिजाईन नहीं था। खराबी की जानकारी अधिशासी अभियन्ता, टौंक को, नवम्बर 1966 में हुई।

(4) जून 1967 के आखरी सप्ताह से सितम्बर, 67 के दूसरे सप्ताह तक बन्द रहा।

(5) केन्द्रीय सरकार व स्वयं राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा जांच की गई है। टी. ए. डी. ए. पर इस विभाग के अधिकारियों पर विशेष तौर से इस कार्य हेतु कोई धनराशि व्यय नहीं हुई है। कार्य की सूची संलग्न है।

(6) अधिशासी अभियन्ता, भवन व पथ. टौंक की देखरेख में कार्य हुआ है पुल की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि 15 टन से अधिक के वाहन न चलें तथा एक बार में पुल पर से एक ही वाहन गुजरे अतः दोनों तरफ चौकियाँ व फाटक लगा रखे हैं।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री डूंगाराम राजोरिया: क्या इसमें कोई खराबी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष: उत्तर दिला दिया गया है। नैक्स्ट।

प्रश्न सं० 88

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट। राजस्व मंत्री महोदय।

पीपल्दा में आबादी हल्के में भूमि का परिवर्तन

89. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिला की ग्राम पंचायत पीपल्दा ने आबादी हल्के

(श्री रामकुमार नन्दवाना)
में भूमि परिवर्तन करने की मांग की है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

(2) इस भूमि की मांग कब से चली आ रही है और यह मूल फाइल जिले के जिलाधीश कार्यालय एवं अतिरिक्त जिलाधीश व एस. डी. ओ. तथा तहसील कार्यालय में कहां कहां पर कब से कब तक पेंडिंग पड़ी रही ? जानकारी देने की कृपा करें ।

(3) तहसील पीपल्दा के अलावा अन्य तहसीलों की पंचायतों की कितना आबादी हल्के विस्तार की फाइलें पेंडिंग हैं ? तहसील वाइज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (1) जी हां, यह सही है । तहसील पीपल्दा में मौके की रिपोर्ट व जांच की कार्यवाही ज़ेरकार है ।

(2) इस भूमि की मांग दिनांक 3-5-68 से की गई है । कागजात अभी तक तहसील स्तर पर ही ज़ेरकार हैं ।

(3) सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री रामकुमार नन्दवाना: प्रश्न के भाग (2) में बताया कि इस भूमि की मांग 3-5-68 को आई थी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मांग 1-4-65 को की गई थी । आपने यह भी कहा है कि कागजात अभी तहसील में ही जेरे विचार हैं और वहां से नहीं आये, तो मैं इस सम्बन्ध में जानकारी देना चाहता हूं कि 3-9-68 को तहसील से पूरी कार्यवाही होकर के कागज भेजे गये हैं लेकिन फिर भी कलेक्टर ने कोई कार्यवाही नहीं की है । तो इस पर कब तक कार्यवाही हो जायेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी जानकारी के अनुसार 3-5-68 से ही यह मामला विचाराधीन है और इस पर जल्दी से निर्णय दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री ओमदत्त भाटी ।

जोधपुर में सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा

90. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जोधपुर नगर में सूरसागर रोड़ मावड़ियाजी की घाटी के पास अनेक भाट जाति के लोगों ने सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर लिया है ?

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त भाट जाति के लोगों को नगर परिषद्, जोधपुर ने कुछ अर्से पूर्व भाट कॉलोनी मसूरिया में रियायती दर से प्लॉट दिये थे ?

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त भाट जाति के लोगों ने नगर परिषद्, जोधपुर से रियायती दर से प्राप्त प्लॉटों को बहुत ही ऊंचे मूल्यों में बेच दिया है ?

(4) क्या यह सत्य है कि सरकारी जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा किये बैठे भाट जाति के लोगों को हटाने तथा

Page No 10

(श्री ओमदत्त भाटी)
उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाने की अनेक शिकायतें सरकार के पास आई हैं ?

(5) क्या यह सत्य है कि स्थानीय नगर सुधार न्यास ने भाट जाति के लोगों के विरुद्ध अनेक शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की है ?

(6) क्या यह सत्य है कि स्थानीय नगर सुधार न्यास के अधिकारी नियम व कानून का उल्लंघन करके अनधिकृत रूप से सरकारी भूमि पर काबिज भाट जाति के लोगों को उपरोक्त भूमि नियमबद्ध करके दे रहे हैं ?

(7) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों ने रियायती प्लॉटों को ऊंचे मूल्यों पर बेच दिया तथा बाद में सरकारी जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर लिया उन्हें पुनः रियायती दर से उसी गैर कानूनी रूप से काबिज प्लॉटों को रेग्युलराइज करके दिया जाना नियम विरुद्ध है ? अगर हां, तो इस प्रकार के अनधिकृत कब्जों को समाप्त करने की दिशा में कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री मुल्कराज थिन्द) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

(4) जी हां, नगर सुधार न्यास द्वारा अनधिकृत कब्जों को हटाने की कार्यवाही शुरु की गई थी।

(4) जी नहीं।

(5) अभी नहीं दी गई है।

(6) अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। सरकार के विचाराधीन है।

श्री ओमदत्त भाटी : आपने प्रश्न संख्या 3 में कहा है कि ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है, तो आपने क्या कोई इसके बारे में जाँच करवाई ? हम कहते हैं कि उन्होंने प्लॉटों को बहुत ही ऊंचे भावों में बेचा है।

श्री मुल्कराज थिन्द : अध्यक्ष महोदय, जहां तक भाट जाति के लोगों को जो प्लॉट दिये गये थे उनको बेचने का सवाल है, उसकी तो जानकारी सरकार के पास नही है और जहां तक उनके अनधिकृत कब्जों का सवाल है उस पर कार्यवाही की गई।

श्री ओमदत्त भाटी : क्या कार्यवाही की गई और उस कार्यवाही का क्या नतीजा निकला ?

मुल्कराज थिन्द : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि भाट जाति के लोगों को 162 प्लाट दिये गये थे। उनमें से कुछ भाट जाति के लोगों ने वे प्लॉट बेच कर दूसरी जगह पर अनधिकृत कब्जा किया। ज्यों ही नगर परिषद् को इसका पता चला तो उन्होंने कार्यवाही की। अब यह सारा सवाल सरकार के विचाराधीन है कि उन लोगों को पट्टा दिया जाये कि नहीं।

श्री ओमदत्त भटी : जब उन्होंने प्लॉट बेच दिये हैं तो उनको पट्टे क्यों दिये जायें ?

श्री मुल्कराज थिन्द : यही तो विचाराधीन है।

श्री अमृतदत्त भाटी : इसमें विचार की क्या बात है ? इसमें तो सीधा यस या नो होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : यस और नो के बीच में विचाराधीन है ।

नैक्स्ट, श्री दुर्गालाल बाढ़दार ।

पुलिस सब-इन्सपेक्टर्स एवं प्रासीक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टर्स की योग्यताऐं

91. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पुलिस विभाग में सब-इन्सपेक्टर्स के लिये क्या योग्यता निर्धारित है और प्रासीक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टर्स के लिये क्या योग्यता निर्धारित है और इन दोनों की पे स्केल्स क्या हैं ?

(2) क्या यह सच है कि पुलिस विभाग में इन्सपेक्टर्स और सब-इन्सपेक्टर्स की भर्ती व पदोन्नति पुलिस बोर्ड करता है और जन सेवा आयोग नहीं करता ? यदि हां, तो जन सेवा आयोग जैसी संस्था के होते हुए सरकार के विभागीय बोर्ड द्वारा ही यह कार्य कराये जाने की नीति में क्या उपादेयता है ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) पुलिस विभाग में सब-इन्सपेक्टर्स के लिये हायर सैकेन्डरी पास तथा प्रासीक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टर्स के लिये एल. एल. बी. की योग्यता निर्धारित हैं राज्य सरकार द्वारा राणावत कमीशन की सिफारिशों के आधार पर सीधी भर्ती से सब-इन्सपेक्टर्स के लिये शैक्षणिक योग्यता हायर-सेकन्डरी से बढ़ा कर भविष्य में ग्रेजुएट कर दी गई है ।

राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नये पे स्केल घोषित किये जा चुके हैं । इनके अनुसार सब-इन्सपेक्टर्स व प्रासीक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टर्स का पे स्केल अब 160-8-220-10-240-15-360 कर दिया गया है । प्रासीक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टर्स को स्पेशल पे भी मंजूर की गई है । जो पी. एस. आई. लॉ ग्रेजूएट हैं उन्हें 50 रुपया माहवार और जो लॉ ग्रेजूएट नहीं हैं उन्हें 20 रुपया माहवार भत्ता दिया जावेगा ।

(2) जी हां । राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिमिटेशन आफ फंक्शन्स एक्ट में उक्त पदों की भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा न करने का प्रावधान है । पुलिस सब-इन्सपेक्टर्स की विशेष प्रकार की फील्ड ड्यूटीज होती हैं, अतः इस पद के लिये इसी प्रकार के व्यक्तियों का चुनाव अनुभवी पुलिस अधिकारियों द्वारा ही किया जा सकता है । इन कारणों से सब-इन्सपेक्टर्स का चुनाव डी. आइ. जी. पुलिस के बोर्ड द्वारा किया जाता है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: इस बोर्ड के मेम्बर्स कौन कौन हैं और इस बोर्ड के निर्णय लेने के लिये कोई नियम बने हुए हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जब जब सिलेक्शन होता है तो बोर्ड का गठन किया जाता है । उसमें डी. आइ. जी. भी होता है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इस बोर्ड का गठन कब होता है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जब जब सिलेक्शन की आवश्यकता होती है ।

Page No 12

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या यह सही है कि नियमों के अनुसार जब यह बोर्ड किसी व्यक्ति को योग्य नहीं समझता है तो मंत्री महोदय उनकी रिप्रेजन्टेशन पर उनको उसी पद पर नियुक्त कर देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है । मैं मंत्री महोदय का ध्यान केवल इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि यह फैक्ट है दो केसेज आपके सामने आये ।

श्री अध्यक्ष : दो व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रश्न है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जी हाँ ।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि नियमों को ऑब्जर्व करना चाहिये । अगर कोई रिप्रेजेन्ट करता है मंत्री महोदय को, तो भी जो सब से ज्यादा क्वालीफाइड है उसको पद मिलना चाहिये न कि केवल उसको जिसने रिप्रेजेन्ट किया है । इस तरह से डिस्क्रीमीनेशन नहीं होना चाहिये । आपने नियमों की भी कोई कापी नहीं दी है । आपके सिलेक्शन का आधार क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री): आपका कहना है कि जो ऑफिसर्स सिलेक्शन में नहीं आये, उनके द्वारा गवर्नमैन्ट को रिप्रेजेन्ट करने पर गवर्नमैन्ट ने उनको ले लिया ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : ऐसा है कि पुलिस विभाग में कुछ आदमियों को पदोन्नति के लिये कन्सीडर किया गया और बोर्ड ने दो आदमियों के बारे में कहा कि ये क्वालीफाइड नहीं हैं । बोर्ड के इस निर्णय के खिलाफ उन लोगों ने सरकार को रिप्रेजेन्ट किया, तो उस पर आपने यह आदेश दिया कि ये लोग उन्हीं पदों पर कन्टीन्यु करेंगे तो आपके यहाँ जिन आदमियों ने रिप्रजेन्ट किया उनको तो आपने रिलीफ दे दिया, लेकिन उनसे ज्यादा क्वालीफाइड लोग, जिनने आपको रिप्रेजेन्ट नहीं किया, उनको आपने कोई रिलीफ नहीं दिया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप मुझे नाम बता दीजिये तो मैं आपको सही स्थिति बता दूंगा । अगर कोई गलती होगी तो अवश्य स्वीकार कर लेंगे । मेरे ख्याल से देयर इज नॉट ए सिंगल केस जिसमें कि हमने ऐसा किया हो फिर भी आप नाम बता दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : नाम हैं नहीं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : हैं अध्यक्ष महोदय । मैं उनके पूरे नाम पते लेकर आपको बता दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री जुझारसिंह ।

ग्राम खेड़ा रूद्धा में मिडिल स्कूल

92. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम खेड़ा रूद्धा, तहसील रामगंज मंडी में पंचायत समिति, चेचट व जिला परिषद् कोटा द्वारा मिडिल स्कूल खोले जाने की माँग कब से सरकार के समक्ष भेजी हुई है ?

(श्री झुंझारसिंह)

(2) क्या यह सही है कि ग्राम खेड़ा रूद्धा में राणा प्रताप सागर के विस्थापित परिवार बसाये गये हैं और उनके लिये सरकार द्वारा मौजूदा स्कूल में अतिरिक्त कमरे भी बनाये गये हैं ?

(3) रामगंज मंडी का सरहदी व बड़ा गाँव होने की दृष्टि से व आस-पास पढ़ाई की समुचित सुविधा नहीं होने से क्या सरकार इस ग्राम में इसी साल मिडिल स्कूल खुलवाने का प्रबन्ध करेगी ?

उप मंत्री शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) ।

(1) गत शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने से कुछ दिन पूर्व ही इस ग्राम में मिडिल स्कूल खोले जाने की माँग प्रस्तुत की गई, जब कि अन्य ऐसे क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव बहुत पहले प्राप्त होकर उन पर उपयुक्त निर्णय लिया जा चुका था ।

(2) जी हाँ, राणा प्रताप सागर के चम्बल विभाग द्वारा अतिरिक्त दो कमरे बनाये गये हैं।

(3) अगले वर्ष शालाओं को क्रमोन्नत करते वक्त इसको प्राथमिकता दी जायेगी ।

श्री झुंझारसिंह : आपने फर्माया कि गुजरे साल इसको दूसरी शालाओं के साथ कन्सीडर किया गया था । तो फिर इसका नम्बर क्यों नहीं आया ?

राव श्री धीरसिंह : जो प्रस्ताव पंचायत राज संस्थाओं के जरिये और जनता के प्रतिनिधियों के जरिये हमारे पास आये थे, वे सब कन्सीडर किये गये और राज्य सरकार ने अपनी फाईनेन्सीयल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए जहाँ जहाँ पर उपयुक्त समझा वहाँ पर स्कूल खोल दिये गये । उसके बाद जो रह गये हैं उनके लिये हमने कह दिया कि अगले सत्र में विचार करेंगे । खेड़ा रूद्धा में राणा प्रताप सागर के विस्थापित लोगों को बसाया गया है और चम्बल बोर्ड ने उनके लिये स्कूल में दो कमरे भी बनाये हैं, तो नेक्स्ट सैशन में उसको प्राथमिकता दी जायगी ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री झुंझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस स्कूल के बारे में कई सालों से प्रश्न चल रहा है दो तीन प्रश्न तो इस असेम्बली में पूछे जा चुके हैं। वहाँ पर राणा प्रताप सागर से डिस्प्लेस्ड लोगो को बसाया गया है उनके लिये अलग से प्रावधान है, इसलिये वहाँ डबल कन्सीडरेशन होना चाहिये । तो इसमें मंत्री महोदय आश्वासन दें कि अगले सत्र में इसको जरूर ले लिया जायगा । क्या मुझे अगले सत्र में यह प्रश्न फिर से पूछने की नौबत नहीं आयेगी ?

राव श्री धीरसिंह : अगर स्कूल खोला गया तो पूछने की स्थिति में आप नहीं आयेंगे ।

प्रश्न संख्या 93

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री नत्थीसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामसिंह कुड़ी !

नागौर सब-डिवीजन में सरकारी पड़त नाकाबिल काश्त भूमि पर अतिक्रमण के मामले

94. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नागौर सब-डिवीजन के गावों में आबादी के पड़ौस में सरकारी पड़त नाकाबिल काश्त भूमि में घर व बाडों द्वारा अतिक्रमण करने के सं० 2020 से पहले के कितने मामले हैं एवं किस किस गांव में कितने कितने हैं और कितने ऐसे मामलों में हस्ब दफा 91 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही चालू हो गई है एवं कितने ऐसे मामलों में अभी तक हस्ब दफा 91 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत नोटिस जारी होने बाकी हैं ? गांववार व व्यक्तिवार सूचियां मय वल्दियत एवं कौमियत के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : नागौर सब-डिवीजन के गांवों में आबादी के पड़ौस में सरकारी पड़त नाकाबिल काश्त भूमि में घर व बाड़ों द्वारा अतिक्रमण के संवत् 2020 के पहले 402 मामले दायर हुये थे। गाँववार सूची संलग्न है। इन सभी मामलों में दफा 91 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही की जाकर निर्णीत किये जा चुके हैं। कोई मामला पैन्डिंग नहीं है न किसी में नोटिस वगैरह जारी करने हैं इसलिए व्यक्तिवार सूची देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिए)

श्री रामसिंह कुडी : इन मामलों की सूची तो दीजिए।

श्री गंगाराम चौधरी : यह 402 मामले हैं जिनकी गांववार सूची दे दी गयी है।

प्रश्न संख्या 95

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 96

श्री रामनारायण चौधरी !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

: राजवी श्री रूपसिंह !

ग्राम भालेरी में पीने के पानी की व्यवस्था

97. राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भालेरी, तहसील, तारानगर जिला चूरू के कुओं का पीने का पानी मीठा है।

(2) क्या यह सही है की भालेरी गांव के आसपास आठ गांवों में कुओं का पीने का पानी खारा है और इन गांवों के आठ-दस हजार आदमी व 25 हजार मवेशी गर्मी के दिनों में भालेरी के कुओं से पानी पीने व पानी ले जाने आते हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि तारीख 11-3-66 को भालेरी के पड़ौसी गांव को भालेरी से पानी देने के लिये सरकार द्वारा जलप्रदाय योजना गांव भालेरी के लिये मन्जूर हो चुकी थी ? यदि हां, तो फिर 8

(राजवी श्री रूपसिंह)
गांवों के आदमियों की तकलीफ को देखते हुए वह स्कीम अभी तक क्रियान्वित क्यों नहीं हुई और अब वह स्कीम कब तक पूरी की जावेगी ?

राज्यमंत्री, जन-स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जी हां, पानी पेय योग्य है ।

(2) जी हां, मालेरी क्षेत्रीय योजना के आस पास 14 गांव हैं जिनकी 1961 की जनगणना के अनुसार कुल 8,140 मनुष्यों की आबादी है व 11,488 पशुओं की । प्रश्न से स्पष्ट नहीं है कि कौन से 8 गांवों की जानकारी चाही गयी है ।

(3) जी नहीं, चूंकि अभी तक योजना स्वीकृत ही नहीं हुई है अतः क्रियान्वित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजवी श्री रूपसिंह : क्या यह सही है कि योजना मन्जूर की गयी है ? अगर नहीं की गई है तो कब तक मन्जूर किये जाने का विचार है ?

श्रीमती सुमित्रा : योजना भारत सरकार के विचाराधीन है ।

प्रश्न संख्या 98

श्री अध्यक्ष : श्री बालसिंह सोढा !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह !

सिरोज की जागीरदारी भूमि

99. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल,जयपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व रियायत टौंक के एक भाग सिरोज की जागीरदारी भूमि का पुनर्ग्रहण राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत ही हुआ था ?

(2) क्या यह सही है कि उस क्षेत्र के जागीरदारों को मुआवजा राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत ही मध्य प्रदेश सरकार दे रही है ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत जागीर पुनर्ग्रहित होने के कारण यह जागीरदार भी नेहरू अवॉर्ड की परिधि में आते हैं ?

(4) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि राजस्थान के इन जागीरदारों को भी नेहरू अवॉर्ड का लाभ मिले ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

(4) स्टेट रीआर्गनाइजेशन एक्ट के प्रावधान के अनुसार मध्य भारत में विलीन हुये राजस्थान के भाग के जागीरों के जागीरदारों को मुआवजा मध्य भारत सरकार को ही पुनर्ग्रहण नियम के अनुसार देना पड़ेगा ।

श्री भैरोंसिंह : आपने प्रश्न के भाग (3) के उत्तर में कहा है 'जी हां' और इसमें मैंने पूछा था कि क्या यह सही है कि उस क्षेत्र के जागीरदारों को राजस्थान जागीर

(श्री भैरोंसिंह)
पुनर्ग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा दिया जायेगा और इसके उत्तर में आपने कहा है जी हां और जागीर पुनर्ग्रहित होने के कारण यह जागीरदार भी नेहरू अवॉर्ड की परिधि से आते हैं तो यह दोनों में भेद क्यों है ?

श्री गंगाराम चौधरी : प्रश्न के भाग (3) में यही पूछा गया कि क्या यह सही है कि राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत जागीर पुनर्ग्रहित होने के कारण यह जागीरदार भी नेहरू अवार्ड की परिधि में आते हैं । तो नेहरू अवार्ड की परिधि में अवश्य आते हैं

जो कि राजस्थान में रहने वाले हैं और सिरोज में रहने वाले नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सिरोज क्षेत्र के जागीरदारों को जो राजस्थान सरकार का जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम बना हुआ है उसी के अन्तर्गत मुआवजा दिया जायेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मन्त्री) : जो स्टेट्स रीआर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट थी उसके तहत राजस्थान के जो गांव मध्य भारत में विलीन हो गये उसका मुआवजा मध्य भारत वाले देंगे और जो राजस्थान वाले हैं उनको राजस्थान सरकार देगी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के कई जागीरदारों को जागीर रिजम्शन के कारण उनको मुआवजा दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जागीर रिजम्पशन में मुआवजा तो दिया ही जाता है लेकिन उसका मुआवजा जो मध्य भारत में विलीन हुए हैं क्षेत्र वह वहां से ही मिलेगा ।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान सरकार ने नहीं दिया है यह मानें ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां ।

प्रश्न संख्या 100

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामप्रसाद बोहरा !

झालावाड़ में काबिल काश्त भूमि का अलॉटमैन्ट

101. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भूतपूर्व राजस्व मन्त्री महोदय द्वारा जिला झालावाड़ में राजस्थान की एवं फोरेस्ट विभाग की काबिल काश्त भूमि सन् 67 व 68 में अपने अधिकार से किन किन व्यक्तियों को कहां कहां की कितनी कितनी काश्त करने हेतु एलॉट की है ? कृपया सूची मय नाम, गांव, खसरा नम्बर सहित मय तादाद भूमि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि जिन जिन व्यक्तियों को भूमि दी गई है वे भूमिहीन काश्तकार हैं और काश्त करने वाले हैं ?

(3) यह किस नियम के अन्तर्गत एलॉटमैन्ट हुआ है ?

Page No 17

उप मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए इसे स्थगित करने के लिए निवेदन है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों से यह प्रश्न पूछा जा रहा है।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी) : अध्यक्ष महोदय, यह दो तीन सत्रों से पूछा जा रहा है लेकिन इसको हमेशा स्थगित कर देते हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : जानकारी करके नेक्स्ट टर्न पर उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

प्रश्न संख्या 102

श्री रघुनाथ विश्नोई !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 103

श्री कृष्णकुमार गोयल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री भैरोंसिह !

प्रश्न संख्या 104

श्री अध्यक्ष : मेरे पास अधिकार पत्र नहीं है।

श्री भैरोंसिह : वह रास्ते में आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : उद्योग मन्त्री।

हस्त शिल्प वस्तुओं की बिक्री व प्रचार के लिए गाड़ी

104. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) [श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया]:—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा हस्त शिल्प वस्तुओं की बिक्री व प्रचार के लिये राज्य सरकार को दिये गये अनुदान में से एक गाड़ी सन् 1957 में खरीदी गई थी ? यदि हां, तो इस गाड़ी पर प्रति वर्ष कितना कितना ख़र्चा हुआ और कितने कितने रुपयों की बिक्री हुई ?

(2) क्या यह सही है कि सन् 57 से सन् 62 तक इस गाड़ी के माध्यम से लगभग 5 हजार रुपयों की बिक्री हुई जब कि इस अवधि में इस पर लगभग 70 हजार रुपया खर्चा हुआ ?

(3) जनवरी 62 से मार्च 64 तक यह गाड़ी केवल 16 दिन ही चली, क्या यह सच है ?

उद्योग मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां, प्रति वर्ष खर्चे और बिक्री की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कुल बिक्री 4,118.36 रुपया की हुई और खर्चा 56,236.32 रुपये हुआ।

(3) जी नहीं, यह गाड़ी 93 दिन चली।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री भैरोंसिंह : बिक्री के अनुपात में क्या सरकार उचित समझती है कि इस गाड़ी के ऊपर इतना खर्चा हुआ है वह ठीक है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह सन् 1957 की बात है और जहां तक उचित और अनुचित का सवाल है यह खाली बिक्री के लिए ही नहीं थी। यह प्रोपेगन्डा के लिए थी।

श्री भैरोंसिंह : प्रोपेगण्डा के लिए तो आप कह सकते हैं लेकिन थी नहीं। क्या यह सही है कि वह केवल बिक्री के काम में ली गयी और इसकी रिपेयर पर ही 56 हजार रुपया खर्चा हुआ जब कि आपकी बिक्री करीब 5 हजार रुपया हुई है आपके हिसाब से तो इस गाड़ी का उपयोग नहीं हुआ यह तो आप मानते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : पूरा उपयोग हुआ तो सेल की रकम तो बता दी लेकिन इसमें दूसरे इक्विपमेंन्ट्स भी लगे हुए थे जो कि हस्त शिल्प वस्तुओं के प्रोपेगण्डा के लिए थे जो कि उसके उपयोग में आते थे।

प्रश्न संख्या 105

श्री अध्यक्ष : देवीलाल बुरासिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 106

श्री विद्यासागर।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 107

श्री शिवनाथ सिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री फूलचन्द बाफना।

स्वर्णकारों को अनुदान एवं ऋण

108. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) पाली जिले में स्वर्ण नियन्त्रण के पश्चात् अब तक कितने स्वर्णकार बेकार हुए ?

(2) इन बेकार स्वर्णकारों के लिये किस किस वर्ष में अनुदान व ऋण राज्य सरकार ने स्वीकृत किया ?

(3) इस स्वीकृत अनुदान व ऋण में से किस किस वर्ष में किस किस तहसील में कितनी कितनी रकम किस अधिकारी या जिला कमेटी द्वारा स्वीकृत हुई और वितरित हुई ?

(4) पांच हजार अथवा पाँच हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों या कस्बों में से कितनी कितनी अनुदान व ऋण माँगने की अर्जियां सरकार को प्राप्त हुई और उन प्राप्त आवेदन-पत्रों में से किस किस को कितना अनुदान, ऋण या अन्य सहायता दी गई ?

(5) जिन प्रार्थियों की (पाँच या पाँच हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों या कस्बों में) अर्जियां अस्वीकृत हुई, उनके नाम क्या क्या हैं व उनकी अस्वीकृति के कारण क्या क्या हैं ?

(6) स्वर्णकारों सम्बन्धी जिला स्तर की जो कमेटी बनी हुई है उसकी पिछले तीन वर्षों में कब कब बैठकें हुई ? यदि इस

(श्री फूलचन्द बाफना)
कमेटी की बैठक नियमित रूप से नहीं हो रही है तो उसका कारण क्या है?

(7) क्या राज्य सरकार के ध्यान में है कि इस समय बहुत से स्वर्णकार बेकार हैं? यदि हाँ, तो पाली जिले में तहसीलवार उनकी संख्या क्या है? और पाँच हजार या पांच हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों या कस्बों में से प्रत्येक ग्राम या कस्बे में उनकी संख्या क्या क्या है? इन बेकार स्वर्णकारों की बेकारी हटाने के लिये राज्य सरकार का क्या विचार है? या क्या योजना है?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) पाली जिले में स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, लागू होने के पश्चात् से अब तक 601 स्वर्णकार बेकार हुए हैं।

(2) इन स्वर्णकारों के पुनर्संस्थापन हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये ऋण एवं अनुदान का विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	ऋण	अनुदान
1964-65	57,000	—
1965-66	1,70,000	—
1966-67	25,000	1,300
1967-68	—	6,170

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) ऋण व अनुदान हेतु कुल 278 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये तथा इनमें से 186 आवेदन-पत्रों पर ऋण स्वीकार किया गया जिनके नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) कुल 76 आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये गये जिनकी विवरण सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) जिला स्तरीय ऋण समिति की बैठकें वर्ष 65-66 में दिनांक 29-9-65, 5-11-65, 20-12-65, 26-2-66 एवं 17-3-66 को हुई। नियमानुसार 1 हजार रुपये से अधिक की राशि स्वीकार करने हेतु समिति की बैठक बुलवाई जाती है तथा 1 हजार या 1 हजार से कम राशि की स्वीकृति जिलाधीश स्वयं प्रदान कर सकते हैं।

(7) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। राज्य सरकार ने स्वर्णकारों के पुनर्संस्थापन हेतु निम्नांकित आदेश प्रसारित किये हैं:—

(क) स्वर्णकारों को ऋण सहायता देना।

(ख) राज्य सेवा में आयु सीमा में छूट। तृतीय श्रेणी कर्मचारी के लिये 35 वर्ष तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 45 वर्ष।

(ग) भूमि आवंटन में प्राथमिकता देना।

(घ) नमक क्षेत्र में भूमि आवंटन में प्राथमिकता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री फूलचन्द बाफना: आपने जो प्रश्न के भाग (6) का उत्तर दिया है उसमें

(श्री फूलचन्द बाफना)
कहा है कि 1 हजार या उससे कम की राशि की स्वीकृति जिलाधीश स्वयं स्वीकृत कर सकते हैं तो आपने जो सूची दी है उसमें पृष्ठ संख्या 5, 6 और 1965-66 के पृष्ठ संख्या 13 और 1967-68 के पृष्ठ संख्या 10 पर देखिये आपको मालूम होगा कि 1 हजार से ज्यादा की रकम मन्जूर हुई है और उसके लिए जिला कमेटी की बैठकें नहीं बुलाई गई जब कि उत्तर यह दिया है कि 1 हजार या उससे कम की राशि जिलाधीश स्वीकृत कर सकता है परन्तु यह उससे ज्यादा की रकम है इसलिये जिला कमेटी की बैठक बुलाई जानी चाहिए थी वह बुलाई नहीं और 1965-66 में बुलाई है और किसी वर्ष में कोई जिला कमेटी की बैठक नहीं बुलाई है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है ?

श्री गंगाराम चौधरी : इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी नहीं है।

श्री फूलचन्द बाफना : मैंने पृष्ठ बतलाये हैं 5,6,13 और 18 इनमें जानकारी है सब।

श्री गंगाराम चौधरी : हो सकता है कि एक हजार से अधिक की राशि के लिए जिलाधीश ने स्वीकृति दे दी हो 65-66 के पूर्व, ऐसा आपका फर्माना है ?

श्री फूलचन्द बाफना : उत्तर में आपने फरमाया है कि एक हजार से अधिक की राशि स्वीकार करने हेतु समिति की बैठक बुलाई जाती है और एक हजार या एक हजार से कम की राशि की स्वीकृति जिलाधीश स्वयं प्रदान करता है, तो मेरा यह निवेदन है कि 64-65 में 5 और 6 इन दो पृष्ठों में ऐसी सूची है कि जिसमें एक हजार से ज्यादा ऋण दिया गया है और कमेटी की बैठक नहीं बुलाई गई है। इसी प्रकार 66-67 की पृष्ठ संख्या 13 पर ऐसी सूची है और 67-68 की पृष्ठ 18 पर ऐसी सूची है कि जिसमें एक हजार से ज्यादा राशि की स्वीकृति दी गई है तो इसके लिए जिला समिति की बैठक क्यों नहीं बुलाई गई है जब कि राशि ज्यादा थी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): जैसा कि आपने फरमाया है कि ऐसे मामले हैं जिनमें एक हजार से ज्यादा की राशि है और मीटिंग नहीं बुलाई गई है तो इसकी जांच की जा सकती है।

श्री फूलचन्द बाफना : आपने जांच करके उत्तर दिया है या बगैर जांच के ही।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने पूछा उसका जवाब दिया है।

श्री फूलचन्द बाफना : यह तो उत्तर नहीं है। आपने उत्तर दिया है कि कमेटी नहीं बुलाई गई तो आपको पूछ कर जवाब देना चाहिए था कि क्यों नहीं बुलाई गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपने पूछा कि कब कब मीटिंगें बुलाई गई तो उसका आपको जवाब दे दिया।

श्री फूलचन्द बाफना : मैंने यह भी पूछा है कि नहीं बुलाने के कारण क्या हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसका बताया है कि एक हजार तक की जरूरत

(श्री रामकिशोर व्यास)
नहीं है और उसके आगे रुपया ही बहुत कम आया है ।

श्री फूलचन्द बाफना : यह प्रश्न पहले पूछा हुआ है ।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने पूछा उसका जवाब आपको दे दिया है । यह नया पॉइन्ट यहां पर उठाया गया है ।

श्री फूलचन्द बाफना : उत्तर नहीं मिला इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं । जो उत्तर सरकार द्वारा दिया गया है वही उत्तर और उसकी सूची मेरे पास है ।

श्री रामकिशोर व्यास : पहले कहा है कि मिला नहीं और अब फर्मा रहे हैं कि मौजूद है ।

श्री फूलचन्द बाफना : इसका उत्तर नहीं मिला कि कमेटी क्यों नहीं बुलाई गई ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : विशेष जानकारी करके इसका उत्तर कुछ टाइम के अन्दर दे दें ।

श्री रामकिशोर व्यास : वह कह दिया ।

श्री फूलचन्द बाफना : आपने फिर इसमें यह कहा है कि कई अर्जियां इसलिए खारिज कर दी गई हैं कि उन स्वर्णकारों के पास में औद्योगिक कार्य थे या कृषि कार्य थे तो इसका मतलब यह है कि केवल नाम-मात्र का कार्य हो तो यह मान लिया गया । वह केवल हथौड़ा चलाता हो और केवल 8 आने ही कमाता हो तो क्या वह औद्योगिक कार्य माना जायगा और कृषि के लिए केवल 2-3 बीघा जमीन ही हो उसका कृषि कार्य माना जायगा और बेकार नहीं माना जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो कृषि कार्य करता है उसका कृषि कार्य माना जायगा ।

श्री फूलचन्द बाफना : वह बेरोजगार नहीं माना जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : इट इज हाईपोथेटिकल, आपकी राय है ।

श्री फूलचन्द बाफना : उसका उत्तर क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह आपको बता देंगे ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु०) : अध्यक्ष महोदय, जो स्वर्णकारों के लिए उत्तर पूछा गया है उसमें स्पष्ट बताया गया है कि एक हजार से कम की राशि हो तो जिलाधीश उनको दे सकता है तो उसमें जितनी भी राशि दी गई है जो कि एक हजार से ज्यादा की है तो, अध्यक्ष महोदय, अभी तक यह पता नहीं है कि उन लोगों को वह पहुंची भी है या नहीं इसका उत्तर स्पष्ट कराया जाय और दुबारा इसका स्पष्टीकरण किया जाय स्थगित करके ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामचन्द्र आर्य !

गंगानगर जिले में कत्ल के मामले

109. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला गंगानगर में सन् 1968 में कितने कत्ल हुए हैं व छुट-पुट झगड़े कितने हुए हैं ? थानेवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि जिले में अराजकता फैल रही है ? यदि हां, तो

(श्री रामचन्द्र आर्य)
क्यों ? यदि नहीं, तो इतने झगड़े किस कारण से हो रहे हैं ?

राज्यमंत्री गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जिला गंगानगर में सन् 1968 में 69 कत्ल के केस दर्ज हुए तथा 418 झगड़े हुए । थानावाइज सूची संलग्न है ।

(2) जी नहीं, यह झगड़े प्रायः आपसी रंजिश व जमीन जायदाद सम्बन्धी हकीकत को लेकर होते हैं । स्थिति सामान्य है ।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि पुलिस थानों में सरे आम शराब पी जाती है और तफतीश करने के लिए पुलिस जाती है और वहीं शराब पी जाती है इसलिए इलाके में ज्यादा झगड़े पैदा होते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह सही नहीं है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह बिल्कुल सही मैं फेक्ट दूंगा और प्रमाणित कर दूंगा । कल की ही घटना है कि नोहर के थानों के अन्दर सिपाहियों ने शराब पी और एक दुकानदार को लाकर उसका हाथ तोड़ दिया गया जब कि कोई मुकद्दमा उसके खिलाफ नहीं था । इस तरह के कत्ल हुए हैं और इस प्रकार की अनेक वारदातें उस इलाके में होती हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने इसमें कहा है कि स्थिति सामान्य है और आपसी झगड़ों के कारण झगड़े होते हैं, तो यह सही नहीं है । पुलिस वहीं शराब पीती है सरे आम और तफतीश पर ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्न पूछिये ।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसके बारे में आपके पास क्या उत्तर है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न समाप्त हो जाने दें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : जाते हैं तो शराब पीते हैं ··

हीरालाल देवपुरा : जो आपने पूछा है उसका उत्तर दिया गया । स्पेसिफिक फैक्ट आप देंगे तो जानकारी कर ली जायगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मना है क्या पुलिस का शराब पीना ?

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने नं० 2 में कहा है कि स्थिति सामान्य है और मैंने प्रश्न पूछा है कि थानों में शराब सरे आम पी जाती है तो इसके सम्बन्ध में क्या जवाब है ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने कहा कि स्थिति सामान्य है तो वहां स्थिति सामान्य नहीं है । पुलिस जानबूझ कर झगड़े बढ़ा रही है । इस प्रकार अध्यक्ष महोदय कत्ल हुए हैं और झगड़े बढ़ रहे हैं तो इसकी आप एन्क्वायरी करायेंगे या नहीं ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है ।

Page No 23

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : 69 केसेज में से कितने केसेज ऐसे हैं जो कि अनट्रेस्ड हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह अलग से प्रश्न है। आपने 68 का पूछा है उसका मैंने जवाब दे दिया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या यह सही है कि इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ऐसी जगहों पर ऐसे अधिकारी नहीं भेजे जायं जो कि शराब पीते हैं।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मुझे पूछना है कि जिस जिले के अन्दर एक साल में 68-69 कत्ल की घटनाएं हो जाती हैं और आप मानते हैं कि अराजकता नहीं है तो सरकार से मैं जानना चाहूंगा कि कितने कत्ल पर सरकार अराजकता मानेगी।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह इससे सम्बन्ध नहीं रखता है। 69 कत्ल हुए हैं सारे डिस्ट्रिक्ट के अन्दर। साल भर पहले के आँकड़े देखेंगे तो उनसे ज्यादा नहीं है।

प्रश्न संख्या 110

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारी लाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गंगा सहाय

फ्लड ड्रेन का एस्टीमेट

111. **श्री गंगासहाय** (कठूमर सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर में सिटी फ्लड ड्रेन का सारा एस्टीमेट मिट्टी का था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ड्रेन की मिट्टी का भुगतान मीडियम के स्थान पर हाई सोइल में किया गया है ?

(3) क्या सरकार यह बतलावेगी कि फ्लड ड्रेन के लिए कितनी मिट्टी डलवाई गई ? दोनों प्रकार की मिट्टी की रेट क्या है ?

उप मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री गंगासहाय : आपने कहा कि जांच की जा रही है तो वह कब तक पूरी हो जायगी बहुत समय हो गया है।

श्री अध्यक्ष : सवाल ही नहीं उठता।

श्री गंगासहाय : प्रश्न के भाग (1) में उत्तर दिया है कि जाँच की जा रही है......

श्री माधोसिंह : मैंने कहा है कि इस विभाग को जानकारी नहीं है।

श्री गंगासहाय : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मिट्टी जो डलवाई गई है और उसका जो पेमेन्ट किया गया है इन दोनों में फर्क क्या है ? यह तो बता दें कम से कम।

श्री माधोसिंह : हमारे विभाग ने यह काम नहीं किया है इसलिए हमारे विभाग

(श्री माधोसिंह)
को जानकारी नहीं है, यह मैंने निवेदन किया है।

श्री गंगासहाय : जब आपके विभाग से इसका सम्बन्ध नहीं था तो दूसरे विभाग को क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपके पहले भी, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के आदेश हैं कि अगर एक प्रश्न एक विभाग से सम्बन्धित नहीं हो तो दूसरे विभाग को भेज दिया जाय। अगर यह इरिगेशन से सम्बन्धित था तो उनको भेज दिया जाता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दिग्विजयसिंह।

जागीरदारों का मुआवजा

112. **श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान लैंड रिफार्म्स एण्ड रिजम्प्शन्स ऑफ जागीर एक्ट, 1952 के तहत कुल कितना मुआवजा दिया जा चुका है ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अभी भी कई जागीरदारों के मुआवजे तय नहीं किये गये हैं ? यदि हाँ, तो ऐसे कितने हैं और तय नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है ठिकाना खन्डेला बड़ा पाना, जिला सीकर का मुआवजा अभी तक तय नहीं किया गया हैं ? यदि हाँ, तो क्यों नहीं और अब कब तक तय हो जावेगा ?

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। करीब 16,205 जिसमें अधिकतर छोटे जागीरदारों के दावे हैं। कारण ये हैं :—

(1) जागीरदार व उनके सम्बन्धियों के बीच में विवाद होना।

(2) उत्तराधिकारी की कार्यवाही होना। छोटे जागीरदारों के दावों की जांच करना।

(3) जी हां, ठिकाना खन्डेला में सरकारी राशि बकाया है उसकी जांच अभी तक नहीं हो पाई है। बकाया राशि की जांच हो जाने पर ही निर्णय होना सम्भव हो सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है कि ठिकाना खन्डेला के जागीरदार ने राज्य सरकार को अपने जिम्मे बकाया रकम की भुगतान की रसीदें पेश कर दी हैं और कहा है कि उसके जिम्मे कोई बकाया बाकी नहीं है और आपके पास सबूत नहीं है कि उनमें कितना बकाया निकलता है ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह सही नहीं है। अभी 6,24,000 रु० बकाया के सम्बन्ध में मामले विचाराधीन हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने आपकी रसीदें जागीर कमिश्नर महोदय को बताई हैं और आपके पास में कोई इस प्रकार का प्रमाण नहीं है कि

(श्री दिग्विजयसिंह)
कितनी बकाया उनके खिलाफ है। अभी हाल में आपका एक पत्र उनको मिला है कि हमारे पास जानकारी की जा रही है कि कितनी बकाया है।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं तथ्यों के सम्बन्ध में निवेदन कर सकता हूं। वैसे यह मामला जुडिशियरी में है जो कि जागीर कमिश्नर के पास में पेंडिंग है। उससे अधिक मैं निवेदन नहीं कर सकता।

श्री दिग्विजयसिंह : एक और जानकारी चाहता हूं कि आप कब तक निर्णय कर देंगे क्योंकि 54 में जागीरें खत्म हुई और 54 से लेकर आज 69 हो गया और इस अरसे में आप यह निर्णय नहीं कर सके हैं कि उस जागीरदार के अन्दर कितना बकाया वसूल करना है और जागीर कमिश्नर को सबूत पेश नहीं कर सके हैं। इस सम्बन्ध में आप क्या कहते हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने जैसा कि निवेदन किया है कि जागीर कमिश्नर की अदालत में जो कि जुडिशियल कोर्ट है उसके सामने यह पेंडिंग है और वे ही निर्णय देंगे।

श्री दिग्विजयसिंह : 54 से लेकर 69 तक का टाइम हो गया और पेश नहीं कर सके हैं अभी तक। डिपार्टमेंट के पास जानकारी नहीं है कि कितना बकाया है। जागीरदार हिसाब-किताब और रसीदें लेकर जाता है और उन्होंने रसीदें बता दीं कि इस इस साल की रसीदें हैं और जो मामला स्टेट के जमाने का था उसकी रसीदें हैं वे सब दिखा दीं। जागीर कमिश्नर के पास सबूत नहीं है और 54 से 69 तक यह मामला पेंडिंग चलता रहे और उसका मुआवजा तय नहीं हो तो राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में क्या कहना है ?

श्री गंगाराम चौधरी (उप मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि मामला जागीर कमिश्नर के विचाराधीन है। वह एक अदालत है, सरकार उसमें एक पार्टी है। इसलिए तथ्यों के सम्बन्ध में कुछ भी निवेदन नहीं कर सकूंगा।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह केस मन्त्री महोदय के पास आया हुआ है। मन्त्री महोदय ने स्वयं ने लिखा है। आखिर यह कब तक पड़ा रहेगा ? या यह होगा कि जब तक राजा खण्डेला जिन्दा रहें तब तक यही रहेगा ? अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय के पास यह है। उस पर निर्णय जल्दी से जल्दी लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री दिग्विजयसिंह : ऐसे छोटे छोटे मामले पेंडिंग हैं। उसका इन्ट्रेस्ट ही 10 हजार रु० हो जायगा। रेवेन्यू वोर्ड में जाते हैं तो वहां तारीख बढ़ जाती है उनकी तरफ से कोई फैसला नहीं होता है। इस पर जल्द से निर्णय किया जाएगा क्या? मूल रकम से ज्यादा इन्ट्रेस्ट देना पड़ जायगा सरकार को।

प्रश्न संख्या 88

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा
(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)
श्री नत्थीसिंह।

प्रश्न संख्या 93

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)
श्री बालसिंह सोढ़ा।

Page No 26

जैसलमेर जिले में शिक्षा का प्रसार

98. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में जैसलमेर ही एक जिला है जहां कॉलेज नहीं है जब कि वहाँ पर लड़के भी काफी संख्या में निकलते हैं ? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है और भविष्य में सरकार इसके लिये क्या कदम उठा रही है और नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या भविष्य में सरकार इस जिले में शिक्षा प्रसार करना चाहती है? अगर हाँ, तो इस वर्ष कितनी हायर सैकेन्डरी, कितनी माध्यमिक शालाएं और कितनी प्राथमिक शालाएं खोलने का विचार रखती है ? अगर नहीं तो क्या कारण हैं ?

श्री धीरसिंह (उप मन्त्री शिक्षा) :

(1) जी हाँ, धनाभाव के कारण अगले वर्ष के आय-व्ययक में महाविद्यालय खोलने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(2) अगले वर्ष कोई नई शाला खोलने का प्रावधान नहीं है केवल उन 6 स्थानों पर माध्यमिक शालाएं खोली जाएंगी जहाँ पंचायत समिति में एक भी शाला नहीं है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, आप जवाब देते हैं। आश्वासन देते हैं खोला जायगा। कब खोला जायगा ?

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बातें केवल कही जाएंगी।

शिक्षा मंत्री : (श्री बरकतउल्ला-खां) : रिकार्ड देख लीजिए। ऐसी कोई बात नहीं कही है। आप जैसे सीनियर मेम्बर को ऐसे नहीं समझना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई। (अनुपस्थित)

श्री कृष्ण कुमार गोयल ! (अनुपस्थित)

श्री देवीलाल बुरासिया ! (अनुपस्थित)

श्री विद्यासागर ! (अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल ! (अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 105 इम्पोर्टेन्ट है इसका उत्तर दिला दिया जाये।

श्री जुझारसिंह : इसे पूछ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजसुन्दर शर्मा, राजस्व मन्त्री।

कुओं की खातेदारी

105. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी सु.) की अनुपस्थिति में [श्री रामानन्द अग्रवाल, अलवर द्वारा पूछा गया]: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील केकड़ी में कितने ऐसे काश्तकार हैं कि जिनका निजी कुआ होते हुए भी सैटलमैन्ट की गलती से काश्तकार के नाम पर नहीं है जब कि कुआ काश्तकार के कब्जे में है ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(2) क्या ऐसे कुओं की खातेदारी काश्तकारों के नाम करदी जायगी ?

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) :(1) तहसील केकड़ी में 632 कुएं बिना नाम दर्ज रेकार्ड थे जिनमें से 581 कुओं का राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये परिपत्रों के तहत काश्तकारों को मालिकाना हक़ूक दिये जा चुके हैं अब केवल 51 कुएं शेष रह गये हैं जिनका निपटारा विवादग्रस्त होने अथवा रेकार्ड में स्पष्ट इन्द्राज नहीं होने से बाकी है।

(2) विचाराधीन मामले अभी तक जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार शीघ्र निपटाये जायेंगे।

इसका स्पष्टीकरण प्रश्न के भाग नं० 1 के उत्तर में कर दिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन सिंचाई के कुओं को सिंचाई विभाग का घोषित करने का आधार क्या है ?

श्री गंगाराम चौधरी : उस समय नहीं किया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सवाय चक, घोषित करने में, जिन कुओं से वह काश्तकार लोग खेती कर रहे हैं वह उनके मालिक नहीं हैं। काश्तकार कुओं से सिंचाई करते आ रहे हैं। उनका नाम रेकार्ड में ही नहीं हैं। उन खातेदारों की जमीन को कुओं से अलग माना जाता है। कुओं से अलग जमीन को क्यों किया गया है ?

श्री गंगाराम चौधरी : ऐसा मामला था, जिनमें सैटिलमैन्ट में काश्तकार के नाम से जमीन लिख दी गई। कुएं पहले सरकार के थे या जमीनदार के।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : नहीं, नहीं। यह गलत है। जमीन के बीच के कुएं सरकार के नहीं हो सकते।

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : उस वक्त इन्द्राजात कम्प्लीट नहीं हुए थे। इसीलिए करैक्शन की बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह बताऊं कि अलवर जिले में खातेदारों के, उन कुओं को सवाय चक घोषित कर दिया है। इसलिए एक एक कुएं के लिए हजारों किसान लड़ेंगे। उन केसेज में लड़ना उनके लिए मुमकिन नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार गम्भीरता से निर्णय ले। और बन्दोबस्त विभाग ने जो गलत काम कर दिया है उनका जनरल आॅर्डर करके सुधार कर दें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जवाब तो मिल जाना चाहिए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम काणवा में भीलों की कॉलोनी का निर्माण

88. **श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मनोहरथाना पंचायत समिति के अन्तर्गत काणवा ग्राम में भीलों के लिये कोई कॉलोनी बनाई गई है ?

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

(2) यदि हां, तो उक्त कॉलोनी पर कुल कितनी राशि व्यय हुई है ?

(3) उक्त कॉलोनी कब बन कर तैयार हुई थी ?

(4) उक्त कॉलोनी में इस समय कितने भील परिवार रह रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मनोहरथाना पंचायत समिति के काणवा ग्राम में भील कॉलोनी पर कुल 44,143 रुपये व्यय हुये हैं।

(3) यह कॉलोनी सन् 1967-68 में बनी थी।

(4) इस कॉलोनी में अभी कोई परिवार नहीं रह रहा है।

भरतपुर शहर की सड़कों की मरम्मत

93. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि भरतपुर के शहर स्थित नहर के चारों ओर की सड़क स्थान स्थान से टूट गई है जिसके कारण मकानों को भी भारी खतरा है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नगरपालिका, भरतपुर द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) भरतपुर शहर स्थित नहर के चारों ओर की सड़क स्थान स्थान से टूटी हुई है। नगरपालिका ने सड़क निर्माण हेतु 30,000) रुपयों का तखमीना बनाया है। आगामी वर्ष के बजट से कार्य करवाने का पालिका विचार रखती है।

कस्बा कामां का डॉक बंगला

95. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा कामां के बाहर डॉक बंगला नाम की कोई बिल्डिंग है ? यदि हाँ, तो यह बिल्डिंग कब और किस काल में निर्माण कराई गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बिल्डिंग की रखवाली के लिये एक चौकीदार रहता है ? यदि हाँ, तो एक साल की उसकी वेतन राशि कितनी बनती है और बत्ती जलाने पर साल का क्या खर्चा आता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त बिल्डिंग के क्षेत्र में एक पुख्ता कुआ भी है ? यदि हाँ, तो क्या उस कुए का पानी मीठा है ? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि उसका पानी पीने के काम में नहीं लिया जाता ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त बिल्डिंग के अहाते में पेड़ भी हैं ? यदि हाँ, तो कितने और किस किस किस्म के ? सूखे पेड़ों की कितनी संख्या है और वह कब से सूखे खड़े हैं ? क्या वहां भी सूखे पेड़ों से सड़क की तरह कोलतार गर्म किया जाता है और सूखे पेड़ों की नीलामी नहीं की जाती है ?

उत्तर

(1) जी हाँ। इस भवन का निर्माण भूतपूर्व रियासत भरतपुर द्वारा कराया गया

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

था निर्माण वर्ष की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(2) जी हां चौकीदार की वेतन राशि 1,560) रु० और बत्ती खर्चा 100) रु० सालाना होता है।

(3) जी हाँ, जल पीने के काम में लिया जाता है।

(4) जी हाँ। नीम के 3 वृक्ष हैं जो हाल ही में सूखे हैं। सूखे पेड़ों को नीलाम भी किया जाता है।

सब-इन्सपैक्टर्स का सिलैक्शन

96. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष में अभी हाल ही में हुए सिलैक्शन्स में कितने लड़कों को सब-इन्सपैक्टर्स ट्रेनिंग के लिए सिलैक्ट किया गया? इस कोर्स के लिए चुने गये कैन्डीडेट्स की सूची मय उनकी शैक्षणिक योग्यता के सदन की मेज पर रखी जाये।

(2) इस सिलैक्शन में कितने हायर सैकेण्डरी पास लड़कों को सिलैक्ट किया गया तथा उनमें से प्रत्येक ने उक्त परीक्षा किस श्रेणी में पास की है?

(3) इस सब-इन्सपैक्टर्स सिलैक्शन में लिखित परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे और कितने उत्तीर्ण हुए? अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों में से कितने पोस्ट-ग्रेजुएट हैं तथा कितने ग्रेजुएट हैं?

उत्तर

(1) अभी तक उप निरीक्षकों को ट्रेनिंग में भेजने हेतु चयन का नतीजा घोषित नहीं हुआ है। अतएव चाही गई सूची प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

(2) अभी तक नतीजा घोषित नहीं हुआ है अतएव सिलैक्टेड कैन्डीडेट्स के बारे में कोई सूचना देना संभव नहीं है।

(3) उप निरीक्षकों की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा में कुल 1,746 परीक्षार्थी बैठे थे और उनमें से कुल 427 उत्तीर्ण घोषित किये गये। लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों में से 38 पोस्ट-ग्रेजुएट एवं 435 ग्रेजुएट हैं।

मंत्रियों व उप-मंत्रियों के बंगलों को मरम्मत पर व्यय

100. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि मंत्री व उप-मंत्रियों के बंगलों की मरम्मत का प्रावधान है?

(2) यदि हाँ, तो सन् 1957 से 1967 तक किस किस वर्ष में किस किस मंत्री व उप-मंत्री के द्वारा खर्च कराया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

तहसील सांचोर के ग्रामों में माध्यमिक शालाएं

102. श्री रघुनाथ विश्नोई (साँचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में ग्राम चीतलवाना, अरणाय एवं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
सरणाऊ में अभी तक माध्यमिक पाठशालाऐं नहीं खोली गई हैं ? क्या यह भी सत्य है कि वहां के लोगों द्वारा कई बार प्राथमिक पाठशाला को माध्यमिक पाठशाला में परिवर्तित करने कि मांग पेश की जा चुकी है ? अगर हां, तो अब तक उपरोक्त माध्यमिक पाठशाला न खोलने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम अरणाय एवं चीतलवाना के दस मील के अन्दर कोई माध्यमिक पाठशाला नहीं है ? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर इस साल माध्यमिक पाठशाला खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यह सत्य है । सत्र 1968-69 में जिला परिषद्, जालौर द्वारा केवल ग्राम अरणाय की शाला को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव प्राप्त हुये थे परन्तु यह शाला धनाभाव के कारण क्रमोन्नत नहीं की जा सकी ।

(2) जी हां । अगले वर्ष नई शाला खोलने का आय-व्ययक में प्रावधान नहीं है ।

रिजेक्टेड स्टोन पर रॉयल्टी

103. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर स्थित सीमेन्ट फैक्ट्री ने लाइमस्टोन की स्क्रिनिंग हेतु बोबलर रिजेक्ट मशीन लगाई हुई है ? अगर हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त फैक्ट्री रिजेक्टेड स्टोन पर कोई भी रॉयल्टी अदा नहीं कर रही है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सन् 65 में रिजेक्टेड स्टोन पर रॉयल्टी लिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया है ? अगर हां, तो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) क्या यह सही है कि कि रिजेक्टेड स्टोन की रॉयल्टी उक्त फैक्ट्री पर चढी हुई है ? अगर हां, तो कितनी व उसकी वसूली क्यों नहीं हुई ?

उत्तर

(1) जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

(2) जी हां । कम्पनी खान से लाइम स्टोन ही निकालती है अतः केवल उसी की रॉयल्टी ली जाती हैं ।

(3) जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

(4) जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

छानी-भाभरी सड़क का निर्माण

106. **श्री विद्यासागर** (खेरवाड़ा सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) छानी से भाभरी, तहसील खैरवाडा, जिला उदयपुर, की सड़क का कब कब व किस किस सन् में निर्माण कराया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि यह सड़क इस समय सम्पूर्ण टूटी हुई है ?

(श्री विद्यासागर)

(3) यदि हां, तो राज्य सरकार ने सड़क निर्माण हेतु कोई योजना बनाई है ?

(4) यदि हां, तो कब तक इसका कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा ?

(5) क्या यह सही है कि यह सड़क गुजरात राज्य को मिलाती है ? यदि हां, तो क्या इसे बनवाने में सरकार प्राथमिकता देने का विचार रखती है ?

(6) क्या यह सही है कि छानी से झाभरी तहसील, खैरवाडा, जिला उदयपुर का आवागमन रुका हुआ है ?

(7) इस सड़क के निर्माण हेतु राज्य सरकार की अब तक कितनी राशि खर्च हो चुकी है ?

उत्तर

(1) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(2) यह सड़क इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) गुजरात राज्य की सीमा तक बनी हुई है। यह सड़क योजना में स्वीकृत नहीं है। अकाल राहत कार्य सड़क पर चल रहा है।

(6) जी नहीं।

(7) यह अकाल राहत कार्य 4 फरवरी, 69 को स्वीकृत हुआ है इस पर अब तक कितना खर्च हुआ अभी जोड़ा नहीं गया है।

अध्यापकों को पदोन्नति पर अग्रिम इन्क्रीमेन्ट

107. श्री शिवनारायसिंह (गुढ़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 1-7-65 से थर्ड ग्रेड के सामान्य अध्यापकों को बी. एड. करने पर दो एडवॉन्स इन्क्रीमेन्ट दिये जाते हैं तथा इसके बाद सैकिण्ड ग्रेड में प्रमोशन मिलने पर उन्हें फिर दो इन्क्रीमेन्ट का लाभ मिल जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि बी. एड. से पूर्व सैकिण्ड ग्रेड पाने वाले अध्यापक को बी. एड. होने पर दो एडवॉन्स इन्क्रीमेन्ट का लाभ नहीं दिया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि इन दोषपूर्ण नियमों के कारण बी. एड. से पूर्व सैकिण्ड ग्रेड पाने वाले अध्यापक आर्थिक नुकसान में रहते हैं और सरकार इन दोषपूर्ण नियमों में सुधार करने का विचार करती है ?

(4) क्या यह सही है कि इन दोषपूर्ण नियमों के कारण वरिष्ठ अध्यापक को दो इन्क्रीमेन्ट मिलते हैं जब कि जूनियर को चार इन्क्रीमेन्ट मिल जाते हैं और सीनियर से जूनियर वेतन में आगे बढ़ जाता है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि तृतीय वेतन शृंखला में कार्य कर रहे सामान्य अध्यापकों

Page No 32

(शिक्षा मन्त्री)

को बी. एड़. करने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जाती हैं। द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नति पर फिर दुबारा वह लाभ नहीं दिया जाता है।

(2) द्वितीय वेतन श्रृंखला में कार्य कर रहे सामान्य अध्यापकों को बी. एड़. करने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धियां देने का प्रावधान नहीं है। केवल विज्ञान अध्यापक को यह लाभ 1-7-65 से दिया जाता है यदि उसने तृतीय वेतन श्रृंखला में यह लाभ न उठाया हो।

(3) ऐसी कोई हानि नहीं होती।

(4) जिस किसी अध्यापक को तृतीय वेतन श्रृंखला में उक्त लाभ दिया जा चुका है उसे द्वितीय वेतन श्रृंखला में यह लाभ फिर से नहीं दिया जाता इस प्रकार चार अग्रिम वृद्धियां देने का प्रश्न नहीं उठता है।

धौलपुर कॉलेज का भवन

110. **श्री बनवारीलाल** (धौलपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर में कॉलेज की बिल्डिंग शहर से बहुत दूर बीहड़ से लगी हुई है ?

(2) क्या उस कॉलेज को डॉक बंगले की बिल्डिंग में शिफ्ट करने की मांग वहां की जनता ने शिक्षा मन्त्रीजी से लिखित में की है ? और क्या इस मसले पर वहां से एक डेपूटेशन भी शिक्षा मन्त्रीजी से जयपुर मिलने आया था ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार उस कॉलेज को डॉक बंगले की बिल्डिंग में शिफ्ट करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) यह महाविद्यालय शहर से लगभग एक मील की दूरी पर स्थित है।

(2) जी हां।

(3) यह सरकार के विचाराधीन है। इस पर शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

डाक बंगलों में बिजली

31. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि कामां और पहाड़ी दोनो स्थानों पर डॉक बंगला और रेस्ट हाउस है ? क्या यह भी सही है कि दोनों स्थानों को बिजली मिल जाने के बावजूद भी डॉक बगले में बिजली नहीं है ? यदि हां, तो क्या दोनो भवनों में बिजली पहुंचाने का सरकार का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और यदि हां, तो कब तक बिजली पहुंचाई जा सकेगी ?

उत्तर

केवल कामां में रेस्ट हाउस है जिस पर अर्थाभाव के कारण बिजली नहीं लगाई गई है।

जिला टोंक को सड़कों की योजना

32. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला टोंक का 20 साल का सड़कों का क्या प्लान है ? कृपया सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या 1. टोरडी से कलमण्डा

2. मालपुरा से घाटी

3. चान्दसेन से भवानपुरा

4. पांडली से मण्डावर, व

5. नगर से लाम्बाहरिसिंह भी सम्मिलित है ? यदि हां, तो यह योजना राज्य सरकार द्वारा कब स्वीकृत की गई थी ?

(3) क्या विभाग द्वारा प्रथम, द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजना का जिला का लक्ष्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं तो कितना बाकी है ? और यह कब पूर्ण हो जावेगा ?

उत्तर

(1) 20 साला सड़कों के नाम पर कोई योजना स्वीकृत नहीं है अतः सूची प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

(3) जी नहीं 8 सड़कों पर काम शेष है । अर्थाभाव के कारण अवधि निश्चित किया जाना संभव नहीं है ।

दुब्बी पर बनास नदी का पुल

33. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर से जयपुर वाया दौसा हाईवे पर दुब्बी पर बनास नदी के पुल के निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा हो चुकी थी ? यदि हां, तो यह स्वीकृति कब हुई और यह काम अभी तक किस कारण आरम्भ नहीं कराया गया ?

(2) क्या इस पुल को निकट भविष्य में बनाने का राज्य सरकार का कोई इरादा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं

(2) जी नहीं अर्थाभाव के कारण ।

वूलन मिल, लाडनूं में पाइप फिटिंग के लिये भुगतान

34. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या वूलन मिल, लाडनूं में दिनांक 2-2-68 को ठेकेदार श्री वी. के.

(श्री हरजीराम बुरड़क)
शर्मा को तीन हजार रुपयों का पेमैण्ट पाइप फिटिंग का किया था ? यदि हाँ, तो उक्त ठेकेदार को ठेका कब दिया था तथा टेण्डर कब मांगे थे ? कार्य का एस्टीमेट कितना था तथा किसके द्वारा बनाया गया था ? और टेण्डर कुल कितने प्राप्त हुए थे और उनकी रेट्स क्या थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त कार्य का चैकिंग किस इंजीनियर ने कब किया और कितने रुपयों का कार्य होना बताया ?

(3) उपरोक्त कार्य में कुल कितना खर्चा हुआ ? कार्य कब शुरू हुआ तथा कब तक पूर्ण हुआ और ठेकेदार को पेमैण्ट कब कब किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह भी सही है कि मिल का जब उद्‌घाटन हुआ था उस समय पाइप फिटिंग पर कार्य पूर्ण हो चुका था ?

उत्तर

(1) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(2) सैनेट्री फिटिंग के कार्य का डिजाइन-ड्राइंग श्री किशनचन्द गजरिया, आर्चीटैक्ट द्वारा बनवाया गया था। बिल्डिंग ऐस्टीमेट में लाइट व सैनेट्री फिटिंग पर श्री गजरिया द्वारा 15,000) रु० के एस्टीमेट का खर्च आंका गया।

(3) पाँच पार्टियों को टेण्डर आमंत्रण-पत्र प्रेषित किए गए थे, जिनमें से तीन पार्टियों के टेण्डर प्राप्त हुए, जिनका तुलनात्मक विवरण संलग्न है। इस कार्य का निरीक्षण श्री एस० के० नाह्लुला, सहायक अभियन्ता, जल प्रदाय योजना, सुजानगढ़ के द्वारा 23-4-68 को किया गया। उन्होंने इस कार्य को 7,248.59 कार्यों का होना बताया। इस कार्य में रु० 7,248.59 खर्चा हुआ। कार्य जनवरी, 68 के दूसरे सप्ताह के पश्चात् चालू हुआ एवं अप्रेल, 68 तक कार्य सम्पूर्ण हुआ। ठेकेदार को पेमैन्ट किये जाने की सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

(4) जी नहीं। मिल का जब उद्‌घाटन हुआ था, उस समय पाइप फिटिंग का कार्य पूर्ण नहीं हो चुका था।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

तहसील नैनवा व हिन्डोलो में अनुदान

35. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिन्डोली): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील नैनवा व हिण्डोली में 1960 से 1967 तक समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति को अनुदान में कितनी रकम दी गई ?

(2) यह रकम किस ग्राम में किसको कितनी कितनी और कब कब दी गई ?

(3) यह रकम किस काम के लिए दी गई थी और क्या इसका उपभोक्ता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है ?

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

(4) प्रमाणपत्र किस किस का अभी तक प्राप्त नहीं हुआ और क्यों ?

(5) प्रमाण-पत्र नहीं आने के कारण कितने व्यक्तियों को आधी रकम अभी तक नहीं मिल पायी है ?

उत्तर

(1) सन् 1960 से सन् 1967 तक तहसील, नैनवा व हिन्डोली में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जातियों को निम्न प्रकार से अनुदान दिया गया है:—

1. पंचायत समिति, हिन्डोली 20,975 रुपये।

2. पंचायत समिति, नैनवा 8,800 रु०।

3. नगरपालिका क्षेत्र, नैनवा में 2,250 रुपये।

(2) सूची (अ), (ब), (स), संलग्न है जिसमें इसका ब्यौरा दिया हुआ है।

(3) उपरोक्त रकम मकान सहायता, पीने के पानी के कुओं, सिंचाई के कुंओं, कृषि यन्त्र और छात्रवृत्ति के लिये दी गई थी। नगरपालिका, नैनवा क्षेत्र के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके हैं, पंचायत समिति नैनवा, हिन्डोली से उपभोक्ता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं।

(4) पंचायत समिति, नैनवा व हिन्डोली से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं। अधिकांश रकम का उपयोग तो हो चुका है किन्तु कार्य का हिसाब तथा श्रमदान पूरा नहीं होने के कारण पंचायत समितियों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र देने में कठिनाई प्रकट की है।

(5) हिन्डोली, पंचायत समिति के 12 व्यक्तियों को स्वीकृत धनराशि की पूरी रकम नहीं मिली है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

वृद्धावस्था पैन्शन

36. डा० गंगासहाय कोली (कठूमर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वृद्धावस्था पैन्शन देने के लिये स्कीम राजस्थान में कब चालू की गई ?

(2) अब तक कितने लोगों को पैन्शन दी गई ? इन पैन्शन प्राप्त करने वालों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

कोटा जिले में स्त्रियों को भगा कर ले जाने के मामले

37. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कोटा जिले में 1 जनवरी 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 तक कितनी स्त्रियां भगा कर अथवा उठा कर ले जाने सम्बन्धी

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)
रिपोटें प्रत्येक थाने में दर्ज हुई हैं ? उन रिपोर्टों के आधार पर पुलिस द्वारा कितनी स्त्रियां बरामद की गई हैं और कितने मामले पैंडिग हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

कोटा जिले में 1 जनवरी, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 तक कुल 93 स्त्रियां फरार की गई जिनके सम्बन्ध में 93 केसेज दर्ज हुए। (थानेवार सूची संलग्न है) इन रिपोर्टों के आधार पर 67 औरतें बरामद हो चुकी हैं, 24 केसेज अभी जेर तफतीश हैं, 2 केसेज में फाइनल रिपोर्ट अदम सबूत दी गई है 30 केसेज में चालान किया जा चुका है जो जेर तजबीज अदालत है, 9 केसेज में फाइनल रिपोर्ट अदम पता मुलजिमान दी गई है व 28 में फाइनल रिपोर्ट अदम वकुआ।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिए)

सब-डिवीजन छबड़ा में डकैतियां

38. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

कोटा जिले के सब-डिवीजन छबड़ा में 1 जनवरी सन् 1967 से 31 दिसम्बर 1968 तक कितनी डकैतियां हुई तथा उनमें से कितने का माल बरामद हुआ, तथा शेष के लिए क्या कार्यवाही हो रही है ? पूर्ण विवरण की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

कोटा जिले के सब-डिवीजन छबड़ा में 1-1-67 से 31-12-68 तक 6 डकैतियां हुई थीं जिनमें से 1 डकैती का माल बरामद होकर केस चालान अदालत हो चुका है, एक दूसरी डकैती का एक मुलजिम गिरफ्तार किया है व चालान भी पेश किया जा चुका है बकाया मुकदमें की तलाश जारी है। एक डकैती अदम वकुआ रही तथा तीन डकैती के मुकदमे अभी जेर तफतीश हैं। सूची मय विस्तृत टिप्पणी के संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

थानेदारों व इन्स्पैक्टरों के स्थानान्तरणों सम्बन्धी नीति

39. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) थानेदारों व इन्सपैक्टरों के स्थानान्तरणों के मामलों में सरकार की क्या नीति है ?

(2) क्या स्थानान्तरणों के बाबत कोई नियम बनाये गये हैं ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निरीक्षक पुलिस एवं उप-निरीक्षकों के स्थानान्तरण के विषय में राज्य सरकार की नीति से सम्बन्धित तीन परिपत्र जारी हुए हैं जिनकी प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) कोई स्पेशल नियम नहीं हैं। राज्य सरकार की हिदायतों के अनुसार ही कार्यवाही की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

मकराने में थाने की स्थापना

40. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) मकराना की आबादी को देखते हुए वहां परबतसर के अलावा थाना क्यों नहीं बनाया जाता ?

(2) क्या यह सही कि मकराना एक औद्योगिक नगरी है और मजदूरों को अपने झगड़ों टंटों की शिकायत करने परबतसर जाना पड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या मकराना में यह सुविधा देने के लिए राज्य सरकार जल्द से जल्द थाना स्थापित करेगी ?

उत्तर

(1) यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी हां। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है व शीघ्र ही निर्णय लिया जा सकेगा।

जयपुर में आई. पी. एस. व आर. पी. एस. अधिकारी

41. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राजस्थान निर्माण के बाद अब तक कौन कौन से आई. पी. एस. व आर. पी. एस. अधिकारी कब कब किस किस पद पर जयपुर शहर व जयपुर जिले में नियुक्त रहे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चित्तौड़गढ़ जिले में शिक्षा विभाग के अधीन स्कूल

42. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चलने वाले प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में कितने अध्यापक हैं और जिला परिषद् के अन्तर्गत चलने वाले पंचायती राज संस्थाओं के प्राथमिक स्कूलों में कितने हैं ? सूची व संख्या देने की कृपा करें।

(2) इस चालू सत्र में शिक्षा विभागीय अध्यापकों एवं जिला परिषद् के अन्तर्गत आने वाले अध्यापकों के कितने ट्रान्सफर हुए हैं ?

(3) चित्तौड़गढ़ जिले में अभी तक किस किस स्कूल में कितने अध्यापकों का स्थान कब से रिक्त है और अब तक पूर्ति न होने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चल रहे प्राथमिक, उच्च

(शिक्षा मंत्री)

प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या 1,115 है। ऐसे विद्यालयों की संख्या 103 है, जिनकी सूची संलग्न है। जिला परिषद् व पंचायत स्कूलों का सम्बन्ध विकास विभाग से है।

(2) इस चालू सत्र में 1968-69 में शिक्षा विभागीय अध्यापकों में निम्न स्थानान्तरण हुए हैं:—

व. अ.	अनु.	द्वि. वे. शृं.	तृ. वे. शृं.	योग
11	1	88	243	343

इनमें से 76 शिक्षकों को यात्रा व्यय मिला है तथा शेष सभी स्वेच्छानुसार ही स्थानान्तरित हुए हैं। शिक्षकों को अपने निवास स्थान पर अथवा उनके निवास स्थान के समीप के विद्यालयों में स्थानान्तरित करने से उन्हें पूर्ण संतोष है। इसके फलस्वरूप सभी शिक्षकगण अधिक उत्साह, लगन, निष्ठा और परिश्रम के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। इस सूचना में अन्तर-जिला स्थानान्तर भी सम्मिलित हैं।

(3) वर्तमान में इस जिले में तृतीय वेतन शृंखला के केवल सात स्थान रिक्त हैं तथा ये गत कुछ दिनों पूर्व ही तृतीय वेतन शृंखला के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की पदोन्नति होने से रिक्त हुए हैं। इन्हें भरे जाने के लिए नियोजन कार्यालय को रिक्त पद-पूर्ति का ज्ञापन भेजा जा चुका है, अब केवल वहाँ से उपयुक्त आशार्थियों की सूची व आवेदन-पत्रों की प्रतीक्षा की जा रही है। जैसे ही वे प्राप्त होंगे स्थाई आदेश 20/66 संशोधित–68, के अनुसार पदों को भरा जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर तथा जोधपुर महाविद्यालयों के अध्यापकों का ऑप्शन

43. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1962 में जयपुर तथा जोधपुर नगरों के सरकारी महाविद्यालय राजस्थान तथा जोधपुर विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित किये गये थे, तब इन कॉलेजों में काम करने वाले तथा अन्य राजस्थान एजूकेशनल सर्विस के अध्यापकों तथा प्रिन्सिपलों को यूनिवर्सिटीज में ऑप्ट करने के लिये कोई शर्तें तथा नियम निर्धारित किये गये थे? यदि हां तो क्या यह शर्तें तथा नियम वही हैं जो कि 21-4-62 के संचालक, कॉलेज एजूकेशन के गश्ती पत्र में उल्लेखित हैं?

(2) उपरोक्त शर्तें सरकार ने स्वयं ही निर्धारित की थीं, अथवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा भी इनका प्रतिपादन या पुष्टि हो गई थी?

(3) क्या इन शर्तों का पूर्णतया पालन सरकारी पक्ष तथा विश्वविद्यालयों द्वारा किया गया?

(4) यदि नहीं, तो क्यों नहीं? और किन किन शर्तों का सरकार अथवा विश्वविद्यालयों द्वारा पालन नहीं किया गया?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(5) क्या इन शर्तों के बारे में सरकार ने अपने विधि विभाग से राय भी किसी समय ली थी ? यदि हाँ, तो विधि विभाग की क्या राय थी ?

(6) क्या सरकार को ज्ञात है कि किन किन मामलों से अथवा किन किन आई० ई० एस० ऑफिसर्स के सम्बन्ध में राजस्थान अथवा जोधपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें मानने से इन्कार कर दिया है ?

(7) सरकार की इस मामले में क्या नीति है ? और जो विश्वविद्यालय इनका पालन पूर्णतया नहीं कर रहे हैं उनके प्रति सरकार का क्या रवैया है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित शर्तों को क्रियान्वित रूप से स्वीकृत कर लिया था परन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एक स्नातकोत्तर, महाविद्यालय के आचार्य की लेखयाचिका में दिये गये निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह सुस्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान विश्वविद्यालय ने इन शर्तों की पूर्व स्वीकृति दी थी।

3. राज्य सरकार द्वारा इन शर्तों के पालन की पूर्ण चेष्टा की गई है। जोधपुर विश्वविद्यालय की ओर से इन शर्तों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई परन्तु राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा इन शर्तों को नहीं माना गया।

(4) राजस्थान विश्वविद्यालय का कहना यह है कि उक्त शर्तों के सम्बन्ध में उनकी पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई थी और इस कारण से वे इन्हें मानने को तैयार नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रायः सभी शर्तों का पालन किया जा रहा है। परन्तु विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा विशेषतया उस शर्त को नहीं माना गया है जिसके अनुसार उन सरकारी कर्मचारियों को जिन्होंने कम से कम 25 वर्ष की राज्य सेवा की हो, विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर माना जाये।

(5) जी, नहीं।

(6) जोधपुर विश्वविद्यालय ने इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं उठाई है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय के आचार्य जिसकी राज्य सेवा 25 वर्ष से अधिक हो चुकी थी को विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर मानने से इन्कार कर दिया।

(7) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

बी. एड. ट्रेन्ड अध्यापकों की शिक्षा विभाग में नियुक्ति

44. श्री रामसिंह कड़ी (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बी. एड. ट्रेंड अध्यापकों को क्या राज्य सरकार पंचायत समितियों से हटा कर विभाग में लेने एवं उनकी योग्यता व अनुभव का सदुपयोग करने की दृष्टि से उन्हें माध्यमिक व उच्चशालाओं में लगाने का विचार

Page No 40

(श्री रामसिंह कुड़ी)
रखती है ? यदि हाँ, तो कितने ऐसे अध्यापक हैं एवं उन्हें कब तक विभाग में ले लिया जावेगा ?

उत्तर

तृतीय वेतन शृंखला में कार्य कर रहे पंचायत समितियों तथा राजकीय शालाओं के अध्यापकों की जिलेवार सम्मिलित वरिष्ठता सूचियां तैयार की जा चुकी हैं। इन वरिष्ठता सूचियों के आधार पर व रिक्त पदों की उपलब्धि पर वरिष्ठता के अनुसार द्वितीय वेतन शृंखला में पदोन्नति दी जाती है।

जायल स्कूल भवन

45. श्री रामसिंह कुडी (जायल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राजकीय सेकेण्ड्री स्कूल, जायल का भवन सरकार ने टेकओवर कर लिया है एवं उसकी एन्युअल रिपेयर व व्हाइटवाश की व्यवस्था कर दी है ? यदि नहीं, तो कब तक यह व्यवस्था कर दी जावेगी ?

उत्तर

राजकीय सैकेन्ड्री स्कूल, जायल का भवन सरकार ने टेकओवर नहीं किया है। उक्त भवन के गिफ्टडीड के कागजात दान पत्र विद्यालय निरीक्षक, नागौर द्वारा विकास अधिकारी, पचायत समिति, जायल को भेज कर लिखा गया था कि वे दान पत्र को पंजीयन विभाग से पंजीकृत करा कर भेजें। परन्तु अभी यह वापस नहीं भेजा गया है। उक्त भवन विभागीय सूची में दर्ज होने के पश्चात् एन्यूअल रिपेयर आरम्भ करदी जावेगी।

तहसील नौहर के ग्रामों में प्राथमिक पाठशालाएं

46. श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील नौहर के काफी ग्रामों में प्राईमरी पाठशालाएं नहीं हैं?

(2) इस तहसील में कुल कितने ग्रामों में इस वर्ष पाठशालाएं खोलने की योजना थी? यदि नहीं थी तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि तहसील नौहर के गांव बडबिराना व गंधेली में मिडिल स्कूल खोलने की सिफारिश जिला परिषद् गंगानगर द्वारा की गई थी? यदि हाँ, तो मिडिल स्कूल खोलने की स्वीकृति क्यों नहीं दी गई?

(4) क्या यह सही है कि तहसील नौहर में जनसंख्या को देखते हुए मिडिल स्कूल, हाई स्कूल व कन्या पाठशालाएं तथा प्राईमरी स्कूल बहुत कम तादाद में हैं ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति नौहर में 67-68 के अन्त में 91 प्राथमिक शालायें ग्रामीण क्षेत्र में थीं। जिनमें प्राथमिक शालाएं नहीं हैं ऐसे गांवों की संख्या 47 है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) कई वर्षो से राज्य सरकार प्राथमिक शालायें नहीं खोल रही है। गत वर्ष भी कोई नयी प्राथमिकशाला पूरे राज्य में खोलने की योजना नहीं थी। फलस्वरूप कोई नई प्राथमिक शाला नहीं खोली गई। प्राथमिक शालाओं के लिये जनता द्वारा कोई विशेष मांग नहीं आयी क्योंकि द्वितीय शिक्षण सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 90 प्रतिशत ग्रामों में यह सुविधायें या तो उसी गांव या गांव के आसपास उपलब्ध हैं।

(3) पंचायत समिति, नौहर ने गंधेली एवं वडविराना शालाओं को क्रमोन्नत करने की सिफारिश की थी उनमें उच्च प्राथमिक शाला इसलिये नहीं खोली गई कि छटी कक्षा में अनुमानित छात्र संख्या उन शालाओं के मुकाबले में कम थी जिनको कि इस वर्ष क्रमोन्नत किया गया। जैसे भावरवाला व मिरजावाली मेर में छटी कक्षा है अनुमानित संख्या 40 बताई गई थी जबकि गंधेली व वड विराना में 25। भवन व्यवस्था इन शालाओं में ज्यादा अधिक थी।

(4) शालाएं खोलते समय जिले को आधार मानकर चला गया था। वैसे नौहर पंचायत समिति में नौहर कस्बे को मिलाकर 12 उच्च प्राथमिक शाला व 2 उच्च / उच्चतर माध्यमिक शालायें हैं। प्रतिलाख जनसंख्या पर इस पंचायत समिति में लगभग 70 प्राथमिक शालायें, 9 उच्च प्राथमिक शालायें व 2 उच्च / उच्चतर माध्यमिक शालायें हैं। जबकि राज्य स्तर पर प्रति लाख जनसंख्या पर लगभग 82 प्राथमिक शालायें, 8 उच्च प्राथमिक एवं 4 उच्च/उच्चतर माध्यमिक शालायें हैं। अतः यह कहना उचित नहीं होगा कि शालाओं की संख्या नौहर पंचायत समिति में बहुत कम है।

ग्राम हिन्डोली की हायर सैकेन्डरी स्कूल का भवन

47. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बूंदी के ग्राम हिण्डोली के हायर सैकेण्डरी स्कूल भवन का निर्माण किस साल में हुआ था?

(2) एकीकरण के बाद में राजस्थान सरकार ने अब तक किस किस साल कितनी कितनी रकम इसकी मरम्मत में लगाई है?

(3) अभी इस स्कूल की वास्तविक हालत क्या है?

(4) क्या यह सत्य है कि वहां पर दो कमरों की नींव खुद चुकी है पर यहां पर निर्माण का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(5) इसकी मरम्मत व नये कमरे सरकार कब तक बनवा देगी?

उत्तर

(1) भवन का निर्माण राजस्थान में विलीनीकरण से पूर्व हुआ था।

(2) राजस्थान सरकार ने सत्र 67-68 में 600) रु० मरम्मत में लगाये हैं।

(3) शाला में कुल ग्यारह कमरे हैं। जिनमें से पांच कमरों में कक्षाएं बैठती हैं। शेष 6 कमरों का उपयोग इस प्रकार है:—

Page No 42

(शिक्षा मंत्री)

1. प्रधानाध्यापक का ऑफिस
2. कॉमर्स कक्ष मशीनें सहित
3. उद्योग कक्ष
4. पुस्तकालय एवं वाचनालय
5. स्टोर
6. टीचर्स रूम।

5 सैक्शन बरामदे व पेड़ों के नीचे बैठते हैं।

(4) नींव कुछ खुदी हुई है। साधन के अभाव में निर्माण कार्य रुका हुआ है।

5 यह कार्य साधन उपलब्ध होने पर शीघ्र प्रारम्भ करा दिया जावेगा।

नैनवा के गढ़ में नवीन प्राथमिक पाठशाला

48. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिन्डोली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नैनवा के गढ़ में नवीन प्राथमिक शाला किस स्थान पर चलती है ? इसमें कितने कमरे हैं और कितने छात्र हैं ?

(2) इस पाठशाला में कितने अध्यापक हैं ?

(3) क्या यह सत्य नहीं है कि बैठने के स्थान के अभाव के कारण छात्र गर्मी में और बरसात में बड़े परेशान रहते हैं ?

(4) सरकार इनके बैठने की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है ?

(5) क्या यह सत्य नहीं है कि सेकेण्डरी स्कूल जो गढ़ के अन्दर चल रहा है वह भी बडी जीर्ण अवस्था में है ? यदि हाँ, तो गत साल व इस साल सरकार द्वारा मरम्मत में कितनी धनराशि लगाई गई हैं ?

उत्तर

(1) नैनवा के गढ़ के तिबारों में चल रही है। नगरपालिका, नैनवा ने आर्थिक सहायता देकर दो भण्डार एक सामान रखने और एक कार्यालय के लिए बनवा दिए हैं। नवीन प्राथमिक विद्यालय, नैनवा में 169 छात्र हैं।

(2) इस पाठशाला में पांच अध्यापक हैं।

(3) जी हां।

(4) अर्थाभाव के कारण नहीं कर पा रही हैं।

(5) यह सत्य है कि पी. डब्लू. डी. बूंदी द्वारा मामूली मरम्मत व पुताई उनके बजट के अनुसार करा दी जाती है।

केशवरायजी के मन्दिर की इमारतों में प्राथमिक बुनियादी पाठशाला

49. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिन्डोली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील पाटन, जिला बूंदी के केशवरायजी के मन्दिर

(श्री केशरीसिंह हाडा)
की ईमारतों में प्राथमिक वुनियादी पाठशाला चलती है ?

(2) शिक्षा विभाग द्वारा इसका किराया कब से नहीं दिया जा रहा है ?

(3) इस स्थान का कितना किराया माहवार दिया जाना चाहिए ? कितना किराया देना वाकी है ?

(4) इसका किराया कब तक शिक्षा विभाग दे देगा ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) यह इमारत बूंदी स्टेट के समय से ही विद्यालय के कार्य हेतु निःशुल्क प्रदान की हुई है। अतः किराया देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

सीकर जिले की नगरपालिकाओं में हरिजनों को पट्टे

50. **श्री नथमल चोहल** (लक्ष्मणगढ): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले में नगरपालिका लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर व रामगढ़ में हरिजनों को सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायत के अनुसार कितने पट्टे बनाये व कितने प्रार्थना-पत्र पट्टे बनाने हेतु पेश हुए ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नगरपालिकाओं में वहुत से हरिजनों के प्रार्थना-पत्र पट्टा वनाने के वावत तीन चार वर्ष पहले के विना किसी कार्यवाही के पड़े हुए हैं ?

(3) क्या मन्त्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जिन हरिजनों के पट्टा बनाने के वावत प्रार्थना-पत्र आए हुए हैं उनके पट्टे कब तक वना दिए जायेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त नगरपालिकाओं ने हरिजनों को पट्टा वनाने के लिए जिलाधीश सीकर की स्वीकृति चाही है ? यदि हां, तो उसका क्या हुआ ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

ग्राम लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में नल योजना

51. **श्री गंगासहाय कोली** (कठूमर सु.) क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में नल योजना पर कितना रुपया खर्च हुआ ? इसमें जनता का शेयर कितना था और सरकार का कितना था ?

(2) यह जल योजना कितने दिन चली और कब और क्यों बन्द कर दी गई ?

उत्तर

(1) कुल 95,169) रु० खर्च हुए इसमें जनता का शेयर 4,450) रु० था, बाकी का राज्य सरकार का।

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(2) यह योजना दिनांक 7-7-64 से 21-9-67 तक चली तत्पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा खर्चा जमा नहीं कराये जाने के कारण योजना बन्द कर दी गई। समस्त ग्रामीण जल योजनायें पंचायत के एतदर्थ विभाग द्वारा बिना हानि लाभ चलाई जाती है जो खर्चा होता है वह पंचायत वहन करती है और जो आमद होती है उसे पंचायत के खाते में जमा की जाती है। इस योजना में पंचायत के नाम संधारण व्यय के 2060) रुपये बकाया हैं।

मनाना ग्राम (तहसील परबतसर) में नल योजना

52. श्री विजयसिंह (मकराना): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मनाना ग्राम तहसील परबतसर में नल योजना प्रारम्भ करने की कोई योजना राज्य सरकार ने बनाई है? यदि हां, तो उसको कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा?

उत्तर

योजना बनाये जाने के लिए सर्वेक्षण कार्य हाथ में लिया जा चुका है किन्तु निश्चित जल स्रोत के अभाव में अभी तक योजना नहीं बनाई जा सकी। अभी तक योजना ही नहीं बन पाई है अतः क्रियान्वित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पेय जल समस्या के लिये मास्टर प्लान

53. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पेय जल समस्या के निवारण के लिये कोई मास्टर प्लान बनाया गया है? यदि हां, तो कब तथा उस मास्टर प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त मास्टर प्लान को कार्य-रूप में लाने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाये गये हैं? और पूर्ण रूप से कार्य-रूप में कब तक आ जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां, यह मास्टर प्लान तैयार किया जाकर 2 मई 66 में भारत सरकार को प्रस्तुत किया जा चुका है मास्टर प्लान 500 पृष्ठों का है अतः प्रति उपलब्ध करना सम्भव नहीं है।

(2) मास्टर प्लान भारत सरकार को भेजा हुआ है स्वीकृति प्राप्त होने पर तथा धन की उपलब्धि पर आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

लाडनूं व डीडवाना जल प्रदाय योजनाओं से सम्बन्धित नगरपालिकाओं में बकाया

54. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री हरजीराम बुरडक)

(1) जल प्रदाय योजना, लाडनूं व डीडवाना से सम्बन्धित नगरपालिकाओं में कितने कितने रुपये कब कब से पानी के बकाया हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त बकाया राशि की वसूली के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई और भविष्य में क्या कार्यवाही की जाने का विचार है?

(3) उपरोक्त राशि कब तक वसूल हो सकेगी तथा इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए क्या उपाय काम में लिये जायेंगे?

(4) नगरपालिकाओं को पानी का कनेक्शन देने से पूर्व क्या एग्रीमेन्ट करवाया गया था और उनका पालन कहाँ तक हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ?

(5) नगरपालिकाओं को पानी का कनेक्शन देने के सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हों, तो उन नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) इस सम्बन्ध में नगरपालिका को समय समय पर भुगतान के लिए लिखा गया है। नगरपालिकाओं से पानी की राशि के वसूली का मामला संचालक, स्थानीय निकाय एवं राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं।

(3) इस सम्बन्ध में नगरपालिकी को समय समय पर भुगतान के लिए लिखा गया है। नगरपालिकाओं से पानी की राशि के वसूली का मामला संचालक, स्थानीय निकाय एवं राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

(4) कोई एग्रीमेन्ट नहीं भरवाया जाता।

(5) अलग से कोई नियम बने हुए नहीं हैं, जल प्रदाय नियमों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

ग्राम नया गांव में चारागाह

55. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नया गांव, पंचायत पीपल्दा तहसील रामगंज मंडी में चारागाह एक स्थान पर नहीं होकर दो दो चार चार बीघा के कई छोटे छोटे नम्बरों में विभाजित हैं और यह भूमि व्यवहारिक दृष्टि से चारागाह के काम में नहीं ली जा सकती है?

(2) क्या यह सही है कि इस गांव की मवेशी सदैव से दरा गेम सेन्चूरी से लगती हुई नदी के पश्चिम की ओर की जमीन में चरा करती थी जो अब राणा प्रताप सागर के विस्थापित परिवारों द्वारा आबाद कर ली गई है?

(3) चारागाह के मौजूदा नम्बर चारागाह की दृष्टि से अव्यवहारिक होने के

(श्री जुझारसिंह)
कारण क्या सरकार इस जमीन को चारागाह से निकाल कर अलॉटमैन्ट या रेगूलराइजेशन के लिये उपलब्ध करेगी?

उत्तर

(1) सही नहीं है।

(2) सही नहीं है।

(3) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

कन्दरा क्षेत्रों का खेती के लिये आवंटन

56. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने चम्बल व चम्बल की शाखा नदियों में कन्दरा क्षेत्र को खेती के लिये आवंटन करने का निर्णय लिया हुआ है ? यदि हां, तो आवंटन नियमों की कापी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) कन्दरा क्षेत्र में आवंटन हेतु अब तक कितनी दर्खास्तें प्राप्त हो चुकी हैं और कितनों को कितनी भूमि आवंटन की जा चुकी है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने आवंटन चाहने वाले व्यक्तियों की जानकारी हेतु कन्दरा क्षेत्र में उपलब्ध हो सकने वाले भूमि क्षेत्रों का सर्वे करवा लिया है ? यदि हाँ, तो करीब कितनी जमीन उपलब्ध हो जाने का अनुमान है ?

(4) कन्दरा क्षेत्र में उपलब्ध होने वाली भूमि की रीक्लेमेशन कॉस्ट फी एकड़ कितनी होगी ? अलग अलग गहराई के कन्दरा क्षेत्रों के लिये बताने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान बीहड़ भूमि आवंटन नियम, 1967 जारी किये गये हैं। प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) उक्त नियमों के अन्तर्गत गजट नोटिफिकेशन के बाद भूमि आवंटन हेतु भरतपुर में 2,234, सवाई माधोपुर में 49,926 दरखास्तें प्राप्त हुई हैं। बूंदी एवं कोटा में गजट नोटिफिकेशन अभी नहीं किये गये हैं।

(3) तहसीलों से प्राप्त सूचना के अनुसार भरतपुर में 34,748 बीघा 7 बिस्वा कोटा में 12,721.21 एकड़ बीहड़ भूमि उपलब्ध होने का अनुमान है। सवाई-माधोपुर, बूंदी जिले में अनुमान तैयार किया जा रहा है।

(4) रिक्लेमेशन की कीमत निश्चित रूप से बताया जाना सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

नागौर जिले में नया सैटलमेन्ट

57. **श्री रामसिंह कुडो** (जायल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या नागौर जिले में हाल ही में सैटलमेंट होकर नया रेकार्ड तैयार किया

(श्री रामसिंह कुडी)

गया है ? यदि हां, तो किस किस तहसील में कब कब फाईनल हुआ है ?

(2) क्या इन तहसीलों में नया सैटलमैन्ट फाइनल हुआ उससे पहले इन तहसीलों के किन्हीं गांवों के लोगों पर आबादी से सटती हुई सरकारी गैर काबिल काश्त भूमियों पर अतिक्रमण कर घर व बाड़ों के बना लेने की हस्ब दफा 91 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुकदमें चलते थे ? यदि हां, तो किस किस तहसील के किस किस गांव के कितने कितने लोगों पर ?

उत्तर

(1) जी हां, तहसीलात जायल व नागौर का दिनांक 8-4-65 और लाडनूं व डीडवाना का 21-12-67 को सैटलमैन्ट ऑपरेशन क्लोज हुये ।

(2) जो भूमि मौजूदा रेकार्ड में आबादी में दर्ज नहीं है उन पर नाजायज कब्जे के निम्नलिखित मामले दर्ज किये गये थे ।

1.	तहसील	नागौर	151
2.	,,	जायल	505
3.	,,	मेड़ता	3,040
4	,,	डेगाना	3,000
5.	,,	परबतसर	622
6.	,,	नावां	540
7.	,,	डीडवाना	593
8.	,,	लाडनूं	339
	कुल		8,790

तहसील जायल की काबिल काश्त भूमि

58. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील जायल, जिला नागौर में सं० 2018 व सं० 2021 में काबिल काश्त भूमि कुल किस किस किस्म की कितनी बीघा थी एवं किस किस किस्म की कितनी कितनी भूमियां थी काबिल काश्त भूमियों का कुल लगान किस्म जमीन की रेट के संदर्भ से कितना था ? सरकार को कितना लगान वसूल हुआ ? कितना बाकी रहा ? सं०2018 का कितना लगान ता० 30-9-68 तक बाकी है एवं सं० 2021 का कितना लगान ता० 30-9-68 तक बाकी है ? जिन जिन आदमियों में बाकी है उनकी सूचियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(स्थगित किया गया)

डीडवाना मार्केटिंग सोसायटी को भूमि

59. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ. (88) बी/66, दिनांक 7-4-68 के जरिये डीडवाना मार्केटिंग सोसायटी को खसरा नम्बर 885 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा सरहद मौजा डीडवाना में से भूमि किसी खास कार्य के लिए दी गई थी ? यदि हां, तो किस कार्य के लिये कब दी गई ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) उपरोक्त जमीन पर सोसायटी ने कब कब्जा किया तथा उसको किस कार्य में ली ?

(3) आज दिन उक्त समिति के पास उक्त भूमि में से कितना क्षेत्र है और बाकी क्षेत्र किस के कब्जे में है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इसी भूमि पर जो उपरोक्त समिति को दी हुई थी उनमें से कुछ हिस्से पर दूसरे व्यक्तियों ने अपना मालिकाना हक बता कर अपने कब्जे में कर लिया है ?

(5) क्या इसी समिति को दी गई उक्त जमीन पर किन्हीं दूसरे व्यक्तियों ने अपना कब्जा बना कर मकान बनाया है और उस मकान को गिरवी रख कर इस पर ऋण भी लिया है ? यदि हां, तो इस भूमि को जब एलॉट किया था तब की गई शर्तों के अनुसार इस भूमि पर मालिकाना हक किसका है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि राजस्व विभाग के आदेश संख्या एफ. 2 (88) रेवी/66, दिनांक 7-4-68 द्वारा खसरा नम्बर 885 में से 3 बीघा 22 बिस्वा भूमि सरहद डीडवाना कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी, डीड़वाना को सीड़ स्टोर व गोदाम बनाने हेतु आवंटन की गई थी।

(2) उपरोक्त जमीन पर सोसायटी ने कब्जा 3 बीघा पर 19-5-66 को किया था, व अपने गोदाम व कमरे बनाये।

(3) नाप कराने पर पाया गया कि 2 बीघा 12 बिस्वा जमीन खुली पड़ी है 8 बिस्वा भूमि पर उक्त मार्केटिंग सोसायटी (क्रय-विक्रय संघ) के मकान गोदाम तथा बैंक का मकान बना हुआ है। शेष भूमि खुली है चूंकि कब्जा उक्त सोसायटी को ही दिया गया था अतः उक्त सोसायटी का ही कब्जा उस पर माना जा सकता है।

(4) जांच से यह पाया गया है कि उक्त सोसायटी को जो भूमि आवटंन की गई उसके कुछ हिस्से पर सेन्ट्रल सहकारी बैंक का मकान बना हुआ है व उसमें बैंक की शाखा चलती है। श्री रामचन्द्र पुत्र श्री बीजाराम जाट, सा० मेलासर ने उक्त बैंक के लिये मकान बनाने हेतु 24,000 ऋण उस बैंक से लेकर वह मकान बैंक के रहन रखा है।

(5) इसका उत्तर नम्बर 4 से साफ हो जाता है। भूमि लीज बेसिस पर सोसायटी को आवंटन की गई थी ऐसी सूरत में मालिकाना हक राज्य सरकार का है।

खसरा नं० 1645-सरहद मौजा लाडनूं पर मकान

60 श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खेत खसरा नम्बर 1645 रकबा 9।।।) 4 सरहद मौजा लाडनूं जिला नागौर किस व्यक्ति के नाम खातेदारी का है तथा उसकी खातेदारी कब से है और मौजूदा समय में कब्जा किस व्यक्ति का है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त भूमि पर मकान आदि बनाये गए हैं ? यदि हां तो किस किस व्यक्ति ने कब कब किस के आदेश से बनाये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग में कोई कार्यवाही चल रही है ? यदि हां तो उसकी प्रगति से अवगत करावें ?

उत्तर

(1) खेत खसरा नम्बर 1645 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा सरहद लाडनूं श्री सुरजनिया पुत्र अनु हरिजन के नाम खातेदारी में दर्ज है। पहले यह भूमि पसायतेदार की है सियत से सुरजनिया के नाम थी व कब्जा जागीर के समय से ही उसका था। इस भूमि पर कब्जा अभी चंद व्यक्ति का है जिनकी सूची संलग्न है।

(2) यह भूमि जिन व्यक्तिओं के कब्जे में है व जिस रुप में उनका कब्जा है सूची संलग्न है।

(3) इस सम्बन्ध में जांच कराई गई व जो कार्यवाही की जाने का आदेश दिया गया वह संलग्न सूची में दर्ज है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

जिला बूंदी में भूमिहीन किसान

61. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बूंदी में 1966-67 तक कितने भूमिहीन किसान थे ? तहसीलवार बताने की कृपा करें।

(2) सन् 1966-67 तक सरकार ने कितने भूमिहीन किसानों को कितनी कितनी भूमि आवंटित की ? तहसीलवार बताने की कृपा करें। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि भूमिहीनों का कर्जा तकाबी द्वारा चुका दिया जावे ?

उत्तर

(1) जिला बूंदी में वर्ष 1966-67 तक भूमिहीन किसानों की संख्या 7,033 थी जिनका विवरण संलग्न सूची में उपलब्ध है।

(2) जिला बूंदी में सन् 1966-67 में 1,118 भूमिहीन व्यक्तियों को 4,232 एकड़ भूमि आवंटित की गई जिसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जी नहीं। तकाबी ऋण तकावी रूल्स के तहत दिया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिए)

नाजायज कब्जों को रोकने के लिए कार्यवाही

62. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नये सिरे से नाजायज कब्जों को रोकने के लिए क्या क्या कार्यवाही की गई ?

Page No 50

(श्री हरजीराम बुरडक)

(2) नाजायज कब्जों को जायज करने एवं नये सिरे से नाजायज कब्जे न हों इस सम्बन्ध में अब तक जारी हुए परिपत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) व्यवस्था परिपत्र एफ. 3 (50) रेवे./बी./64, दिनांक 5 अक्तूबर 67 में वर्णित है।

(2) परिपत्रों का संकलन एवं दिनांक 5-10-67 के बाद जारी किए गए परिपत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

राजस्व विभाग के लिपिकों का कन्फरमेशन

63. **श्री गंगासहाय** (कठूमर सु.): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजस्व विभाग के जिन लिपिकों की विभागीय परीक्षा सन् 1961 में हो चुकी है और जो उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो चुके हैं, उनको सरकार ने कन्फर्म्ड मान लिया है ?

उत्तर

जी नहीं। कन्फरमेशन के लिए नियमानुसार निम्नलिखित योग्यताऐं आवश्यक हैं:—

1. स्थायी पद रिक्त हो।

2. विभागीय परीक्षा पूर्णरूप से उत्तीर्ण कर चुका हो।

3. नियुक्ति प्राधिकारी को इस बात का सन्तोष हो कि कर्मचारी की इमानदारी सन्देहास्पद नहीं हैं और वह स्थाई किए जाने के योग्य है।

ग्राम पंचायत निम्बी जोधा की आबादी भूमि की मांग

64. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लांडनू) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम पंचायत निम्बीजोधा तहसील लाडनूं जिला नागौर ने आबादी भूमि बढ़ाने की माँग की थी वो मिसल एस. डी. ओ. कोर्ट, डीडवाना में कब से विचाराधीन है ?

(2) क्या सरकार ने कोई ऐसे आदेश दे रखे हैं कि पंचायत की आबादी भूमि की प्रार्थना पर अधिक से अधिक दो माह के अन्दर अन्दर निर्णय दे दिया जावेगा ? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस प्रकार से लम्बे समय तक इस प्रकार के मामलों को विचाराधीन रख कर सार्वजनिक कार्य में बाधा पहुंचाना व सरकारी आदेशों की अवहेलना करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(4) भविष्य में इस कार्य को और अधिक शीघ्रता से करने के लिए सरकार क्या प्रक्रिया अपनायेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम निम्बीजोधा की आबादी भूमि बढ़ाने की मिसल उप-क्षेत्रीय अधिकारी

(राजस्व मन्त्री)
डीडवाना के पास नहीं चल रही है। तहसील की कार्यवाही अधूरी होने से उन्हें तारीख 1-1-69 को लौटा दी गई है।

(2) आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) कोई भी मामला सरकार के नोटिस में आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(4) प्रश्न के भाग-2 के उत्तर में उल्लेखित जारी किये गये आदेश के अतिरिक्त और कोई अन्य कार्यवाही की जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

(12 मध्याह्न)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री सुवालाल चौधरी, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें यह उल्लेख किया है कि जयपुर जिले के अधिकतर किसानों को एक महीने से क्रूड ऑयल न मिलने के कारण वे कुओं से सिंचाई नहीं कर सकते हैं और जिसके कारण खड़ी फसल को नुकसान हो रहा है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की गई है। जानकारी मिलने पर इस विषय में निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूंगा।

इसके अतिरिक्त निम्न तीन और स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं:—

(1) जयपुर जिले में तहसील, दूदू में सम्वत् 2022 से 2025 तक लगातार अकाल की स्थिति चली आने के कारण वहां के निवासियों के पास खाने पीने की कमी हो जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री सुवालाल चौधरी, सदस्य विधान सभा ने दी है। इस पर पहले ही दो दिन तक सदन में चर्चा हो चुकी है। इसके अतिरिक्त बजट सत्र के दौरान और भी अवसर प्राप्त हो सकेगा। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री रामानन्द अग्रवाल व श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने एक राज्य के राज्यपाल को राज्य सरकार के आग्रह के विरुद्ध बनाये रखने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय का सीधा सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है न कि इस राज्य सरकार से। अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री केशरीसिंह हाडा, सदस्य विधान सभा ने ग्राम हिण्डोली में दिनांक 19-9-1968 की रात्रि को श्री रघुनाथ घाट पर श्री ब्रह्मा जी की मूर्ति को तोड़ कर चुराई जाने के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला कानून एवं व्यवस्था से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त यह विषय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण

Page No 52

(श्री अध्यक्ष)
तथा बजट पर होने वाली बहस के दौरान भी उठाया जा सकता है। अतः मैं इस प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं देता हूं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद विवाद।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सुखालाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो एडजोर्नमैन्ट मोशन मैंने और केदारनाथ जी ने प्रस्तुत किया हैं उसका सम्बन्ध न केवल पश्चिमी बंगाल से ही बल्कि हर एक प्रान्त की जनता से है क्योंकि उसमें............

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने अपनी व्यवस्था सारे प्रश्नों पर विचार करके दी है इसलिए अब आपके भाषण करने का या आपके द्वारा कोई क्लेरीफिकेशन करने का प्रश्न पैदा नहीं होता व्यवस्था दिये जाने के पश्चात्।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हमें अपने पॉइन्ट ऑफ व्यू को प्रस्तुत करने का मौका मिलना चाहिए उसके बाद आप निर्णय दें।

श्री अध्यक्ष : मैंने निर्णय दे दिया है अतः अवसर देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। निर्णय दे दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह प्रश्न केवल बंगाल से सम्बन्धित हो और राजस्थान से सम्बन्धित नहीं हो-ऐसी बात नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि संविधान के अनुसार राज्यों और केन्द्र के कुछ अधिकार...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं विवश हूं। व्यवस्था दिये जाने के पश्चात् इस प्रश्न पर कोई भाषण, कोई विवेचन नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको अनुमति नहीं देता कि इस प्रश्न पर आप अपना कोई वक्तव्य, भाषण या क्लेरीफिकेशन करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सुखालाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय मेरा जो स्थगन प्रस्ताव था ...

श्री अध्यक्ष : एक से तो निपट जाने दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एडजोर्नमैन्ट मोशन को आप एडमिट न करें परन्तु उस पर हमें अपने विचार व्यक्त करने का मौका नहीं दें—यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं तो माननीय सदस्य को ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह एक संवैधानिक प्रश्न है और इस पर अपना पॉइन्ट ऑफ व्यू रखने का हमें अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि यह संवैधानिक अधिकार अगर माननीय सदस्य समझते हैं तो वह संवैधानिक अधिकार आप मुझको बतला दें नियमों में, ताकि मैं संतुष्ट हो

(श्री अध्यक्ष)

जाऊं। अभी आपको अधिकार देने का प्रश्न पैदा नहीं होता। आप मुझे यहां की परम्परा सदन के नियमों के अन्तर्गत, अथवा पार्लियामैन्ट की, अथवा और भी नियमों के अन्तर्गत बतला दें कि व्यवस्था दिये जाने के पश्चात् माननीय सदस्य इस प्रश्न पर, व्यवस्था के प्रश्न पर उठाते रहें। ऐसा कोई नियम नहीं है, न तो इस सदन के नियमों में है, न कॉन्स्टीट्यूशन में है। अगर हो, आप मुझे बतला दें ताकि मुझे संतोष हो जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जब केरल की सरकार को भारत सरकार ने बरखास्त किया था तब इस सदन में एक प्रस्ताव या एक मोशन प्रस्तुत किया गया था, वह मोशन एड्मिट नहीं हुआ था परन्तु उस पर विचार व्यक्त करने का अवसर दिया गया था।

श्री अध्यक्ष : एडमिट नहीं किया गया था, माननीय सदस्य। उसको अस्वीकार किया गया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह नहीं है कि एडजोर्नमैन्ट मोशन को आम तौर पर आप एडमिट नहीं करते हैं परन्तु उस पर विचार व्यक्त करने का आप अवश्य अवसर देते हैं, अगर उसका महत्व है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ऑर्डर प्लीज!

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस पर विचार व्यक्त न करने दिये जांय तो फिर उसकी क्या अहमियत है

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। जहां तक स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न है, उसको अस्वीकार किये जाने के पश्चात् मैं उसको ऐसे महत्व का नहीं समझता। महत्व का यदि समझता तो मैं उसको स्वीकार करता या उस पर स्टेटमैन्ट मांगता। चूंकि इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध इस राज्य सरकार से नहीं है, न इसका संबंध इस राज्य से संबंधित संविधान से है इसलिए मैंने उसको अस्वीकार किया है। मैं इस पर आपको विवेचन करने, कोई भाषण देने या कोई अभिव्यक्ति करने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो आपने यह व्यवस्था दी कि इसका राज्य या सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है, उस पर मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर आप पुनः विचार करें मेरा यह निवेदन करना है कि...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिसका इस सरकार से या इस राज्य की जनता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ! मैं यहां इस पर विचार व्यक्त नहीं करने दूंगा। आपके अपने कोई विचार हों, तो कोई ऐसे एडीशनल विचार हों जिनसे कॉन्स्टीट्यूशनली मुझे कन्विन्स कर सकें तो आप मुझे कहिये लेकिन यह सदन का प्रांगण इसलिए नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यह आश्वासन दे दें कि आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : जजमैंट केन बी रिव्यूड ! जजमेंट केन बी रिकन्सीडर्ड । लेकिन इसके लिए इस सदन के प्रांगण का उपयोग नहीं किया जा सकता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आप कम से कम ऐसे प्रश्न, माननीय सदस्य जो भी प्रश्न उठायें, पर अपने चेम्बर में डिस्कस करके मेम्बर को आश्वस्त कर दें तो कोई बात हो सकती है । लेकिन कोई प्रश्न यहां पर उठायें और उस पर आप व्यवस्था दे दें बगैर सुने, पॉइन्ट ऑफ व्यू को सुने बगैर, मैं तो समझता हूं कि प्रारम्भिक तौर पर अपने विचार व्यक्त करने का, अपनी बात कहने का अवसर खत्म हो जाता है जो उचित नहीं है । आप व्यवस्था कुछ भी दें लेकिन आप सुनें, पॉइन्ट ऑफ व्यू को सुनें । आप कुछ भी व्यवस्था दें, यह आपका अधिकार है किन्तु हमको उसके सम्बन्ध में विचार रखने का अवश्य अवसर मिलना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष . नियमों को परिवर्तित करा सकें तो करा दीजिये, मुझे कोई हिचक नहीं होगी ताकि मैं माननीय सदस्यों को व्यवस्था दिये जाने के बाद विचार प्रगट करने से अवरुद्ध न कर सकूं लेकिन अभी तो यहां के नियमों में ही नहीं, सभी राज्य विधान सभाओं के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि व्यवस्था दिये जाने के पश्चात् माननीय सदस्य बोलते रहें, अपने विचार प्रगट करें, समय लें प्रांगण का । ऐसा नियम नहीं है, इसलिए मैं विवश हूं यह समय देने में । मैंने यह जरूर कहा है कि ऐसे और कोई तथ्य हों जिनसे आप मुझे कन्विन्स कर सकें कि नहीं इस प्रश्न पर इस सदन में व्यवस्था देने के बाद विचार व्यक्त हो सकते हैं तो व्यवस्था का रिव्यु करने में मुझे हिचक नहीं होगी । लेकिन इस समय सदन का समय नहीं लिया जायगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की प्रेक्टिस इस सदन में कई बार रही है कि किसी प्रश्न पर व्यवस्था देने के बाद क्लेरीफिकेशन के रूप में अपनी बात कहने का अवसर दिया गया है इस सदन में, यह अवसर पहले भी दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि, कई बार दिया है, कई बार नहीं दिया है । दोनों प्रश्न रहे हैं । लेकिन सदन अभी अभिभाषण पर बहस करने जा रहा है इसलिए मैं समय का उपयोग इसमें नहीं करने दूंगा । और थोड़ा कहीं उदार नियमों में हो जाता हूं तो उसमें ट्रेडीशन नहीं बनता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमैन्ट मोशन का हफ्तों तक जवाब नहीं देते हैं तो उनकी अहमियत खत्म हो जाती है । आप एडजोर्नमैन्ट मोशन पर बोलने नहीं दें तो एडजोर्नमैन्ट मोशन के सम्बन्ध में जो भी नियमों में प्रावधान है उनका सारा का सारा महत्व खत्म हो जाता है । इस सम्बन्ध में सदन के पिछले सत्र में भी मैंने एक पत्र लिख कर दिया था और उस पर आपने कहा था कि आप व्यवस्था दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने इस प्रकार का आश्वासन इस सम्बन्ध में दिया था ...

श्री अध्यक्ष : इस पर कोई वादविवाद नहीं होगा। ऑर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय आप सुनिये तो सही, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के डेमोक्रेसी के प्रश्न पर, जिस पर ऑल इंडिया लेवल के सभी ज्यूरिस्ट और पालिटिशियन्स डिस्कशन कर रहे हैं और जो एक इस प्रकार का संवैधानिक पॉइन्ट है......

श्री अध्यक्ष : इस सदन के प्रांगण में इस पर विचार नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जाय ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

(माननीय सदस्य रामानन्द अग्रवाल क्षणांश तक बोलते रहे)

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! माननीय सदस्य!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हटाओ इनको।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वादविवाद !

श्री सुवालाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उस पर जवाब......

श्री अध्यक्ष : आ रहा है। कल व्यवस्था दे दी जायगी।

श्री दुर्गालाल वाढ़दार : उस पर स्टेटमैन्ट दिलवा दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अलवर के सम्बन्ध में एक एडजोर्नमैन्ट मोशन प्रस्तुत किया था...

श्री अध्यक्ष : मैं कल व्यवस्था दे दूंगा। जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, तो भी कल व्यवस्था दे दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जानकारी प्राप्त हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास नहीं आई है। मैं कल व्यवस्था दे दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कल वक्तव्य हो जाय।

श्री अध्यक्ष : ऐसी भी सहूलियत देने का प्रयत्न करूंगा।

श्री भैरोंसिंह !

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(12.09 म० प०)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सत्तारूढ़ दल की ओर से धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है । अध्यक्ष महोदय, सदन ने इस बात को अनुभव किया होगा कि 1952 से लेकर अब तक राज्यपाल महोदय के जब जब भी इस सदन में अभिभाषण हुए हैं उन भाषणों की तुलना में इस वर्ष का राज्यपाल महोदय का अभिभाषण कितना निराशाजनक था। राज्य सरकार ने अपनी छोटी से छोटी उपलब्धियों को भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में शामिल करने का प्रत्यन किया है । लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि पिछले वर्ष राजस्थान में इस प्रकार की कोई उपलब्धि नहीं हुई जिस उपलब्धि का असर जनता के सुख सुविधा पर पड़ता हो । इस अभिभाषण में इस बात का भी कहीं संकेत नहीं मिलता कि हमारी राज्य सरकार जनता के सुख सुविधा की व्यवस्था करने के लिए आगामी वर्ष इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर शासन के द्वारा उनको संचालित करना चाहती है । राज्यपाल महोदय ने मोटे रूप से, अगर यह कहा जाय, कि हर विभाग में पिछले वर्ष जो भी अपनी बढ़ा चढ़ा कर रिपोर्टस् सरकार को दी हैं उनका कम्पायलेशन करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट इस सदन को प्रस्तुत की है । इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं लगता । एटामिक एनर्जी कमीशन में कितनी उपलब्धियां किस वर्ष में होंगी उस बात से लेकर राजस्थान में परिवार नियोजन के अन्तर्गत कितने लूप लगाये गये, उस तक राज्यपाल महोदय ने पूरे राजस्थान को छाना है कि उनको किसी भी प्रकार की कोई उपलब्धि उल्लेखनीय मिल जाय तो उसका उल्लेख अपने अभिभाषण के द्वारा इस सदन में कर पायें उन्होंने चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में थोड़ा सा उल्लेख किया । बदकिस्मती तो यह रही अध्यक्ष महोदय, कि राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर एक प्लानिंग बोर्ड का गठन किया था । दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं पर जब कभी भी कुछ विचार विमर्श हुआ तो राज्य सरकार ने, औपचारिकता के नाते ही सही, प्लानिंग बोर्ड की बैठक बुलाकर योजना के प्रारूप पर विचार किया । लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को अपनी योजनाओं पर पूरा विश्वास नहीं है । योजना का आकार क्या होगा, इसके सम्बन्ध में कोई निश्चित ज्ञान नहीं, योजना में भारत सरकार से कितनी सहायता मिलेगी इसकी सरकार को कोई निश्चित जानकारी नहीं । लेकिन इस सबके बावजूद भी यदि राज्य सरकार प्लानिंग बोर्ड के माध्यम से, जनता के प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करती, तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार जो आज डेवलपमैन्ट के नाते एक स्टेग्नेशन की स्टेज पर पहुंच गई है, उसको वहां से निकालने में हम सरकार के सहायक बनते ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकार द्वारा 313 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम आज जितनी भी कोशिश करें, पर योजना में जो

(श्री भैरोंसिंह)

आज विदेशी सहायता का काम्पोनेन्ट है, उसमें ज्यों ज्यों कमी आयेगी, उसका असर यह होगा कि योजना इतने आकार की नहीं बनेगी और उसमें जो कमी होंगी उसका परिणाम यह होगा कि राजस्थान में बेकारी बढ़ेगी और राजस्थान में डवलपमेंन्ट के जो मेजर्स हमने ले रखे हैं आज तक, उन सब में रुकावट पैदा होगी। राजस्थान का इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट, जिसके लिए आज हमें सब से ज्यादा चिन्ता है, उसकी गति में रोध उत्पन्न होगा, और इसी प्रकार राजस्थान का खाद्य उत्पादन भी धीरे धीरे गिरता जायेगा। मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को इस प्रश्न की कोई चिन्ता नहीं। तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से या राज्य सरकार के बजट से राजस्थान की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा और आखिर हमें अपनी असलियत जनता के सामने लानी पड़ेगी। लेकिन सरकार असलियत जनता के सामने नहीं रखना चाहती और न जनता का सहयोग प्राप्त करना चाहती है। प्लान के लिये क्या क्या आवश्यकता है यह नहीं बताना चाहती केवल मोटे मोटे आंकड़े लेकर विधान सभा में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण द्वारा वे प्रस्ताव करना चाहते हैं जिसकी शायद कोई आशा नहीं है।

राज्यपाल महोदय ने पर कैपीटा इनकम के आंकडे दिये जो आम तौर पर बजट स्पीच में आया करते हैं। मैं समझता हूं राज्य सरकार को कुछ ऐसा लगा, या शायद राज्यपाल महोदय को ऐसा अनुभव हुआ, कि यदि और कुछ बातों के सम्बन्ध में नहीं कहा जाये तो फिनान्सियल ऐस्पेक्ट के सम्बन्व में ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ कहा जाये। तीन साल पहले क्या पर कैपीटा इनकम थी और आज क्या है, इसका उल्लेख करते हुए राज्यपाल महोदय ने बताया कि आज पर कैपीटा इनकम बढ़ी है। मुझे अफसोस आता है इस सरकार के उपर आज जिस तरह से भाव बढ़े हैं उन भावों के साथ यदि इनकम का कैलक्युलेशन किया जाये तो निश्चित रूप से आज से दो बरस पहले जो पर कैपीटा इनकम थी वह आज से ज्यादा थी। यदि यही सरकार का मापदंड है जनता की बहबूदी का नक्शा पेश करने का तो मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि राज्य सरकार को अपनी असलियत का ज्ञान नहीं है। राज्य सरकार को तो केवल एक ज्ञान है और राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय को केवल एक ज्ञान है कि कांग्रेस के 109 विधायकों में से यदि 37 विधायक मंत्रिमंडल में नहीं लिये जायेंगे तो राजस्थान से कांग्रेस का राज्य चला जायेगा। कई बार मुख्य मंत्री जी यह भी कहते हैं कि मेरा शासन स्टेबिलाइजड है, अब इसमें कोई गतिरोध पैदा नहीं हो सकता। लेकिन जब मंत्रीयों की संख्या 37 तक आ जाती है, तो मुझे यह विश्वास हो जाता है कि सिवाय मंत्रिमंडल की सख्या बढ़ाने के और कोई रास्ता अपने राज्य को स्थिर करने का मुख्य मंत्री महोदय को नजर नहीं आता। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भारत सरकार ने और ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने जो मंत्रियों की संख्या का अनुपात निश्चित किया है उसके बारे में मुख्य मंत्री जी का क्या कहना है। भारत सरकार ने लोकपाल और लोक आयुक्त के सम्बन्ध में जो हमारी सरकार से सवालों की जानकारी चाही थी उसके बारे में हमारी सरकार का क्या जवाब है? ऐडमिनिस्ट्रेटिव

(श्री भैरोंसिंह)
रिफार्म्स कमीशन ने सिफारिश की है कि मंत्रि मंडल की संख्या विधान सभा की सदस्यों की संख्या से 1.12 के अनुपात में होनी चाहिये और इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिये उसको मुख्य मंत्री स्वीकार करते हैं या नही? और इस प्रकार लोक आयुक्त और लोकपाल के बारे में मुख्य मंत्री को क्या कहना है? मैं समझता हूं ये दोनों प्रश्न आजकल बहुत महत्वपूर्ण हैं।

आज जब लोगों के दिमाग में टैक्स लगने का प्रश्न पैदा होता है तो उनके दिमाग में यह मंत्रि मडल की संख्या इस प्रकार नजर आती है कि हमारी सरकार इकाँनामी में विश्वास नहीं करती और फिजूल-खर्ची में विश्वास करती है। इसी प्रकार जब लोकपाल और लोक आयुक्त की नियुक्ति के बारे में सरकार का जो रवैया है वह जब जनता के सामने जाता है तो वे यह समझते हैं कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं करना चाहती। एक तरफ फिजूल-खर्ची बढ़ती है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार बढ़ता है, तो अध्यक्ष महोदय आप भी स्वीकार करेंगे कि यह प्रशासन की नीयत का परिचय है।

एक माननीय सदस्य : इन्टीग्रिटी का परिचय है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह परिचय है कि जिस तरह 1967 में गोली चलाकर कांग्रेस की हुकूमत बनाई गई, उसी प्रकार उसको बनाये रखने के लिये जिस प्रकार जौहरी बाजार में निर्दोष व्यक्तियों को भून दिया गया, उस प्रकार राजस्थान की गरीब जनता को इकॉनामिक दृष्टि से ऐसा खत्म कर दिया जाये कि 1972 के चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोई हिम्मत नहीं कर सकें।

मैं कहना चाहता हूं कि आपने मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करवाई है? जब कभी हमने सदन में मंत्रियों के भ्रष्टाचार का प्रश्न उठाया है तो यही कह देते हैं कि प्रश्न की जांच कर रहे हैं और सदन को विश्वास में लेंगे। मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं कि बृजसुन्दर शर्मा, जो आज चिकित्सा मंत्री हैं, उनके खिलाफ संगीन और प्रमाणित आरोप लगाये गये उनके सम्बन्ध में आपने क्या किया? इसी प्रकार श्री शिवचरण माथुर के खिलाफ इस सदन में प्रमाणित आरोप लगाये गये और उस पर उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया तो क्या हम यह समझें कि आपने उनके खिलाफ आरोपों को गलत पाया? जिस समय तक लोकपाल और लोक आयुक्त की नियुक्ति हो जाय जिसके पास हम जाकर दाद फर्याद कर सकें, तब तक क्या किया जाय? आखिर कोई हद होती है। अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमंडल में भ्रष्ट व्यक्ति बैठें हैं। मुख्य मंत्री जरूर आश्वासन दे सकते हैं लेकिन उससे समाधान नहीं हो सकता। ये दो प्रश्न मैंने केवल उदाहरण के रूप में रखे हैं और उनके डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी से कि बृजसुन्दरजी का आचरण जमीन के बारे में क्या बिल्कुल शुद्ध था? और शिव चरण जो माथुर ने क्या कानून को भंग नहीं किया? और क्या उन्होंने किसी प्रकार से मुनाफा नहीं कमाया? मैं समझता हूं कि प्रमाणित आरोप सदन में रख दिये जाय उसके बाद भी मुख्य मंत्री उन भ्रष्ट व्यक्तियों को मंत्री मंडल में रख कर बैठें, तो आखिर हम किस को कहें?

(श्री भैरोंसिंह)

मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आखिर हम जायें किसके पास, किसको शिकायत करें कि अमुक मन्त्री ने पैसा खा लिया है, अमुक मन्त्री ने जमीन पर कब्जा कर लिया है ? सदन के नेता होने के नाते हम आपके पास जाते हैं तो आप उनको बचाने की कोशिश करते हैं। या तो मुख्य मन्त्री महोदय, आप कह दें कि किसी मन्त्री ने जमीन पर नाजायज कब्जा नहीं किया है, किसी ने पैसा नहीं लिया है, या यह प्रमाणित करें कि तुमने यह आरोप लगाया है वह गलत है। पिछले सेशन में आरोप लगाए गए पर आज तक मुख्य मन्त्री ने मुझ से या मेरे साथियों से नहीं पूछा और न यह कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं, मैं उन आरोपों को इन कारणों से सत्य नहीं समझता। आज यही कारण है कि राजस्थान की जो नौकरशाही है, मैं यह मान कर नहीं चलता कि उसमें इलेक्टेड मेम्बर्स से कोई विशेष योग्यता है, इलेक्टेड मेम्बर्स से वह कोई ज्यादा इन्टेलिजेन्ट हैं, इसमें मैं विश्वास नहीं करता पर आज राजस्थान में सबसे बड़ा कारण ब्यूरोक्रेसी के, नौकरशाही के हावी होने का यह है कि इस ब्यूरोक्रेसी ने मन्त्री महोदय की वीकनैस को समझ रखा है, जिस मन्त्री को चाहें वह गर्दन पकड़ कर उसे झुका सकती है। यही कारण है कि एक दो मंत्रीयों को छोड़ कर अन्य मंत्रीयों की ओर डिप्टी मिनिस्टर की यह हालत है कि, कोई तो कहते हैं कि ये क्लर्क हैं, पर मैं तो क्लर्क भी उनको नहीं कहता, मैं तो यह कहता हूं कि ये डिग्निफाइड चपरासी हैं। कोई उनकी नहीं मानता, कोई उनकी नहीं सुनता।

मंत्रीयों की जमात जिस पर हम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, उन आरोपों की सुनवाई नहीं होती है तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस नौकरशाही से आप जनता की सेवा करवाना चाहते हैं, वह कभी जनता की सेवा नहीं करेगी क्योंकि उसके साथ में मन्त्रियों की गर्दन है। वह जब चाहे उनको झुका सकती है। इसके सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया। इस बात का उल्लेख किया गया। कि राजस्थान में कितने मुर्गे बढ़े हैं, कितने पशुओं की नस्ल को सुधारा है, कितने गधे राजस्थान में बढ़े हैं, कितने मुर्गे बढ़े हैं। यह उल्लेख करने के बाद कहीं इसका उल्लेख नहीं किया कि बेरी कमीशन के प्रतिवेदन के फलस्वरूप अमुक अमुक अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। मानवता का तकाजा था कि जौहरी बाजार में गोलियों से मरे हुए व्यक्तिओं के प्रति श्रद्धान्जली का प्रस्ताव इस सदन ने पास किया, जिस गोली कांड के सम्बन्ध में बेरी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि पुलिस ने अनावश्यक रूप में, बेजा तौर पर जनता के लोगों को गोली से मार दिया, उसके सम्बन्ध में कम से कम सभ्य विधान सभा में एक शब्द का तो उल्लेख करते कि जो मरे हैं उनके प्रति राज्य सरकार बड़ी दुःखी है, इस बात का उल्लेख नहीं किया गया, जो मरे या घायल हो गए उनके परिवार वालों को राज्य सरकार सहायता देगी, जो सरकारी अधिकारी इसके लिए दोषी हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जायगा इसका कोइ भाषण में उल्लेख नहीं किया गया। दोषी अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार इसलिए ऐक्शन नहीं ले सकती कि राजस्थान में स्वयं मुख्य मन्त्री

(श्री भैरोंसिह)

जी अन्य मन्त्रियों पर राज्य करते हैं पर राजस्थान में मन्त्री राज्य नहीं करते, क्योंकि उन पर नौकरशाही इस तरह से हावी है कि मन्त्रिमण्डल अपने को इन्डिपेन्डेन्ट मान कर नहीं चल सकता।

दो साल की मेहनत के बाद बेरी कमीशन ने अपना प्रतिवेदन दिया है। एक मास पहले बेरी कमीशन की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई। राज्य सरकार के पास पूरी मशीनरी है, पूरा सेक्रेटेरियेट है, फिर भी क्या राज्य सरकार ने किसी अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन लिया है ? नहीं लिया। आज तक हिन्दुस्तान में जितने कमीशन्स नियुक्त किए गए, उन कमीशन्स के द्वारा जो रिपोर्टस पेश की गई हैं, उन सारी रिपोर्टस को तो नहीं पर अधिकांश की रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है, वे आज भी मेरे पास मौजुद मिलेंगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में यही कमीशन है जिसने राजस्थान सरकार को जिस तरह नंगा किया है, हिन्दुस्तान के किसी कमिशन ने इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं दी होगी। मैं कमीशन्स की इन्टेग्रिटी पर नहीं कहता पर बेरी कमीशन ने जो तथ्य थे वे प्रकट किए हैं। बेरी कमीशन ने जो रिपोर्ट सामने रखी है, उसमें लिखा है कि 1967 में राजस्थान में किसी का राज्य नहीं था, उसमें यह है कि पुलिस राजस्थान की सेवा करने वाली नहीं, उसमें यह है कि मन्त्री पुलिस के उपर कन्ट्रोल करने वाले नहीं वल्कि जनता पर डंडे और गोलियां किस तरह से चलाई जायें, इसको एग्रेवेट करने वाले थे, 7 मार्च 1967 को राजस्थान में जिस समय गोली चली उस समय गोली चलाने के कारण का), बेरी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में जिन चीजों का उल्लेख किया है, वह पढ़ने के वाद यदि आज कोई सभ्य सरकार होती तो उसका सिर शर्म से झुक जाता और वह ईमानदार होती तो मुख्य मंत्री जी आप इस सदन में बैठते नहीं, सदन से त्यागपत्र दे कर चले जाते और यदि मजबूत भारत सरकार होती, सदन होता तो राजस्थान के मंत्री मन्डल को बर्खास्त करके उसका चालान करती। उस समय गृह मंत्री राजस्थान में कौन थे, वे गृहमंत्री मेरे सामने नहीं हैं, वर्ना मैं, उनसे पूछता कि उस समय गृह मंत्री का पद ही आपके हाथ में था, गृह मंत्री का काम आपके हाथ में नहीं था।

श्री अध्यक्ष : कभी उनका पुतला नहीं जलाया गया, किसी ने नाम नहीं लिया। यह बात सही है।

श्री भैरोंसिह : इतना तो हम भी समझते हैं कि जिसके हाथ में सत्ता नहीं उनका पुतला नहीं जलाया जाय, क्योंकि कपड़े लोगों के पास फालतु नहीं थे। मुझे पता नहीं कि आप ही उस समय गृह मंत्री थे।

श्री अध्यक्ष : मेरा अस्तित्व है ही नहीं।

श्री भैरोंसिह : मुझे शोक है कि आपका अस्तित्व नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : उस स्थिति का स्वर्गवास हो गया, अफसोस है।

श्री भैरोंसिह : अब गहराई से विचार करें कि बेरी कमिशन पर कितना खर्चा हुआ, मैं दावे के साथ नहीं कहता कि उस पर कितना खर्चा हुआ पर मेरे अनुमान से 2 2 लाख का खर्चा हो चुका है, एडवोकेट्स को फीस दी उस पर, पुलिस पर खर्चा, टी. ए

(श्री भैरोंसिंह)

डी. ए. का खर्चा, कमीशन के पेमेन्ट का खर्च कुल मिलाकर 22 लाख रुपया खर्च हुआ। यह 22 लाख रुपया क्यों खर्च किया गया? कारण यह था कि जयपुर कि जनता कह रही थी कि फॉयरिंग अनजस्टिफाईड किया गया, पुलिस कह रही थी कि फॉयरिंग जस्टिफाईड और सेल्फ डिफेन्स में किया गया जनता कह रही थी कि पुलिस ने सेल्फ डिफेन्स में फॉयरिंग नहीं किया पुलिस ने जनता को अनजस्टिफाईड फॉयरिंग करके मारा है। उस चीज को सरकार स्वीकार कर लेती तो इन 22 लाख की बचत होती और जो लोग मरे हैं, आहत हुए हैं, उनको 22 लाख की सहायता दी जा सकती थी। पर सहायता देने का का प्रश्न आता है तो वर्क्समैन कम्पन्सेशन एक्ट, पोलिटिकल सफरर्स एक्ट और धमार्थ से अंग अपाहिज को सहायता देने का प्रावधान बना हुआ है, आज सरकार उनको सहायता देने में संकोच नहीं करती। पॉलिटिकल सफरर्स को एक एक हजार रुपया सरकार देती है, उन्हें इन्डस्ट्रीज लगाने के लिए सहायता देती है, जमीनें अलॉट करती है, कोटा उनको देती है, जिस प्रकार से सहायता दी जा सकती है वह सहायता सरकार देती है। वर्क्समैन कम्पेन्सेशन एक्ट में 400 को तनख्वाह वाले को 10 हजार की सहायता दी गई, चैरिटी डिपार्टमेन्ट से 25 रुपया माहवार तक गरीबों को सहायता दी गई। मैं, मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जिन 9 व्यक्तियों को गोली से मार दिया गया, जो लोग गोलियों से अपंग हो गये, जिनके हाथ कट गये, पांव कट गये, जो अपंग और अपाहिज हो गये उनको 1000 रुपया दें, 500 रुपया और देना चाहते हैं। मैं मन्त्रीमण्डल को चुनौती दे कर कहना चाहताहूं, मैं एकएक मंत्री को दस दस हजार रुपये नकद देता हूं, मुझे अधिकार दे दिया जाय कि एक एक मंत्री का हाथ काट दिया जाय, पैर काट दिया जाय। आप चाहते हैं कि एक हजार रुपये में लोगों के हाथ पैर काट दिये जाय और एक हजार रुपये के लिये वह हमेशा के लिये अपंग होकर एक दिन भिखारी के रूप में खड़ा हो जाय। मंत्रियों कि फोज पर आप लाखों खर्च कर देते हैं, 22 लाख इस कमीशन पर खर्च कर दिया है पर गोली से मारे गये लोगों के परिवारों को और गोलीकाण्ड में अपाहिज हुए लोगों को मुआवजा देने के लिये आप खर्च नहीं करना चाहते क्यों कि गरीब मारे गये उनके लिये खर्च करने में मुख्य मंत्री को, दामोदरजी व्यास को और मंत्रीमण्डल को डर लगता है कि 7 मार्च को जो बजट पेश हो रहा है, उसमें घाटा बढ़ जायगा। घाटा आज राजस्थान को मंत्रिमण्डल की 37 की फौज से हो रहा है और आप आदमी का हाथ काट कर, पैर काट कर उसे 1,000 की और 500 रुपये की मदद देना चाहते हैं। है आपमें कोई ऐसा मंत्री जो खड़ा हो कर कहे कि मेरा एक हाथ काट दिया जाय, एक पैर काट जाय। और एक हजार रुपया दे दिया जाय मैं 10 हजार रुपये देने को तैयार हूं, मुझे अधिकार दे दिये जायें कि अमुक मंत्री के बच्चे को गोली से उड़ा दिया जाय। और फिर बेशर्मी से इस सदन में कहते हैं कि 30 रुपया माहवार की सहायता देने का फैसला किया है। मैं समझता हूं कि कम्पेन्सेशन कितना दिया जाय उसके लिए स्वयं बेरी साहब ने कहा है कि इन्हें एप्रोप्रिएट काम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिए। इस एप्रोप्रिएट कम्पेन्सेशन का फैसला राज्य सरकार जो मृतकों के प्रति

(श्री भैरोंसिंह)

घायलों के प्रति, होस्टलाइल है-वह राज्य सरकार नहीं कर सकती । इसके लिए जुडिशियल ऑफिसर नियुक्त किया जाना चाहिए । छोटे छोटे मसलों के अन्दर जब जुडीशियल ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते हैं तो ऐसे प्रश्न पर न्यायिक अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए जो इस बात का फैसला करेगा कि एप्रोप्रिएट फैसला क्या हो सकता है, उसका भुगतान किस प्रकार किया जाय ।

1967के चुनावों के बाद जो विधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन में मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के बाकी के सदस्य एक ही बात का प्रचार करते चलते थे कि हमने राजस्थान कांग्रेस विधान सभा सदस्यों को जयपुर शहर में घुमने दिया है, कानोता कैम्प में बंद नहीं किया । आपने तो पढ़ा होगा कि बैरी आयोग ने कैसे आपको चपत मारी है और कहा है कि कानोता के किले में किसी विधायक को कैद नहीं किया गया । मुख्यमंत्री जी, आपने इस बात को भी पढ़ा होगा यह चीज बैरी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में लिखी है और स्वयं आपके श्री मुकुटबिहारी लाल भार्गव ने कमीशन के सामने यह कन्सीड किया है: Horse trading was going on from both the sides.

जबकि कांग्रेसी नेता कहते थे कि हमने किसी मैम्बर से कुछ नहीं कहा । लेकिन आपके मैम्बर जो आपके वकील हैं कहते हैं हॉर्स-ट्रेडिंग दोनो तरफ से चलता था हालांकि हमने इस बात को कन्सीड नही किया लेकिन सरकारी पक्ष ने कन्सीड किया है । इस सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि घटनायें कैसे शुरू हुई जिनके कारण फॉयरिंग हुई । सारी बातों का उल्लेख कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में किया है । मै उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन इस सदन को बताना चाहता हूं कि पुलिस का राज्य था कांग्रेस का राज्य था या राजस्थान में उस समय मार्च में राक्षसों का राज्य था । इन दोनों की तुलना करनी होगी । यदि राजस्थान में पुलिस का राज्य होता, इन्सान का राज्य होता इस प्रकार जनता पर एट्रोसिटीज नहीं की जाती , यदि उस समय शासन में तनिक मात्र भी मानवता होती तो इस प्रकार रावण के शासन की तरह जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करती लेकिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, रामायण में पढ़ा होगा कि किसी जमाने के अंदर रावण का राज्य था, जनता के अधिकारों पर कुठाराघात किया जाता था, जनता को पीटा जाता था लेकिन यदि आप बैरी आयोग के प्रतिवेदन को पढ़े तो आप रामायण को भूलकर निश्चित रूप से मानेगें कि मार्च 1967 के अंदर राजस्थान में भी रावण जैसा राज्य था, राजस्थान में कुभंकरण जैसा राज्य था जहां जनता के जीवन के साथ होली खेली गई ।

कहते हैं कि राज्यपाल महोदय ने जिस समय फैसला किया था कि किस पार्टी का बहुमत है, किसको सरकार बनाने के लिए निमंत्रित किया जाय, 3 तारीख को लोग बड़े उत्सुक थे, राज्यपाल महोदय इस बात का फैसला करेंगे कि शासन करने का अधिकार किसको दिया जाय तो उस दिन राज्यपाल महोदय कुछ नाराज हुए, उसके कारण का मैं उल्लेख करना नहीं चाहता लेकिन 3 तारीख को पुलिस कहती है कि राज्यपाल महोदय के मकान पर भीड़ हो गई

(श्री भैरोंसिंह)

है, उस भीड़ ने सुखाड़िया मुर्दाबाद, संपूर्णानंद मुर्दाबाद के नारे लगाए और इसलिए जब समझा कि 4 तारीख को निर्णय होने वाला है, उस समय हमने धारा 144 लगा देनी चाही। ऐसी हालत में बैरी आयोग ने पहले सरकार का जो दावा था उस संबंध में लिखा है:

"I hold that there was no such ground as alleged by him"

यह बैरी आयोग कहता है। अब यहां से सरकार ने झूठ बोलना शुरू किया है। बोलते बोलते जयपुर में फायरिंग करवाई और उसके बाद झूठा रेकार्ड किस प्रकार से बनाया जाय, इस संबंध में हमारी सरकार को जो कुछ करना था कर लिया। 4 तारीख को फिर कहते हैं कि राज्यपाल महोदय के मकान पर काफी भीड़ हो गई है और उन्होने नारे लगाए, उस संबंध में फिर आयोग कहता है:

"I do not hold the incident proved as presented by the Superintendent of Police"

उसके बाद पिशोरी रेस्टोरेन्ट पर घटना होती है। उसके लिए जिस प्रकार हमारी समिति ने कमिशन के सामने केस रखा, उस घटना को कमीशन ने स्वीकार किया। फिर 5 तारीख आती है उस दिन जलूस निकला, पुल पार कर निकला वहां जिस प्रकार पुलिस की एट्रासिटीज हुई, किस प्रकार पुलिस ने वरवाड़ा हाउस में घुसकर विरेंद्रसिंह को मारा, उसके लिए आयोग ने लिखा है:—

"I refuse to believe that Virendra Sing sorrounded by 10-15 policemen could venture to hurt one of them by means of a danda. S. I. Yagya Narain may have ignored the youngman's question but there was no justification to answer it by police batons. I hold it as a proved and clear case of police excess."

अध्यक्ष महोदय, उस समय भी मैं समझता हूं कि राजस्थान के किसी भी मंत्री ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि इस प्रकार से वरवाड़ा हाउस के अंदर विरेंद्रसिंह के साथ पुलिस ने इस प्रकार का अन्याय किया है। उस दिन से अन्याय की कहानी शुरू हो जाती है। मैं उन कहानियों में पूरी तरह से नहीं जाना चाहता लेकिन जिस समय कमीशन नियुक्त हुआ, उस समय अन्दाज लगाए। एक तरफ तो मैं जयपुर की जनता का प्रतिनिधि होने के नाते उन लोगों को धन्यवाद दिऐ बिना नहीं रह सकता जिन्होंने सारा समय देकर, सारे साधन जुटाकर, राज्य सरकार के झूठ का पर्दाफाश करके सारी बात को सही रूप से आयोग के सामने रखा। न उनके पास टाईपराइटर थे, न वहां टाइप करने के लिए कागज थे, न बाकी किसी प्रकार की सुविधायें थी। इन सब असुविधाओं के बावजूद इस सरकार ने वकीलों को 1100) 1100) रोज और 400-400 के दो

(श्री भैरोंसिह)

वकील और इस प्रकार के कितने सलाहकारों को हजारों रुपए रोज देकर जिनको नियुक्त किया था उनके केस को झूँठा साबित किया है। कलेक्टर और जिला पुलिस सुपरिटेंडेन्ट ने राज्य सरकार की ओर से जो दावा प्रस्तुत किया, उस दावे को कमीशन ने बिल्कुल झूँठा माना है, केवल उनके तथ्यों को गलत ही नहीं बताया है बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया है कि पुलिस ने एट्रासिटीज करने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी।

पुलिस ने और खास तौर से, इस सम्बन्ध में मैं पहले जौहरी बाजार घटना का उल्लेख करना चाहता हूं, जिससे इस सदन को पता चलेगा कि हमारी सरकार ने और प्रशासन ने किस प्रकार से किस ढंग से अपनी अपनी बातें कहीं हैं। सरकार की ओर से जिला प्रशासन की तरफ से जो केस प्रस्तुत किया था, जोहरी बाजार घटना के सम्बन्ध में, उसमें लिखा है:—

"The case of the district administration very briefly put is that soon after the lifting of the restrictions under section 144 of the Code of Criminal Procedure a huge procession came and disintegrated itself at the intersection of Haldiyon-ka-Rasta and Gheewalon-ka-Rasta at about 2 or 2.15 p. m on the 7th March, 1967 This crowd consisting cf five of six thousand people besieged the two police parties in the Gulab Band and the R. A. C. Verandah, pelted stones, fired a gunshot which hit Shri Bhanwar Singh and Shri Umed Sing and attempted to snatch arms of these police pickes. In order to protect themselves these two parties opened fire. The P. A. C. party under Shri Hamid Khan fired 6 rounds of 303 bullets and R. A. C. party under Shri Bhanwar Singh fired 25 rounds of S. P. A. bullets in defence of their bodies and arms. Likewise Shri Mahipal Singh's party was sorrounded by a crowd of three to four thousand people when they were standing in the Verandah near Partanion-ka-Rasta. They were subjected to severe stone peling and there was an attempt to snatch arms and with a view to save themselves and their arms, they fired eight rounds of 303 bullets."

अब यह तो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के केस पर बैरी कमीशन का कान्क्ल्यूजन सदन में पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। कमीशन ने लिखा है:—

"I have found that the three first information repo-

(श्री भैरोंसिंह)

(Bx G/61, G/62 and G/127) are unreliable. There was no huge procession at about 2.30 p. m. which spread out in front of the Gulab Band the R. A. C. Verandan or near Partanion - ka - Rasta. The three police parties were not besieged. There was no heavy concentrated stone pelting as alleged. There was no gun fired at Shri Bhanwar Singh or Shri Umed Singh and there was . "

एक माननीय सदस्य : शेमफुल !

श्री भैरोंसिंह : "and there was no attempt to snatch the arms of any one of these parties. The case that these three parties fired only 39 rounds stands falsified by the number of injuries received by the members of public and the total number of bullet fired in Johari Bazar is 80 according my cautions [and conservative reconstruction. That movement of public in Johari Bazar was restricted and that teargas was not only available at about 2 p.m. but in point of fact was used on several occasions. That the firing was not confined from west to east but was one towards west, north and south. Further, the firing towards the ambulance RSL 7382 sometime after 3.30 p.m. is unmistakable evidance of indiscriminate firing. The treatment meted out to Shri Gopichand Tikkiwal and his father are the two proved instances of heart ssness and ruthlessness.

In these circumstances, I am firmly of opinion that the firing in Johari Bazar on the afternoon of the 7 th March, 1967 was wholly unjustified and the case of self defence set-up before me is false "

एक माननीय सदस्य : डूब मरो ।

श्री भैरोंसिंह : अब एक प्रश्न यह आकर खड़ा हुआ । मैं इसकी जानकारी करना चाहूंगा । यह केस किसने बनाया ? यह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो केस बनाया वह क्यों बनाया ? इसको बनाने में किनकी सलाह थी ? यह बात कमीशन के सामने क्यों रखी गयी ? सैल्फ डिफेन्स को झूठी थ्यॉरी क्यों इनीशियेट की गयी ? अब आप कहेंगे कि सारी की सारी थ्यॉरी एस. पी. और कलेक्टर ने कर दी या डी. वाई. एस. पी. या सिटी मजिस्ट्रेट और एस. डी. एम. ने कर दी । गृह मंत्री जी आप भी यह विश्वास करके चलते हैं कि आज कलैक्टर और एस. पी. किन लोगों से दबे हुए चलते हैं । आज

(श्री भैरोंसिंह)

जयपुर के कलैक्टर और एस. पी. की हिम्मत है क्या कि पब्लिक के डिफेन्स में केस खड़ा किया जाय और मुख्य मंत्रीजी की वह जानकारी में न आये ? सारे केस को खड़ा किया और जिस केस को मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकार किया कि सरकार की ओर से लड़ा गया, लाखों रुपया जिस पर खर्च हो गया, हजारों रुपया जिसको लड़ने के लिये वकीलों पर खर्च किया वह केस राज्य सरकार का झूंठा हो जाय उस राज्य सरकार के लिये, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि उस राज्य सरकार ने न केवल झूंठ का सहारा लिया और झूंठ का सहारा लिया वह जनता के साथ पाप करने की योजना के लिये लिया। वह पाप की योजना यहीं तक नहीं, सरकार का कहना यह है कि एक तरफ जौहरी बाजार में फॉयरिंग हो रहा था और दूसरी तरफ सिरेडयोढ़ी में फॉयरिंग सरकार को मालूम नहीं किसने कर किया। गृह मंत्रीजी इतनी जमात लेकर बैठे हैं। यदि कोई मोची थड़ी पर बैठ कर जूतियां सीता है तो उसको उठा कर ले जाते हैं कि तू चोर है। जयपुर में सारे मोचियों पर डंडे बरसनें लगे तो मैंने उन्हें पूछा तो कहा कि अलग अलग नहीं बैठ सकते। जयपुर में बाजार की कमी नहीं है, जूतियां गांठते हैं उनके लिये भी अलग बाजार कर दिया जाय और उसका नाम दामोदर बाजार रख सकते हैं। एक गेट उसका बना दीजिये और उसका नाम गोविन्दसिंह गेट रख दीजिये। जिस किसी की जूती टूटेगी वह दामोदर बाजार में पहुंच जावेगा। मोचियों के लिये इतने चिन्तित हैं। दो वर्ष जनता का पैसा लगा कर आप यह पता नहीं लगा सके कि सिरेडयोढी बाजार में किसने चलायी ? आप कहते हैं मिलिट्री ने चलायी। कमीशन ने कहा है कि मिलीटरी ने नहीं पुलिस चलायी। जिनको गोली लगी आज तक सरकार ने उसकी जांच नहीं की कि गोली लगने वालों का पता लगाया जाय और कमीशन ने स्ट्रिक्चर पास किये हैं सरकार के खिलाफ जो सरकार गोली चलाने वालों का पता नहीं लगा सके उसके एक्शन की निन्दा जितने शब्दों में की जाय वह थोड़ी है।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं यह सरकार तो कितनी निर्दयी है उसका पता तो इस बात से लगता है कि एक आदमी मर गया उसके साथ हमारी सरकार ने किस प्रकार का व्यवहार किया ? एक श्री टिक्कीवाल को गोली लगी। उसकी मदद के लिये उसका पिता आया। उस मरे हुए आदमी को पुलिस ने इस निर्दयता के साथ खींचा कि दया नाम की चीज उसके पास नहीं थी। कमीशन लिखता है :

"The cruelty towards Shri Gopichand Tikkiwal and his father and the hitting of the ambulance are two circumstances which tell the story of ruthlessness and heartlessness. Even in wars which have been described to be ; carnivals of carnage; mobile medical units, such as ....

सुन लीजिये दामोदर जी व्यास।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : सुन रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप को तो लगता नहीं है।

(श्री भैरोंसिंह)

"such as ambulance, are exempted from the furty of firing where the very existance of nations is at stake. But in Johari Bazar on the 7th March, 1967 even this rule of humanity was departed from. After the alleged danger to the lives of police was over and when no danger could be entertained from a dying boy, he was heartlessly dragged as if he was a dead cattle. This piece of cruelty coupled with a still more cruel lie by way of explanation dent the theory of self defence."

इससे तो, अध्यक्ष महोदय, आपको यह अन्दाज हो जावेगा कि पुलिस ने किस प्रकार की निर्दयता का परिचय दिया। एम्बुलैंस को गोलियां मारी। कमीशन कहता है कि जहां लड़ाइयां चलती हैं, नेशन एट स्टेक होते हैं वहां भी एम्बूलैंस पर गोलियां नहीं चलायी जाती हैं। यदि कोई मर जाय तो एक देश के डेड का दूसरे देश वाले सम्मान करेंगे। लेकिन कमीशन लिखता है कि उस व्यक्ति को इस तरह से खींचा गया जिस प्रकार मरे हुए जानवर को खींचते हैं। ऐसा क्रुअल्टी का केस आज तक संसार के सामने किन्हीं जनतन्त्रीय सरकारों के सामने हुआ हो ऐसा नहीं मिलेगा।

यह क्रुअल्टी यहीं तक खत्म नहीं हुई अध्यक्ष महोदय, जो लोग मारे गये उम्मीद यह थी कि उनके घर वालों को बता दिया जावेगा और उनकी लाशों को घर वालों को शमशान भूमि में रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार के लिये दे दिया जावेगा। लेकिन सरकार को इसकी चिन्ता नहीं थी। किन्तु सरकार तो इस बात के लिए चिन्ताशील थी कि लोगों को पता लग गया कि जौहरी बाजार में फॉयरिंग से इतने आदमी मर गये तो सारे शहर में आग लग जायगी और एक भयंकर स्थिति पैदा हो जावेगी। बैरी कमीशन ने लिखा है कि दाह संस्कार के वक्त परिवार के लोगों को नहीं बुलाया ताकि रस्म रिवाज के अनुसार उनका दाह संस्कार किया जाता कमीशन लिखता है कि उनको बुलाया जा सकता था। श्री गिरधारीलाल भार्गव जो डेड बॉडी के साथ मार्कच्योरी से निकल कर चले गये थे उनको भी वहां नहीं रखा गया। मैं सदन को जानकारी कराना चाहता हूं कि बैरी कमीशन ने किस प्रकार इसके सम्बन्ध में स्ट्रिक्चर पास किये हैं। वह लिखता है :

"We have a democracy where the dignity of an individual is one of the essential key stones of the ediffice of our Constitution. Under the law, no person may have proprietery rights on a dead body, but the right to perform obsequies according to religious practices is a part of the religious rights guaranteed by the Constitution of India. Subject to public order, morality and health all persons are equally entitled to the

(श्री भैरोंसिंह)

freedom of conscience and the right to freely profess, prac'ise and propagate religion."

He has further written—

"In my opinion, therefore, unless a dead body is unclaimed attracting the provisions of S. 245 the right to cremate/bury a dead body resides in the survivors and the learned magistrate, when he took upon himself this duty, without reference to the near relations, of the survivor, was not acting in accordance with law".

जब इससे दो चीजें सिद्ध हुई हैं एक तो पुलिस कितनी निर्दयी है और दूसरा पुलिस के लोग कितनी निर्दयता से काम करते हैं। किस प्रकार से झूठे मामले बनाये जाते हैं। भंवरसिंह और उम्मीदसिंह नामक पब्लिक के किसी आदमी ने गोली चलायी। कमीशन ने इसको नहीं माना है, कमीशन ने यह भी कहा है कि पब्लिक ने पत्थर अधिक नहीं फेंके कोई जुलूस नहीं निकाला गया। सरकार कहती है कि पुलिस के लोग हथियार छीन रहे थे कमीशन के सामने हथियार छीनने का क्लेम नहीं किया गया। इसके अलावा कमीशन ने यह भी कहा है कि पुलिस की लाइफ खतरे में नहीं थी। गोलियां चलीं इस पर यह परिणाम निकला।

अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा इस पुलिस गोलीकाण्ड में केवल 9 आदमी ही मरे हों कमीशन भी इस बात पर विश्वास करके नहीं चलता पूर्णतया इस बात पर विश्वास करके नहीं चला। इन्होंने लिखा है, जो मेरे पास रिपोर्ट आयी उसमें 9 आदमियों के मरने का उल्लेख है इसके विपरीत जो जानकारी दी गई, वह जानकारी इतनी बड़ी है कि 9 से ज्यादा लोग मरे हैं। इस सम्बन्ध में राजस्थान जनसंघ के मंत्री श्री गिरधारीलाल भार्गव ने दो लिस्टें दी थीं, एक लिस्ट के बारे में सरकार द्वारा कहा गया था कि ये लोग कहीं गिरफ्तार थे या कहीं अस्पताल में दाखिल हो गये थे, हमने इनकी तलाश करली है यह जो पहली लिस्ट दी है उसके सब आदमी मिल गये। इसके बाद जो दूसरी लिस्ट दी गई उसके बारे में आज भी सरकार मौन है जो चार आदमियों के बारे में थी। उसके बारे में आपने क्या पता लगाया, क्या आपकी पुलिस आज तक इसका पता लगा सकी है? 4 मार्च के बाद आज तक वे लोग अपने घर पर नहीं पहुंचे न वे अपने बीबी बच्चों से मिल पाये क्या आपको उनके बारे में जानकारी मिली है? यह सरकार द्वारा कहा गया कि इन चार लोगों का सरकार ने पता लगा लिया लेकिन कमीशन के सामने उनके बारे में शहादतें पेश नहीं हुईं, इसलिये कमीशन इसके बारे में डाइरेक्ट कॉन्क्लूजन नहीं निकाल सका है लेकिन उसने भी यह माना है कि लोग ज्यादा मरे थे। जिन लोगों के नाम दिये गये उनके बारे में व्हेअर अबॉउट्स बताने चाहिये थे।

एक गणेश घाटुका जिसकी औरत

(श्री भैरोंसिंह)

कमीशन के सामने पेश हुई जिसके पांच बच्चे थे। उसने कमीशन के सामने कहा कि उसका पति 7 मार्च को 200 रुपये लेकर जयपुर सामान खरीदने आया था उसका आज तक पता नहीं है। उस औरत ने जिस प्रकार का विलाप कमीशन के सामने किया मैं समझता हूं धर्म का कहीं राज्य हो तो ऐसे अन्याय करने वाले लोगों को दंडित किया जा सकता था लेकिन यहां धर्म का नाम नहीं, यहां की सरकार ने उस औरत को अपने पति की खोज में कोई मदद नहीं दी है। कमीशन ने कहा कि हम तुम्हारे पति की खोज कराने के लिये मजबूर हैं यह तो सरकार का काम है। इसके बारे में कमीशन ने लिखा है :

"It is unfortunate that nobody knows the where abouts of this man and the District Administration has not been able to locate him either.

I would however be happy if the District Administration takes further trouble to locate, if possible, this mans' where abouts, so that the misery of this women is alleviated."

श्री रामनारायण चौधरी : उसको कौन लाये थे ?

श्री भैरोंसिंह : हम लाये थे। इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि सरकार का हृदय पत्थर है या क्या इससे सहज में ही अन्दाजा लगा सकते हैं। सरकार पता नहीं लगा सकी सिरेड्योढी में फॉयरिंग हुआ या नहीं इसका सरकार पता तक नहीं लगा सकी। इस सम्बन्ध में जो सबसे मोटी बात कमीशन ने यह कही। सरकार कहती है कि 2.20 से 2.45 मिनिट तक ही गोली चली कमीशन कहता है :

"I am satisfied that it was no firing within a small compass of time between 2.20 to 2.45 as a measure of self defence but was a spread out firing between 2.15 to 5 p.m. or a little thereafter."

अब मैं यह पूछना चाहता हूं, पुलिस कहती है कि हमने सैल्फ डिफेन्स में गोली चलायी। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं किसी गाँव में डाका पड़ता है उसके बारे में पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस के लोग भागते हैं और प्रीवेन्टिव मेजर्स अडॉप्ट करते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं जयपुर के जौहरी बाजार में 2.15 से 5 बजे तक गोली चलती है तो क्या हमारे आई.जी. मंत्री मंडल के सदस्य जो यहीं पर रहते हैं क्या वे जौहरी बाजार में जाकर डिफेन्स नहीं कर सकते थे ? 2.15 से 5 बजे तक गोली चलती रहे और वह भी राजधानी में उस पर हमारे सरकार के उच्च अधिकारी मंत्रीमंडल के सदस्य अपने बंगलों पर विराजमान होकर उसको चलती रहने दें। श्री हनुमान शर्मा जो उस समय आई. जी. थे वे उस समय मुख्य मंत्री के यहां बैठे उनकी पगचम्पी कर रहे थे बड़े बड़े ऑफिसर आराम से अपने अपने बंगलों पर विराजमान थे किसी ने आकर जौहरी बाजार में

(श्री भैरोंसिंह)

जनता पर हो रहे अन्याय से बचाने की कोशिश नहीं की। आज स्थिति यह है कि जयपुर में छोटा सा भी एक्सीडेंन्ट हो जाय सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, आई. जी. पी., फौरन घटनास्थल पर पहुंचते हैं। लेकिन उस समय न आई. जी. पहुंचे न डी. आई. जी. और न कलैक्टर ही पहुंचे। राजस्थान के भूतपूर्व आई. जी. हनुमान शर्मा ऐसे कायर पुलिस अधिकारी थे जो राजस्थान के पुलिस इतिहास में ऐसा कायर पुलिस आई. जी. पी. नहीं मिलेगा। उनका तो केवल एक ही काम था मुख्य मंत्रीजी के यहाँ बैठे रहना। ये अधिकारी, मुख्य मन्त्री के यहाँ बैठे उनकी तेलचम्पी करते थे क्या? आखिर उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? जो लोग इस गोलीकाण्ड के लिये जिम्मेदार थे क्या सरकार ने उनको बरखास्त किया? बरखास्त करना तो दूर रहा उनको उल्टा प्रोमोशन दिया है। श्री हनुमान शर्मा को रिटायरमैन्ट के बाद सिविल डिफैन्स का आई जी. बनाया गया जो पोस्ट रिटायर्ड मिलिटरी ऑफिसर के लिये होनी चाहिये। जो व्यक्ति सिविल डिफैन्स की ए. बी. सी. भी नहीं जानता उनको सिविल डिफैन्स का आई. जी. बनाया गया उनको यह इनाम इसलिये दिया गया कि इन्होंने जयपुर की पब्लिक पर गोली चलवाई। श्री शिवशंकर जो गृह सचिव थे उनको पब्लिक सरविस कमीशन का मेम्बर बना दिया गया, तनखा भी ज्यादा बढ़ गई और 65 वर्ष तक सर्विस भी मिल गई। श्री सुलतानसिंह जो ए. आई. जी. थे उनको कन्फर्म किया गया। श्री जसवन्तसिंह को ए. आई. जी. बना दिया गया। जे. पी. सांघी जो उस वक्त गोलीकाण्ड के इन्चार्ज थे उनको डी. आई. जी. बना दिया गया। कलेक्टर को होम कमिश्नर बना दिया गया। एक मजिस्ट्रेट थे उनको ए. डी. एम. बना दिया गया। बदकिस्मती से होम मिनिस्टर को कोई प्रमोशन नहीं मिला जबकि सबको मिला है।

एक माननीय सदस्य : डिमोशन तो नहीं हुआ?

श्री भैरोंसिंह : आप जब इन अधिकारियों को प्रमोशन देना ही चाहते थे तो कम से कम बैरी कमीशन की रिपोर्ट की तो इन्तजारी करते। आपने देखा कि अगर रिपोर्ट आजायगी तो इनका प्रमोशन हो नहीं पायगा इनको तो प्रमोशन देना ही था क्योंकि ये तो सुखाड़िया सरकार के स्तम्भ हैं। इन्होंने 7 मार्च को गोली चलायी इन्हीं की कारगुजारियों से आज इनके हाथ में सत्ता आई। अगर इसका इनाम इनको नहीं मिलता तो और किसको मिलता। इनके बिना तो इस मंत्री मंडल की इमारत के ही गिरने का अन्देशा था। लेकिन दामोदर जी, आप जिस प्रकार की परम्परा बनाते जा रहे हैं, और जो कारनामे आप करते जा रहे हैं यह आज के जनतंत्री शासन के लिये ठीक नहीं आपको बंगाल में जिस प्रकार से मंत्रियों को पसीना आ रहा है आप यह न समझें कि हमेशा हमेशा के लिये आप ही शासन करते रहेंगे। शासनतंत्र बदला नहीं कि जिन अधिकारियों के कारण यह गोलीकाण्ड हुआ उनसे जनता ब्याज सहित वसूल कर लेगी। अध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र में आप जिस प्रकार की व्यवस्था डालते जा रहें हैं दामोदर जी आप यह याद रखिये जिन लोगों द्वारा गोलियां चलाई गईं उनको मुलजिम की हैसियत से खड़ा होना पड़ेगा। वह समय दूर नहीं है।

(श्री भैंरोंसिंह)

आपको साफ कहते हैं, आप चाहे उसे मजाक समझ चलें। इस बार कमीशन की रिकमण्डेशन के साथ मजाक कर रहे हैं, पर हम लाईडाउन एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। हम भी सरकार को मजबूर करेंगे कि जिन अधिकारियों ने अन्याय किया उनको दण्ड दिया जावे। मन्त्री भी इसमें शामिल हों तो भी चिन्ता की बात नहीं, और शामिल होते हैं तो भी चिन्ता की बात नहीं।

(1 म.प.)

श्री अध्यक्ष : एक मिनिट का आप विश्राम करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री भैंरोंसिंह : आपकी कृपा है। जब भी विश्राम करूंगा दो शब्द आपको भी कह जाऊंगा।

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्रीजी भाग गये।

श्री भैंरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस की एट्रोसिटीज कितनी हुई गृह मन्त्रीजी और भूतपूर्व गृह मन्त्रीजी भी बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस की एट्रोसिटीज किस सीमा तक पहुंच गई है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 144 की धारा लगाने के बाद लोगों के मूवमैन्ट को किस प्रकार से रोका गया। उनको किस प्रकार से इरिटेट करने की व्यवस्था की गई ?

"The case of the District Administration is that beyond the restrictions imposed under Sec. 144 Cr. P.C. there was no restriction imposed on the members of public. Individuals were free to move about as they liked and did move about in to and from Johari Bazar on the 7th March, 1967."

Commission says:

"Thus it appears to me that throughout the day on the 7th March, 1967, the police on duty invented their own restrictions regardless of S. 144 restrictions whether they were lifted or not and tried to restrict the movement of the people in Johari Bazar and in their whim and caprice relaxed in some cases. I am not satisfied with the story given by the Police Officers that there were no restrictions for the movement of public in Johari Bazar, and I reject it, Johari Bazar is a very busy place in the city of Jaipur. Of some 28 photographs that have been produced before the Commission, at no point of time do I find any traffic on either side of Johari Bazar road. To talk of normal vehicular or pedestrian traffic in Johari Bazar on the 7th March, 1967

(श्री भैरोंसिंह)

at any time is to insult the truth."

यहां पर यह कहते थे कि धारा 144 में लोगों को घर जाने से नहीं रोका गया, पर कमीशन ने कहा यह बिलकुल गलत बात है। रोका। लोगों को मूव करने से अध्यक्ष महोदय, आपने नहीं सुना होगा कहीं कि पुलिस के लोग, जिनको लॉ और आॅर्डर मेन्टेन करने का अधिकार दिया गया, जिनके हाथ में लाठी, जिनके हाथ में टीयर गैस, राईफल आदि इस बात के लिये दी गई कि लॉ ब्रेकर्स को रोके, उनको पकड़े, उनसे कोई भी इन्सान यह अपेक्षा करके नहीं चल सकता कि जिनको लोगों की रक्षा करने का काम सौंपा गया कानून की हिफाजत करने के लिये तैनात किया गया, वे ही कानून को तोड़ें। पर राजस्थान की पुलिस ने पत्थर फेंकने में लाठी चलाने में, टीयर गैस के उपयोग करने में अपना सानी नहीं रक्खा वह भी पत्थर फेंकने करने में जनता से किसी कदर पीछे नहीं रही। कमीशन इस पर कहता है :

"I am satisfied beyond the shadow of a doubt that on the 6th and 7th March, 1967, police had an exchange of stone pelting with the people."

पब्लिक पत्थर फैंक रही है, पुलिस भी फैंक रही है। पुलिस भी फैंके क्या आप इसे जस्टिफाई करेंगे ? पुलिस ने पत्थर फैंके, हाउस में यह बात कही गई। यहां यह भी कहा गया कि जुलूस को इरिटेट करने के लिये पुलिस में से पत्थर फैंके गये। सरकार इसको स्वीकार नहीं करती थी। पर कमीशन कहता है कि जितने पब्लिक ने पत्थर फेंके उससे कम पुलिस ने भी नहीं फेंके। पुलिस ने भी उतने ही पत्थर जनता पर फैंके। फिर कमीशन लिखता है—

"It appears to me that in answer to stones the police not only throw stones but resorted to violence by lathies and even than they felt frustrated at the hands of the people and they started triggering their rifles recklessly hitting public wherever they could."

यहां भी पुलिस ने, मैं समझता हूं, किसी भी प्रकार की दया का, कानून का बरताव नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है। आप देखें छः मार्च की बात को। यह तो मामला सात मार्च का है। 6 मार्च के बारे में पुलिस के बिहेवियर के बारे में कमीशन ने क्या लिखा है:

"The result is that it is another incident where an irritated police started beating anybody that came handy and arresting a person without any reason. I am, therefore, only prepared to hold that a procession of some

(श्री भैरोंसिंह)

500 people came but it disintegrated before the police arrived and from those who remained near Khajane-walon-ka-rasta some of the persons were arrested and taken away in a police jeep to the Kotwali. Thereafter an alleged complaint that the stones were coming from that side, the police threw tear-gas shells and cought hold of this journalist by his collar and pushed him in a vehicle."

राष्ट्रदूत में काम करने वाला एक पत्रकार वहाँ गया। उसके पास आइडेन्टिटी कार्ड था। जहाँ वे खड़े थे, पुलिस वहाँ पहुंची, गले से पकड़ा, धक्के देकर ट्रक में फेंका, पीटा, और पीटने के बाद भी पुलिस को संतोष नहीं हुआ तो कोतवाली में ले गये और वहाँ पिटाई की। यह तो जर्नलिस्ट के साथ में है:

"His shirt was torn and his protest was in vain. I do not accept the story that there was any crowd of a thousand people near about it pelting stones. The incident leaves me with an impression that the police was acting indiscriminately and then making first information reports and giving them timings in different inks accommodating the persons poped in. A cross-examination to this effect has been directed to Shri Pukhraj (G.W./25) at p. 253 in reference to Ex. G./72, Ex. G./73 Ex. G./74 and Ex. G./75. In all these first information reports, in the first table, first column the time of the incident has been added in an ink altogether different from the body of the report......... ... ."

अब इसका मतलब यह हुआ अध्यक्ष महोदय, कि मारा पुलिस ने, पत्थरों से मारा, लाठियों से मारा, टीयर गैस से मारा, और मारने के बाद में अपने सारे पापों को ढकने के लिये कोतवाली में पहुंचे। झूठी एफ० आई० आर० बनाई, झूठे लोगों के नाम दर्ज किये, झूठी लोगों से शिकायतें लीं और झूठा समय दिया, और लोगों को जिसको चाहा मन माना उनको जेल खाने में रख दिया। इससे आप यह अन्दाज लगावेंगे कि राजस्थान में जयपुर में उस दिन कोई कानून का राज्य नहीं था और इस कानून के राज्य के न होने के कारण हर आदमी को कम से कम यह महसूस होता है कि राजस्थान की पुलिस ने उस तारीख को जनता पर हजारों पत्थर फैंके, लोगों के लाठिया मारी, गोलियाँ चलाई, टीयर गैस का इस्तैमाल किया, धारा 144 में रेस्ट्रिक्शन्स शायद नहीं हो सकती थीं पर उससे भी आगे चलकर उससे बियोण्ड होकर जयपुर के लोगों के मूवमेन्ट पर पाबन्दी लगाई। इससे भी सन्तोष नहीं हुआ तो निर्दोष जनता को गोलियों से भून दिया।

(श्री भैरोंसिंह)

इन गोलियों के चलवाने में जो जिम्मेदार अधिकारी गण हैं उनके खिलाफ क्या ऐक्शन होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक तरफ जब समिति ने कमीशन के सामने इस बात की शिकायत की कि हमें राजस्थान सरकार के डाकूमैन्ट्स को देखने का, इन्स-पैक्शन करने का अवसर दिया जावे, इस पर सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने दर्खास्त पेश की कि मेरी सरकार ने मुझे आदेश दिया है कि मैं कमीशन को रिक्वेस्ट करूं कि सरकारी डॉकूमैन्ट समिति को नहीं बताये जावें। बता दिया गया तो कमीशन का जजमैन्ट प्रीजूडिस हो जावेगा। कमीशन ने सरकार की इस रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया और कहा कि डॉकूमैन्ट बताने पड़ेगें। इसके बाद सरकार ने क्या किया। वह गई हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने भी उसकी दर्खास्त खारिज कर दी। डॉकूमैन्ट पेश करने पड़े। पर इस सदन को यह सुनकर ताज्जुब होगा कि यह डॉकूमैन्ट सरकार क्यों छिपाना चाहती थी। इसके पीछे राज क्या था? एफ० आई० आर० गलत, अध्यक्ष महोदय, कमीशन ने यह स्वीकार किया? जो बुलेट अकाउन्ट का रजिस्टर था, वह गलत, उसमें काटा पीटी, ओवर राइटिंग, कमीशन ने स्वीकार किया। रोजनामचा की एन्ट्री गलत इसको कमीशन ने स्वीकार किया, अस्पताल में एडमिशन रजिस्टर में इन्द्राजात गलत, बैड टिकिट्स के इन्द्राजात गलत, मोटरों की लॉग बुक्स में इन्द्राजात गलत और ओवर-राइटिंग किये हुए, इमर्जेन्सी वाईस के रजिस्टर की एन्ट्रियां गलत, लॉग बुक्स की एन्ट्री गलत, ये सब की सब बातें कमीशन ने स्वीकार की। सरकार उनको सबको छिपाना चाहती थी। इसलिये सरकार की तरफ से पैरवी की गई कि ये डॉकूमैन्टस नहीं बताये जावें। नहीं तो लोग देख लेंगे और असलियत खुल जावेगी।

अध्यक्ष महोदय, यह असलियत तो सामने आ गई कि राजस्थान के सरकारी अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने सारे रिकार्ड्स में टेम्परिंग किया, फोर्जरी की, रिकार्ड को बदला गया, फरजी तैयार किये गये, नये डॉकूमेन्ट्स बनाये उनमें ओवर-राइटिंग किया। मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज पुलिस के पास में जो एफ० आई० आर० है वह उसका मेन डॉकू-मैन्ट माना जाता है। बेसिक डॉकूमैन्ट गिना जाता है, लोगों को उन डाकूमैन्ट्स पर विश्वास होता है, अब अगर उस एफ०आई० आर० को ही टैम्परिंग किया जाकर अस-लियत को छिपाने की कोशिश की जाती है तो फिर एफ०आई०आर० का क्या महत्व रह जावेगा? पुलिस प्रोसीक्यूशन का क्या महत्व रहेगा। कमीशन ने इस पर बड़ा खेद प्रकट किया और कहा कि सरकार के रिकार्ड टेम्पर्ड हैं, फोर्जड हैं, विश्वासनीय नहीं हैं। कमीशन की जाँच के समय वे कोई परपज सर्व करने वाले नहीं।

अब मैं पूछता हूं अध्यक्ष महोदय, कि क्या ये सारे रेकार्ड फरजी बनाये गये तो एक आदमी ने बनाये? माणक चौक के थाने में बैठा हुआ थाना इन्चार्ज एफ. आई. आर. को गलत बना देगा? और खास करके उस समय जब कि उसकी भी गरदन पर तलवार लटक रही थी कि हो सकता है विरोधियों की सरकार बन जावे। आप यह समझ रहे थे कि बिना आपकी सलाह के वह एफ. आई. आर. गलत बन सकती थी और दूसरे सारे रेकार्ड गलत बन सकते थे, फोर्जड् बन सकते

(श्री भैरोंसिंह)

थे, टेम्पर हो सकते थे जब कि उन सबके सिर पर भी तलवार यही लटक रही थी कि सत्ता में विरोधी दल भी आ सकता है। पर उस समय अफसरों को इस तरह की हिम्मत कतई नहीं हो सकती थी कि वे इस तरह से रेकार्ड को गलत बनावें या उसके साथ टेम्परिंग करें या फोर्जरी करें। इस पर से अध्यक्ष महोदय यह निर्विवाद रूप से कान्क्लूजन निकलता है कि मंत्रीमण्डल ने बैठकर सारे इस रेकार्ड के डिफेन्स को एडजस्ट करने के लिये, पुलिस को बचाने के लिए, ऐडमिनिस्ट्रेशन को बचाने के लिये—इस रेकार्ड का टेम्परिंग कराया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इंडियन पैनल कोड की धारा खतम हो गई—मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं एक महीने से इस रिपोर्ट पर कबूतर जैसे अन्डे पर बैठता है, वैसे बैठे हुये हैं। क्या किसी अधिकारी के खिलाफ ऐक्शन लिया ? नहीं लिया और कहते हैं हम माने या न माने यह हमारी मरजी की बात है—आपकी मरजी की बात है तो इसे आग लगादें....

श्री विजयसिंह : हम मना देंगे ......

श्री भैरोंसिंह : मनाने की बात नहीं है—जो कमीशन की फाईन्डिग होगी जिस कमीशन की नियुक्ति हुई थी उसमें हाई कोर्ट के जजेज ने इस कमीशन में काम करने से इन्कार किया—इन्होंने कहा जो भी फाइन्डिग होगी उसको हम स्वीकार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं इस सदन में एक मोटी बात कहना चाहूंगा और वह यह है कि यह सब फाईन्डिग और ये सब कुछ क्या कमीशन कहता है—कमीशन की फाईन्डिगस हैं, मैं सुनाना चाहता हूं:—

"All this happened because the restrictions under sec. 144 Cr. P. C. were removed in undue haste and no follow-up action was taken and the District Superintendent of Police says he went away and shri G. L. Tiwari Dy. S.P. and Shri Narendra Kumar S. H. O. the two local police officers also disappeared from the scene leaving the R. A. C. and the R. A. C. parties unfamiliar with Jaipur and its people to engage themselves in fighting the people with stones, lathies and then with bullets. When Police force so heavily armed and so strange to the situation was posted at Johari Bazar it was the bounden duty of the higher police officers to supervise their activities and there was no dearth of them. Left to themselved they employed the bullets as and when and where they liked. If the restrictions under S. 144 Cr. P. C. were moved with a planned follow up action, the 7tn March tragedy in Johari Bazar could have been averted. The senior officers did not prohibit the police from indulging in stones

(श्री भैरोंसिंह)

pelting and the ranks indulged in it extensively very probably in retaliation and when they started losing this battle they took resort to their rifles." कारण इसमें मोटे रूप से एक निकला कि सारी घटना 7 तारीख को क्यों? इसके पीछे कमीशन ने यह माना—दो चीजें इसमें प्रमुख हैं एक चीज यह है कि 144 की धारा हटाने का निर्णय जल्दी में लिया। अध्यक्ष महोदय, 144 की धारा का निर्णय किसने लिया, कब लिया, क्यों लिया, यह कमीशन का प्रतिवेदन अपने आप में बताता है लेकिन मैं इस सदन को बताना चाहता हूं महारानी गायत्री देवी 6 तारीख को दिल्ली गई और वहाँ गृह मंत्री जी से मिली उनको इस बात का विश्वास दिलाया कि जयपुर में धारा 144 हटा दी जाय तो शान्ति और व्यवस्था स्थापित हो सकती है। गृह मंत्री जी ने उनको एश्योरेन्स दिया। राजस्थान के मुख्य मंत्री जी से उन्होंने बात कही—मुख्य मंत्री जी को गृह मंत्री जी का टेलीफोन आया तो मुख्य मन्त्री जी ने आइ० जी० पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी को और कलेक्टर को बुलाकर कहा कि धारा 144 हटा ली जाय धारा 144 हटाने की बात केन्द्रीय मंत्री जी ने कही इस लिये हटा ली जाय। उस कलेक्टर ने 7 तारीख को यह कहा—There is a complete lull in Johari Bazar. हॉलांकि हालत ऐसी थी अध्यक्ष महोदय, उस दिन लाठी चार्ज हुआ, उस दिन डी० पी० को जलाया गया, उस दिन लोगों को पकड़ा गया और उस दिन टीयर गैस का प्रयोग किया गया। ये सारे इन्सीडेन्ट्स उस दिन हुये। आई० जी० चीफ मिनिस्टर और कलैक्टर तीनों मिलकर कहते है धारा 144 हटा ली जाय, सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि धारा 144 हटा दी गई ऑल इन्डिया से प्रसारित हुआ और सेन्टर जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार में 2200 पुलिस के ऑफिसर जिनके पास रायफिल्स थीं, टीयर गैस थी स्टेन गन थी। 2200 पुलिस वाले यहां पोस्टेड थे, झगड़ा हो रहा था पुलिस सरकार के कहने के अनुसार चले, कमीशन के टीयर गैस का प्रयोग किया गया और कहते हैं There is lull. और इसलिये धारा 144 हटाई रेडियो में अनाऊन्समैन्ट किया अनाऊन्समैन्ट के बाद पुलिस हटी नहीं लोगों को दुकान से नहीं निकलने दे, बाजार में नहीं आने दें, गलियों में नहीं निकलने दें। लोगों ने कहा धारा 144 हटा दी और इस विवाद को लेकर जनता को भून दिया गया। आज इसका जिम्मेदार कौन है? धारा 144 और इसको हटाने के लिये राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाडिया आज आप कहते हैं कि कोई कान्सपिरेसी नहीं है डिस्ट्रिक्ट ऐडिमिनिसट्रेशन क्या इसमें मुख्य मंत्री जी की कान्सपिरेसी नहीं है? राज्यपाल महोदय और राजस्थान के प्रशासन की कान्सपिरेसी है। आपने कहा राष्ट्रपति के काम को हम चुनौती नहीं दे सकते इसलिये कान्सपिरेसी पर जांच नहीं कि जा सकती है। यह पतन की पराकाष्ठा है सुखाड़िया सहाब का स्तर इतना गिर गया है कि कान्सपिरेसी करके गोलिया चलाई गई गोरधन शर्मा को बुलाकर कहते हैं जयपुर में इस प्रकार की स्थिति पैदा हो, एस० पी० सिंहा को बुलाकर कहते है इस प्रकार कि घटना जयपुर में होनी चाहिये यह चार्ज लगाये बिना अध्यक्ष महोदय मैं नहीं रह

(श्री भैरोंसिंह)

सकता। आपने धारा 144 हटाकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि गोलियां चलें।

धारा 144 हटाने से पहले महारानी गायत्री देवी ने कहा था कि जयपुर में धारा 144 हटाने के साथ साथ शान्ति और व्यवस्था स्थापित हो जायगी। महारानी जी की सर्विसेज को एक्सप्लाइट करना चाहिये और जिस समय वे जयपुर में आती हैं तो उस समय उनको सूचना मिलती है कि जयपुर में गोलियां चल गई। धारा 144 के हटाने के बाद तुरन्त गोलियां चली……

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं बस खतम करता हूं। इस कमीशन ने कहा अध्यक्ष महोदय, कि कुछ कारण हो गये जिनसे मिलावट मालूम हो गई:

"I have found that there was the (i) failure to round up the known mischief mongers as per District Administrations'own law and order scheme(Ex-G/69);(ii)failure to maintain control room roznamcha; (iii) failure on the part of the Ajmeri Gate Police out post to take steps to save the Soochna Kendra,……."

कानून है जिस समय शान्ति और व्यवस्था की बात आये कहते हैं बदमाशों को पकड़ लो लेकिन इस समय नहीं पकड़ा, कन्ट्रोल रूम का रोजनामचा मेन्टेन नहीं किया गया, अजमेरी गेट की पूलिस को, सूचना केन्द्र को बचाने के लिये पहले संकेत कर दिया था—इस पर कोई स्टेप्स नहीं लिये। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय:

(iv) Posting of Agra police and so many heavily armed police pickets in Johari Bazar, (v) excessive tear gassing in Johari Bazar lanes on the 7th March, (vi) undue restrictions of the people in Johari Bazar, (vii) hitting of the ambulance; (viii) disappearance of the senior police officers from the Johari Bazar; (ix) loss of extra bullets in the Sawai Mansingh Hospital, and (x) lack of co-ordination and follow-up action, action after withdrawal of restrictions under S. 144 Cr. P. C."

ये कुछ कारण हैं जिनके कारण से यह सब कुछ हुआ। मैं अन्त में यह कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि मेरा और मैं समझता हूं विरोधी दल का इस सरकार में कोई विश्वास नहीं हैं। इस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं यह निश्चित रूप से मानकर चलता हूं कि यह सरकार कानून से नहीं चलती है, मैं यह निश्चित रूप से मानकर चलता हूं कि सरकार कानून की भाषा को नहीं समझती है, मैं यह निश्चित मान्यता लेता हूं कि सरकार केवल कानून का ढोंग रचती है, मैं इस बात को मानकर चलता हूं कि सरकार के सामने मिन्नतें करने से जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता, इस सरकार को तो अपनी भाषा में ही समझाना पड़ेगा जिस भाषा में सरकार

(श्री भैरोंसिंह)
समझती है उसी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा । मै भारत सरकार में इस सदन के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि राजस्थान का पूरा मंत्रीमण्डल जिसके हैड राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाडिया हैं जिनकी खुद की गलतियों के कारण और खुद के लैप्सेस के कारण जयपुर में जौहरी बाजार में गोलीकाण्ड हुआ है उस सरकार से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि इस बैरी कमीशन की रिकमन्डेशन सरकार इम्पलीमैन्ट करेगी । इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि समय रहते भारत सरकार इस सरकार में भरोसा नहीं करते हुए एक ही राजस्थान हाईकोर्ट के जज की नियुक्त करे जो कि अपने सुपरवीजन में इन सारी रिकमन्डेशन्स को जो बैरी कमीशन ने दी हैं उनको इम्पलीमैन्ट कराये । यदि यह रिकमन्डेशन इम्पलीमैन्ट नहीं की गई तो हम तो चुपचाप इसको सहन कर लेगें आप गोलियाँ चलायें हम खायेगें, लाठी चलायें, हम खायेगें टीयर गैस छोड़े उसको सहन कर लेंगे लेकिन दामोदर जी हम आपको सुख शांति से नहीं सोने देगें । एक एक गोली का बदला, एक एक एक लाठी का बदला लोकतांत्रिक ढंग से जो संविधान ने हमको दिये हैं आपकी छाती पर खड़े होकर अपना गुस्सा निकालेंगे और महलों में बैठकर राजस्थान की जनता के पैसों को खर्च नहीं करने देंगे ।

अध्यक्ष महोदय, अंत में इस सदन से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा क्यों कि यह सदन ही सावरेन है कि यदि लोकतंत्र को बचाना है, यदि पुलिस के अन्याय से राजस्थान की जनता की रक्षा करनी है तो एक जुट होकर—चिंता इस बात की छोड़े कि कौन कांग्रेसी है और कौन कांग्रेसी नहीं है और एक बात दिमाग में लेकर चलें । मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी मंत्री से मित्रता नहीं है, मैं किसी मंत्री का दुश्मन नहीं हूं, मैं किसी मंत्री के खून का प्यासा नहीं हूं लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसे निकम्मे मंत्रीमण्डल का जिसने लोकतंत्र को बदनाम करने की गरज से जयपुर में खुन की होली खेली है उस मंत्रीमण्डल को आराम से नहीं बेंठे रहने दिया जाये । मैं निवेदन करना चाहूंगा भारत सरकार से इस सदन के माध्यम से कि लोकतंत्र को जीवत रखने के लिए एक साथ हो यदि हमारा लोकतंत्र खतम हो रहा है, यदि गोली चलाने वाले कातिल, गोली चलवाने वाले कातिल और गोलीकाण्ड में मदद करने वाले कातिल यदि शासन करते हैं तो लोकतंत्र नही बच सकता । उसको बचाने के लिए इस सरकार के ऊपर दबाव डालें कि इस जुडीशयल कमीशन की नियुक्ति करके सब समस्याओं का निराकरण किया जाये वर्ना जो होगा हम आगे देखते जायेंगे और भगवान हमारी मदद करेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी

श्री पी०के०चौधरी(फुलेरा): अध्यक्ष महोदय मैं गवर्नर महोदय के अभिभाषण के ऊपर कुछ बोलने से पहले जयपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो बैरी कमीशन के संबंध में जो बातें उठाई है उनके ऊपर कहना चाहूंगा । बैरी कमीशन के जो उदाहरण उन्होंने दिये और बातें उन्होंने रखी हैं उसमें विरोधी दलों का जो खास मुद्दा था कि गोलियां चलवाई गई थीं और पॉलीटिकल मोटिव्स मे चलवाई गई थीं वह कमीशन की रिपोर्ट से कहीं भी साबित नहीं होता है …

श्री भैरोंसिंह : उसके टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में यह बात नहीं थी ।

श्री पी० के० चौधरी : टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में तो नहीं थी लेकिन जो अखबारों में विरोधी दलों ने बात रखी थी कि पॉलीटिकल मोटिव्स से गोली चलाई गई वह बात कमीशन की रिपोर्ट से साबित नहीं होती है ।

श्री भैरोंसिंह : बैरी कमीशन की रिपोर्ट में एक बात भी बता दें कि फॉयरिंग पालीटिकल मोटिव से नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष : कन्टीन्यू

श्री पी० के० चौधरी : मैं तो कह रहा हूं कि राजस्थान में इस प्रकार का वातावरण बनाया गया था कि कांग्रेस वालों ने गोली चलाई है, यह भूमिका बनाई गई थी अखबारों में और बैरी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जो थ्यॉरी डवलप की गई थी उसका बाटम नहीं रहता है । याने बेरी कमीशन की रिपोर्ट से साबित नहीं होता है कि पॉलीटीकल मोटिव से गोलीकाण्ड हुआ । गोलीकाण्ड हुआ यह सही है लेकिन इसके पीछे कोई पॉलीटिकल मोटिव था या कांग्रेस वालों ने गोली चलवाई है यह दोनों ही बातें उससे साबित नहीं होती हैं । जब यह साबित नहीं होता है तो इसको इमोशनल एप्रोच देकर चलना मैं उचित नहीं समझता हूं और मैं मानकर चलता हूं कि बैरी कमीशन की रिपोर्ट में जो भी पढ़ेगा और 7 मार्च के फॉयरिंग के बाद से आज तक आपकी जो पेपर पब्लिसिटी है याने मीटिंगों में जो आपके भाषण वगैरह थे उसमें जिस तरह से इन्सीडेन्ट को कान्स्ट्रयु (Construe) करने की काशिश की गई थी वह साबित नहीं होता है । तो मैं तो समझता हूं कि जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है हमारी पार्टी के ऊपर बात नहीं आती है लेकिन यह जरूर है कि उसके ऊपर कन्सट्रक्टिव रेस्पॉन्सीबिलिटी हो सकती है लेकिन किसी प्रकार की मोटिवीटी इन्टेन्शन नहीं हो सकती है ।

(1. 27 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई उपाध्यक्ष पदासीन)

मैं समझता हूं कि मैं आपको यही जवाब दे सकता हूं 'There were no motives.' इन्सीडेन्ट हुआ है इसको आपने भी माना है और कमीशन ने भी माना है कि आर० ए० सी० के लोग थे "They were not acquainted with the situation" किसी के इशारे से नहीं हुआ है यह साबित हुआ है । और पॉलीटिकली वी आर फी पॉलीटिकली हम एग्जोनरेटेड हो जाते हैं । एडमिनिस्ट्रेशन के किसी यूनिट ने गलती की है और जहां तक उसके लिए एक्शन का सवाल है गवर्नमैन्ट उस पर एक्शन लेगी । ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल(जोहरी बाजार जयपुर) : आपके क्या सजेशन्स हैं । आप भी पढ़े लिखे हैं, आपका रेशनल एप्रोच रहा है । आपने रिपोर्ट पढ़ी है, आपको किसी बात का डर नहीं है आप कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं । क्या कांग्रेस का नाम ऊंचा होगा कि जो बैरी आयोग ने प्रासीक्यूशन और ऑफेन्डर्स के लिए लिखा है, कम्पन्सैशन के बारे में लिखा है, डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स के बारे में लिखा है, फोर्ज्ड डॉकुमैन्टस के बारे में लिखा है उनके लिए आपका क्या कहना है ? इस गवर्नमैन्ट को क्या एक्शन लेना चाहिए यह तो आपको कम से कम कहना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
चाहिए You are an important member of this House.

श्री पी० के० चौधरी : मेरा जवाब यह है कि जो थ्यॉरी आपने डवलप की है This party is politically motivated in this case.

वह आपकी थ्यॉरी है

That is not true.

बेरी कमीशन की रिपोर्ट में यह जरूर साबित होता है कि ऑफिसर्स ऑन दी स्पॉट ने इनडिस्क्रिमिनेटरी वर्क किया है।...

श्री भैरोंसिंह : कमीशन ने फिक्स कर दिया है कि जिन्होने जौहरी बाजार में फॉयरिंग किया है उनको प्रासिक्यूट किया जाये।

श्री पी० के० चौधरी : गवर्नमैन्ट जो एप्रोप्रियेट एक्शन जो होगा वह लेगी ।

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्नमैन्ट का वर्णन नहीं सुना है अभी शुरूआत की है ।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमैन्ट अपने वर्णन का कभी कांग्रेस पार्टी में विचार नहीं करती ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो इनकी बात की कभी ताईद नहीं करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : पी० सी० सी० के सेक्रेटरी को भी पता नहीं है कि गवर्नमैन्ट क्या कर रही है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्नमैन्ट का जो एक्शन है वह सीक्रेट है ।

श्री भैरोंसिंह : वह आप चौधरी जी को भी नहीं बतायें ।

श्री पी० के० चौधरी : गवर्नमैन्ट को जो कुछ भी एक्शन लेना होगा वह एप्रोप्रियेट एक्शन लेगी । लेकिन मैं आपको इस बात के लिए कहता हूं कि पालिटीकल जो थ्यॉरी डवलप की थी कि There were political motives behind the firing यह दोनों बातें उसमें साबित नहीं होती हैं । That falls to the ground.

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय के अभिभाषण के ऊपर आता हूं । जहां तक जयपुर के माननीय सदस्य ने कहा कि गवर्नर महोदय का अभिभाषण......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी लीपापोती की आदत पहले तो नहीं थी । यह बीच में आप छुट्टी पर चले गये तो सब भूल गए । दामोदर जी तो आपसे डर गए और सुखाड़िया जी के बर्टरिंग लगा दी ।

श्री पी० के० चौधरी : मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है वह आपसे सीखना नहीं चाहूंगा । मुझे नहीं बोलना है वह नहीं बोलूंगा और जो कुछ बोलना है वह कहूंगा चाहे आप कितना ही इन्स्टीगेट करने की कोशिश करें ।

जहाँ तक उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब के अभिभाषण में आने वाले साल के लिए किसी प्रकार का संकेत नहीं है, तो ऐसी बात तो नहीं है । आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ेगें तो एग्रीकलचर में क्या प्रगति करना चाहते हैं, इर्रीगेशन में हमने क्या प्रगति की है और आने वाले साल में कितनी करना चाहते हैं, पावर में काफी

(श्री पी० के० चौधरी)
प्रगति की है और आने वाले साल में कितनी प्रगति करना चाहते हैं, ये सारी बातें हैं। यह बात मैं मानता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आने वाले साल के लिए हर एक सेक्टर का 'इंगित' मिलना चाहिए, इशारा मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है। खास तौर से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो बातें यहाँ पर रखना चाहूंगा।

पहले मैं शिक्षा के सम्बन्ध में रखना चाहता हूं। शिक्षा के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने जो पिक्चर हमारे सामने रखी है, मैं आपका ध्यान उनके अभिभाषण के पेज 10 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। शिक्षा की जो प्रगति हुई है उसमें 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों की प्रतिशत पिछले वर्ष में 54.5 थी और इस बार 56.5 हुई है, और 11 से 14 वर्ष की आयु में यह प्रतिशत पिछले वर्ष 22.9 से बढ़ कर 23.3 हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो प्रगति है उसको मैं सन्तोषजनक नहीं मानता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारे डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल्स आॅफ स्टेट पॉलिसीज हैं उनमें यह कहा गया है कि कम से कम कॉन्स्टीट्यूशन के अमल में आने के 10 साल के अन्दर-अन्दर हम फ्री एण्ड कम्पलसरी एज्यूकेशन अप टू दी एज ऑफ 14 करेंगे। उस आर्टिकल में यह लिखा है—

"The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."

अब, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हमारी प्रगति की रेट है, यह जो 6 से 11 वर्ष तक की आयु की प्रगति की जो रेट दी गई है वह दो पर्सेन्ट पर ईयर है। उस रेट से 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा का काम पूरा करना चाहें तो इस रेट से 17 साल लगेंगे। तो इसी प्रकार से जो 11 से 14 साल के बच्चों की एज्यूकेशन का सवाल है जिनको हम अपर प्राइमरी एज्यूकेशन या मिडिल स्कूल कहते हैं उसकी आज की स्थिति जैसी उन्होंने बताई है वह 22.9 पिछले साल थी और इस साल 23.3 यानी पाइंट 4 पर्सेन्ट एन्युअल रेट ऑफ प्रोग्रेस है। 0.4 पर्सेन्ट एन्युअल रेट ऑफ प्रोग्रेस से हम फ्री एण्ड कम्पलसरी एज्यूकेशन करना चाहते हैं 14 साल की उम्र तक जो रेट है उसके हिसाब से 191 ईयर्स लगते हैं। 191 ईयर्स में हम 14 साल के बच्चों को फ्री एण्ड कम्पलसरी एज्यूकेशन देना चाहते हैं, तो इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि यह तो रेट ऑफ प्रोग्रेस है वह नाकाफी है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने अपने अभिभाषण में यहां पर लिखा है कि पिछले साल हाई स्कूल हमने 196 खोले थे और मिडिल स्कूल 96 खोले थे यानी हमारी जो एप्रोच है वह लॉप साइडेड है। होना तो यह चाहिए था कि मिडिल स्कूल ज्यादा खोलने चाहिए और हाई स्कूल्स का प्रोपोर्शन मिडिल स्कूल से कम होना चाहिए, लेकिन पिछले साल हम देखते हैं कि 196 हाई स्कूल्स खोले गये और 96 मिड़िल स्कूल्स यानी अपर प्राइमरी स्कूल्स जिनको कहते हैं वे खोले गये हैं। तो

(श्री पी० के० चौधरी)

मैं समझता हूं कि गवर्नमैन्ट को शिक्षा के क्षेत्र में तो कम से कम हमारे जो डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, और कोशिश यह होनी चाहिए कि, 14 साल की उम्र तक फ्री एण्ड कम्पलसरी एज्यूकेशन है उसको कर सकें और कम से कम जो आज का रेट है उस रेट से नहीं चलें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ऑल इंडिया का जो लेवल था थर्ड प्लान में प्राइमरी एज्यूकेशन का वह 78.5 परसैन्ट और अपने यहां 54.5 पिछले साल था तो ऑल इंडिया का लेवल जो 78.5 परसैन्ट था उसको हम 1971 तक 92.2 परसैन्ट तक ले जाना चाहते हैं। अगर हम को ऑल इंडिया के बराबर चलना है तो हमारा जो रेट ऑफ प्रोग्रेस है उसको चेन्ज करना पड़ेगा। एज्यूकेशन में हम एम्फेसिस ज्यादा हाई स्कूल्स पर देते हैं और वह खोल देते हैं और मिडिल स्कूल्स जो जरूरी होते हैं उनको कम खोलते हैं, इस पॉलिसी को बदलना पड़ेगा। जो कम से कम डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल्स हैं उनको हम मान्यता दें और उच्च प्राइमरी एज्यूकेशन जिसको हम कहते हैं, 14 साल की उम्र तक के बच्चों की जो शिक्षा है उसको हमें पूरा करना चाहिए।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि यदि इस रेट से हम चलेंगे तो 11 से 14 ईयर्स की शिक्षा पूरी करने में 191 ईयर्स लगते हैं और यह लॉप-साइडेड प्रोग्रेस है उसको रेक्टिफाई करना जरूरी है! इसलिए मैं चाहता हूं कि आने वाले बजट में जो एज्यूकेशन का बजट होगा उसमें पिछले साल जो डिस्पेरिटी की गई है और आज तक का जो रेट है उसमें चेन्जेज लाने की गवर्नमैन्ट कोशिश करेगी और शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम हमारी प्रगति और अच्छी हो सके इस तरफ ध्यान देगी।

जहां तक इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन का सवाल है, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो प्रोग्रेस हमारी है उसको मैं काफी नहीं मानता हूं। इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के पेज 17 पर कहा है कि 1954-55 में लगभग 65 करोड़ का योगदान था इन्डस्ट्रीज की तरफ से और यह बढ़कर दुगना हो गया है यानी आज के साल में 131 करोड़ हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में एक बात कहना चाहूंगा कि 1954-55 का जो प्रोडक्शन था 65 करोड़ का और आज का जो प्रोडक्शन है उसमें पहले से आपको मालूम होता है दुगुना हुआ है, लेकिन हम उस समय की और पिछले साल की प्राइस इन्डेक्स लेते हैं और 52-53 की प्राइसेज को 100 मान कर चलते हैं तो आज जो प्राइस इन्डेक्स है वह करीब-करीब दुगुना हो गया है, 54-55 से प्राइस इन्डेक्स दुगुना हुआ है............

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कोरम नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, जरा देख लें। दो-तीन आदमी ही हैं।

श्री पी० के० चौधरी : 1954-55 में...

श्री मनोहरसिंह मेहता : 17 हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

(गण-पूरक-घंटी)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (श्री गिरधारी लाल व्यास के आने पर): व्हिप महोदय ही खुद लॉबी से चले आ रहे हैं तो और कहां से आयेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप लोगों की भी तो कमजोरी है। आप लोगों को भी तो यहां बैठना चाहिए।

श्री जयनारायण खालोदिया : आपके प्रतिशत से तो ज्यादा बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्रीज में यह जो प्रोग्रेस बताई गई है 54-55 की तुलना के अन्दर इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वह दुगुना हो गया है वह फैलेसियस है। 1954-55 और पिछले साल के प्राइस लेवल की बात कहना चाहता हूं। 1954-55 का प्राइस लेवल होलसेल प्राइस इन्डेक्स 207 है। उसको बेस मानकर चलते हैं तो जो 131 करोड़ का प्रोडक्शन है उसकी एक्चुअल्ली 1954-55 की वेल्यू लेते हैं तो उसकी रियल वेल्यू आधी होती है, तो इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन की वेल्यू ज्यादा बढ़ी हो उसको मैं नहीं मानता हूं। वेल्यू एडेड टू मैन्यूफैक्चरिंग इन्डस्ट्रीज जो ऑल इन्डिया की हुई है वह 384 करोड़ 1966 के प्राइस लेवल को लेते हुए वह जाकर 65-66 में 1434 करोड़ का हुआ है 60-61 के प्राइस लेवल को लेते हुए यानि उनका जो 1950-51 में जो प्रोडक्शन था उसमें कम से कम 3-4 गुना ऑल इंडिया का इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन है वह बढ़ा है। उस तुलना में हमारा जो डबल हुआ है वह करेन्ट प्राइसेस से डबल हुआ है। उससे हमें सन्तुष्ट नहीं बनना चाहिए और न इसमें सन्तोषप्रद कोई बात है। इसलिए मैं चाहूंगा, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन की तरफ हमको और अधिक ध्यान देना चाहिये। दूसरी बात मैं उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सिलेक्टेड इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन हैं, वह खासकर राजस्थान में होता है। वह चार गुना हुआ है। जबकि राजस्थान में डबल बताते हैं। जबकि रीयल प्राइस में ज्यादा मानते हैं। यह बात सही है कि कोटा में कुछ प्रोग्रेस हुई है। लेकिन राजस्थान में स्मॉल स्केल इन्डस्टीज हैं, उनका प्रोडक्शन कम हुआ है। बहुत सी इन्डस्ट्रीज में कम हुआ है। यह मान कर चलते हैं कि हमारा जो इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ है या हो रहा है, वैल्युएबिल मान कर नहीं चलते हैं। उदयपुर में जिंक स्मेल्टर है, उसमें कोई तरक्की नहीं हुई है। पिछले दिनों स्मॉल इन्डस्ट्री कई बन्द हुई हैं। उनकी कन्डीशन अच्छी नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार को इन्हें तुरन्त सुधारने के लिए कोशिश करनी चाहिए।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं लैंड रिफॉर्म के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हमें ताज्जुब हुआ है कि लैंड रिफॉर्म में, पेज 23 में, राज्यपाल ने कहा है कि सुधार हुआ है। अफसोस की बात है कि उसमें सीलिंग का कोई जिक्र नहीं किया है। मैं मानता हूं कि उसमें सीलिंग का जिक्र आना चाहिए। लेकिन लैंड रिफॉर्म का जिक्र है। तो सीलिंग का राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र नहीं करना ठीक नहीं होगा। दूसरी बात, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कही है, .42 लाख एकड़ भूमि अनुसूचित जनजाति को दी गई है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आप की जो प्रोब्लम है, उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो भूमि अलॉट हुई है उसमें

(श्री पी. के. चौधरी)

80 परसैंट भूमि हरिजनों को अलॉट नहीं हो पाई है। हरिजनों को कागज में भूमि अलॉट की गई है। फिजिकली कब्जा नहीं दिया गया है। जहां भी हम जाते हैं, हरिजनों में यह असन्तोष पाते हैं। उनके बीच में, यह सही है कि 35 लाख एकड़ भूमि बाँटी है लेकिन यह अन्यों को मिली है जो गैर हरिजन थे। यह हरिजनों के नाम से हरिजनों को नहीं मिली है। मैं चाहूंगा कि इसकी जांच की जाये। सही माने में उनको कौन सी जमीन मिली है। आज हरिजन इसको बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। उनको रिलीफ नहीं मिली है। उनमें असन्तोष है। जैसा कि तेलंगाना में कम्युनिस्टों ने किया है। हम कहते हैं कि वह कम्युनिस्ट बदमाश हैं। और उनका पॉलिटिकल मोटिव था। लेकिन जब वह तेलंगाना में था तो कम्युनिस्टों ने उसका फायदा उठाया। वहां डिस्पैरिटी थी तभी तो फायदा उठाया। मैं सरकार से कहूंगा कि कम से कम जाँच कराई जाये कि हरिजनों को जमीन कितनी मिली। कितने कब्जे हुये हैं। दूसरी बात यह है कि आजकल सरकार ने अनआॅथेराइज्ड कब्जे कानूनी बना दिये हैं। लैंड अलॉटमैन्ट कमेटी भी बालाये ताक रख दी गई है। जो अनआॅथराइज्ड अकुपेशन्स थे, उनको हिसाब से तहसीलदार ने रेगुलराइज कर दिया है। हमारे पास ऐसे भी उदाहरण हैं कि जमीन जो हरिजन के नाम से है और जो कि ट्रान्सफर नहीं हो सकती है जो कि हरिजनों के नाम से दी गई थी लेकिन वह दूसरों के नाम पर रेगुलराइज हो रही है। यह सीरियस है, यह मैं मानता हूं। हमारा राजस्थान का कानून किसी भी स्टेट से ज्यादा प्रोग्रेसिव है। ज्यादा से ज्यादा हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। जब हम गाँवों में जाते हैं तो देखते हैं कि हरिजनों में एक प्रकार से जो फीलिंग आनी चाहिए, वह फीलिंग नहीं आई है। उनका एक्सपैक्टेशन था, वह फीलिंग नहीं हुई है। आज गांव के और काश्तकार इस बात से इन्कार नहीं कर सकते हैं। काश्तकारों में फीलिंग है कि आजादी आई है। उनके लिये आजादी आई है। डवलपमैन्ट का फायदा उनको मिला है। लेकिन यह फीलिंग हरिजनों में नहीं आई है। इसके लिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक कोटेशन देना चाहूंगा ड्राफ्ट प्लान से—

"The test of earnestness about socialism the critical effort made in imparting confidence to every citizen that he is at once the participant and the beneficiary of development which implies both sacrifices and rewards."

याने हरिजनों के अन्दर यह फीलिंग लाई जानी चाहिए He is a participant in both benefits and sacrifices. तब तक वह बैनीफिट में पार्टीसिपैन्ट हैं यह महसूस नहीं होता है जब तक उनकी इकॉनामिक स्थिती को सुधारने के लिए कुछ नहीं करते हैं। आपने केवल यह किया है कि उनके ऊपर जो सोशल रेस्ट्रिक्शन्स थे, उनको रिमूव करने के लिए कानून बना दिया है। छूआछूत नहीं होनी चाहिए, इसका कानून बना दिया है। आज उनको हमारे साथ बैठने की छूट है, और सब बातें हैं लेकिन उनकी इकॉनामिक कन्डीशन नहीं सुधरी है।

(श्री पी॰ के. चौधरी)

There is a problem coming before them.

दूसरी प्राब्लम यह कि जब हम गांवों में जाते में तो हरिजन हमसे कहते हैं कि पहले हम चरस बनाते थे, उससे हमारा काम चलता था, लेकिन अब कुओं पर बिजली देना शुरू कर दिया है तो कोई चरस काम में नहीं लेता है। इसी तरह उनका ट्रेडीशनल प्रॉफेशन था जूते बनाना, लेकिन अब उनके बनाये हुए जूते कोई पसन्द नहीं करता है, लोग अब बाटा का शू पसन्द करते हैं, फ्लेक्स का शू पसन्द करते हैं। इसलिए इस पर्टीक्यूलर सैक्शन ऑफ पिपुल के सामने जो यह प्रोबलम्स हैं इनको आपको डीपली स्टडी करना चाहिए। आज हम गांवों में जाते हैं तो वह हमको कहते हैं कि पहले हम चरस बनाते थे, उससे हमारा काम चलता था, चरस की रिपेयर करने से हमारा काम चलता था लेकिन अब गांवों में, कुओं पर बिजली लग गई है तो चरस को काम में लेना बन्द कर दिया है They are well off. They have improved. इसी तरह वह लोग जूते बनाते थे तो उनके बनाये हुये जूते लोग पहनना पसन्द करते थे लेकिन आज बाटा का जूता और फ्लेक्स का जूता पहनना लोग पसन्द करते हैं। तो यह जो वर्क हैं, इनके काबिल वर्क हैं उनको आपको सीरिअसली स्टडी करना चाहिए। उनके सामने आज आकूपेशनल प्रोबलम क्रियेट हुई है, उसमें डीप जाना चाहिए। उसमें डीप नहीं जाने से हमारे सामने सरकार की कम्प्लीसैन्स आई है कि हमने एक कानून बना दिया है, हरिजनों के ऊपर जो सोशल रेस्ट्रिक्शन्स थे, उनके ऊपर जो सामाजिक प्रतिबन्ध थे, उनको हटा दिया है, उससे वह लोग खुश हो गये हैं। लेकिन इस सब से उनको संतोष नहीं हो पाता है। मैंने यह देखा है गांवों के अन्दर कि उनके अन्दर ज्यादा डिस्कन्टेन्टमैन्ट पैदा हो रहा है और मैं मानता हूं कि इन प्राबलम्स को आप अच्छी तरह टैकल नहीं करेंगे तो डिस्कन्टेन्ट-मैन्ट और ज्यादा पैदा होगा। आज लैंडलैस हरिजनों को जमीन नहीं दी गई है, और जिनको जमीन दी गई हैं उन जमीनों पर सवर्ण लोग या दूसरे लोग उनके साथ मारपीट करके कब्जा कर लेते हैं और उनको एक्चुअली कब्जा नहीं करने देते है। यह भयंकर स्थिति है। इसलिए हम गवर्नमैन्ट से मांग करेंगे कि हरिजनों की यह सीरिअस प्रोबलम है। हरिजन लोग आज भी दबे हुए हैं, उनकी यह प्रोबलम है। वह गांवों में देखते हैं कि ऐसे काश्तकारों की कितनी तरक्की हुई जिनके पास जमीन थी They have improved. वे वैल ऑफ हुए हैं हरिजन यह महसूस करते हैं कि आज भी हमारी यह स्थिति है कि हमारे पास जमीन नहीं है। उनको जमीन एलॉट भी होती है तो उनको कब्जा नहीं मिलता है। मैं यह मान कर चलता हूं कि जितना लैंड का एलॉटमैन्ट करते हैं उनके लिए चाहे अलॉटमैन्ट कमेटी बनी हों, जिनके अन्दर सरपंच मेम्बर हों या एम० एल० एज० मेम्बर हों, सब कुछ उसमें हो लेकिन आज उनके द्वारा हरिजनों को दस पर्सेन्ट जमीन भी नहीं मिलती है। अस्सी, नाईन्टी पर्सेन्ट जमीन यह लोग अलॉट करवा लेते हैं अपने रिश्तेदारों के नाम से, अगर बाप के पास जमीन है और बेटे के पास जमीन नहीं है तो बेटे के नाम से जमीन मिल जाती है। इस तरह की बातें चलती हैं और चल रही हैं। मैं इसको बहुत ही बुरी बात मानता हूं। मैं यह मान कर चलता हूं कि

Page No 86

(श्री पी० के० चौधरी)

उनकी जो सोशल प्रोबल्म हैं, उनकी जो सोश्योइकानॉमिक प्रोवल्म हैं उनको आप टेकल नहीं करेंगे तो इससे उन हरिजनों में ज्यादा डिस्पैरिटी क्रियेट हो जायगी।

इसके बाद मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी का यह तकाजा है कि कम से कम उनकी जो प्रोबल्म हैं, जब वह इस हाऊस में आती है, सदन के सामने आती हैं तो उनके ऊपर चर्चा करके उनका कोई हल निकालना चाहिए। उनकी जो वॉइस हैं, उनकी जो तकलीफात हैं, उनका जो एक्सप्रेशन है, तो किसी डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन के थ्रू या पार्लियामैन्ट्री इन्स्टीट्यूशन के थ्रू उनका एक्सप्रेशन होने के बाद उनका हल निकलना चाहिए। कान्स्टीट्यूशनलवे से अगर उनकी प्रोबलम्स हल नहीं होगी तो मैं यह मान कर चलता हूं कि आज के जमाने में इस प्रकार से वह लोग लाइन डाउन होकर कब तक रहेंगे, कभी न कभी उनका रिवॉल्ट हमारे सामने आयेगा इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लैंड रिफॉर्म्स के अन्दर हमको ज्यादा सजग होना चाहिए और खास तौर से जो हरिजनों को लैंड का अलॉटमैन्ट हुआ है, उसकी कम से कम जांच होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए कि जो 42 लाख एकड़ जमीन के अलॉटमैन्ट की बात कहते हैं, उसमें से सही मायने में हरिजनों को कितनी जमीन मिली है, कितने लैंड पर फिजिकल कब्जा कितनों को दिया है। इन बातों की जांच होनी चाहिए, तब पता लगेगा कि सही बात क्या है। आज जो यह कहते हैं कि हरिजनों को जमीन दी है, वह उनको मिली है या नहीं, यह जांच करने से पता लगेगा। मेरी मान्यता है कि दस परसेन्ट को भी नहीं मिली है, बीस परसेन्ट को भी नहीं मिली है और ज्यादातर जमीन दूसरे लोगों को मिली है। इसलिए इस प्रोबल्म को मैं सीरिअस प्रोब्लम मान कर चलता हूं। अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो इसकी आपको जांच करानी चाहिए। आज आपने जो रेगुलेराइजेशन का अधिकार दिया है, तहसीलदार को, इससे जो जमीन हरिजनों के कब्जे में थी, उसका रेगुलेराइजेशन के बाद में दूसरे लोगों के नाम से नामांतरकरण हो रहा है। इसलिए आपको इस बात पर रोक लगानी चाहिए।

चौथी बात, उपाध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में गवर्नर महोदय ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमारी जो पर कैपिटा इन्कम है वह काफी बढ़ी है। पर कैपिटा इन्कम, उन्होंने यह बताया है कि 1966-67 में 453 से बढ़कर 1967-68 में 499 हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, इससे हमको यह पता नहीं चलता है कि रीअल इन्कम कितनी बढ़ी है। रीयल इन्कम कितनी बढ़ी है यह तब तक पता नहीं लगता है जब तक हम इन्कम रीयल टर्म्स में नहीं देते हैं, और कम्पेरेटिव फिगर्स नहीं देते हैं कि पहले कितनी इन्कम थी और अब कितनी रीयल इन्कम है। इस सम्बन्ध में जो गवर्नमैन्ट ऑफ इन्डिया के फिगर्स हैं, जो गवर्नमैन्ट ऑफ इन्डिया के पब्लिकेशन्स हैं उनसे हमें कुछ पता लग सकता है कि एवरेज इन्कम क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमैन्ट के पब्लिकेशन में जो इन्कम का, पर कैपिटा इन्कम का फिगर है वह इस प्रकार से है, 1964-65 में हमारी पर कैपिटा इन्कम 488 थी और हम यह एक्सपैक्ट करते थे कि हमारी पर कैपिटा इन्कम 1970-71 के अन्दर जाकर 532 हो जायगी। करैन्ट प्राइसेज और रीअल पर कैपिटा इन्कम,

(श्री पी० के० चौधरी)

के रीअल टर्म्स में यह था कि 1964-65 में जो पर कैपिटा इन्कम 348 थी वह 1970-71 में जाकर 417 हो जायगी। इन टर्म्स ऑफ रीअल इन्कम हमारा ऑल इन्डिया पर कैपिटा इन्कम एवरेज का यह अन्दाजा था कि 1970-71 तक पर कैपिटा इन्कम रीअल इन्कम टर्म्स में 417 होगी। मेरी समझ में नहीं आता कि रीअल इन्कम को आपने इतना कैसे बता दिया, 5:9 तो 1970-71 में जाकर रीअल इन्कम टर्म्स के आधार पर नहीं होती है। स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिकेशन्स में हमने देखा है कि जो स्टेट गवर्नमेन्ट का पुराना फोर्थ प्लान का ड्राफ्ट था, उसमें थर्ड फाइव ईयर प्लान के एण्ड तक के जो फिगर्स दिये हैं वह हैं कि 252 पर कैपिटा इन्कम हुई। इन टर्म्स ऑफ 53-54 प्राइसेज 341 लास्ट में था। उस समय ऑल इन्डिया के जो फिगर्स हैं, वह ऑल इन्डिया का फिगर पर कैपिटा का थर्ड प्लान के एण्ड तक 294 था, 1954-55 की प्राइसेस से। और हमारे स्टेट में 1953-54 की प्राइसेस से 252 था। यानि उससे कम था। तो गवर्नर महोदय ने जो फिगर दिया है वह रीयल इन्कम टर्म्स में कितना सत्य है यह अन्दाजा सही नहीं होगा जब तक कि पहले से इसको कम्पेयर नहीं करते हैं, या ऑल इंडिया के फिगर्स से इसको कम्पेयर नहीं करते हैं। तो सही पिक्चर हमारे सामने नहीं आती है। मैं चाहूंगा कि फाइनेंन्स मिनिस्टर इसकी हमें जानकारी दें कि यह 599 रुपये तक पर कैपिटा इन्कम बढ़ने का कैसे अन्दाजा लगाया है ? इस साल का अन्दाजा आप करते हैं कि 1970-71 में जो पर कैपिटा इन्कम होगी, वह इस साल जो 453 थी, वह रीअल इन्कम टर्म्स में किया है ? जो थर्ड प्लान में 248 थी, उससे दुगुना कैसे बढ़ा दिया है। थर्ड प्लान में ऑल इंडिया का फिगर 253 था, और आज हमारा पर कैपिटा का फिगर हो गया है 453, जब कि उसके बाद प्लान का काम नहीं हुआ, प्लानिंग बन्द हो गया, उसके बाद भी यह दुगुना कैसे हो गया, यह हम जानना चाहेंगे। यह जो फिगर आया है यह रीअल इन्कम टर्म्स में कितना होगा ? जब थर्ड प्लान के एण्ड में यह 253 का फिगर था तो आज जाकर यह इतना कैसे बढ़ा है ? यह हम जानना चाहेंगे। जब तक वित्त मंत्री महोदय यह नहीं बतायेंगे, तब तक यह आइसोलेटेड फिगर है और आइसोलेटेड फिगर देने से जो हमारे स्टेट की इकॉनामिक कन्डीशन है, उसके सम्बन्ध में हमें सही जानकारी प्राप्त नहीं होगी।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, आज ऑल इंडिया की स्थिति है उसमें रूरल इन्कम एक व्यक्ति की पैंतीस पैसे आती है, याने रूरल पोपूलेशन जो इंडिया के अन्दर 87 पर्सेन्ट है, उसकी प्रति व्यक्ति प्रति दिन पैंतीस पैसे इन्कम है। यह गवर्नमेंन्ट ऑफ इंडिया के फिगर्स से आता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि हमारे यहां प्रति व्यक्ति डेली इन्कम कितनी है। रूरल एरिया में और प्रति व्यक्ति डेली इन्कम कितनी बढ़नी चाहिए इसकी सही पिक्चर हमारे सामने आनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि यह वित्त मंत्री महोदय या मुख्य मंत्री हमें बतायें ताकि हमें सही जानकारी मिले कि हमारे यहां प्रगति हुई है या नहीं। और जो स्टेटिस-टिक्स हैं ऑल इंडिया के उसके पीछे गये हैं या ऑल इंडिया के लेवल तक या कहां तक पहुंचे हैं इसकी सही जानकारी हो सके।

(श्री पी० के० चौधरी)

तीसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जैसा मोशन ऑफ थैंक्स को प्रस्तुत करते समय अलवर से आने वाले माननीय सदस्य, श्री हरिप्रसाद शर्मा, ने कहा कि हमारे यहां रीजनल इम्बेलैन्स है, यह रीजनल इम्बेलैन्स रहना नहीं चाहिए। मैं कहूंगा कि हमारे यहां रीजनल इम्बेलैन्स है जरूर, और इसको दूर करना चाहिए। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि किसी पर्टीक्यूलर एरिया से जो रेवेन्यू आती है उसमें जो सरप्लस रेवेन्यू है वह कुछ हद तक उसी एरिया में इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे कि जयपुर जिले का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जो टैक्सेशन से इन्कम है, रेवेन्यू है, उसका वन थर्ड जयपुर जिले से आता है। इसी प्रकार राजस्थान की जो सेल्स टैक्स की रेवेन्यू है वह पन्द्रह करोड़ की है, इस पन्द्रह करोड़ में से पांच करोड़ जयपुर जिले से आता है। इसके अलावा दूसरे 2 टैक्सेशन की रेवेन्यू है, स्टेट की कुल रेवेन्यू है 1966-67 में 19 करोड़ 68 लाख की, जब कि जयपुर जिले से उसमें से 6 करोड़ 27 लाख आई। इस प्रकार टैक्सेशन से रेवेन्यू है उसका वन थर्ड जयपुर जिले से आता है। जब कि जयपुर जिले के अन्दर डवलपमैन्ट के अन्दर जो पिछले तीन सालों में एक्सपेन्डीचर हुआ है, उसको देखें तो मालूम होगा कि वह प्रपोर्शन से नहीं हुआ है। मैं यह चाहूंगा कि किसी रीजन में इस प्रकार की फीलिंग नहीं पैदा होने देनी चाहिए कि उस इलाके में जितना डवलपमैन्ट होना चाहिए, जितना पैसा खर्च होना चाहिए वह न होकर इतना पैसा ही दिया गया है। उस इलाके की जो सरप्लस रेवेन्यू है उसका कुछ हिस्सा उस इलाके के डवलपमैन्ट के लिए मिलना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि तेलंगाना में जो कुछ हुआ है वह अच्छा नहीं है, यह मैं नहीं मानता हूं कि अच्छा है there are reasons for it. तेलंगाना में जो पहले कम्युनिस्टों ने किया वह इसलिए किया कि वहां जो डिस्पैरिटी थी, उसका उन्होंने फायदा उठाया था। आज जो कुछ हो रहा है वह कम्युनिस्ट नहीं कर रहे हैं This is not the Communists doing it. दूसरी वजहों से वह हो रहा है। तेलंगाना में जो फीलिंग चलती है वह यह है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं उसका उनको पूरा फायदा नहीं मिलता है, उनका पूरा डवलपमैन्ट नहीं होता है। मैं कहना चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी को और फाइनैन्स मिनिस्टर को कि रीजनल डिस्पैरिटी की फीलिंग है, और जो पैसा जिस इलाके से आता है उसका उनको पूरा फायदा नहीं मिल रहा है, यह जो फीलिंग है, यह फीलिंग दूर हो—ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि जब तक हम उनके इस तरह के फीलिंग्स दूर करने के लिये शुरू से ही व्यवस्था नहीं करते तो इससे उनके फीलिंग्स और आगे उभरते हैं और वह डेमोक्रेसी के लिये कतई अच्छा नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में व्यवस्था की जाय कि तीन प्लान्स में जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कितना खर्चा हुआ, लैंड रेवेन्यू से, टैक्सेज से जयपुर डिस्ट्रिक्ट से कितना रुपया आया। उन लोगों को यह खटकता है कि वे टैक्स रेवेन्यू का 1/3 देते हैं, उसका प्रोपर शेअर हमको मिलना चाहिये, पापुलेशन के प्रोपोर्शन से उसका हमें शेअर मिलना चाहिये। वह उन्हें नहीं मिलता है तो लोगों में डिस्कन्टैन्ट पैदा होता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि मुख्य

(श्री पी. के. चौधरी)
मंत्री महोदय इसकी जांच तो करें कि जयपुर से कितना आता है और कितना जयपुर डिस्ट्रिक्ट पर खर्च करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े खेद के साथ एक बात कहना चाहता हूं वह यह है कि स्मॉल इरिगेशन का और मीडियम इरिगेशन का जयपुर में कोई स्कोप नहीं है कि इनका डेवेलपमैन्ट करें। वह सारा डेवेलपमैन्ट इस डिस्ट्रिक्ट में 20 साल पहले का है। ट्यूब वैल्स से स्माल इरिगेशन और मीडियम इरिगेशन की स्कीम का डेवेलपमैन्ट यहां किया जा सकता है, इन प्रोपोर्शन टू अदर एरियाज जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कितना डेवेलपमैन्ट किया है, कम से कम इसकी जांच करके तो आपको देखना चाहिये।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रेनिंग के सम्बन्ध में गवर्नर साहब को इशारा देना चाहिये था। अभी हमारे यहां राजस्थान में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्लेक है। मिनिस्टर कुछ कहें, उनके कहने के बावजूद इम्प्लिमैन्टेशन नहीं होता है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में बड़ा स्लेकनेस पाते हैं, उसको टोन अप किया जाय जिससे हम जो काम इम्प्लिमैन्ट करवाना चाहते हैं, वह इम्प्लिमैन्ट करा सकें।

बस मुझे यही निवेदन करना था।

श्री जुझारसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रोसिडिंग्स देख कर कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि क्या हमारी सरकार के मन्त्री महोदय और जिम्मेवार लोग हमारी बात सुनने के लिये तैयार भी हैं या नहीं हैं। जिस तरह की मन्त्री की उप-मन्त्रियों और राज्य मन्त्रियों की उपस्थिति यहां सदन में होती है उससे ऐसा मालूम होता है कि यहां बोलने वाले यदि कोई गम्भीर बात सदन में रखना चाहें तो उसको सुनने के लिये मन्त्रीयों का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : मुख्य मन्त्रीजी बैठे हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते। इनसे ज्यादा जिम्मेदार और कौन मिलेगा।

श्री जुझारसिंह : मुझे खुशी है कि मुख्य मन्त्री जी इस समय यहां मौजूद हैं। मैं आशा करता हूं कि जो बातें काबिलगौर हैं उन पर उनके द्वारा गौर किया जायगा। आपने फरमाया कि मुख्य मन्त्री जी यहां बैठे हैं, पर वे अभी थोड़ी देर पहले ही यहां आये हैं। उनके चले जाने के बाद ट्रेजरी बैंचेज की उपस्थिति का जो नजारा सामने आता है उस पर गौर करें, यह स्थिति अच्छी नहीं है।

अभी मेरे पूर्व वक्ता कांग्रेस के सदस्य महोदय सर्विसेज के बारे में फरमा रहे थे, मैं अपना भाषण सर्विसेज के बारे में ही शुरू करना चाहता हूं। कांग्रेस के एक सदस्य ने फरमाया कि राजस्थान में सर्विसेज की कन्डिशन अच्छी नहीं है। मैं भी मानता हूं कि सर्विसेज के प्रति राजस्थान में बड़ा

(श्री जुझारसिंह)

डिस्सेटिस्फेक्शन है, सर्विसेज से किसी भी आदमी को राहत नहीं मिलती है, यह एक आम बात है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज सर्विसेज को कई तरह के काम करने पड़ते हैं। कई सरकारी एन्टरप्राइजेज हैं, कई बिजनैस एन्टरप्राइजेज हैं, कारपोरेशन्स है और भी अनेक तरह के पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं जिनके होने से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ और कई दूसरी तरह की जिम्मेदारियां राज्य सरकार के कर्मचारियों पर आती है। पर आज यह स्थिति है कि कोई फाइनेन्शियल केडर हमारे राजस्थान में नहीं है। पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं, रोडवेज है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमैन्ट है, जिनमें विशेष तरह की सर्विसेस की आवश्यकता पड़ती है, जो उसे समझ कर इन्टेलिजेंटली पूरा कर सकें, इस तरह की व्यवस्था हमारे यहां राजस्थान में नहीं है। रोड़वेज जो कि एक बिजनेस डिपार्टमैंट है उसमें आर. ए. एस., आइ. ए. एस. लोगों को लगा दिया जाता है, उस ही का नतीजा आज हमारे सामने है कि 7 साल बाद भी रोड़वेज घाटे में जा रही है। इसके अलावा टैक्सेशन आदि डिपार्टमैन्ट हैं, उनमें भी एक्सपर्ट लोगों को नहीं रख कर आर. ए. एस., आई. ए. एस. लोगों को रखा जाता है, यह सारी स्थिति स्क्वायर पैग इन राउण्ड होल जैसी है। इस सबका नतीजा है कि आज सब तरफ डिस्सेटिस्फेक्शन है। इस लिये मैं मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आर्कषित करना चाहता हूं कि इस तरह की स्पेशिलाइज्ड सर्विसेज राजस्थान में कायम की जानी चाहिये जिससे स्पेशिलाइज्ड महकमों को सुचारू रूप से चलाया जासके।

उपध्यक्ष महोदय, मैं खास खास मुद्दों पर ही सदन का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करूंगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अकाल की तरफ सबसे अधिक सदन का ध्यान आर्कषित किया है, उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं इरिगेशन एग्रीकल्चर और लैंड रेवेन्यू के मसले में उन पर थोड़ा कहना चाहूंगा। इरिगेशन, एग्रीकल्चर, और लैंड रेवेन्यू, यह तीनों ही भूमि से ताल्लुक रखते हैं पर आज राजस्थान में जिस तरह भूमि को नेग्लेक्ट किया जा रहा है वह अपने आपने एक बड़ी समस्या बन गई है। किस तरह की भूमि को किस काम में लिया जाय, इस तरफ राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आया हूं जहां भूमि को वड़ी बुरी तरह से उपयोग में लिया जा रहा है। उसको देखते हुए मैं तो यह कहूंगा कि मिनिस्टरी ऑफ लैंड्स राजस्थान में कायम की जाय तो वड़ा लाभप्रद होगा।

कोटा क्षेत्र में जो ग्रेडियेन्ट वाली जमीनें हैं, चरणोट की जमीनें हैं, विलेजेज़ की बाउन्ड्रीज हैं, उन जमीनों पर जिस आदमी के जब भी कभी मन में आती है तो वह उन पर कब्जा कर लेता है और इसके फलस्वरूप गांवों में परेशानी बढ़ती है व राजस्थान सरकार जो प्रोडक्शन करना चाहती है वह नहीं हो पाता है। मार्जिनल लैंड्स का कल्टिवेशन किया जाता हैं, ग्रेडियेन्ट पर कल्टिवेशन किया जाता है तो उसकी वजह से जमीन का कटाव बढता है, लैंड की फरटिलिटी गिरतीहै, व इन सबके लिये राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। कौनसी जमीन किस काम में ली जाय, कौनसी जमीन का कौन से काम में उपयोग लेने से ठीक होगा इस ओर राज्य सरकार

(श्री जुझारसिंह)

को ध्यान देना चाहिये पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार इस ओर आज कोई ध्यान नहीं दे रही है। चम्बल क्षेत्र में कोटा का रेवीन एरिया है उसके सम्बन्ध में मैंने पहले भी कई बार इस सदन में कहा है कि 8 लाख एकड़ जमीन रेवीन्स से कवर होती है। उसमें राज्य सरकार द्वारा जांच करने के लिये कमेटियां बैठाई गई हैं, 8 साल पहले सरदारीलाल जी कक्कड़ की अध्यक्षता में कमेटी बैठाई गई थी, जिसने सर्वे किया कि रेवीन एरिया को कैसे यूटिलाइज किया जाय। उस पर रिपोर्ट दी। उन्होंने रिकमण्ड किया कि रेवीन एरिया को एन्टायरली एफोरेस्टेशन और ग्रास लैंड के रूप में काम में लिया जाना चाहिये, इसको कल्टिवेशन के अन्डर में नहीं लाया जाना चाहिये। अगर इस एरिया को कल्टिवेशन में लिया गया तो एडज्वाईनिंग लैंड में इरोजन बढ़ने लग जायगा और उसे बड़ा नुकसान होगा।

इसके बाद रेवीन सर्वे डिपार्टमैन्ट कायम किया गया, इसके डी. एफ. ओ. बुलियन हैं उन्होंने चप्पा चप्पा जमीन पर जा कर एक अच्छी रिपोर्ट दी है।

उन्होंने रिकमन्ड किया है कि उस एरिया में बहुत जबरदस्त इरोजन है जिसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिये और जमीन को एफोरस्टेशन और बैटर यूज में लिया जाना चाहिये। इन सब रिपोर्ट्स के होते हुए भी राज्य सरकार ने फैसला किया है कि रेवीन लैंड पर कल्टीवेशन होना चाहिए। रेविन ऐरियाज में को परसनल कल्टीवेशन के लिए रिलीज कर देना चाहिए और उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि मैंने पिछले वर्ष करीब 6 महीने पहले इसी सदन में प्रश्न किया था कि क्या आपने इस मामले में फैसला लेने से पहले एक्सपर्ट राय इसमें शामिल की है और आपने सर्वे करा लिया है, क्या आपने कितने प्लॉट्स 100-100 एकड़ के उपलब्ध होंगे और कहां कहां होंगे इसकी जानकारी कराई है ? मुझे जवाब मिला कि न तो एक्सपर्ट्स की राय ली है और न आपने रेविन्स एरिया का सर्वे कराया है। क्या सरकार के पास फिगर्स हैं जिनके द्वारा बता सकें कि फलां फलां स्थान पर 100-100, 50-50 एकड़ के प्लॉट्स उपलब्ध हैं। इतना कुछ नहीं होते हुए भी इस बड़े महत्वपूर्ण मसले पर जिस पर दो एक्सपर्ट कमेटीज पिछले 6-7 वर्षों में अपनी राय दे चुकी हैं कि इनको फॉर एफोरस्टेशन एण्ड फॉर ग्रास लैंड यूज करना चाहिए। अब राज्य सरकार ने परसनल कल्टीवेशन के लिये रिलीज कर दिया है, यह भयंकर चीज है। इस तरह के सब मसलों पर अच्छी तरह से ध्यान देने के लिए इस तरह की मिनिस्ट्री हो जो इन बातों को ज्यादा गौर से देख सके और कह सके कि किस तरह से प्लॉट्स किस तरह के काम में लाये जा सकते हैं, इस तरह सिफारिशों को पालन किया जाय तो राजस्थान का भला हो सकता है।

इतना ही नहीं, चंबल कमांडेड एरिया में करीब 5.1 लाख एकड कमांड की भूमि में आते हैं उसके लिए सिंचाई विभाग के एक्सपर्ट्स ने इस तरह की राय व्यक्त की है कि इस जमीन का लेवलिंग होना आवश्यक है। इसके बिना जो फायदे सिंचाई सिस्टम इन्ट्रोड्यूस करने से इस क्षेत्र में हो सकते हैं वे नहीं होंगे क्योंकि

(श्री जुझारसिंह)

जमीन के अनईविन होने की वजह से किसी जगह पानी ज्यादा इकट्ठा ही जायगा, किसी जगह नहीं पहुंचेगा, ज्यादा इकट्ठा होने से नुकसान है और न पहुंचने की सूरत में भी नुकसान है। इसलिए इस काम को प्रॉयोरिटी दी जानी चाहिये और इसके तहत इटावा जैसे प्रोजेक्ट चलाये जाने चाहिये यद्यपि उसकी प्रोग्रेस ज्यादा सैटिसफैक्ट्री नहीं है और उसमें लेवलिंग के जो आंकड़े सिंचाई विभाग ने तैयार किए हैं वह बिल्कुल मिनिमम खर्चा लगाकर रखे हैं। उस हिसाब से भी 10 करोड़ रुपये सिर्फ लेवलिंग के लिए रिकमेंड किया है और वह भी 1958 की रेट से जिसमें उन्होंने 100) प्रति एकड़ से लेवलिंग चार्ज लगाया है जो इटावा के अनुभव से साबित हो गया है कि 100) प्रति एकड़ लेवलिंग कास्ट नहीं आती है बल्कि वहाँ पर 600–700 रु० पड़ रहा है। अगर इस हिसाब से लेवलिंग का अंदाजा लगाया जाय तो लेवलिंग में कमांडेड एरिया का जो कमांड है उसमें 50-60 करोड़ का खर्चा है। ये सब बातें सरकार के सामने होते हुए भी भूमि का बराबर सही यूटीलाइजेशन नहीं हो रहा है और जमीन को निग्लेक्ट किया जा रहा है, उसका मिसयूज हो रहा है भूमिका प्रोपर यूटीलाइजेशन आवश्यक है। इस संदर्भ में अगर मिनिस्ट्री ऑफ लैंड्स की तरह का डिपार्टमैंट हो जो इसको देख सके तो लाभकारी होगा।

मैंने जो पॉइन्टस एडवांस किया है उसके सपोर्ट में फिगर्स देता हूं। कोटा में रेविन्स-एरिया है उसमें:

चंबल में 2,47,105 एकड़ रेविन एरिया है।

पारवन. 1,23,550 एकड़ है।

कालीसिन्ध. 86,487 एकड़ है।

पार्वती. 24,000 एकड़ है।

आलनिया 37,000 एकड़ है। इसके अलावा बूंदी की जो नदियां हैं उनमें सबका मिलाकर करीब 8 लाख एकड़ रकबा रेविन्स का कोटा जिले में है सरकार के पास इस भूमि के यूटीलाइजेशन की बड़ी हैपजर्ड पिक्चर है और इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। राज्य ने जो सरकूलर निकाला था कि कन्दरा भूमि को एलॉट करेंगे, उसके फलस्वरूप सैंकड़ों एप्लीकेशनस् आ चुकी हैं लेकिन कलेक्टर ने एक भी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ नहीं किया है क्योंकि प्लॉट्स का सर्वे ही नहीं हो पाया है और इस पॉलिसी को आगे फालो किया जाय इससे पहले अगर राज्य सरकार इस मसले पर ज्यादा ध्यान दे दे तो इससे अभी भी जो बिगाड़ होने वाला है, वह बच सकता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : व्यवस्था का प्रश्न है। कोरम नहीं है।

श्री जुझारसिंह : कोटा में तीन तरह के रेविन्स हैं जी-1, जी-2, व जी-3। जिन रेविन्स की डेप्थ तीन फुट के नीचे है वह हैं जी-1, तीन से 15 फुट जी-2 और जो 15 फुट से ज्यादा हैं वे हैं जी-3 रेविन्स। इसमें 26 प्रतिशत रेविन्स जी-1 में हैं, 35 प्रतिशत जी-2 में हैं और 39 प्रतिशत जी-3 में हैं।

(कोरम की घंटी)

जो जी-1 के कम डेप्थ के रेविन्स हैं उनका परसैंटेज 26 है और उस 26 परसैंट

Page No 93

(श्री जुझारसिंह)

में से 80 प्रतिशत ऑलरेडी अंडर कल्टीवेशन है। इसका मतलब हुआ जो रेविन्स कल्चर एबुल हो सकते हैं जिनकी डेप्थ कम है, जिनको हैवी मशीनरी या दूसरे साधनों से आबाद किया जा सकता है, उनमें 20 प्रतिशत रेविन्स की ऐरिया ही ऐसी है जो अभी सरकार को उपलब्ध हो सकता है, 80 प्रतिशत ऑलरेडी अण्डर कल्टीवेशन है। जो जी-2 टाइप के हैं और जिनका परसन्टेज 34 प्रतिशत है उनमें से करीब 25 प्रतिशत रेविन्स ऐसे हैं जो अंडर कल्टीवेशन हैं लेकिन यह रेविन एरिया ऐसी है जिसकी गहराई 15 फुट तक है इन रेविन को रिक्लेम करना साधारण कल्टीवेटर की पोजीशन के बाहर की बात है और जो जी-3 टाइप रेविन्स हैं वे 15 फुट से ज्यादा डेप्थ के हैं उनको तो रिक्लेम करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए इस पॉलिसी को जो रेविन्स के एलॉटमेंट की पॉलिसी है उसमें जिस तरह से रेविन्स कल्टीवेशन के काम में आ सकते हैं, वह आलरेडी अण्डर कल्टीवेशन हैं और जो कल्टीवेशन करने में परेशानी आएगी, कम से कम प्राईवेट इन्डवीज्यूएल्स को परेशानी आएगी, उनको एलॉट कर दिया जायेगा तो लोग उसको कब्जे में ले लेंगे, साल दो साल काश्त करेंगे और वेस्ट जमीन की रूट्स हटा कर जमीन को पोली कर देंगे। जिससे एरोजन अधिक हो जावेगा और उसके लिऐ जिम्मेदार सरकार होगी। इसलिए इस आइडिया को ड्राप कर दें तो कल्टीवेटर्स के भी इन्टरेस्ट में होगा और सरकार के हित में भी होगा।

लैंड रेवन्यू के सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस सदन में सीलिंग के बारे में बार बार प्रश्न उठते हैं और यही राज्य सरकार और भारत सरकार की पॉलिसी है कि सीलिंग कानून जल्दी लागू किया जाय। जो कुछ राज्य सरकार ने सीलिंग का कानून बनाया है, वह सब के सामने है लेकिन उसमें जो कमियां हैं, अन्प्रेक्टीकल एक्स्पैक्ट्स सीलिंग कानून के हैं उस पर बहुत से लोगों का ध्यान ही नहीं गया है और उसीकी तरफ में सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं। मैं मुख्यमंत्रीजी का ध्यान उनके द्वारा और राज्य सरकार द्वारा निकाली गई इस किताब की तरफ आकर्षित करता हूं "राजस्थान के उपनिवेशन विभाग के प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन" 1967 में यह किताब निकाली गई है और इस किताब में उन्होंने जमीन की पैदावार जमीन की फर्टिलिटी के आधार पर वहां की कीमत लगाई है। अलग अलग एरियाज में चंबल कमांडेड एरिया राजस्थान केनाल भाखरा आदि की फर्टिल्टी कितनी 2 है, उनमें कितना प्रोडक्शन होता है, इन सब बातों का ध्यान रखकर फी बीघा राज्य सरकार के कॉलोनाइजेशन विभाग ने प्राइसिज फिक्स किए हैं। वे प्राइसिज मैं सदन में पेश करता हूं।

गंग नहर में इस किताब के अनुसार जो नहरी पैरीनियल है, उसकी कीमत 700) रु० पर बीघा और पैरीनियल गंग नहर की 500) रु० प्रति बीघा। बारानी है वह 250 रु० पर बीघा है। उसी तरह से भाखरा केनाल का है। नाली 1-800) रु० बीघा, नाली 2 व 3-650) रु० बीघा, लाइट लूम 600) रु० बीघा, सेन्डी लूम 500) रु० बीघा और अनकमान्डेड 150) रु० पर बीघा। इसी प्रकार राजस्थान केनाल का भी देखिये। नाली 800) रु० पर बीघा। लाइट लूम

Page No 94

(श्री जुझारसिंह)

675) रु०, सेन्डी लूम 500) रु. बीघा; अनकमान्डेड 150) रु० बीघा । इसके मुकाबले में चम्बल कमान्डेड एरिया आता है क्योंकि वहां की फर्टिलिटी कम है, सोइल तैयार करने में लोगों को ज्यादा मुश्किलें आती हैं उसको ध्यान में रखते हुए चम्बल में सिंचित माल 1—250) रु०बीघा सिंचित माल 2 व 3--170) रु० बीघा, सिंचित माल 4—100) रु० बीघा, असिंचित माल 1-90) रु०, असिंचित माल 2 व 3—70) रु० बीघा, असिंचित माल 4–35) रु० बीघा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह फिगर अपने आप में यह बताते हैं कि चम्बल कमान्डेड एरिया की बैस्ट लैंड गंग केनाल, भाखरा केनाल और राजस्थान केनाल के मुकाबले में 1/3 प्रोड्यूस देती है । वहां कि जो बैस्ट लैंड है वह 250) रु० पर बीघा है जब कि गंगनहर की 700) रु० और राजस्थान नहर और भाखरा की बैस्ट लैंड 800) पर बीघा के हिसाब से है। सीलिंग का जो कानून निकाला गया है उसको देखने से आपको स्पष्ट विदित होगा कि जहां राजस्थान केनाल, गंग केनाल और भाखरा की जमीन जो 800) पर बीघा के हिसाब से है वहां पर 30 एकड़ रखा गया है और चम्बल एरिया की जो बैस्ट लैंड है जिसकी कीमत 250 रु. पर बीघा है उसको 22 एकड़ सीलिंग का रखा गया है । यह कैसे निकाला गया और क्या यह प्रेक्टिकेबल है ? चम्बल एरिया के अनइर्रीगेटेड लैंड जिसकी कीमत 90) पर बीघा है वहां पर 31 एकड़ सीलिंग दिया है। जब कि राजस्थान केनाल, भाखरा और गंग केनाल की जमीन की कीमत दस गुना अधिक है उसका रकबा 30 एकड़ रखा गया है। चम्बल में इर्रिगेटेड का तो केवल 22 एकड़ निकाला गया है । मैं भावना में आकर केवल सीलिंग की चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन मैं तो जो व्यवहारिकता का प्रश्न है उसको ही सामने रखना चाहता हूं। सीलिंग की बात करते समय यह देखना है कि जो सीलिंग अलग अलग एरिया में अलग अलग लोगों को दिया जा रहा है, जिनसे उनका भविष्य बंधा हुआ है वह व्यवहारिक दृष्टि से दिया है या नहीं । मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि चम्बल कमान्डेड एरिया के लोगों के साथ पक्षपात हुआ है जो रकबा उनको मिलना चाहिये था थ्री टाइम्स अधिक राजस्थान केनाल, गंग केनाल और भाखरा के मुकाबले वह तीन गुणा के बजाय केवल 3/4 उनको दिया गया है जो वहां के कृषकों के प्रति अन्याय है ।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। "भूमि सुधार सम्बन्धित एकत्रित एवं संकलित सारिणी" की यह पुस्तक पिछली दफा सब माननीय सदस्यों को डिस्ट्रीब्यूट की गयी थी। इसमें यह आंकड़े दिये गये हैं कि सीलिंग इन्ट्रोड्यूस करने से कितने कल्टीवेटर्स इफेक्टेड होंगे। उसके माफिक 30,824 कल्टीवेटर्स पर इफेक्ट होने वाला है । इसमें से अकेले कोटा डिविजन में 12,547 कल्टीवेटर्स इफेक्टेड होने वाले हैं। इतने अधिक सिर्फ कोटा डिविजन से इसलिये आते हैं कि सीलिंग का रकबा राजस्थान सरकार ने जो फिक्स किया है वह जानबूझ कर इस क्षेत्र में कम किया है। कोई वजह नहीं है कि जहां सारे राजस्थान में 30,824 कल्टीवेटर्स इफेक्टेड होने वाले हैं वहां 12,547 कल्टीवेटर्स अकेले कोटा डिविजन में इफेक्टेड हों। इसका एक मात्र कारण यही है कि कोटा डिविजन में जो सीलिंग का रकबा निर्धारित किया गया

(श्री जुझारसिंह)

है वह अनप्रेक्टिकेबल है। सैटलमैन्ट आंकडों के अनुसार भी यह रकबा व्यवहारिक नहीं है। जब सदन में इस सम्बन्ध में बात होती है तो सिद्धान्तिक तौर से आप सही हो सकते हैं लेकिन व्यवहारिक तौर से नहीं, इसलिये राजस्थान सरकार को देखना चाहिये कि जो सीलिंग का रकबा अलॉट किया गया है क्या वह व्यवहारिक है और हर रीजन और डिस्ट्रिक्ट को उससे जस्टिफिकेशन मिल रहा है या नहीं।

इसी सिलसिले में, उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि कोटा स्टेट के समय रेवेन्यू लाज और रेवेन्यू सिस्टम इतने परफैक्ट थे कि कल्टीवेटर्स को किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी। राजस्थान के बनने के बाद राजस्थान के कानून लागू हुए वे कोटा स्टेट के समय के कानूनों के मुकाबले प्रोग्रेसिव नहीं हैं। इसी किताब में "भूमि सुधार सम्बन्धित एकत्रित एवं संकलित संख्या सारिणि" फिगर दिये हुए हैं धारा 15 के मुताबिक हेरिटेबल राइट्स ट्रान्सफर करने के अधिकार दिये हैं और राजस्थान सरकार ने कहा है कि भूमि राइट्स जो दिये हैं इस किताब में दिए हुए फीगर्स के माफिक राजस्थान में कल्टीवेटर्स को फायदा होगा उनकी संख्या 5,37,642 है। जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया था कि कोटा स्टेट के समय रेवेन्यू लॉज और लैंड रेवेन्यू लाज इतने परफैक्ट थे 5 साल 37 हजार में से केवल मात्र 158 आदमियों को कोटा डिविजन में भूमि राइट्स से फायदा हुआ है। उनको वहां पर पहले से ही हक मिले हुए थे। जहां सारे राजस्थान में 44,50,326 एकड़ पर लोगों को कब्जा मिला है वहां कोटा डिविजन में केवल मात्र 3,761 एकड़ पर धारा 15 के माफिक कब्जा मिला है। इसी तरह से धारा 19 में खुदकाश्त और सब-टिनेन्ट को खातेदारी राइट्स दिये गये हैं। इसके अन्तर्गत राजस्थान में 1,99,505 आदमियों को फायदा मिला है। कोटा डिविजन में जो संख्या बतायी गई है वह मुझे दी गई राजस्थान सरकार की ओर से इस किताब में बताये गये आंकड़ों के अनुसार केवल मात्र 50 व्यक्ति हैं जिनको फायदा मिला है। धारा 19 के अन्तर्गत कृषकों को 9,43,894.24 एकड़ भूमि मिली है परन्तु कोटा डिविजन में जहां स्टेट के समय लैंड रेवेन्यू सिस्टम और रेवेन्यू लॉज इतने परफैक्ट होने के कारण केवल 670 एकड़ भूमि मिली है। जहां पर पहले से ही लैंड रेवेन्यू कानून और रेवेन्यू लॉज इतने परफैक्ट होने के कारण लोगों का एक्स्प्लोटेशन न हुआ हो, जो लोग सामान्य तौर से अच्छे लॉज से गवर्न हो रहे हों उनके साथ सीलिंग कानून लागू करके प्रोग्रेसिव लॉज के नाम पर कल्टीवेटर्स को परेशान करना कहां तक सही बात है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार को सोचना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि चीफ मिनिस्टर साहब इस पर गौर करेंगे। मैंने निजी तौर पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय से डिस्कस किया है और उन्हें भी यह बात मंजूर है कि कुछ गलती हुई है। यदि किसी कानून के पास होने मात्र से किसी क्षेत्र का इतना बड़ा नुकसान होता हो तो उसको व्यवहारिक तौर से चेन्ज करने के लिये तैयार होना चाहिये। लैंड रेवेन्यू के सिलसिले में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान

(श्री जुझारसिंह)

सरकार ने खुद ने यह महसूस किया है कि ट्रेस्पासर्स की रेगुलेराइजेशन की प्रोबलम बहुत गम्भीर है। जिन गांवों में मैं गया कोई गांव ऐसा नहीं मिला कि जहां लोगों को इल्लीगल ट्रेस्पासिंग की वजह से परेशानी न हो।

जमीन का कोई ऐसा रकबा नहीं, रास्ता नहीं, श्मशान नहीं, बीड मेड या चरागाह नहीं जिसका अतिक्रमण न किया गया हो। इसके लिये अब तक राज्य सरकार ने गत 9 सालों में 41 सरकुलर्स निकाले हैं, राज्य भी कर्मचारियों की स्लेक्नेस व "इन डिफ्रेन्सेज" से परेशान है, सरकार हिदायत देती है कि आयन्दा इस तरह की बात न हो परन्तु साल दर साल रेगुलेराइजेशन की मियाद बढ़ाते जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा एक किताब दी गई है सरकारी भूमियों के नाजायज कब्जों के सम्बन्ध में इसमें लिखा है

"सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि इस प्रकार की भूमियों को पुनः उनकी पूर्व अनधिकृत स्थिति में करने हेतु कलेक्टरों द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गई है। सरकार अपने अधिकारियों द्वारा दिखलाई गई निष्क्रियता को गंभीर समझती है और चाहती है कि नाजायज कब्जों के ऐसे मामलों का पता लगाने हेतु तुरन्त सर्वेक्षण किया जाय। भूमि खाली कराने के निमित्त अब तक की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण देते हुए, मामले की मौजूदा स्थिति बताते हुए और सरकार के विचारार्थ अपनी सिफारिशें भेजते हुए ऐसे प्रत्येक मामले में कलेक्टर, सरकार को कृपया रिपोर्ट प्रेषित करें।"

अब तक विस्तृत विवरण मांगने के लिये साल दर साल प्रत्येक कलेक्टर को चिट्ठियां लिखी गई हैं। इस तरह से सरकार ने इस बारे में इस किताब में लिखा है–

"सरकार को यह जानकर अफसोस हुआ है कि सरकारी भूमि पर नाजायज़ कब्जे की बुराई को रोकने के लिये जारी किये गये इन समस्त अनुदेशों का कोई परिणाम नहीं निकला है तथा इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने उत्तरदायित्वों को यथोचित रूप से नहीं निभाया है।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट बड़ी पेथेटिक रिपोर्ट है सरकार खुद इस बात को महसूस करती है कि साल दर साल हिदायतें निकालते रहने के बावजूद उनकी कोई नहीं सुनता राज्य कर्मचारियों के कार्य से स्वयं सरकार सन्तुष्ट नहीं है फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाती। साल दर साल पीरियड ऑफ रेगुलेराइजेशन बढ़ाते जा रहे हैं। इस बारे में राज्य सरकार की स्थिर नीति नहीं है। पहले यह सरकुलर निकाला गया कि 1961 तक जिनका कब्जा किया हुआ होगा वही रेगुलेराइज माना जायगा उसके बाद के कब्जों से बेदखल कर दिया जायगा। उसके बाद भी लोगों ने अतिक्रमण जारी रखा 63 में और 64 में कानून आगया 63 तक के कब्ज़ों को नियमित मान लिया जायगा। इस बात से अफसरों में निरुत्साह पैदा हुआ है व उसके बाद भी अतिक्रमण जारी रहा 65-66 और 67 तक जारी रहा उसके बाद 67 में यह कानून निकाला कि 67 के बाद के अतिक्रमण रेगुलेराइज नहीं माने जायेंगे उसके पहले के सब रेगुलेराइज कर दिये जायेंगे

(श्री जुझारसिंह)

इस प्रकार के राज्य सरकार ने आदेश दे दिये हैं। इस तरह के आदेशों के बाद कलटीवेटर्स किस तरह से यह उम्मीद करें कि ट्रेस्पासर्स के लिए आगे कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, ट्रेस्पासर्स को रोक देंगे। इस बारे में सरकार की कोई दृढ़ नीति नहीं है। आप राज्य कर्मचारियों को जो हिदायतें देते हैं उनकी पालना नहीं होती। आज गांवों में इस तरह की परिस्थितियां हैं कि गांव वाले यह समझते हैं कि कोई राज्य नहीं है, लोग चाहेंगे वे मन चाही कर लेंगे। आज गांवों में स्टेट ऑफ कोमा है, यह सरकार एक कोमा में काम कर रही है। लोग यह समझते हैं कि हम चाहें जो कुछ कर लेंगे उसका कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं कुछ बातें इर्रिगेशन डिपार्टमेण्ट के लिए भी कहना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में सांगोद तहसील में इन्टेन्सिव इर्रिगेशन स्कीम बॉम्बे की फाइनेन्स कार्पोरेशन द्वारा फाइनेन्स की जा रही है व एक करोड़ रुपये की स्कीम मन्जूर हुई है। इस स्कीम के तहत 900 नये कुएं खोदने का प्रावधान है और 560 पम्पिंग सेट लगाने का प्रावधान है। जो नियम बने हैं उनके अनुसार हर कुएं पर 7,900 रुपया कर्ज के रूप में दिया जाने वाला है और 4,500 रुपया डीजल पम्पिंग सेट के लिये दिया जाने वाला है। इस तरह से 560 डीजल पम्पिंग सेट और 900 कुओं पर 96 लाख 30 हजार का प्रावधान किया गया है जहां इस प्रकार का इन्टेन्सिफाइड प्रोग्राम चले उसके लिये वहां बिजली मौजूद होते हुए भी बिजली देने का प्रबन्ध नहीं है। 560 पम्पिंग सेटस् के लिए साढे चार हजार रुपये प्रत्येक के लगावें तो 25 लाख 20 हजार रुपया डीजल सेट्स उपलब्ध कराने के लिए खर्च आ जाता है। इसके लिए पावर देने का प्रोग्राम नहीं बनावें यह कौनसी अक्ल की बात है। वैसे डीजल सैट की कीमत महंगी है जहां इनकी 4।। हजार रुपया कीमत है अगर उसकी जगह पावर पम्पिंग सैट लगादिया जाय तो वह 1200 और 1500 में ही मिल जाता है इस तरह से एक डीजल सैट पर तीन हजार रुपये की बचत होती है इसको पावर में बदल दिया जाय तो करीब 15 लाख रुपये की सेविंग है। पावर की कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है इससे इनीशियली 15 लाख रुपये की बचत हो सकती है। इसके लिये सरकार सिंचाई, कृषि व विद्युत विभाग के साथ बैठ कर ऐसी स्कीम बनावे जिससे इसमें तालमेल हो सके। इस से राज्य सरकार को और कलटीवेटर्स को दोनों को फायदा होगा और इस में राज्य सरकार को बचत होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में पानी की ज्यादा उपलब्धि है इसको ध्यान में रखते हुए भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री भगवतसिंह जी ने इस इलाके में स्पेशल टीम भेज कर इसका सर्वे कराया था। और उन लोगों ने जगह 2 पर लिफ्ट शैड्स कायम किये थे वे करीब आठ-दस की संख्या में हैं। आज इससे सैंकड़ों बीघा जमीन में पानी पिलाया जाता है। वह स्कीम सबसीडाइज्ड वे के तौर पर चल रही थी उसमें करीब आठ रुपया पर बीघा के हिसाब से कलटीवेटर को देना पड़ता था और इसकी टोटल कोस्ट 20 रुपया फी बीघा से नीचे ही आती थी। इस साल से सबसिडी राज्य सरकार ने विथड्रा करली है। इसके अलावा जो डीजल सैट्स राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग की तरफ से चलाये जा रहे हैं उनकी रेट्स बढ़ा दी हैं। जिनकी लिफ्ट 30 फीट तक होती थी उनसे 20

(श्री जुझारसिंह)

रुपया लिया जाता था उसके मुकाबले अब 108 रुपया लिया जाता है। इसी तरह से जिनकी लिफ्ट 30 से 60 फीट के बीच में उसका 152 रुपया एकड़ लिया जाता है। जिनकी 60 से 90 फीट तक है वहां 180 रुपया लिया जाता है। कहां 20 रुपया और कहां 180 रुपया। उसमें भी प्रीवियस वार्निग नहीं दी गई। इससे जिस काश्तकार को पांच साल से लगातार सबसिडाइज्ड रेट पर पानी देते रहे हैं उस पर एकदम आठ गुना ज्यादा चार्जेज लगा दिये जायं तो यह कहां तक न्यायसंगत है ? इस क्षेत्र में चार चार और आठ आठ मील पर बिजली उपलब्ध है। राजस्थान सरकार अगर इस बिजली को डीजल सेट्स तक एक्सटेन्ड करती है तो कल्टीवेटर्स को 180 की बजाय 50 रुपया प्रति एकड़ सिंचाई मिल सकती है। लेकिन राज्य सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं जो प्रेक्टिकल चीज है नेचुरल रिसोर्सेज को इकोनोमिकल्ली एक्सप्लोइट करना उसके लिए कुछ नहीं किया है राज्य सरकार ने इस तरह की कोई बात नहीं की है जिससे उन जगहों पर बिजली पहुंचायी जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से सिंचाई की हरिगढ़ की स्कीम चल रही है रामगंज मण्डी में। उसका सर्वे हो चुका है। कुओं के अलावा यही एक स्कीम है जिससे उस इलाके में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इसे प्रोडक्शन पॉइन्ट ऑफ व्यू से भी फिजिबल माना है। इसके बारे में पहले यह कहते रहे कि मध्य प्रदेश सरकार को ऐतराज नहीं होगा तो इसे हाथ में ले लेंगे, हालांकि मध्य प्रदेश सरकार का एक बीघा भी इसमें डूब में नहीं आता है और उसको ऐतराज भी नहीं होगा। पर राज्य सरकार ने न तो इस बारे में कोई पूछताछ उनसे की न इस स्कीम के बारे में कोई निर्णय लिया है। सरकार इस बारे में जल्दी से निर्णय ले ताकि प्रोडक्शन बढ़े।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का समय अधिक नहीं लेना चाहता। मैंने मेरे इलाके की परिस्थितियों का जो मुझे थोड़ा अनुभव और ज्ञान है उसके बारे में रेविन्स के बारे में, लैंड के यूटीलाइजेशन के बारे में, इरिगेशन के साधनों के प्रोपर यूज करने के बारे में थोड़े बहुत सुझाव दिये हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मन्त्री महोदय, और खास तौर से मुख्य मन्त्री महोदय इन बातों पर ध्यान देंगे और उचित बातों को करने की कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि अधिकारीगण भी कम हैं, दर्शकगण भी सदन में कम हैं प्रेस के भी एक दो सज्जन बिराजे हैं, तो ठीक है, नहीं तो वे क्या असर लेकर जाते कि इस 182 और 184 के सदन में अध्यक्ष के आसन से दो दो बार कोरम की घंटी बजानी पड़ती है। इसके लिये मैं केवल दोष दूं सत्ताधारी पार्टी को ही, तो उससे चलेगा नहीं। सत्ताधारी पार्टी तो हाथी के मानिंद है और हम विरोधी पक्ष वाले महावत के मानिंद हैं जिनके हाथ में अंकुश है। अगर हम लोग ठीक संख्या में यहां मौजूद रहें तो क्या ताकत है सत्ताधारी लोगों की कि वे इतनी कम संख्या में यहां आवें जब हम ही नहीं रहे, तो किसकी कहूं। तो यह सब देख कर मुझे पीड़ा हुई। मैं अब अपने विचार थोड़े शब्दों में व्यक्त कर दूं।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

अकाल के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के भाषण में बहुत चर्चा आई थी। इसमें कोई शक नहीं कि मुख्य मन्त्री जी ने और अकाल सहायता मन्त्री जी ने अकाल राहत के बारे में बहुत कुछ किया है। मुख्य मंत्री जी बाहर भी गये हैं और वहां से भी काफी पैसा लाये हैं और काम भी हो रहा है। इसकी तो थोड़ी खुशी है, पर सोचना यह है कि स्थायी रूप से अकाल राहत के सम्बन्ध में क्या काम हो रहा है ? क्या जंगल बढ रहे हैं ? आज जंगल जगह जगह बुरी तरह से कट रहे हैं ? और तेजी से राजस्थान रेगिस्तान बनता जा रहा है। चारों तरफ से चाहे किसी भी पार्टी का कोई कथन हो सब तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि झाड़ियां काटने की इजाजत दो। पेड़ लगाने की कोई बात नहीं करते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सख्ती से आप कदम उठावें और जो पहाड़ बंजर हो गये हैं उनको फिर से आबाद करें और एक पेड़ अगर काटे तो दस पेड़ लगाने की वृत्ति जगे इस तरह करना चाहिये।

जब निगाहें दौड़ती हैं तो देखते हैं कि यह कैसा राज्य है, क्या भूमिहीनों को इस राज्य में भूमि तेजी से मिल रही है, क्या रिश्वतें कम हुई हैं ? खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है ? क्या दूध दही और घी बढ़ा है ? श्रम और बुद्धि का भेद कम हुआ है ? गोपालन और सहकारिता बढ़ी है ? अमीर और गरीब का भेद कम हुआ है मेहतर और मेहता के बच्चे एक ही हॉस्टल में रहने लगे हैं ? न्याय सुलभ हुआ है ? पंचायत राज के सही दर्शन हो रहे हैं ? अधिकारियों के मन में क्या यह भावना पैदा हुई है कि वे गरीब दुखी जनों के हित में काम करें ? क्या अधिकारों के साथ में वे कर्त्तव्य पालन करना भी सीखे हैं ? यह सब देखने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि जो हालत सारे देश की है, वही राजस्थान की भी है और इस मामले में राजस्थान कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं, जैसा मैंने कहा, मुख्य मन्त्री जी ने अकाल राहत के बारे में कुछ काम किया है। उनके प्रयत्नों से अठारह-बीस लाख रुपया भी इकट्ठा हुआ है। अगर वे यह भी सोचें कि अपनी मन्त्रियों की फौज में से उनको 37 में से 20 कम करने हैं तो 20 लाख का खर्चा और कम हो सकता है। और उनके जो विरोधी यहाँ बैठे हैं उनके मन पर भी असर होगा। वे यह भी देखें कि तीसरे दर्जे में चल कर फर्स्ट क्लास का किराया तो नहीं ले रहे हैं, ढाई रुपये खर्च करके कहीं डेढ़ सौ रुपये महीने की बिजली पानी तो नहीं खर्च हो रही है। अगर आप ऐसा करेंगे तो सभी तरफ यही भावना जागेगी और राज्य का खर्चा सभी तरफ से कम होने लगेगा, पैसा बचेगा। मुख्य मन्त्रीजी आज उस स्थिति में भी हैं कि अपने दोस्तों से वे यह साफ कह दें कि अकाल का समय है, मैं अपने मन्त्रिमण्डल में 15 को ही रखूंगा तो किसकी ताकत है कि जो इनको लीडरशिप से हटा दे और अगर हटा भी देंगे तो उनका नाम स्वर्णाक्षरों में इतिहास में लिखा जावेगा। इसलिए वे यह कदम तो उठा ही सकते हैं।

मांडलगढ़ क्षेत्र में, जो वर्माजी का कर्म-क्षेत्र-कर्मस्थल रहा है, वहां इस बार राजस्थान सरकार ने जेतपुर बान्ध का काम शुरू किया है। इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। जहां जहां पानी रोका जा सकता

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

है, और जिन जिन जंगलों को हरा भरा किया जा सकता है उन सब की तरफ निगाह गई तो वह दिन दूर नहीं है जब केवल एक वर्माजी के निमित्त राजस्थान की सेवा बहुत कुछ आप कर सकेंगे।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कॉलेजों को पोस्ट-ग्रेजुएट कॉलेज करने की चर्चा है। इससे मुझे आनन्द नहीं हुआ। यहां तो पहले ही ऐसी फेक्टरियां बहुत हैं जिनमें से निकले हुए लड़के बेकार फिर रहे हैं। जिनके पास कोई काम नहीं है। इन पिछले बीस सालों में ऐसी शिक्षा इनको दी गई है कि जिससे श्रम और बुद्धि का भयंकर भेद खड़ा हो गया है।

अभी अभी जब यूनिवर्सिटी में जलसा हुआ था डिग्री देने के लिये तो उसमें बड़ा हुडदंग सा हुआ था जैसा होली में हुआ करता है। कुछ लोग कह रहे थे कि यह क्या हो रहा है, मैं कहता हूं कि वही हो रहा है जो बीस सालों से हम करते आ रहे हैं। बबूल के बीज हमने बोये तो आम की आशा कैसे कर सकते हैं। अब तो कृपा करके सारी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की बात सोचिये। एक भी कॉलेज अब न बढ़ाइये। अब इस शिक्षा को कृपा करके गांधी ने जैसा कहा था बुनियादी तालीम के आधार पर चलाइये और शिक्षा में कुछ इस तरह का परिवर्तन लाइये कि श्रम का महत्व बढ़े।

आपके यहां अफसरों की ट्रेनिंग स्कूल चलती है। मुझे खुशी है इसकी। पर आपसे मेरी प्रार्थना है कि कृपा करके आप उस सारे स्कूल में एक भी चपरासी न रखिये। जो अफसर ट्रेनिंग में आवे वही चपरासी का सारा काम करे, पानी कुए से खींच कर निकाले, या नल से भरे, अपना खाना बनावे, बारी बारी से रोटियां बनावे, बरतन साफ करे। तो श्रम का महत्व बढ़ेगा। आज श्रम के अभाव में एक एक साहब और मेम साहब के पीछे चार चार और पांच पांच चपरासी लगे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कई जगह आप रखिये, कई काम उनको दीजिये, मैं उनको निकालने की बात नहीं करता। पर इन साहब और मेम साहब के पास से इनको हटा दीजिये। आज तो इनको और इनकी मेम साहब को बनाव श्रृङ्गार करने से ही फुरसत नहीं मिलती। बेचारा चपरासी सारा घर का काम करता रहता है। इसलिये निवेदन है मुख्य मन्त्रीजी, आप कृपा करके कुछ ऐसा करिये कि अफसर किसी तरह श्रम का महत्व समझें। इसके लिये प्रयत्न करियेगा।

उपाध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के भाषण में सन्तति नियमन का भी बड़ा जिक्र है। हिसाब दिया है कि इतने हजार लूप लगे हैं और इतने बन्ध्यकरण के ऑपरेशन हुए हैं। यह नई बात नहीं है। हमेशा सन्तति नियमन भारत में चलता आया है। पर कृत्रिम साधनों से नहीं। 25 साल तक छात्र गुरुकुल में पढ़ता था और ब्रह्मचर्य का अनुसरण करता था। उस समय हमारे आचार्य यह शिक्षा देते थे कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है।

बिन्दु पातेन मृत्युनाम,
जीवनम् बिन्दु धारणात्

तो आत्मसंयम के द्वारा वे संतति नियमन का पाठ पढ़ते थे। आज की तरह नसबन्दी और लूप के जरिये संतति नियमन नहीं था। इस नसबन्दी और लूप के कारण तो आज

(श्रीमनोहरसिंह मेहता)

व्यभिचार फैलाया जा रहा है। संतति की वृद्धि को रोकने के बारे में कोई दो मत नहीं हो सकते। परन्तु इसका एक मात्र उपाय है आत्म संयम या ब्रह्मचर्य जो कि हमें अपने बुजुर्गों से मिला है।

बापू ने यह भी कहा था कि कृत्रिम साधनों की सलाह देना मानो बुराई का हौसला बढ़ाना है। उससे पुरुष और स्त्री दोनों उच्छृंखल हो जाते हैं।

हिन्दी नवजीवन में 12-3-25 को बापू ने कहा था—"अपने कर्मफल को भोगने से दुम दवाना दोष है और अनीतिपूर्ण है।"

उन्होंने हरिजन में 28-3-36 को लिखा था—मुझे मालूम है कि गुप्त पाप ने पाठशाला के लड़के और लड़कियों का कैसा भयंकर विनाश किया है। विज्ञान के नाम पर कृत्रिम साधनों को प्रचलित करना और समाज के प्रसिद्ध नेताओं की उस पर मोहर लग जाने से समस्या और बढ़ गई है और जो सुधारक सामाजिक जीवन की सिद्धी का काम करते हैं उनका कार्य आज असम्भव हो गया है।"

उन्होंने यह भी कहा कि "मुझे इसमें जरा भी शक नहीं कि जो विद्वान पुरुष और स्त्रियां मिशनरी उत्साह के साथ कृत्रिम साधनों के पक्ष में आन्दोलन कर रहे हैं वे देश के युवकों की अपार हानि कर रहे हैं।"

सबसे बड़ी हानि जो यह आन्दोलन कर रहा है वह यह है कि पुराने आदर्श को छोड़ कर उसके स्थान पर ऐसा आदर्श स्थापित कर रहा है जिस पर अमल हुआ तो मानव जाति का नैतिक और शारीरिक विनाश निश्चित है। वीर्य के व्यर्थ व्यय को प्राचीन साहित्य में जो इतना भयंकर कृत्य माना गया है वह कोई अज्ञानजन्य अन्धविश्वास नहीं था।

20-9-35 को बापू ने हरिजन सेवक में कहा था—"हमारा यह छोटा सा पृथ्वी मण्डल कुछ समय का बना हुआ खिलोना नहीं है। अनगिनत युगों से यह चला आ रहा है—जनसंख्या की वृद्धि के भार से उसने कभी कष्ट का अनुभव नहीं किया तब कुछ लोगों के मन में एकाएक इस सत्य का उदय कहां से हो गया कि यदि संतति नियमन के कृत्रिम साधनों से जनसंख्या की वृद्धि को रोका न गया तो पृथ्वी मंडल का नाश हो जायगा।"

यंग इंडिया में 2-4-25 को बापू ने कहा—"यदि यह कहा जाय कि जनसंख्या की अति वृद्धि के कारण कृत्रिम साधनों द्वारा संतति नियमन की राष्ट्र के लिए आवश्यकता है तो मुझे इस बात में पूरा शक है। मेरी राय में तो यदि जमीन सम्बन्धी कानूनों में समुचित सुधार कर दिया जाय और एक सहायक धन्धे की तजबीज कर दी जाय तो हमारा यह देश अपनी जन संख्या से दूने लोगों का भरण-पोषण कर सकता है।"

हरिजन सेवक में 31-3-46 को बापू ने कहा था—"कुत्ते-बिल्ली की तरह होने वाली इस सन्तान वृद्धि को रोकना जरूरी है लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा कि ऐसा करने से उसका ज्यादा बुरा नतीजा न निकले।"

(श्रीमनोहरसिंह मेहता)

इस बढ़ती हुई प्रजा को ऐसे उपायों से रोकना चाहिये जिनसे जनता ऊपर उठे और इसके लिये जनता को उसके जीवन से सम्बन्ध रखने वाली तालीम मिलना चाहिये। जिससे एक श्राप के मिटते ही दूसरे सब श्राप अपने आप मिट जायेंगे यह सोच कर कि रास्ता पहाड़ी है और उसमें चढ़ाइयां है हमें उससे दूर नहीं भागना चाहिये—मनुष्य की प्रगति-मार्ग कठिनाइयों से भरा पड़ा है। उससे डरना क्या उसका तो स्वागत करना चाहिये। अभी यह लॉटरी शुरू हुई है तो लगता है यह सब क्या हो रहा है। कही हम सर्वनाश की ओर तेजी से तो नहीं बढ़ रहे हैं? कौरव और पांडवों की प्रतिष्ठा जिसमें गई। युधिष्ठर जिन्होंने कृष्ण के बहुत समझाने के बाद अश्वत्थामा का नाम लेना शुरू किया और बीच में ही शंख फूंका गया वही युधिष्ठिर स्त्री तक को दाव में लगा देते हैं। यह सर्वनाश की ओर ले जाने वाला है। आज श्रम से हटा कर मनुष्य को लॉटरी की ओर ले जा रहे हैं।

मैं एक उदाहरण दूं जब मैं एक बार मकान की तरफ जा रहा था तो एक राष्ट्र-दूत बेचने वाले से एक लड़के ने पूछा जिसके कन्धे पर आटे का पीपा था—वह खुली या नहीं खुली—मैंने पूछा क्या खुली? केरल की लॉटरी का इनाम निकलने वाला था फिर पूछा तेरे आई या नहीं आई तो बताया कि मेरे आयगी तो मैं फिर इस तरह पीपा उठाने वाला नहीं हूं। आज यह सब क्या हो रहा है। श्रम से हटा कर मुफ्त की कमाई में ले जा रहे हैं। मैं तो कह सकता हूं कि शराब से जितना नुकसान होने वाला है उससे कहीं ज्यादा नुकसान इससे होने वाला है। मैं तो कहता हूं कि विकास के लिये अगर हमारे अलॉउन्स कम करना हो तो कम कर दीजिये। पंचायत समितियां जो 232 सफेद हाथी के समान हैं उनको खत्म करिये। करोड़ों रुपये लूप और बन्धीकरण के लिये जो खर्च हो रहे हैं उसको रोकिये। आज 16 रुपये नसबन्दी कराने वाले को दिये जाते हैं, 7 रुपया साथ ले जाने वाले को दिये जाते हैं और 5 रुपये डॉक्टर को मिलते हैं। मेरी समझ में नहीं आता डॉक्टर को रुपये क्यों दिये जाते हैं फिर उसको तनख्वाह किस बात की मिलती है, उसको आप बन्द करिये। जो पैसा धर्म में आता है वह धाड़े में चला जाता है इसलिये कृपा करके इसको ओर चिन्तन करिये।

आपने तीन साल में कम्पलीट शराब बन्दी की घोषणा की—उपाध्यक्ष जी, मैं राजस्थान सरकार और मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। गोवा कान्फ्रेन्स में जहाँ 7 साल का निर्णय लिया वहाँ हमारे मुख्य मंत्री जी ने तीन साल का निर्णय लिया है, इसके लिये मैं बधाई देता हूं लेकिन एक तरफ शराबबन्दी हो रही है और दूसरी तरफ आबू में शराब की बिक्री खोल रहे हैं जो एक तीर्थ स्थान है—वहाँ भी इसको बन्द करिये। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा अब वक्त आ गया है कि आप गुण की तरफ ध्यान दें क्वान्टिटी की तरफ नहीं। चाहे क्वान्टिटी थोड़ा ही हो इसकी चिन्ता न करें लेकिन उसका परिणाम अच्छा हो—इस बात की तरफ ध्यान दें। राजस्थान में वह शक्ति है इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान सब का मार्ग दर्शन कर सकता है। मैंने संक्षेप में ये बातें कहीं।

दूसरी बात आप नये कॉलेज मत खोलिये। भले ही आप दो विद्यालयों को

Page No 103

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
बन्द करके एक ही विद्यालय रख लें तो बहुत अच्छा होगा। जहां कॉलेज के विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको उद्योग में जरूर लगायें। उपाध्यक्ष जी, मैं बता सकता हूं ग्रामों में ऐसे लड़के हैं जिनके पिता चड़स ले जाते हैं लेकिन टेरीलीन के कपड़े पहिने उसका लड़का उनसे चड़स नहीं लेता है। खेत में भुट्टा या कोई चीज खाने जाता है तो माता सिसकती हुई जाती है लेकिन उसको बीमारी से राहत देने की बात नहीं करता है, वह काफी बोझ उठाती है लेकिन वह बोझ उससे नहीं लेता है क्योंकि वह काम नीचे स्तर का समझा जा रहा है। इसलिये कृपा करके इस शिक्षा को—उद्योग के अन्दर दाखिला करिये। आज हिन्दुस्तान की जो स्थिति होने वाली है वही राजस्थान की होगी—चूंकि राजस्थान ने मार्ग दर्शन किया है इसलिये राजस्थान को बचाइये। राजस्थान को तो पहल करनी है इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे इसमें पहल करें।

अधिक समय न लेकर मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 2-3 बातों को छोड़कर मुझे आनन्द नहीं आया। लूप—नसबन्दी न करें—संयम और श्रम से रहना सिखायें। आपका तो यही नारा है बस एक--दो--तीन इसकी जगह यह लिखवायें कि ब्रह्मचर्य -ही जीवन है—वीर्य की एक बूंद को बचाना परम धर्म है। नये कॉलेज कोई मत खोलिये वोट न मिले इसकी चिन्ता न करिये। कम से कम स्कूल खोलें। अगर स्कूलों की तरफ ध्यान देना है तो प्राइमरी स्कूलों की तरफ ध्यान दें। मास्टर रात को हैडक्वार्टर पर नहीं रहते···

श्री गोकुलप्रसाद (बीकानेर) : कम से कम स्कूल खोलें यह क्या बात है? आपके बच्चे तो पढ़कर ऑफिसर बनें और दूसरों के लिये कहते हैं स्कूल मत खोलो।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब जो विद्यार्थी फर्स्ट क्लॉस तथा सैकिण्ड क्लॉस में आते हैं उनका दाखिला करिये। 15-20 लड़कों के लिये एक कॉलेज खोलें यह न्याय संगत नहीं है उसके बजाय आपको स्कॉलरशिप देनी चाहिये और कॉलेज के अन्दर जो गुरुजन हैं—जो पढ़ाने वाले हैं उनके चरित्र की छाप पड़े और यदि चरित्र की छाप नहीं पडी तो अच्छे लड़के निकलने वाले नहीं है। मेरा कहना है प्राइमरी स्कूल जरूर खोलिये, मिडिल स्कूल जरूर खोलिये। चपरासी मत बढ़ाइये। चपरासियों को अगर आप जमीन देना चाहें तो दे दीजिये लेकिन साहब के यहां से उनको हटा दीजिये। जो कुछ मेरे विचार हैं वे मैंने रखे। राज्यपाल महोदय के भाषण से मेरे मन में उत्साह नहीं पैदा हुआ इसलिये ऐसी स्थिति पैदा करें जिससे राजस्थान मार्ग दर्शन करे।

(3 म. प.)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरे दल की ओर का जो समय है उसकी तरफ भी आप थोड़ा ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान में है।

श्रीमती मदनकौर।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : उपाध्यक्षजी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण

(श्रीमती मदन कौर)

पर आज चर्चा चल रही है। बहुत से माननीय सदस्यों ने केवल अकाल को ही निशाना बनाया है लेकिन जो राज्य में चहुंमुखी विकास हुआ है उसको भुला दिया है। कम से कम मेरा तो यह निश्चित मत है कि राज्य में विकास हुआ है और नयी आशा की किरणें नजर आती हैं। मुझे आशा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में यह राज्य प्रगति करेगा लेकिन फिर भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र की कुछ ऐसी समस्यायें हैं जिनकी ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना उचित समझती हूं।

राज्यपाल महोदय ने जलप्रदाय योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए यह संकेत दिया था कि चालू वर्ष के अन्त तक लगभग 12 नई नगरीय जल प्रदाय योजनाओं व लगभग 30 ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का कार्य पूर्ण हो सकेगा। इस सम्बन्ध में सदन के सभी माननीय सदस्यों को और राज्य सरकार को यह अच्छी तरह से मालूम है कि पीने के पानी की समस्या पचपदरा तहसील और बाड़मेर तहसील के बहुत बड़े भाग में है उतनी सम्भवतः कहीं भी नहीं है लेकिन इन क्षेत्रों में पीने के पानी की नयी योजनायें चालू करने का कोई प्रोग्राम मुझे दिखाई नहीं देता। मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में भाडियावास और नोकड़ी की जल प्रदाय योजनायें तैयार हो चुकी हैं। उनकी स्कीमें बन चुकी हैं और एस्टीमैट्स के मुताबिक उन्होंने 5 परसैन्ट रुपया राज्य सरकार में 4-5 वर्ष पहले जमा करा दिया लेकिन अभी भी उसे पूरा करने की बात कहीं दिखाई नहीं देती है। वहां के लोग बराबर राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार करते हैं और जो कुछ भी नियम अगर राज्य सरकार बनाये या और कोई शर्त उनके सामने रखना चाहे तो वह उसका पूरी तरह से पालन करने के लिए तैयार है लेकिन शर्त यही है कि उनको पीने के लिए पानी दिया जाना चाहिए। मेरा भी राज्य सरकार से आज नम्र निवेदन है कि इन दोनों योजनाओं को कम से कम इस वित्तीय वर्ष में अवश्य ही पूरा करा दिया जाये।

(3.01 म० प०)

(श्री कृष्णकुमार गोयल सभापति पदासीन)

विद्युत की उपलब्धियों पर सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने संतोष व्यक्त किया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में केवल बालोतरा ही एक ऐसी जगह है जहां बिजली उपलब्ध है और वहां भी बिजली की बहुत ही अव्यवस्था रहती है। शाम को लगभग रोजना ही 7 से 9 बजे तक बिजली अचानक बन्द हो जाती है न इसकी पूर्व सूचना ही होती है और जब बिजली की जरूरत ज्यादा होती है तभी बिजली बन्द किया जाना सही नहीं है।

नगरपालिका के पास पहले बालोत्तरा का बिजलीघर था लेकिन उन्होंने यह सोच कर बोर्ड को दिया था कि बोर्ड बड़ा विभाग है और अच्छी तकनीकी व्यवस्था के कारण इस बिजली की स्थिति सुधरेगी लेकिन बोर्ड को देने के बाद यह बिजली की गड़बड़ी सुधरी नहीं है बल्कि बढ़ती ही गयी है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगी कि इस बिजली की व्यवस्था को तुरन्त सुधारा जाये। राज्यपाल महोदय ने 1969-70 में 32 लाख यूनिट प्रति दिन प्राप्त होने की सम्भावना बताई है। सभापति महोदय, जोधपुर से बालोतरा को जोड़ने वाली लाईन में कुछ ऐसे बड़े बड़े गांव हैं जो लूनी नदी

(श्रीमती मदन कौर)

के किनारे बसे हुए हैं। वहां की भूमि उपजाऊ है और वर्षों से वहां सिंचित काश्त चली आ रही है लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और इससे उनकी कास्ट ऑफ प्राडक्शन ज्यादा आती है। अगर बिजली की उपलब्धि इन कुओं पर कराई जाये तो मैं समझती हूं कि कृषि का विकास होगा और कृषि के उत्पादन में अच्छी वृद्धि हो सकेगी। कई काश्तकारों ने कोई 1½ साल पहले बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन-पत्र दिये लेकिन उनमें कुछ न कुछ खामियां निकाल कर उनको बिजली उपलब्ध नहीं कराई गई। कुछ तीन-चार लोगों को बिजली दी गयी है लेकिन ऐसा सारे लोग नहीं कर सकते। उनकी एप्रोच होती नहीं है। तो राज्य सरकार को चाहिए कि जब बिजली हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो जितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं उनको तुरन्त ही बिजली उपलब्ध कराई जाये।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने नई सड़कों और पुलों आदि के बनाने पर 30 लाख रुपये खर्च किये जाने की बात कही है। सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रत्येक सड़क का अपना अलग अलग महत्व होता है लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जो सड़कें या पुल महत्वपूर्ण हैं उन्हें सब से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। जोधपुर से बाड़मेर जाने वाली सड़क पर लूनी नदी पर दो पुल बनाये जाने थे। यह बात 1965 से विचाराधीन है। अब यह केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है या राज्य सरकार के विचाराधीन है इसकी तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन यह मसला चल बहुत समय से रहा है और पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं और इसी पृष्ठभूमि में दोनों पुल सड़कों पर बनाये जाना अत्यन्त जरूरी है। मुझे उम्मीद है राज्य सरकार इसी वित्तीय वर्ष में इन दोनों पुलों का निर्माण कराने में सहायक होगी।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला है। अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि भूमि सुधार एवं जागीर उन्मूलन के कार्य जो प्रारम्भ किये गये थे वे कार्य प्रगति पर हैं। सभापति महोदय, भूमि सुधार के मामले में केन्द्रीय सरकार आधी मदद देती है लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारी राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में पचपदरा क्षेत्र में और कहना तो यह चाहिए कि सारे ही राजस्थान में कम से कम मरुस्थल क्षेत्र में तो भूमि सुधार की दिशा में कोई कदम नहीं उठाये हैं। भूमि हमारे पास है और यह हम सब जानते हैं कि उसे बढ़ाया नहीं जा सकता और भगवान ने भी इस बात पर बहुत ही कठोर कदम उठा रखा है और अधिक भूमि का निर्माण ईश्वर ने बन्द ही कर दिया है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है और पशु भी बढ़ते जा रहे हैं। इन दोनों के कारण जमीन पर अत्यधिक बोझ बढ़ता जा रहा है जिसके फलस्वरूप भूमि की क्षति निरन्तर बढ़ती जा रही है। यह क्रम बहुत दिनों से चल रहा है। मैं एक बात सदन में निवेदन कर दूं कि अगर इस भूमि की क्षति को कन्सरटेड एफर्ट्स करके इस क्षति को बन्द नहीं किया गया तो जो क्षति हजार वर्षों में हुई है वह 10-20 वर्षों में कहीं न हो जाये और एक बार भूमि बिगड़ गयी तो उसका सुधार हमारे जीवनकाल में तो हम नहीं कर सकेंगे। आज चीन और पाकिस्तान ने जो भूमि लद्दाख और कश्मीर में जबरन छीन ली है वह जमीन हम शांति

(श्रीमती मदन कौर)
वार्ता के द्वारा या बल प्रयोग के द्वारा रातों रात भी वापिस ले सकते हैं लेकिन जो जमीन चम्बल की घाटी में है और जिसकी क्षति हो चुकी है उस पर हम बहुत अधिक रुपया खर्च करने पर भी अपने पास में नहीं ले सकेंगे। आज वह जमीन तो डाकुओं जैसे असामाजिक तत्वों का घर बन चुकी है। और कम से कम हमारे जीवनकाल में तो हम उस भूमि का सदप्रयोग नहीं देख सकेंगे।/

इसी प्रकार जो पहाड़ी स्थल हरे भरे थे, पेड़ों से लदे थे आज उन पहाड़ों के वृक्षों का अन्धाधुन्ध कटान हुआ है और कटान के कारण उन पहाड़ी स्थलों पर चट्टानें और पत्थर निकल आये हैं, और सिर्फ यही नुकसान नहीं हुआ है, इन पहाड़ों की तलहटियों में जो खेती योग्य भूमि थी वह हमारे हाथों से निकल गई है। कल के दिन जो हरी भरी थी और जहां पर पानी मिलता था आज वहाँ पर खेती सूख गई है और भूमि बंजर पड़ी हुई है। उस क्षेत्र के कुओं में भी पानी गहरा होता जा रहा है।/

सभापतिजी, हम हमारे प्राकृतिक सोर्सेज को जैसे का तैसा ही काम में लेने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसमें खनिज और पानी मुख्य रूप से हैं, लेकिन यह दोनों प्राकृतिक साधन तो ऐसे हैं कि जिनको आज विकसित नहीं किया गया तो कभी भी नहीं कर सकेंगे. भविष्य में ये रिसोर्सेज समाप्त हो जायं और आगे भी नहीं रहें, लेकिन भूमि की क्षति जो आज होगी और इस रिसोर्स को ज्यादा याविकसित नहींकिया गया तो फिर हम कभी भी नहीं कर पायेंगे, यह मेरी निश्चित मान्यता है ? अतः भूमि की क्षति को रोकने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिए। इस भूमि की क्षति को जन-साधारण, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार भी देख रही है, लेकिन आज दोनों ही इसकी ओर से निष्क्रिय हैं, शिथिल पड़े हुए हैं। आज भूमि के रूप में जो रिसोर्स हमें मिला हुआ है इसको आज हमने विकसित नहीं किया तो जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इसकी क्षति इतनी अधिक हो जायगी कि हजारों वर्षों में हम इसे वापिस नहीं ला सकेंगे, और यह भूमि के रूप में जो देन हमें हमारे पूर्वजों से धरोहर के रूप में मिली है उस भूमि को हम विकसित नहीं कर सके तो उसको बिगाड़कर हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को देने का हमें कोई हक नहीं है। तो मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि भूमि-सुधार की तरफ एक निश्चित नीति निर्धारित की जाय और उसका कड़ाई से पालन किया जाय प्रत्येक जिले में। मेरा सुझाव है कि भूमि की क्षति को तत्काल दूर करने के कारगर कदम उठाने की जरूरत है।

राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर धन्यवाद-प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने मरुस्थल के विकास के सम्बन्ध में अपना एक मत व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि मरुस्थल क्षेत्र का विकास किया जाना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है। मैं उन माननीय सदस्य को और इस सदन को यह बात बताना चाहती हूं कि वैज्ञानिकों का यह निश्चित मत है कि राजस्थान का मरुस्थल इन्सान का बनाया हुआ रेगिस्तान है, और प्राकृतिक दृष्टि से इसमें कोई अभाव नहीं है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है, लेकिन वर्षों से किसानों ने इस भूमि का उपयोग अच्छी तरह से नहीं किया इसी कारण से आज इस भूमि की, इस क्षेत्र की स्थिति बिगड़ी हुई है। अभी

(श्रीमती मदन कौर)
हाल में ही आस्ट्रेलिया के एक प्रतिनिधी पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर आये। उन्होंने अपने दौरे के बाद में एक विचार व्यक्त किया था कि पश्चिमी राजस्थान की जलवायु, वहां की वनस्पति और वहां की भूमि सभी दृष्टियों से आस्ट्रेलिया के जैसी है। आज आस्ट्रेलिया में भेड़ और ऊन का उत्पादन चरम सीमा पर पहुंच चुका है। पशु-पालन वहां का मुख्य धन्धा है, और उन्होंने उसका अच्छी तरह से वैज्ञानिक ढंग से विकास किया है, तो क्या कारण है कि हमारे राजस्थान का वह रेगिस्तानी इलाका वैज्ञानिक ढंग से विकसित नहीं किया जा सके। इजराइल, ईरान और इराक वह भी भौगोलिक दृष्टि से हमारे ही जैसे हिस्से हैं, लेकिन आज वे भी विकास कर रहे हैं।

रेगिस्तान के विकास के सम्बन्ध में मेरे 2-3 सुझाव राज्य सरकार के सामने हैं और मुझे आशा है कि राज्य सरकार उस पर विचार करेगी। आज ट्यूबवैल खोदने का काम एक एजेन्सी करती है उसको कमीशन करने का काम दूसरी एजेन्सी करती है, जमीन के एलॉटमैन्ट का काम तीसरी एजेन्सी करती है, तराजा तैयार करने का काम चौथी एजेन्सी के पास में है, तो अलग अलग एजेन्सियां अलग अलग काम करती हैं, तो सारे काम एक ही एजेन्सी को दे दिये जांय तो मैं समझती हूं कि काम ज्यादा प्रभावशाली ढंग से हो सकेगा। एक एजेन्सी बना दी जाय और उसी के जिम्मे ये सारे काम सौंप दिये जायं।

नलकूप इन कुछ वर्षो से राज्य सरकार ने अपने पैसे से या केन्द्रीय सरकार की मदद से बनाये हैं। उनके लिये राज्य सरकार धन्यवाद की पात्र है, लेकिन नलकूपों को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि उनको तुरन्त कमीशन किया जाय यानी उनको तुरन्त चालू किये जायं, और प्रत्येक नलकूप के साथ कुछ सिंचित घास तैयार किया जाय। जिस तरह से खेती के लिए उन्नत किस्म के बीज तैयार किये जाते हैं उसी तरह से घास के उन्नत किस्म के बीच तैयार किये गये हैं यहां घास ज्यादा मात्रा में पैदा होता है और उस घास में पौष्टिक तत्व भी ज्यादा होते हैं। रेगिस्तान का क्षेत्र जितना भी है वह कृषि के बजाय पशु-पालन के धन्धे के लिए ज्यादा उत्तम है। जब तक वहां के पशु-पालकों को आर्थिक दृष्टि से सफल नहीं बनायेंगे तब तक उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। पशु-पालक अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से किसानों ने अच्छे बीज का उपयोग किया और खेती का सुधार किया है उसी तरह से पशु-पालक भी अपना विकास करने को तत्पर हैं. । लेकिन कुछ सुविधाएं राज्य सरकार की ओर से दी जानी आवश्यक है।

जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि अच्छी नस्ल के पशु तैयार करने के लिए यह जरूरी है कि उनके प्रजनन की अच्छी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की जाय, और दूसरा यह है कि थारपारकर नस्ल कांरेजी, हिसार और नागौरी नस्ल की गायें हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र की मशहूर हैं, लेकिन कुछ वर्षो से क्या हुआ है कि मैसूर, मध्यप्रदेश और गुजरात ने बहुत बड़ी संख्या में बहुत अच्छी कीमत देकर इस नस्ल की गायें खरीदी हैं और अच्छी नस्ल हमारे यहां लगभग खत्म होती जा रही है, और उसकी जगह पंजाब का जितना अनप्रोडक्टिव पशु है, अनप्रोडक्टिव जितनी गायें हैं वे धीरे धीरे

(श्रीमती मदन कौर)
यहां राजस्थान में आती जा रही हैं। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि अच्छी नस्ल के पशुओं के निर्यात और अनप्रोडक्टिव पशुओं के आयात पर रोक लगाई जानी चाहिए ताकि हमारे यहाँ की जो नस्ल है वह मैनटेन हो सके और यह पशु-पालन का धन्धा लाभकारी सिद्ध हो सके।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि दूध का जितना भी उपयोग है वह इन्टीरियर में केवल घी बनाने के काम में लिया जाता है और घी बनाया जाना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है। उनको अपने पशुओं के प्रोडक्ट की पूरी कीमत नहीं मिलती है। राज्य सरकार को चाहिए कि डेयरी प्रोडक्ट्स का अच्छा उपयोग किया जा सके उस हेतु उसी इलाके में डेयरी खोली जाय, दूध इकट्ठा किये जाने के साधन उपलब्ध कराये जायं, दूध ट्रान्सपोर्ट करने की सुविधाएं दी जायं और दूध का क्रीम निकालने की व्यवस्था अगर उसी क्षेत्र में की जाय तो पशु-पालकों की हालत अच्छी होगी, और उस क्षेत्र का आर्थिक विकास सम्भव हो सकेगा। अन्त में मैं राज्य सरकार से एक ही निवेदन करना चाहूंगी कि रेगिस्तानी क्षेत्र का विकास जरूरी है। चाहे वह आर्थिक दृष्टि से, आप की दृष्टि में लाभप्रद हो या न हो। वेलफेयर स्टेट का यही मतलब है कि विभिन्न क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान देगी और रेगिस्तान के लिए जल्दी ही विचार करेगी। एक और निवेदन मुझे राज्य सरकार से करना है, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर का बहुत सा पशुधन इस साल अकाल के कारण नष्ट हो चुका है। वहां के लोग पशुधन पर ही आधारित हैं। उनका पेट भरने का धन्धा ही नष्ट हो चुका है। राज्य सरकार को चाहिए कि ऐसे पशु-पालकों को पशु ख़रीदने के लिए आर्थिक सहायता दे। तथा उस क्षेत्र का सुधार हो।

श्री सभापति : श्री बाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज हमारे इस सदन को राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उस पर विचार किये जाने के लिए, समय मिल रहा है। सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक आगामी वर्ष की वित्तीय स्थिति पर राज्यपाल महोदय राज्य के सभी विधान सभाई भाइयों का आव्हान करते हैं विचार करने के लिए। अपेक्षा करते हैं कि आगे आने वाली वित्तीय स्थिति पर विचार प्रकट करें। बजट पास करें। लेकिन साथ ही इस विधान सभा ने जो गतवर्ष का बजट पास कर दिया है और वित्तीय स्थित्ति को देखते हुए राज्य ने किस प्रकार उसे व्यय किया है। उस पर गत वर्ष के बारे में करने का इस सदन को अधिकार है। आज हमें इस धन्यवाद के प्रस्ताव पर, उसकी अपेक्षा करने से पूर्व राज्य सरकार को सारी जनता के सामने यह सिद्ध करना होगा कि जो अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है व्यय करने का, उस रकम का सदुपयोग किया गया है या दुरुपयोग किया गया है। उन्हें आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। तथ्यों में प्रस्तुत करते है तो यह निश्चित हो जाता कि जो विश्वास इस राज्य सरकार में व्यक्त किया गया था, इस विधान सभा के द्वारा, जनता के द्वारा, यदि मैं इन शब्दों में कहूं कि सरकार ने जनता के साथ

(श्रीदुर्गालाल बाढ़दार)

विश्वासघात किया है उस धन का दुरुपयोग किया है तो अनुपयुक्त नहीं होगी । मेरा निश्चित मत है कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री जैसा कि मैंने अपने शब्दों में कहा है, आंकड़ों के वाजीगर हैं । जब निन्दा प्रस्ताव पर बहस चल रही थी तो मैंने ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की थी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी कि श्रीमान् आपने अकाल के लिए चन्दा किया । चन्दे के लिए दौरे बहुत किये हैं । जो जो कुछ कार्यवाही करने जा रहे है, वह सराहनीय हो सकती है । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जो रुपया आपको दिया गया है उसका सदुपयोग किया है या नहीं ? लेकिन मुख्य मन्त्री ने यह आश्वासन आज भी नहीं दिया है । जिन्होंने दुरुपयोग किया है, उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करने की जरूरत है । मैं यह कहूंगा कि उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है । कहीं कहीं वेईमानी और घोटाले किये गये हैं । यह कैबिनेट एडवाइज करती है राज्यपाल महोदय को उस पर दस्तखत करने पड़ते हैं । राज्य मशीनरी होती है लेकिन हमें विचार करना होगा हमें यह देखना होगा कि हमारी कैबिनेट कैसी है । हमारी स्टेट में हमें वही महाभारत का चित्र याद आ जाता है । हमारी धृतराष्ट्र की स्टेट है । कैबिनेट दुर्योधन की कैबिनेट है । इस धृतराष्ट्र के आंखे नहीं हैं बिना आंखो के दस्तखत करते हैं । जो कैबिनेट है उसमें शकुनी मामा जिसके मन्त्री हैं । जिन्होंने चोरी और जुआ का दाव लगाया और किसी तरह से पांडवों से विजय नहीं मिलती है तो जुऐं से सही आज हमारी वही स्थिति है । जैसे कि महाराज धृतराष्ट्र अंधे होकर दस्तखत करते हैं । माननीय सभापति महोदय, यह स्थिति राजस्थान के कैबिनेट की है । आप जनता की ओर ध्यान न देकर, इतने स्वार्थी हैं कि अपने भविष्य की ओर ध्यान देते हैं । लेकिन आपका भविष्य तभी उज्जवल होगा, जब आपको जनता का विश्वास प्राप्त होगा । अगर आप इस पर विचार नहीं करेंगे तो आपका वही हाल होगा जो दुर्योधन की कैबिनेट का और धृतराष्ट का हुआ है । इसलिए सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण पर जहां तक धन्यवाद के विषय की बात है, धन्यवाद तो जनता के हृदय से निकलता है । राजस्थान का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 1967 की घटना के बारे में न जानता हो । जैसा कि जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा, जिस प्रकार 1967 में अपने राज्य को स्थापित करने के लिए जयपुर के लोगों के साथ ही नहीं बल्कि राजस्थान के लोगों के साथ, राजस्थान की जनता के साथ जो अन्याय सरकार ने किया वह किसी से छुपा नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह आप कह रहे हैं । यह नहीं कहना चाहिए ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह तो वैरी साहब ने कहा है । कोई अन्तर नहीं हो सकता है । आप लोग अपनी वचत के लिए किसी भी प्रकार का तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं । राज्य सरकार को वैरी कमीशन की रिपोर्ट के अन्दर पूर्ण दोषी करार दिया गया है । क्या वह व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन नहीं थी ? क्या प्रजातन्त्र के अन्दर एक मिनिस्टर जो काम करता है, उसके लिए सारी कैबिनेट

Page No 110

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

जिम्मेदार नहीं है ? सारे कैबिनेट की जिम्मेदारी है। बैरी कमीशन की रिपोर्ट में ब्रूच्युअल एक्शन के लिए एक हाईकोर्ट के जज की मान्यता के पश्चात् हमारी कबिनेट खामोश रहती है। दोषी वही नहीं होता है जो स्वयं जाकर अपराध करता है, बल्कि मैं तो यह कहूंगा किसी कनायवेन्स है या किसको दोष के निराकरण करने का अधिकार कानून के अन्तर्गत प्राप्त है, वह दोष को नहीं रोकता है, या अपराध को नहीं रोकता है तो उसका उतना ही अपराध होगा जितना अपराध करने वाले का है। तो कौनसे तरीके से इनका दोष मानने को आप तैयार नहीं हैं ? मेरा निवेदन है कि राजस्थान की कैबिनेट, राजस्थान के मंत्रिमंडल के मंत्री उतने ही अपराधी और दोषी है जितने कि वह सिपाही, जिन सिपाहियों ने जयपुर के जौहरी बाजार में गोली चलाई। इसका जवाब आपसे नहीं मिल सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि जब केन्द्रीय होम मिनिस्टर ने रेडियो पर अनाउन्स कर दिया था कि जयपुर में 144 धारा हटती चली जा रही है और उससे पहले जयपुर नगर के अन्दर से यहां विरोधी दलों के नेताओं के द्वारा जुलूस निकलने जा रहा था तब स्पष्ट रूप से वड़ी चौपड़ की मीटिंग में विरोधी दल के सारे लोग उपस्थित थे। उस मीटिंग के अन्दर 92 आदमी एक साथ बैठे हुए थे। उससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितने विरोधी लोग उस दिन जनता के सामने बैठे थे। जनता को उनके चहरे दिखाये गये थे। उससे स्पष्ट प्रमाणित होता था कि बहुमत विरोधी दलों का है और बहुमत कैबिनेट के पास नहीं है। उसके बाद यह स्थिति आ गई कि स्थिति आन्दोलन की ओर जाने लगी। उसके बाद स्वतन्त्र पार्टी की पार्लियामैन्ट सदस्या महारानी गायत्री देवी ने जाकर केन्द्रीय होम मिनिस्टर से बात की और उनसे चर्चा करने के बाद इस बात का निराकरण कराया कि जयपुर के अन्दर 144 धारा लग रही है वह अवैधानिक है, अनुचित है और इसको कायम रखने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। उन्होने पब्लिक के सामने जाकर भी यह कहा था कि हमको शांतिपूर्वक कार्य करना है। आम जनता को इन्स्ट्रकशन इस बात के नेताओं के द्वारा दिये गये कि शातिपूर्वक काम करना है। जिस वक्त पांचवत्ती के ऊपर श्री भैरोंसिह जी गिरफतार होने वाले थे तो भैरोंसिह जी ने जनता से कहा कि हमको शान्तिपूर्वक और वैधानिक ढंग से आन्दोलन को चलाना है इसलिए यहाँ से जनता को शाँतिपूर्वक वापिस चले जाना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद जिस प्रकार की कार्यवाही जौहरी बाजार में की गई, उसके सम्बन्ध में मैं एक स्पष्ट बात और निवेदन करना चाहता हूं आपके सामने, माननीय सभापति महोदय, कि बैरी कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्टरुप से यह लिखा हुआ है, जहाँ तक जौहरी बाजार में गोली चलाने का सवाल है उस गोली चलाने के प्रश्न में राज्य सरकार का उतना ही दोष है जितना दोष एक अपराधी का होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का उतना ही दोष है जितना दोष एक अपराधी का होना चाहिये। अब यह रिपोर्ट कब की कैबिनेट के पास पहुंच गई लेकिन उसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए इसे जनता के सामने नहीं आने दिया गया। मैं

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

पूछना चाहता हूं कि इसको गोपनीय रखने का क्या कारण था ? वह कारण एक ही था कि जिस कैबिनेट के द्वारा सारी कार्यवाहियां जयपुर के अन्दर कराई गई, उस कैबिनेट को अपने बचाव के लिए कोई रास्ता तलाश करने की जरूरत थी। आप देखेंगे, बैरी कमीशन ने जो जो रिकमेन्डेशन्स की हैं, उनके आधार पर उसमें राज्य सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि जिन लोगों का अपराध इस सम्बन्ध में मालूम हो जाय, उनको राज्य सरकार को अकार्डिंग टू द लॉ डील करना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया है। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई आश्वासन राज्य सरकार की ओर से नहीं आया है। इसके विपरीत हुआ क्या है कि उस समय तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने अधिकारी थे जिनका हाथ इस गोली कांड में हो सकता था, उन सारे अधिकारियों की पदोन्नति करदी गई है, यह एक निर्विवादित और सत्य बात है। तो फिर किस प्रकार की अपेक्षा हम राज्य सरकार से करके चल सकते हैं।

अब भी हम पक्षपात रहित दृष्टि से इस राज्य सरकार को जब गत वर्ष की कार्यवाहियों को देखते हैं, और इस राज्य सरकार की नीति को देखते हैं तो उनके आधार पर हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि जनता के समक्ष जनता द्वारा व्यक्त किया गया विश्वास इस राज्य सरकार ने बिल्कुल खो दिया है। जनता के द्वारा जो पैसा इस राज्य सरकार को टैक्स के रूप में दिया गया उस रुपये का इस राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल सदुपयोग नहीं किया गया है। इस राज्य सरकार के द्वारा भविष्य में नेक नीयती से काम होगा—इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। जब इस प्रश्न पर कल्पना तक नहीं की जा सकती है तो निश्चयात्मक रूप से जो इस धन्यवाद प्रस्ताव से सहमति प्रकट करने का सवाल है वह कदापि उत्पन्न नहीं होता है।

सभापति महोदय, आपको विदित होगा, जहां तक राज्य के अन्दर भीषण अकाल का प्रश्न है, स्वयं राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रान्त में फैले हुए भीषण अकाल का जिक्र किया है। इस अकाल के कारण राजस्थान का तीन चौथाई भाग इस प्रकार से ग्रसित हो गया है कि जन जीवन बिल्कुलग्रस्त व्यस्त हो गया है। यह मान्यता राज्यपाल की है इस बात को राजस्थान के राज्यपाल स्वयं मान कर चलते हैं तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार का यह पुनीत कर्त्तव्य नहीं हो जाता था कि वह इन अकालग्रस्त क्षेत्रों को ठीक रूप से सहयता पहुंचाने के दृष्टिकोण से अपने साधनों को इतना सम्पन्न बनाये, और जो अपव्यय फैला हुआ है राज्य शासन में उसको कम करने की चेष्टा करें, लेकिन राज्य सरकार और इसके मंत्रिमण्डल के सामने यह प्रश्न पैदा नहीं होता है। राजस्थान के मंत्रिमण्डल में मंत्रियों की संख्या इतनी बढ़ी हुई है और वही चली आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में बराबर 1952 के पश्चात् से कांग्रेस की सरकार अपना कार्य करती चली आ रही है। प्रशासन में सुव्यवस्था बताने की दृष्टि से जब आंकड़े बताने का प्रश्न आता है तो हमारे जो मुख्य मंत्री हैं आंकड़े बताने में उनसे अधिक चतुर आदमी कोई मुझे दिखाई

(श्रीदुर्गालाल बाढ़दार)

नहीं देता। वह अभी बता देगें कि फलां विभाग में इतनी कमियां रह गई थी इस लिए उन्हें आदमियों की आवश्यकता पड़ी मैं पूछना चाहता हूं कि आंकड़ों के आधार पर ही आप बता दीजिये, जितनी दुर्व्यवस्था इस प्रशासन में गत वर्ष से चली आ रही थी, उस दुर्व्यवस्था को इस कैबिनेट के मंत्रियों की संख्या बढ़ा देने से कितना आप कम कर सके हैं। इस लिए प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के दृष्टिकोण से आपने ऐसा किया हो ऐसी बात नहीं है। आपने जो मंत्रिमण्डल का विस्तार किया है, उसमें एक ही कारण निहित लगता है कि किसी प्रकार आप अपनी शक्ति को बनाये रखना चाहते हैं। मैं तो, जहां तक आपकी नीति का प्रश्न है, निवेदन करता हूं कि उसे आप स्वयं अच्छी तरह से समझ सकते हैं लेकिन जनता की वास्तविक भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार मैं अपना समझता हूं। आपके कानों तक जनता की इन बातों को पहुंचाने का अधिकार कि जनता आपसे इन बातों की अपेक्षा नहीं करती है। जनता आपसे स्वच्छ प्रशासन चाहती है, जनता आपसे अपेक्षा करती है कि जो शिकायतें जन साधारण की दिनचर्या में आने वाली हैं, रोजमर्रा उनके सामने आने वाली हैं, उन शिकायतों का निराकरण करने की आप चेष्टा करें।

आपके सामने जहां तक पढ़े लिखे बेरोजगारों का सवाल है, वह कितने अर्से से चला आ रहा है। कई बार आपने इस सम्बन्ध में स्टेटमैन्ट दिया है उनमें आप स्वयं यह मान कर चलते रहे हैं कि हमारे यहां कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती जा रही है दिनों दिन जिनके कारण उतने लोगों को आप रोजगार नहीं दे सकते जितने लोगों को रोजगार देने की सरकार मान्यता रखती है। आप स्पष्ट रूप से यह नहीं मानते कि बेरोजगारी ज्यादा है लेकिन दबे हुए स्वर में होशियारी के साथ इस बात को माना है कि जितने लोगों को रोजगार देने का सवाल पैदा होता है उतने लोगों को आप रोजगार नहीं दे सकते। इस का क्या कारण है ? क्या आपने अपनी योजनाओं के अन्दर इस प्रकार की कोई योजना बनाई है जिस योजना के आधार पर कॉलेज और स्कूल से निकलने वाले प्रत्येक छात्र का आप एम्प्लायमैन्ट दे सकें। आपने ऐसी कोई योजना निश्चित रूप से नहीं बनाई। अभी हाल ही मेरे भाई मनोहरसिंह जी ने बताया था कि यूनिवर्सिटी में जो कन्वोकेशन हुआ था उस समय इन्जीनियर्स ने वहां पर एक चाय की दुकान खोली थी, वह एक प्रकार से आपके कानों में यह बात पहुंचाने के लिए खोली थी कि आज पढ़े लिखे लोगों की यह हालत है कि उनको चाय की दुकान खोलनी पड़ती है। मेरा निवेदन है कि आज वह लोग अपने पेट के लिए चिल्लाते रहे लेकिन उनकी आवाज राज्य सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती है। फिर आप किस आधार पर कहते हैं कि सरकार को टैक्निकल हैन्ड्स की जरूरत है। या मैडिकल हैन्ड्स की जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है, या इंजीनियर्स की जरूरत है। सभापति महोदय, आप आंकड़ों को उठाकर देख लीजिये, जितने डॉक्टर और जितने इंजीनियर अवेलेबल होते हैं उनको एम्प्लायमेंट देने का सवाल नहीं है। इस सम्बन्ध में पचासों प्रश्न राज्य सरकार से इस सदन में पूछे जाते हैं। आज कई शफाखाने ऐसे पड़े हैं, जहां पर फर्स्ट ग्रेड कम्पाउन्डर आपने लगा रखे हैं। बहुत से ऐसे हैं जहां

(श्री दुर्गालाल वाड़दार)
पर नर्स को आपने छोड़ रखा है। उनकी व्यवस्था करने के लिए आपको डॉक्टर नहीं मिलते हैं जब डाक्टर बेरोजगार घूमते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (चिकित्सा मन्त्री) : मेहरबानी कर के दो तीन डाक्टर भी बेरोजगार हों तो उनके नाम दे दीजिये, कल ही उनको अपोइन्टमैन्ट दिला दूंगा।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : अजी आपसे तो क्या अपेक्षा की जाय, मैं तो कई बार आपको कह चुका हूं, आप क्या करेंगे। यह तो बड़ी शर्म की बात है कि आज शफाखाने में यह हालत है, आप जाकर जांच कर लीजिये कि जितने मरीज हैं, उनको 8 मरीजों के पीछे दो किलो दूध सारे दिन में देते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अभी तो आप डाक्टरों की बेरोजगारी की बात कर रहे थे और अब दूध की बात करने लग गये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप व्यवस्था क्या करेंगे। शफाखाने में गरीब जा कर इलाज करायेंगे, राजधानी का शफाखाना है, इतना बड़ा राजस्थान है, उस शफाखाने में शहर के भी मरीज जायेंगे, गांवों से भी मरीज जायेंगे, गांवों से आने वाले मरीज जिनके पास खाने तक का साधन नहीं होता, उनके लिये दूध की व्यवस्था होनी चाहिये, वहां आपने उनको जो दूध मिलता था उसको भी कम कर के रख दिया। दो किलो दूध दिन भर में 8 मरीजों को देते हैं, यह आपकी व्यवस्था है। सवाई मानसिंह अस्पताल की तो स्थिति आपने ऐसी खराब कर दी है कि वहां मरीज़ों को दवाई नहीं मिलती। शफाखाने में आप दवाइयां देते हैं पर मरीजों को पर्ची लिख कर दे दी जाती है कि यह दवाइयां बाजार से ले कर आओ। आप शफाखाने का बजट देख लीजिये कितना खर्चा दवाइयों पर बताते हैं पर मरीजों को वहां दवाइयां नहीं दी जाती हैं कह दिया जाता है बाजार से दवाइयां ले आओ, सवाई मानसिंह अस्पताल का खर्चा कितने लाख का है पर मरीजों को वहां आप दवाइयां नहीं देते। पता नहीं इन्जेक्शन आपके घर चले जाते हैं, मिनिस्टर्स के घर पर चले जाते हैं। वैसे आप उत्तर में कह देंगे कि हमने इतना लाख रुपया सवाई मानसिंह अस्पताल पर खर्च किया है। खर्चा आप करते हो तो वहां अच्छी व्यवस्था, अच्छा प्रशासन करना चाहिये। खर्चा करते हो तो क्या हम पर अहसान करते हो, करोड़ों रुपया टैक्स जनता पर लगाते हो, जो टैक्स के रूप में करोड़ों रुपया आप वसूल करते हो वह जेब में धर कर तो आपको ले जाने देगें नहीं खर्चा तो करना ही पड़ेगा पर ट्रस्ट के रूप में जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा टैक्स के रूप में कैबिनेट के पास रखते हैं, उसका आप सदुपयोग करते हैं या नहीं, सदुपयोग नहीं करते हैं तो जनता आपसे अपने रुपये का हिसाब मांगेगी और आप पर आरोप लगायेगी।

आप कहते हैं कि बिजली इतनी लगा दी, इतने कुए खुदवा दिये। आपको याद होगा कि भंगियों ने हड़ताल की थी तो तीन दिन तक निवेदन करने के बाद आपसे समय लिया और आपको मौके पर ले जा कर बताया कि इस तरह का नारकीय जीवन हम लोग बिताते हैं, जिस तरह गंदगी के कीटाणु गंदगी में रहते हैं उस तरह का जीवन हम लोग बिता रहे है। मैं आपको धन्यवाद

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
देता हूं कि 15-20 मिनिट तक आपने हंस कर हमारी बात को सुना पर वही:

हंस कर टाल बनाने का मेरा ढंग निराला है, मुझको मंत्री पद प्यारा है।

न ना कहा और न हां कहा, आज तक वहां नालियां नहीं बनती हैं। जब जवाब देंगे तो कहेंगे कि इतना लाख रुपया मैंने जयपुर पर और खास तौर से इतना लाख रुपया जयपुर नगर पर खर्च कर दिया पर खर्चा आपने वहां कर दिया जिन सड़कों पर रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं थी, उन सड़कों पर तारकोल बिछा दिया, रामनिवास बाग में फव्वारा लगा दिया, पटरियां बना दीं। पर जो 10 दिन से भूखा पड़ा हुआ है, उसको आपसे एक टुकड़ा भी रोटी का नहीं दिया जा सकता और जिसका पेट भरा हुआ है, जो जिंदा रह सकता है उसको दूध का ग्लास और दिया जा रहा है। यह खर्चा करने का आपका तरीका है। आप आंकड़े रखने में बड़े माहिर हैं, जनता गुमराह हो जायगी सुखाड़िया साहब अपने आंकड़ों से कह देंगे कि मैंने जयपुर पर इतने लाख रुपया खर्च किया है। जो सुझाव आपके सामने आते हैं उनको आप मानते नहीं और जनता को आंकड़ों के आधार पर गुमराह करते हैं। इसलिये हमें कहना पड़ता है कि जिस तरह आज राजस्थान सरकार चल रही है, वह प्रशंसनीय नहीं है। यह हमारा कर्त्तव्य है कि प्रशासनिक कार्यों का विवेचन करें, जिससे स्पष्ट हो जायगा कि किस तरह प्रशासन आगे काम करने जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात और बताता हूं, राज्य सरकार प्रशासन में त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को नोटिस में लाने के बाद भी मूक रहती है, खामोश रहती है। इसका कारण क्या है, यह मैं व्यक्त नहीं कर सकता, हो सकता है कि उनकी निजी मजबूरियां हैं, क्योंकि प्रजातन्त्र की शासन व्यवस्था में वोटों से काम चलता है। एक शक्तिशाली व्यक्ति है, जिसके पास ज्यादा मताधिकार हैं, वह व्यक्ति यदि कोई अनुचित कार्य भी करता है तो उसके विरुद्ध आप कोई एक्शन न लेकर प्रश्रय देते हुए चलते हैं। मैं कहता हूं, इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं करिये पर आटे में नमक जितनी बेईमानी तो चल जायगी पर आप तो नमक में आटा मिलाने जा रहे हैं। इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन का भार वहन कर रहे हैं तो आप इसके उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते। जहां जनता को फायदा होने की बात होगी, वहां आप कानून नहीं बनायेंगे, कोई ऑर्डिनेन्स नहीं लायेंगे, आप ऑर्डिनेन्स कहां लायेंगे, जहां हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई निर्णय दे दिया तो वहां आप ऑर्डिनेन्स लायेंगे और इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स लाकर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मन्त्री महोदय, आपसे, आप निश्चियात्मक रूप से बता दीजिये कि 184 विधायकों का यह सदन है, उनमें से अभी जो ऑर्डिनेन्स ले कर आ रहे हैं, उस ऑर्डिनेन्स से कितनों को लाभ पहुंचाने के लिये ला रहे हैं। आंकड़ों के आधार पर पूछता हूं क्योंकि आप आंकड़े रखने में कुशल हैं, आंकड़ों के आधार पर बता दीजिये कि इस ऑर्डिनेन्स के लाने से कितने व्यक्तियों को राहत मिलेगी।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर): आपको भी कभी लाभ मिल सकता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं कोई लाभ नहीं उठाता, यह सब जानते हैं, जहां तक व्यक्तिगत मसला है, प्राईवेट केसेज का सवाल है, 7 साल हो गये एक भी प्राईवेट केस मैंने नहीं लिया ईश्वर इतना देता है :

"सांई इतना दीजिये, जितना पेट समाय।
मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाय।।"

आपके जितना मोटा पेट तो है नहीं कि मरे ही नहीं......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपका पेट कितना बड़ा है, मुझे मालूम है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : पेट आप ही का बढ़ा हुआ है, इस पेट के गर्भ में क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, पर गर्भ जरूर है क्योंकि पेट बढ़ा हुआ है, अब इस पेट में क्या है, यह तो ईश्वर ही जान सकता है।

श्री सभापति : पेट में कुछ जरूर है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सभापति महोदय, सूक्ष्म में मैं इतना जरूर निवेदन कर दूं कि जहां प्रशासन में इस प्रकार की बातें आती हैं तो शान्तिपूर्वक विचार करना चाहिये।

एक नीति सरकार की जो चल रही है वह वास्तव में बहुत बुरी है, आपके पक्ष के लोगों ने भी इस पर प्रकाश डाला है और मैं भी थोड़ा इस पर प्रकाश डालूंगा। आज आपकी सरकार की यह स्थिति हो गई है कि अन्डर दी रूल कोई आदमी कोई काम करवाना चाहे तो उसका काम नहीं होगा, प्रोसीजरल काम्प्लीकेशन्स इतने बढ़ गये हैं कि कोई भी आसानी से आपके कार्यालय से काम नहीं करवा सकता। इसके परिणाम-स्वरूप लोगों ने दूसरी विचारधारा अपनाई है। खेती की जमीनों का जहां तक सवाल है लोग अनऑथोराइज्ड ऑक्युपेशन कर लेते हैं, उसमें कुछ ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति आ जाते हैं कि आपको उन अनऑथोराइज्ड ऑक्युपेशन्स को रेगुलेराइज करना पड़ता है। क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की आप में शक्ति नहीं है। रूल ऑफ लॉ रेस्पैक्ट किया जाना चाहिये वहां डिस्रेस्पैक्ट ऑफ लॉ की स्थिति हो रही है। इसका नतीजा यह होता है कि आज अन्याय और अनैतिकता हमारे राजस्थान में बढ़ती जा रही है। खेती की भूमि के अलॉटमैन्ट के मामलों को ले लो, यू० आई० टी० की भूमि के अलॉटमैन्ट के मामलों को ले लो आज अन्याय और अनैतिकता का बोलबाला है। आपने एक नोटिफिकेशन निकाला कि 64 तक जिनका कब्जा है उनके कब्जे को रेगुलेराइज कर दिया जायगा, कैसे प्रशासन के लोग काम करते हैं, एक बुद्धिमान् चीफ मिनिस्टर जो 20 साल से काम करता आ रहा है, किस तरह से तहसीलदारों ने रिपोर्ट की, और कैसे खातेदारी अधिकार दे दिये, क्या कभी आपने इसकी जांच की है। ईमानदारी से रहने वाले आदमी को दो बीघा जमीन भी आपकी सरकार नहीं दे सकती। जिसने अनऑथोराइज्ड ऑक्युपेशन कर लिया तो उसे राज्य सरकार रेगुलेराइज कर देगी। अगर आप राजस्थान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं तो लॉ को रेस्पैक्ट करके सख्ती से काम लेना होगा। चाहे आप जैसा इन्फ्लूएन्शिअल आदमी भी अनऑथोराइज्ड ऑक्युपेशन करले तो उसके खिलाफ ईमानदारी से एक्शन लिया

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

जाना चाहिये। पर 67 के बाद और तरह का नोटिफिकेशन आप ले आये।

मैं नहीं चाहता कि यह भावना पैदा हो कि यह सरकार जूते के बल पर देने वाली है लेकिन यह भावना आपकी सरकार ने पैदा कर दी।

आज हमारे राजस्थान में संस्कृति के आधार पर और सभ्यता के आधार पर यह मान्यता है कि सारे देश में राजस्थान ही एक ऐसा प्रान्त है जहाँ कुछ भारतीय संस्कृति के अवशिष्ट अंश अब तक विद्यमान हैं और उनकी सुरक्षा का दायित्व राजस्थान सरकार की कैबिनेट का है और सबसे बड़ा उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री जी आप पर है क्योंकि आप सदन के नेता हैं और मंत्री मंडल को चलाने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नैतिक स्तर पर छात्रों में नैतिक बल उत्पन्न हो और चरित्र के विषय में शिक्षा दी जाय इस ओर सरकार का ध्यान आज तक नहीं गया और उसका परिणाम क्या हो रहा है ? छात्रों में असंतोष की भावना बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से फैलती हुई जा रही है। यदि आपने इस दृष्टिकोण से नहीं विचार किया तो निश्चय ही एक दिन ऐसा आएगा कि यह संस्कृति जहाँ विद्यमान है वहाँ भी लुप्त हो जायगी। लेकिन आप अपने राज्य को धर्मनिर्पेक्ष मान कर चलते हैं। मेरा यह आशय नहीं कि धर्म की वास्तव में कोई क्लासिज या संस्थायें चलाई जांय लेकिन जो नैशनेलाइज्ड पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें कम से कम आप इस प्रकार की बात रख सकते हैं कि स्क्रिपचर्स क्या है। आज आप विद्यार्थियों से पूछें कि राम कौन था, कृष्ण कौन था तो बहुत से विद्यार्थी शायद अनभिज्ञता व्यक्त करेंगे। आखिर देश की संस्कृति के प्रति, जिसकी रक्षा के लिए इतने बड़े संघर्ष देश में हुए, उसके बारे में ध्यान देने की चेष्टा नहीं की गई।

जहां तक प्राईमरी शिक्षा का सवाल है, स्कूल आपने बहुत खोले हैं, आंकड़ों के आधार पर काफी खोलें हैं। मैं कहूं कि नहीं खोले हैं तो अनुचित होगा लेकिन मेरा प्रश्न हमेशा यही रहता है कि इन स्कूलों को खोलने में भी आपके सामने वही राजनीति आती है। जिन गांवों में आबादी ज्यादा है, जहां लोग भवन देने को तैयार हैं, विद्यार्थी जहां ज्यादा आते हैं, उस जगह न खोलकर पास के छोटे गांव में खोलते हैं। इससे लोगों में असंतोष फैलता है। शिक्षा का स्तर तो गिर गया लेकिन अध्यापकों में इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि वे स्वयं विद्यार्थियों को अशुद्ध पाठ तो न पढ़ायें। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि बहुत से अध्यापक तो शुद्ध हिंदी तक नहीं लिख सकते, अंग्रेजी तो दूर रही। जहां ह्रस्व और दीर्घ की अशुद्धियां आयेंगी तो जिन नींव के पत्थरों पर भवनों का निर्माण करना चाहते हैं, आप देश का निर्माण करना चाहते हैं, तो यह कैसी कल्पना है ? इसलिए जो प्राइमरी शिक्षा का प्रश्न है उसको महत्व देना चाहिए और सुधार के ठोस कदम उठाने चाहिए।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है यह कहते हुए कि यह राजस्थान है। सारे हिन्दुस्तान में होली और दिवाली ये दो प्रधान त्यौहार माने जाते हैं। सांप्रदायिक भावना मेरे अन्दर होने का प्रश्न पैदा नहीं होता लेकिन होली

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

जैसे पर्व पर सार्वजनिक छुटटी न हो, तो आपकी संस्कृति क्या विलायत चली जाती है या आस्ट्रेलिया से आप सीख आए हैं ? यह धर्मनिर्पेक्षता कहां से आ गई ? किसने सिखाई और छुट्टियाँ करते हैं नेताओं की। मुझे इससे भी राग-द्वेष नहीं क्योंकि देश के महान व्यक्तियों के जीवन के विषय में प्रकाश डालना भी राज्य सरकार का कर्त्तव्य है लेकिन अनादिकाल से इस देश में जो दो पर्व चले आ रहे हैं उनमें से होली पर छुट्टी न करने के क्या कारण हैं ? मैं जानता हूं कि कम से कम भारतीय संस्कृति से आप द्वेष रखने वाले नहीं, फिर कौनसे कारण हैं ? आप इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें। होली का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर्व के आधार पर निश्चित रुप से कहा जा सकता है कि सुरी व आसुरी विज्ञान और आध्यात्मिक दोनों संस्कृतियों का संघर्ष इस देश में प्रारम्भ से चला आ रहा है और हिरण्याकश्यप सबसे बड़ा वैज्ञानिक था, वह एयर-प्रूफ था, वाटर-प्रूफ था, लाइट-प्रूफ था और सब प्रकार की शक्ति अपने आप में रखता था जिसके आधार पर आज का विज्ञान कहता है कि कोई राम भगवान नहीं है और है तो नष्ट कर दिया जायगा। इसी प्रकार भौतिकवादी हिरण्याकश्यप भी इसी मान्यता को लेकर चलते थे और उसने अपने पुत्र से भी कहा कि जो चाहो दूंगा, प्रकाश, पानी दूंगा, सूरज दूंगा, रेन दूंगा, सारी चीजें मेरे पास हैं तो जो चीज दृश्य नही अदृश्य है उसकी कल्पना क्यों करते हो। तो इस प्रकार से दो संस्कृतियां सुरी व आसुरी भावना, आध्यात्मिक और भौतिकवाद इन दोनों का संघर्ष देश में अनादिकाल से चला आ रहा है। आपको आध्यात्मिकवाद कहते हैं तो आपको श्रद्धा नहीं। कम से कम आप अपना आध्यात्मिकवाद सिद्ध करने के लिए चेष्टा करें कि इस पर्व पर छुट्टी घोषित न करने के क्या कारण हैं ?

विषय तो बहुत हैं लेकिन छोटी सी एक और बात कहना चाहता हूं। अंत में एक बात और कहूंगा कि हमारे राज्य में सीलिंग कानून को आपने लगाया और वह कानून बनाने के पश्चात् उस पर अमल अब तक न करने के क्या कारण थे और आज आप इस पर अमल करने जाते हैं तो इससे पूर्व उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कानून में आपने प्रावधान रख दिया कि जब से यह कानून फोर्स में आया अधिकारियों को अधिकार है कि जो ट्रांसफर हैं जिस समय कानून फोर्स में आया उसके उपरांत किए जाते हैं तो सरकार की डिस्क्रेशन पर होगा कि उन ट्रान्सफर्स को वैलिड मानें या इन्वैलिड यह भी एक निर्विवाद बात है कि इन भूमियों का ट्रांसफर ऐसा कर दिया गया है कि एक ही हाथ से दूसरे हाथ पर परिवर्तित हुई भूमियां विभिन्न व्यक्तियों के पास चली हैं। आज उस कानून को एन्फोर्स करने से पहले आपको यह करना होगा कि फर्स्ट ट्रांसफरी, सबसीकुएंट ट्रांसफरी और सबसीकुएंट जितने ट्रांसफरीज हैं सारे के सारे इन्वाल्वड होंगे देयर आर बोनाफाइड परचेसर्स विथ गुड कन्सीडरेशन उसमें इन्वेस्टमैन्ट भी आपने कर दिया है। इन्वेस्टमैन्ट के बाद जब आप कानून को एन्फोर्स करने जायेंगे तो खातेदारी राइट्स को समाप्त करेंगे तो ओरिजिनल टांसफर्स के अधिकारियों को लेकर सबसीकुएंट

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

ट्रान्सफर्स और बोनाफाइड पर्चेजर्स विथ गुड कन्सीडरेशन उनके लिए क्या रेमिडी रखी ? नियमों के अनुसार खातेदारी अधिकार हैं। किसी ने जमीन खरीदी, किसी ने सिवाय चक की जमीन पर अनुचित कब्जा कर लिया और फिर रेगुलेराइज करा लिया। उन्होंने यह बुद्धिमानी नहीं की कि एग्रीकल्चर लैंड में दो चार लाख का बंगला बनवा लेते और राज्य सरकार कुछ नहीं करती और सारे मामले को रेगुलेराइज कर देती और पेनेल्टी भी रियेलाइज नहीं करती। उन्होंने यह बेवकूफी की। क्योंकि राज्य सरकार कानूनी तौर से किये गये काम को नहीं चाहती है। गैरकानूनी काम करते जाओ और मौका आये तो रेगुलेराइज कर दिया जावेगा। यह लो लैसनैस फैली हुई है। जो रेगुलेराइज तरीके से कानून के अनुसार काम करना चाहते हैं उनकी ओर भी ध्यान देना होगा।

(4 म. प.)

समयाभाव से मैं अधिक न कह कर यही सुझाव दे रहा हूं कि राज्य सरकार यदि जनता को कुछ भी राहत देने का कार्य करती है तो वह अपने कर्त्तव्य का पालन करने की चेष्टा करती है।

धन्यवाद का प्रस्ताव आया। सवाल तो यह है कि आपने तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है मिसट्रस्ट किया है। जो विश्वास हमने आप में व्यक्त किया था उसको आपने पूर्ण रूप से निभाया नहीं।

(4.1 म. प.)

(प्रो. श्री केदारनाथ सभापति पदासीन)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): आपने विश्वास कब व्यक्त किया था ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने कब किया था ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : बड़े दुःख की बात यह है कि आपसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं तो राजस्थान की जनता का एक अंश मात्र हूं और मेरे और आप में कोई अन्तर नहीं है। अध्यात्मिक दृष्टि से भी जो ब्रह्म आप में है वही ब्रह्म मेरे में है। जहां हमने विश्वास व्यक्त किया वहीं राजस्थान की जनता ने विश्वास व्यक्त किया राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व आप भी करते हैं और मैं भी करता हूं। लेकिन फर्क यह आ गया है कि आप पर ट्रस्ट करके ईमानदारी से कर्त्तव्य का पालन करने का भार सौंपा उसको आपने पूरा नहीं किया।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह कैसे पालन नहीं किया जब कि आप में और उनमें एक ही ब्रह्म है ?

श्री सभापति : श्री रूपसिंह।

राजवी श्री रूपसिंह (चूरू) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद चल रहा है। कुछ माननीय विधायकों ने अपने कुछ व्यू पॉइन्टस् और सजेशन्स अभिभाषण को डिस्कस करते हुए सदन के सामने रखे उन को सुनने का मुझे अवसर मिला। मैं भी अपने कुछ सजेशन्स देऊंगा।

सभापति जी, हमारा देश भारतवर्ष एक सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। उसका मेन प्रिन्सिपल है : To secure justice, लिबरटी, इक्वेलिटी एन्ड फ्रेटरनिटी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे कानूनी विशेषज्ञों ने, विद्वान पंडितों

(राजवी श्री रूपसिंह)

ने कानूनी अनुदान देकर एक संविधान बनाया। उसके अनुसार हमारा यह देश एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है और उसका हैड प्रेसीडेन्ट ऑफ इन्डिया है। उनको प्रेसीडेन्ट ऑफ इन्डिया होने के नाते यह फर्ज हो जाता है कि तमाम रियासतों का शासन सूत्र अपने हाथ में रखें या हर एक रियासत में अपना नुमाइन्दा भेजें जो शासन संभाले। उस व्यक्ति को हम राज्यपाल कहते हैं। राज्यपाल स्टेट का हैड होता है। हैड होने के नाते तमाम एक्जीक्यूटिव पावर्स उसके अन्दर वेस्ट करते हैं। रियासतों का कार्यभार वह ही सम्भालता है। रियासत का काम वह सरकारी मशीनरी के द्वारा कराता है और जो एक साल में काम होता है उसका लेखा जोखा हर साल विधानसभा के पहले सत्र में हमारे सामने एक अभिभाषण के रूप में रखता है जिस पर हम लोगों को वाद-विवाद करने का मौका मिलता है। जो कुछ बातें इस सदन के सामने रखी जाती हैं उन पर अमल करना और गौर करना यह सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है। लेकिन देखने में यह आया है कि जो सजेशन्स- यहां पर सदन के अन्दर रखे जाते हैं न उन पर गौर किया जाता है और न ही अमल किया जाता है। चीफ मिनिस्टर साहब से मेरा यह सजेशन है कि जो वाद-विवाद या जो व्यू पॉइन्टस् माननीय विधायक उनके सामने रखते हैं उन पर सत्ता गौर करे और अमल करे। यह अभिभाषण राज्यपाल महोदय का अभिभाषण कहलाता है। इसलिये मेरा सजेशन है कि इस अभिभाषण को राज्यपाल अपने सुपरविजन में तैयार करावें और जो जवाब सरकार की ओर से दिया जाता है वह स्वयम् खुद दें हाउस में जिससे वास्तविक बातों पर गौर हो सकेगा।

राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए बिजनिस एडवाइजरी कमेटी दो-चार दिन का टाइम देती है जिसका नतीजा यह होता है कि 40 परसैन्ट विधायकों को ही मौका मिलता है अपने विचार व्यक्त करने का। इसलिये मेरा सजेशन है कि मिनिमम सेवन डेज या मेग्जिमम टैन डेज डिस्कशन के लिये मिलने चाहियें ताकि हर एक विधायक महोदय को बोलने का अवसर मिल सके और शासन की सही और गलत बातों को सदन के सामने रख सकें। और राज्यपाल महोदय ने जो बातें सदन में कहीं उनको देखते हुए क्या यह सरकार, सरकार कहलाने की हकदार हो सकती है या नहीं। अच्छी सरकार को अच्छी जांचने की जो कसौटी है उसके अनुसार उसकी जांच की जा सकती है।

अच्छी सरकार के लिये यह जरूरी है कि शुद्ध न्याय जनता को मिले और अच्छा प्रशासन मिले। दूसरा नागरिकों को खाने को अन्न, पहिनने को कपड़ा और रहने के लिये मकान मिले, तीसरा यह है कि बेकारी को मिटाया जाय। और चौथा है भ्रष्टाचार को मिटाना। अब देखना यह है कि यह सरकार इन चारों बातों को करने में कहां तक कामयाब हुई है। शुद्ध प्रशासन और न्याय के लिये अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह बात प्रत्यक्ष है कि एडल्ट्रेटेड न्याय मिल रहा है उसके कारण पक्षपात और भ्रष्टाचार फैल रहा है। यदि राजनैतिक हस्तक्षेप बन्द कर दिया जाय तो इन्साफ मिल सकता है। शुद्ध इन्साफ मिलना तो दूर लेकिन जो राशन मिलता है

(राजवी श्री रूपसिंह)

वह भी एडल्ट्रेटेड मिलता है और दवाइयां मिलती हैं वे भी बनावटी मिलती हैं। इसलिये जब ये चीजें ही शुद्ध नहीं मिलती तो प्रशासन का शुद्ध मिलना बहुत ही मुश्किल है। इस कारण प्रशासन से भ्रष्टाचार भी नहीं मिट सकता। रोजी, रोटी और कपड़ा यह आज जीवन के लिये और हर मनुष्य के लिये आवश्यक है। इसके अलावा राजस्थान में हर तीसरे साल अकाल पड़ता है उससे भी हमारे लोगों की माली हालत बहुत कमजोर है तो वे रोजी, रोटी का इन्तजाम नहीं कर सकते। उसके अलावा टैक्सेज भी हर साल बढ़ते जाते हैं उसके कारण भी हमारी फाइनेन्शियल पोजीशन ज्यादा कमजोर हो गई है इसलिये भी रोजी, रोटी और कपड़ा खरीदने का साधन नहीं है तो मकान बनाने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह अपनी जनता को रोजी, रोटी और कपड़ा और रहने के लिये मकान दे लेकिन इन बातों को मुहैया कराने में राज्य सरकार बिल्कुल असफल रही है इसलिये भी राज्यपाल धन्यवाद के पात्र नहीं है।

बेकारी को मिटाने का जहां तक सवाल है उसमें भी सरकार असफल रही है। आज सैकड़ों हजारों पढ़े लिखे लोग सड़कों पर बेकार फिर रहे हैं उनके लिये कोई रोजी का सवाल नहीं है। इस बारे में सरकार द्वारा आश्वासन अमूमन दिये जाते हैं लेकिन वे पूरे हो नहीं पाते और न इस समस्या का स्थायी हल ही सरकार ढूंढ पायी है। आज हालत यहां तक बिगड़ गई है कि टेकनिकल एज्यूकेशन प्राप्त इन्जीनियर, ओवरसीयर वगैरह भी बेकार फिर रहे हैं। किस आशा से इनके मां बाप ने इनको पढ़ाया ताकि इनका भविष्य अच्छा होगा आज ये लोग बेकार घूम रहे हैं। ये माता पिता पर भार बने हुए फिर रहे हैं। पिछली मर्तबा बजट में कहा गया था इनके लिये रोजगार का प्रबन्ध कर रहे हैं जो नहीं किया गया। आश्वासन दे दिये जाते है लेकिन वे पूरे नहीं होते इसलिये गलत आश्वासन देकर जनता को गुमराह करना हमारी सरकार के लिये शोभा नहीं देता।

भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है यह आज ही पैदा हुआ हो यह बात नहीं है, यह बहुत अरसे से चला आ रहा है और सभी जगहों पर मिलेगा राजस्थान में 1967 के आम चुनाव के बाद इस भ्रष्टाचार ने एक नया रूप ही धारण कर लिया है। अगर इस भ्रष्टाचार को नहीं रोका गया तो डेमोक्रेसी को खतरा हो जायगा और हो सकता है डेमोक्रेसी पहला शिकार हो भी यहां पर रशिया जैसी क्रान्ति और फ्रेन्च रेवोल्यूशन की तरह क्रान्ति हो सकती है जिसका हमें मुकाबला करना पड़ सकता है। इन बातों को देखते हुए मैं यह कहूंगा कि हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र नहीं है। तीसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे देश में शुरू से ही यह माना जाता रहा है कि जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाय। अब यह कोई नयी बात नहीं है। सौ सालों से यह तयशुदा सिद्धान्त है कि जुडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से सैपरेट किया जाय। प्री इन्डीपेडेन्स में भी इसको सेपरेट करने का सिद्धांत रूप से माना गया था। आज जिस प्रकार का सैपरेशन है उस प्रकार का नहीं होकर तमाम एक्ट्स में इसका एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन होना चाहिये। संविधान की आर्टिकल 50 के तहत यह बात रखी गई

(राजवी श्री रूपसिंह)

थी कि इनका सेपरेशन तीन साल में हो जायगा। इस पर कुछ रियासतें रजामन्द नहीं हुई उस पर दस साल कर दिया जाय यह तय हुआ। लेकिन आज बीस साल के बाद भी 52 से 68 तक बराबर आश्वासन देते रहे लेकिन वह आश्वासन पूरा नहीं हुआ।

इस बार राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में 31 मार्च से जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलग करने का निर्णय लिया है मैं इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं। इसमें केवल फौजदारी केसेज I. P. C. के केसेज के सेपरेशन का सवाल है। जबकि सेपरेशन हो रहा है तो सारे दीगर एक्ट्स के केसेज का कम्पलीटली सेपरेशन होना चाहिये। इन एक्ट्स के तमाम मामले जुडिशियरी को सौंप देने चाहिये।

आम तौर पर देखने में आया है कि जुडिशियरी के सबोर्डिनेट ऑफिसर्स वे लोग इंडिपेन्डेन्टली व बियोन्डएप्रोच क्रीप करते हैं लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के यहाँ बगैर सिफारिश कोई काम नहीं होता। मेरे विधायक बनने के बाद मुझे यह अनुभव हुआ है कि अगर किसी क्षेत्र के लोगों को कोई काम कराना हो तो बिना सिफारिश के वह नहीं होता। इसलिए जब तक एग्जीक्यूटिव के पास जुडिशियल पॉवर रहेंगी तब तक उनका हस्तक्षेप होता रहेगा इसलिये मैं चीफ मिनिस्टर और गवर्नर महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन करते समय तमाम दीगर एक्ट्स का भी सेपरेशन कर दिया जाय याने इन एक्ट्स के केसेज की सुनवाई भी जुडिशियल ऑफिसर्स करें।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आज जुडिशियरी से भी लोगों का विश्वास हटता जा रहा है उसका कारण है कोर्ट्स में केसेजकी संख्या ज्यादा होने से और उनके निर्णयों में देरी होने से। केसेज के डिले होने के कई कारण हो सकते हैं। मेरी इस बारे में यह रिक्वेस्ट है कि 250 से 350 तक से ज्यादा जहां केसेज हो जायं वहां नये कोर्ट्स कायम कर दिये जायं। वित्तीय स्थिति हमारी सरकार की ठीक नहीं होने की वजह से नये कोर्ट्स कायम करने में असमर्थ है फिर भी मेरा निवेदन है कि जहां केसेज की संख्या 350 से बढ जाय वहां एडीशनल मुन्सिफ्स नियुक्त कर दिये जांय ताकि केसेज का डिसपोजल जल्द हो जाय।

दूसरी बात यह कहनी है कि मुन्सिफ्स का ट्रान्सफर हो जाय तो उनकी जगह तुरन्त भरी जानी चाहिए। इनका सिलेक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। उसमें भी कई तरह के घोटाले होते हैं। मैं जब रजिस्ट्रार था तब ऐसी बातें नोटिस में आई थी लेकिन मैं उसको डिसक्लोज करना नहीं चाहता। प्रशासनिक सिक्रेसी मेन्टेन करनी चाहिए इसलिए मैं उनमें से हुई किसी बातचीत का ब्यौरा देना नहीं चाहता। मेरा निवेदन है कि इनका रिक्रूटमैन्ट हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होना चाहिए ताकि वे अच्छे और योग्य व्यक्तियों को इसके लिए चुन सकें।

इसके अलावा हाईकोर्ट का लोकेशन भी गलत स्थान पर हुआ है। इन्साफ को मद्देनजर रख कर राजनैतिक कारणों को ध्यान में रख कर किया गया है। पब्लिक को इन्साफ से मतलब है जो जल्दी मिलना

(राजवी श्री रूपसिंह)

चाहिए। अगर हाईकोर्ट को जोधपुर के बजाय अजमेर रखा जाता जो सेन्ट्रल प्लेस है इससे लोगों को वहां जाने में काफी आसानी हो जाती। इस वक्त अलवर, भरतपुर, धौलपुर और कोटा इन इलाकों की पब्लिक को जोधपुर पहुंचने में ज्यादा खर्च होता है। अगर हाईकोर्ट शिफ्ट नहीं किया जा सकता है तो एक सर्किट बेन्च कायम कर दी जाय, क्योंकि जयपुर डिवीजन का वर्क-लोड जोधपुर से चार गुना ज्यादा है। वर्क को देखते हुए अगर जयपुर में सर्किट बेन्च रख दी जाय तो इस डिवीजन के लोगों को काफी सहूलियत मिल सकती है। अगर जनता को फेसीलिटीज प्रोवाईड करने के लिए सरकार को अतिरिक्त रुपया भी खर्च करना पड़े तो सरकार को करना चाहिए। हाईकोर्ट की सर्किट बेन्च जयपुर में कायम कर दी जाय तो यहां के लोगों को जल्दी इन्साफ मिल सकता है।

आजकल के जमाने में हर आदमी चाहता है कि वह जब तक काम करने लायक है तब तक उसको काम मिलना चाहिए। हमारी सरकार ने सेवा निवृत्ति की आयु को समय समय पर बदला है। पहले 55 साल था उसके बाद 58 किया गया फिर वापिस 55 साल का कर दिया। इस बारे में एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक जुडिशियल ऑफिसर्स का ताल्लुक है उनको टेबिल वर्क करना पड़ता है, बाहर आने जाने का काम आइ. पी. एस., आई. ए. एस. वालों को रहता है जब इनके लिए सेवा निवृत्ति की आयु 58 साल कर रखी है तो फिर जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए 55 करना कहाँ तक न्याय संगत है। इसलिए मेरा निवेदन है कि या तो सब का सेवा निवृत्ति काल 58 कर दिया जाय अगर नहीं तो जुडिशियल ऑफिसर्स का तो 58 साल का कर ही देना चाहिए। हाई-कोर्ट की जजेज़ की आयु पहले 60 साल की थी इसके बाद चीफ जस्टिसेज़ की कान्फ्रेंस में यह तय किया गया था कि इनकी आयु 62 साल की कर दी जाय तो सेन्टर ने मंजूर करके कांस्टीट्यूशन में अमेन्डमेन्ट लाकर उनकी उम्र बढ़ा दी। जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जिनकी आयु सेवा निवृत्ति की 55 साल से 60 साल करने के लिए लॉ कमीशन व चीफ जस्टिस ने अपनी कान्फ्रेंस में यह तय किया कि इनकी आयु 60 साल कर दी जाय। किन्तु डिस्ट्रिक्ट जजेज़ का सम्बन्ध सेन्टर से न होकर स्टेट्स से है जिन्होंने इन बातों को स्वीकार नहीं किया आज हालत यह हो गई है कि इनकी सेवा निवृत्ति की आयु 55 साल कर देने से इस क्षेत्र में वेकुम क्रिएट हो गया है। इस वेकुम को फिल-अप करने का यही तरीका है जुडिशियल अधिकारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 58 साल की कर दी जाय ताकि यह वेकुम और ज्यादा न बढ़ने पावे। अच्छा तो यह होगा कि सब की सेवा निवृत्ति की आयु 58 साल की कर दी जाय नहीं तो जुडिशियल ऑफिसर्स की तो 58 साल की कर देनी चाहिए।

बेटरमैंट लेवी गंगानगर में लगती है। जिस समय इसके बारे में सरकार ने निर्णय लिया था उस समय यह तय किया था कि जो बेटरमैंट लेवी पंजाब में है वह राज-स्थान में होगी। वहां नहीं होगी तो हम भी हटा देंगे। तो पंजाब ने आज हटा दी है तो राजस्थान में भी हटा दी जानी चाहिए।

(राजवी श्री रूपसिंह)

एक बात और अर्ज करनी है कि जिन काश्तकारों की जमीन घग्घर बैल्ट में आगई है उनके लिए सरकार ने तै किया था कि उनके लिये सरकार अलग से नाली एरिया में जमीन रिजर्व रख देगी। लेकिन इतना अरसा होने पर भी उनको जमीन नहीं मिली है। गंगानगर के विधायक श्री केदारनाथ जी ने भी यह प्रश्न उठाया था। इसलिये मेरी मिनिस्टर सहाब से रिक्वेस्ट है कि जिन काश्तकारों की उस बैल्ट में जमीन आगई है उनको अन्यत्र जमीन दी जाय।

एक बात और अर्ज करनी है वह यह है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बहुत सी बातें बयान कीं, पर आज बर्निग टॉपिक हैं सीलिंग ऑफ मिनिस्टर्स को इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हाउस की स्ट्रेन्थ का वनटेन्थ मिनिस्टर्स रखने चाहियें। हमारे यहां की स्ट्रेन्थ 184 है इस हिसाब से 18 मिनिस्टर्स होने चाहियें। इसी तरह से पहले जो हरिश्चन्द्र माथुर कमेटी ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मस के बारे में रिपोर्ट दी उसमें भी कहा गया था कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मिनिस्टरों की संख्या 18 से घटा कर 8 कर दी जावे। हनुमन्तैयाजी प्रशासनिक आयोग के चेयरमैन ने भी कहा था अपनी स्पीच में कि लैन्दी कैबिनेट और इल्लिटरेट मिनिस्टर होना भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देना है। तो इतनी बड़ी मिनिस्टरी को कम किया जाना चाहिये। बड़ी होने से नुकसान और छोटी होने से लाभ है। हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी मिनिस्टरी राजस्थान में है और बिजली, तार, टेलीफोन, पानी, टी. ए., डी. ए. सब मिलाकर इन पर लगभग 25 लाख रुपया प्रति मास खर्चा होता है। तो यह पब्लिक एक्सचेकर पर एक बड़ा बोझा है और खास कर इन अकाल के दिनों में। दूसरी बात यह है कि करप्शन बढ़ रहा है इसको रोकने के लिये कामराज प्लान को एक्सेप्ट किया जाना चाहिये। एबसोल्यूट पॉवर मेक्स परसन एबसोल्यूट करप्ट। तो सुखाड़िया साहब को चाहिये कि वे कामराज प्लान को एक्सेप्ट करें और जिन को दस साल मिनिस्टरी में हो गये हैं उनको वहां से निकल जाना चहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य: इनको तो जबर्दस्ती हटाया जावेगा। ये हटना नहीं चाहते, जबर्दस्ती बैठे हैं तो जबर्दस्ती ही हटाये जावेंगे।

राजवी श्री रूपसिंह: करप्शन को रोकने के लिये जैसा सुझाव दिया गया है लोकपाल की नियुक्ति करना जरूरी है। मैं गवर्नर साहब से इसके लिये रिक्वेस्ट करूंगा कि वे लोकपाल की नियुक्ति राजस्थान में करें।

राजस्थान में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। सन् 67 के बाद तो इस भ्रष्टाचार ने एक एपेडेमिक का रूप ले लिया है, वह एपेडेमिक फार्म में स्प्रेड होता जा रहा है इसका मेन कारण क्या है अपोजिट पार्टी से लोगों को रिश्वतें देकर तोड़ कर कांग्रेस में मिलाना। इसका रिजल्ट क्या हुआ है। यह परम्परा नीचे तक चली है। सरकारी नौकर का भी मोरल खराब हो गया है। शासन तन्त्र करप्ट और ढीला हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप जिस उत्साह और भावना से योजनाएं चलनी चाहियें, नहीं चल पाई, वे भी भ्रष्टाचार में डूब गई और फेल हो चुकी। इसलिये मेरा कहना है कि प्रशासन में राजनैतिक हस्तक्षेप रोका जावे। डिस्पोजल कागजों का क्विक किया जावे, हार्ड ओनेस्ट

(राजवी श्री रूपसिंह)

अफसरों को पूरा पूरा अवसर दिया जावे। मंत्री विधायकों पर दोष डालते हैं, विधायक मन्त्रियों पर तो इन दोनों को करप्शन में शेअर होल्डर होने के बजाय इसे हटाने की कोशिश करनी चाहिये। मेरा सजेशन है कि मन्त्रीगण राजनैतिक हस्तक्षेप प्रशासन में करना बन्द करें। करप्ट अफसरों को हटाया जावे, सजा दी जावे उनको, करप्ट व्यापारी को ब्लेक लिस्ट किया जावे रूल ऑफ लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली ओब्जर्व्ड इन आल केसेज। डे टु डे के प्रशासन में कोई दस्तन्दाजी न की जावे। एक अफसर की फेयरनेस और इन्टीग्रिटी को देखते हुए प्रोमोशन देना चाहिये। फिर एज का ही क्राइटेरिया मान कर भी प्रोमोशन नहीं होना चाहिये। मैरिट भी देखना चाहिये।

अब मैं एक बात और अर्ज करता हूं। हमारे यहां रेवन्यू बोर्ड है। जुडीशियल के हाईकोट जैसी इसकी पोजीशन है। इसमें सिनियोरिटी बेसिस पर अपोइन्टमेन्ट होते हैं। इससे डिस्पोजल पूअर हो गया है। सीनियोरिटी कम मैरिट कर देना चाहिये। गवर्नमैन्ट एडवोकेट अपोइन्ट होता है उसको भी देखना चाहिये कि वह काबिल है या नहीं और ये भी तीन चार या अधिक से अधिक पांच साल से अधिक के लिये अपोइन्ट नहीं होने चाहिये। ज्यादा रख दिया तो करप्शन करने का अन्देशा है।

अब मेरा यह कहना है कि पी. एस. सी. को टच करने का अधिकार नहीं है। पर इसे भी आपने गौशाला बना दिया है। जो रिटायर होता है सरकार की नौकरी से उसको वहां भेज दिया जाता है। यह बुरा तरीका है। फिर ये आपके आदमी होते हैं, आपकी जान पहचान वाले होते हैं। मुझे अनुभव है कि उनको एप्रोच करके लोग कामयाब हो जाते हैं। फिर रिटायर हैण्ड को वहाँ लगाना बुरा है। गलत तरीका है। जिनको लगाया गया है उनको हटा कर बहुत ही काबिल ईमानदार आदमियों को वहां लगाया जावे ताकि सिलेक्शन में गड़बड़ी न हो।

एक बात और अर्ज करनी है। एक प्रथा रिसेन्टली कायम हो चुकी है। वह यह है कि हर जिले में सरकारी मुलाजिमों के ट्रान्सफर्स होते हैं और वे एक ही पार्टी के लोगों के कहने से होते हैं। हालांकि यह किया जाता है विधायकों को खुश रखने के लिये, पर तरीका यह अच्छा नहीं है। कांग्रेस के विधायकों के कहने से किया जावेगा तो असन्तोष फैलेगा। चूरू, गंगानगर और बीकानेर का मेरा अनुभव है। वहां जितने सरकारी नौकरों के पोस्टिंग्स और तबादले हुए हैं वे सब कांग्रेसी विधायकों के कहने से हुए हैं। मैं गवर्नर महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रथा को समाप्त करें। दूसरी पार्टी वाले कम्पलेन्ट करते हैं तो टर्न डाउन कर दिया जाता है। इस प्रथा को मिटाने का एक ही तरीका है कि मंत्रियों के पास से ट्रान्सफर के पावर्स आर्डिनेन्स द्वारा हटा कर हैड ऑफ दी डिपार्टमैन्ट को दे दिये जाने चाहिये। ट्रान्सफर में यहां तक शिकायतें हैं कि रिश्वतें लेकर ट्रान्सफर करते हैं। अब मैं फेमीन की बात बताना चाहता हूं। इस पर लोग काफी कह चुके हैं। मुझे कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है लेकिन वास्तव में फेमिन बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में सबसे ज्यादा रहा। वहां की क्राप्स वन-थर्ड भी नहीं रही। लेकिन अब क्या इस फेमिन को सदा के लिये मिटाने के

(राजवी श्री रूपसिंह)

लिये सरकार ने कोई प्रयास किया है? जिस समय गंगासिंह जी बीकानेर स्टेट के महाराजा थे तब उन्होने गंग केनाल गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में लाकर फेमीन को सदा के लिये मिटा दिया उसी तरह आपको भी इन तीनों जिलों से मिटाना चाहिये। छोटे मोटे कामों से यह मिटने वाली नहीं हैं। आप राजस्थान केनाल है उसको बाड़मेर तक पहुंचा दें। जिस काम को 20 साल में नहीं कर सके उसको हम एक-दो साल में कर सकते हैं अगर हमारा इरादा सदा के लिये अकाल मिटाने का हो। इस काम के लिये अगर लोन लेना पड़े तो लोन लेना चाहिये और इस काम को करना चाहिये फेमीन को मिटाने के लिये एक कमेटी मुकर्रर कर दी जाय। मेरा कहना यह है कि राजस्थान केनाल को बाड़मेर तक पहुंचा दें। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री सभापति : राज्य मंत्री जी, श्री जोशी जी।

श्री बी. एन. जोशी : सभापति महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों 1968-69 के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति : श्री ओमदत्त भाटी।

श्री ओमदत्त भाटी (जोधपुर) : सभापति महोदय, आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने जा रहे हैं और इस पर चर्चा हो रही है। मैंने तीन भाषण सुने और पढ़े लेकिन भाषण में मुझे कोई कार्य दिखाई नहीं दिया एक साधारण सा भाषण जैसा दिया जाता है या तो उसमें नीति निर्धारण की जाती है और जो शासन करता है उसकी खामियों का बयान किया जाता है इसलिये मेरा कहना है भाषण रुटीन सा हो गया है। राज्यपाल सर्वोपरि पद पर हैं और इतना खर्चा अपने ऊपर करते हैं तो उनकी ड्यूटी हो जाती है कि सरकार के मंत्रिमण्डल को चलाने के लिये, राजस्थान के कार्य को ठीक चलाने के लिये कोई न कोई सुझाव दें, यह जरूरी हो जाता है। अभी उन्होंने तो गत वर्ष में क्या किया यह बताया। ज्यादातर उन्होंने अकाल पर बयान किया है, परिवार नियोजन का बयान किया है लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं बताया कि मंत्रिमण्डल ने क्या खामियां रखीं, बजट में जो पैसा था उसका सदुपयोग किया या नहीं यह कहना जरूरी था अब विधान सभा में भी सभापति महोदय, मैं देखता हूं लास्ट सैशन जो साइनेडाई भंग किया वह नियमित रूप से नहीं था। अध्यक्ष महोदय को अनुशासन रखने के लिये, हंगामा रोकने के लिये ज्यादातर असेम्बली को दो-चार घंटे के वास्ते या एक दो दिन के वास्ते भंग करना चाहिए लेकिन उन्होंने साइनेडाई भंग किया, यह वाजिब नहीं था। दूसरे असेम्बली में जब प्रश्नोत्तर काल होता है–उसके लिए घंटा डेढ़ घन्टा रखा जाता है इसमें मंत्री महोदय जो स्टेटमैन्ट देते हैं वे ज्यादातर झूठे और निराधार होते है।

श्री परसराम मदेरणा : हैं?

श्री ओमदत्त भाटी : निराधार और झूठे होते हैं। ज्यादातर सदस्य यह कहते हैं कि एन्क्वायरी होनी चाहिए लेकिन वह नहीं होती है। गरीब जनता का पैसा अपने यहां बैठे बैठे वेस्ट करते है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : यह बैठे तो सब सदस्य आ जाते हैं।

श्री ओमदत्त भाटी : दूसरा मंत्री महोदय जो आश्वासन देते हैं, वह पूरा नहीं होता है। मुझे जोधपुर ऑपरेशन थियेटर के लिए मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक वहां एक पत्थर भी नहीं लगा। हाई प्रिसिसन के लिए मैंने यह कम्पेरेटिव स्टेटमैन्ट दिया था। यह उदयपुर में 10-12 हैं, जयपुर में 8-10 हैं, बीकानेर में 7-8 हैं, जोधपुर में 2-3 हैं। वहां एक सप्ताह तक ऑपरेशन बन्द रहे। चिकित्सा मंत्री जी ने 60 हजार रुपये सैंक्शन कर दिए थे। मैंने मंत्री महोदय से कहा कि आपने आश्वासन दिया था वह पूरा क्यों नहीं हुआ तो कहने लगे अकाल की वजह से नहीं हुआ। ज्यादातर आश्वासन पूरे नहीं होते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव है, जो इलेक्शन सिस्टम है वह बहुत खराब है जितना चुनावों ने डिमोरेलाइज़ किया है उतना मेरे खयाल से किसी ने नहीं किया। तीसरे पंचायत राज और परिवार नियोजन हैं, मैं समझता हूं मंत्रीमण्डल को स्तीफा देना चाहिए······

श्री परसराम मदेरणा : यह मुद्दे की बात है।

श्री ओमदत्त भाटी : दौसा और चौमू के चुनावों में राज्य सरकार ने क्या किया ? ठीक है विरोधी सदस्य हार तो गये लेकिन सरकार ने पद का और धन का कितना दुरुपयोग किया यह आप खुद समझ सकते हैं। अभी सारे हिन्दुस्तान में इलेक्शन हुए मिडटर्म इलेक्शन हुए—बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तो आप जानते हैं कि राजस्थान से हमारे सुखाड़िया साहब और मथुरादास जी माथुर वहां गये होंगे और सुनता हूं 200 गाड़ियां यहां से गईं और खूब पैसा ले गये। आप सोचते हैं जो पैसा मैं देऊंगा तो उसका 10 गुणा फायदा उठाने की कोशिश करूंगा। इस तरह जो चुनाव पद्धति है वह बहुत भ्रष्ट हो जाती है। प्रधान मंत्री चुनाव में जाती हैं तो लोग उनको प्रधान मंत्री की हैसियत से समझते हैं, मुख्य मंत्री जी जाते हैं तो लोग उनको मुख्य मंत्री की हैसियत से ही समझते हैं। मंत्री लोगों को कभी प्रचार के लिये नहीं जाना चाहिये। केवल कांग्रेस का अध्यक्ष और कांग्रेस का सैक्रेट्री ही चुनाव प्रचार में जायें इससे भ्रष्टाचार मिटेगा। आप सोचेंगे यह कुर्सी तो दो दिन की है, यह निश्चित है कि जो मंत्रिमण्डल है वह हमेशा स्थिर नहीं रहेगा एक दिन गिरेगा। इसलिये आप सोच कर चलें।

श्री परसराम मदेरणा :–कह गये दास कबीर।

श्री ओमदत्त भाटी : मैं पहले सोचता था कि डिक्टेटरशिप आये लेकिन अब मेरा विचार बदल गया है क्योंकि पड़ौसी देश ने डिक्टेटरशिप को डिमोरेलाइज किया है। अब वहां आन्दोलन हो रहा है। डेमोक्रेसी अच्छा सिस्टम है लेकिन इसको रखने के लिये ढंग ठीक होना चाहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : अब के इनको हटा कर चुनाव करवायेंगे।

श्री ओमदत्त भाटी : सभापति महोदय, मैं थोड़ा बेरोजगारी के लिए कहूंगा। हमारे यहां बहुत से इन्जीनियर्स बेकार बैठे हैं। हमारे वित्त मंत्री जी ने लास्ट ईयर अपने भाषण में बजट सैशन में कहा था कि उनको एम्प्लॉय किया जायेगा। उन्होंने कहा था कि पी० डब्ल्यू० डी० का काम ठेके

(श्री ओमदत्त भाटी)

पर नहीं दिया जायेगा बल्कि अमानी पर चलाया जायेगा और माईनिंग में एक ठेकेदार के पास एक इन्जीनियर होगा और एक एक इन्जीनियर हर फर्स्ट क्लास ठेकेदार को रखना पड़ेगा, बिजली वालों को लाइसेंस नहीं दिया जायेगा बल्कि बेकार इन्जीनियर्स को लाइसेंस दिये जायेंगे। बिजली के फर्स्ट क्लास ठेकेदार को लाइसेंस तब दिया जायेगा जब कि वह किसी इन्जीनियर को अपने यहां एम्प्लाय कर लेंगे। यह सब झूठे आश्वासन थे। मुश्किल से पांच-सात इन्जीनियर को रखा होगा और बाकी सब इधर-उधर फिरते रहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो सब फेमिन में लग गए।

श्री ओमदत्त भाटी : विद्यार्थियों की भी समस्यायें हैं। जब आन्दोलन होता है तो आप खुद ही जानते हैं कि आन्दोलन क्यों होते हैं। एक एक क्लॉस में सौ सौ लड़के होते हैं और जिनके टीचर्स को समय पर तनख्वाह भी नहीं मिलती और तनख्वाह देते बहुत कम हैं। वह गुजारा कैसे करें? तो यह आन्दोलन टीचर्स में असंतोष होने के कारण होता हैं। इसलिए अपने को सोचना चाहिए कि आज के विद्यार्थी हैं, जो भावी संतान हैं उन्हीं पर भारतवर्ष का भाग्य है।

अब लॉ एण्ड ऑर्डर के लिए कहूंगा। राज्यपाल महोदय के भाषण में यह कहा गया था कि लॉ एण्ड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी है। हमारे नेता भैरोंसिंह जी ने यह बता ही दिया कि बेरी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि लॉ एण्ड ऑर्डर कैसा था और प्रशासन कैसा था। बेरी कमीशन की रिपोर्ट में जो सुझाव दिए हैं उनको इम्पलीमैंट कराने के लिए एक जुडिशियल जज की नियुक्ति करें और जो लोग उससे प्रभावित हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाये।

परिवार नियोजन के लिए मैं मानता हूं कि यह एक अच्छी योजना है और बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन जरूरी है। लेकिन यह कम्पलसरी होना जरूरी है। मैं ऐसी आशा नहीं कर सकता कि आप ऐसा कदम उठायें लेकिन यू० पी० और केरल में जैसा है कि जो परिवार नियोजन नहीं करेंगे उनको मेडिकल की और दूसरी चीजों के लिए सुविधाएं नहीं दी जायेंगी वह तो आप कम से कम करें।

दूसरे जो मोटीवेशन की फीस लेते हैं या जो लूप लगाते हैं या स्टरलाइजेशन कराते हैं उनको आप पैसा देते हैं यह व्यवस्था भ्रष्टाचार की तरफ ले जाती है। इसको रोकना चाहिये। इसके लिए मैंने पहले भी सजेस्ट किया था कि इसके लिए एक विजीलेन्स समिति होनी चाहिए जिसमें कि मेडिकल कॉलेज के डाक्टर हैं जो परिवार नियोजन से कनेक्टेड नहीं हों उनको वहां भेजें और उनसे इन्क्वायरी करायें ताकि बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार रुके।

मुझे तो ताज्जुब होता है कि चिकित्सा मंत्री महोदय भी किस बुद्धि के जीव हैं। प्री-मेडिकल टेस्ट लास्ट ईयर लेना तय किया था उन्होंने क्या किया कि प्री-मेडीकल टेस्ट रखा और भूल से उन्होंने प्रास्पेक्टस में लिखा नहीं और फिर प्री-मेडिकल टेस्ट रखा और 200 लड़के कम कर दिये। शायद

(श्री ओमदत्त भाटी)
यह सीटें इसलिए कम की गयीं कि अगर कम नहीं की जायेंगी तो फिर डॉक्टर भी अनएम्पलॉयड होंगे इन्जीनियर्स की तरह से। जब इसमें स्टे ऑर्डर आ गया तो उन्होंने प्री-मेडिकल टेस्ट उठा कर मैरिट्स से लेने का निश्चय किया और फिर 200 सीटें बढ़ा दीं और अपने दोस्तों और मिनिस्टरों के लड़के और एम० एल० ए० के लड़के नहीं आ सके तो एम० एल० ए० और एम० पी० के लिए रिजर्व सीटें रखीं। अब प्री-मेडिकल टेस्ट के लिए चिकित्सा मंत्री महोदय ने यह आदेश दिये कि दिसम्बर में ही हम प्रास्पेक्टस निकाल देंगे लेकिन वह दिसम्बर भी निकल गया और मार्च आ गया—वह नींद में ही सोते होंगे, शायद उनको मार्च भी दिसम्बर लगता होगा और अभी तक प्रास्पेक्टस आउट नहीं हुआ। मैं तो कहता हूं कि डॉक्टरों के लड़कों के लिए रिज़र्वेशन रखें या नहीं क्योंकि जैसा खेतसिंह जी कहते हैं सब बातें मेरे तो ठीक हो गयी लेकिन डॉक्टर का लड़का हमेशा अच्छा डॉक्टर होगा, सुथार का लड़का हमेशा अच्छा सुथार होगा······

श्री माधोसिंह (उप मंत्री) : यह कोई जरूरी नहीं है।

श्री ओमदत्त भाटी : जरूरी है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : मैं माधोसिंह जी के लिए निवेदन कर दूं कि आप ठाकुर हैं और आपका लड़का हरिजन होगा क्या ?

श्री माधोसिंह : हर एक को राज्य करने का हक मिल गया। आप करते हैं या नहीं।

श्री ओमदत्त भाटी : मेरा कहना है कि जी पैरा-मेडिकल ग्रुप है, जो कम्पाउन्डर्स हैं नर्सेज हैं और जो फर्स्ट ईयर टी० डी० सी० पास करते हैं उनके लिए रिज़र्वेशन रखना बहुत जरूरी है क्योंकि वह फर्स्ट ईयर टी० डी० सी० वालों के लिए और स्थान कहां है। तो पैरा-मेडिकल ग्रुप में रिज़र्वेशन रखना बहुत ही और फायदेमंद है।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। चेयर से यह आदेश हुआ था कि जनसंघ को दो घन्टे दिये जायेंगे ····

श्री देवीदत्त गाडिया : वह तो चेयर समझती है अपने आप······

श्री मूलचन्द डागा : आप क्यों बोल रहे हैं। आपको तो उस पद पर बैठने का मौका दिया नहीं है। यह इस तरह से चेयर के आदेशों की अवहेलना करते हैं। जनसंघ के समय के दो घन्टे थे···

श्री गिरधारीलाल व्यास : टाइम का बंटवारा होना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : जनसंघ ने दो घन्टे ले लिये हैं।

श्री सभापति : अभी समय है।

श्री ओमदत्त भाटी : इसके अलावा अध्यापक डॉक्टर जो क्लिनिकल साइड के हैं उनका सलेक्शन हुआ।

(4 50 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

(श्री ओमदत्त भाटी)
लास्ट जो कमेटी बैठी थी उसने निश्चय किया कि 4 वर्ष का एम० एस० या एम० डी० होना चाहिये फिर सीनियोरिटी लिस्ट व मेरिट लेकर फिक्स होंगे । अब कहना पड़ता है कि एक प्रोफेसर था वह अब लेक्चरार होंगे या रीडर होंगे उन्होंने क्या बड़ी भारी गलती की कि जो सीनियोरिटी के लिए 5 नम्बर दिये थे वह उसमें भी गिन लिए और जो सर्विस में सीनियर और अगर मेरिट में नीचे भी था उसको सीनियर बना दिया । ऐसा फिक्सेशन करना बहुत गलत है । इसके लिये कोर्ट में रिट भी हुई है ।

अब शफाखाने और डिस्पेन्सरी का हाल तो आप जानते हैं । डिस्पेन्सरी वहां बढ़ाई जाती है जहां विधान सभा के सदस्य सरकार की तरफ से होते हैं उनको ओवलाइज करने के लिये मन चाहे वहां डिस्पेन्सरी खोल देते हैं लेकिन डिस्पेन्सरीज और हॉस्पीटल्स की व्यवस्था बहुत ही खराब है । उनमें आपको एस्पिरीन नहीं मिलेगी, स्प्रिट नहीं मिलेगी, एल्कोहल नहीं मिलेगी, ग्लीसरीन नहीं मिलेगी । तो मेरा सुझाव यह था लास्ट टाइम भी कि एक कॉमन इमरजेन्सी ड्रग की लिस्ट रखी जाये और वह हर एक डिस्पेन्सरी, हॉस्पीटल और प्राईमरी हैल्थ सेन्टर पर होना जरूरी है । वह तो दवाई कम से कम रात दिन मिलनी चाहिए । आप टैरामाइसिन और पेनीसिलीन दें या नहीं लेकिन यह कॉमन ड्रग तो रखने ही चाहिए । बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कोई व्यवस्था नहीं है ।

आखिर में, मुझे तो यही कहना है कि सीमा-क्षेत्र पर जाने का मुझे मौका मिला है तरनोट और किशनगढ़ जाने का तो तरनोट में बोर्डर फोर्स रहती है लेकिन उनके रहने के साधन नहीं हैं । जो मुसलमान मकान छोड़कर पाकिस्तान गए थे उनमें रहती है ...

श्री खेतसिंह : वह भारत सरकार का महकमा है ।

श्री ओमदत्त भाटी : किसी का हो । अब किशनगढ़ का किला है । 50 बोर्डर फोर्स वहां रहती है तो उनके रहने का दूसरा साधन नहीं है । किशनगढ़ का किला ईंटों का बना हुआ है । उसकी बुरजें नीचे से टूट रही है तो मेरी निर्माण मन्त्री जी से प्रार्थना है कि उसकी रिपेयर कराई जाय क्योंकि लाखों का खर्चा होगा क्वार्टर बनाने में ।

अब मैं ज्यादा न कहकर चाहे हम ट्रेजरी बेन्चेज के हों चाहे विरोधी दल के हों मैं पहले ही कह चुका हूं कि सदैव हम इस रूप में रहने वाले नहीं हैं, हम सब मिलकर गरीब जनता की भलाई के कार्य करें । धन्यवाद !

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में गरीबी, बेकारी और विषमता द्वारा आक्रमण किया जा रहा है और उसको दूर करने का हमारा प्रयास है । आज भी हम यह चाहते हैं कि देश की गरीबी, बेकारी और विषमता को दूर किया जाय । मुझे मालूम है कि आज के जमाने में लोकतन्त्र के लिए जैसा कि आज रवैया अख्तयार किया जा रहा है उस स्थिति में लोकतन्त्र को खतरा है । हम लोकतन्त्री समाजवाद कायम करना चाहते

(श्री मूलचन्द डागा)

हैं। जो हथियार आज हम काम में ले रहे हैं, जो औजार आज हम काम में ले रहे हैं उसकी धार तेज होनी चाहिए मैं बतलाना चाहता हूं सबसे पहले कि लोकतन्त्र को खतरा पहुंचाने वाली वे राजनैतिक पार्टियां हैं जो केवल धर्म के नाम पर काम कर रही हैं...

श्री रामचन्द्र आर्य : गोलियां चलाया करें...

(कोलाहल के कारण अश्रव्य)

श्री मूलचन्द डागा : उन पार्टियों को महत्ता नहीं देना चाहिए जो कि छोटेपन में बच्चों को हिन्दू राष्ट्र के नाम पर गुमराह करती हैं। देश में लोकतन्त्र को उन पार्टियों से खतरा है भ्रष्टाचार के द्वारा देश में अपनी सत्ता कायम करना चाहती हैं। ये वे पार्टियां हैं जो हिन्दू राष्ट्र के नाम पर जय बुलाती हैं ....

श्री कृष्णकुमार गोयल : (कोलाहल के कारण अश्रव्य)

श्री मूलचन्द डागा : बेरी कमीशन की रिपोर्ट पर उन्होंने एलान किया और कांग्रेस के ऊपर जो उन्होंने छींटाकशी की है और दोषारोपण लगाए हैं तो एक वकील के नाते मैंने सारे बयानों को पढ़ा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें जो निर्णय घोषित किया है वह यह है कि कांग्रेस सरकार का अपना उद्देश्य प्राप्त करने में उसमें कोई हाथ नहीं था। इस बात को आपको मान लेना चाहिए। यह निर्णय हो चुका है। इस निर्णय के जवाब में जो फैसला हुआ है उसको हम सब मानेंगे। लेकिन दुःख है कि जिन्होंने अपने स्वप्न बनाए थे महल बनाये थे जिन्होंने कल्पना की इमारतें खड़ी की थी जो होम मिनिस्टर और फाइनेन्स मिनिस्टर बनना चाहते थे, जो रानीजी चीफ मिनिस्टर बनना चाहती थी, वे सब धूल में मिल गये। जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया ....

श्री रामचन्द्र आर्य : कांग्रेस पर नहीं किया ....

(श्री मूलचन्द डागा साथ साथ बोलते रहे किन्तु कोलाहल के कारण अश्रव्य रहा)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : इसका फैसला जनता करेगी मैदान के अन्दर ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मूलचन्द डागा : पेज 810 देखिए ...

श्री देवीदत्त गाड़िया : मन्त्रियों का स्तर देखिए कैसे कांव-कांव चिल्ला रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं देख रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : आप इस बात की चिन्ता मत कीजिये।

मैं एक बात कहना चाहता हूं।

"There was no conspiracy between Shri Mohan Lal Sukhadia and the services to invite the President's rule in Rajasthan in furtherance of which firing was done in Johari Bazar or elsewhere"

(सरकारी पक्ष की ओर से हियर ! हियर !)

(श्री मूलचन्द डागा)

यह वर्डिक्ट हुआ है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाते थे उनको सोचना चाहिए कि 4 मार्च को आपकी स्पीचेज क्या हुई हैं। 4 मार्च को यहां माणकचौक में सारे विरोधी दलों ने लोकतन्त्र बचाओ समिति के नाम से दल बना करके भाषण दिए। वे भाषण जोशीले थे, रोषपूर्ण थे और दोषपूर्ण थे उन भाषणों की निन्दा कमीशन ने की है। उन भाषणों का मतलब था जनता को बरगलाना ···

श्री मदनसिंह : (कोलाहल के कारण अश्रव्य)

श्री मूलचन्द डागा : माननीय श्री दांता-आप बैठिये। ये ही मदनसिंह जी थे जो रानीजी के चरणों में बैठे थे और रानीजी के चरण कमलों की सौगन्ध खाई थी। क्या 4 मार्च को आपने भाषण नहीं दिया था। आपके कुम्भारामजी ने अपने भाषण में कहा है कि सुखाड़िया के बाप का राज्य नहीं है···

एक माननीय सदस्य : कमीशन ने यह जस्टिफाई किया है कि सुखाड़ियाजी के बाप का राज्य है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने अपने भाषणों में कहा है कि भाइयों आप 144 की धारा तोड़ने को तैयार हैं और चले गये थे। गायत्री देवी ने कहा था कि हमारे साथ गवर्नर्स बंगले तक चलोगे, लेकिन गायत्री देवी ने कहीं भी अपना स्टेटमैंट बेरी कमीशन के सामने नहीं दिया है और अपना स्टेटमैंट पार्लियामेंट में दिया। सच्ची बात कहने का फायदा होता है। एक सिपाही मैदान में खड़ा होता है तो अपना स्वाभिमान लेकर खड़ा होता है, अपना आत्म-विश्वास लेकर खड़ा होता है। अगर आप समझते हैं कि पुलिस के 134 आदमी घायल हो जायं, जब आई० जी० पी० घायल हो जायं तो उन 135 आदमियों को घायल करने का जिम्मेदार कौन है? जब सारे जयपुर में आग लगा दी जाय, सूचना-केन्द्र को जला दिया गया, राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान कर दिया गया उस समय केवल वकील नहीं होने के नाते इस प्रकार की बातें कहें, खून से रंगने की बातें कहें, तो इस प्रकार के भाषण क्या हैं? यह कमीशन की रिपोर्ट है, क्या बैरी कमीशन ने यह नहीं कहा कि इस प्रकार के भाषणों से उत्तेजना पैदा होती है? क्या इस प्रकार के भाषणों से वैमनस्यता नहीं बढ़ती है? जिन पार्टियों का नारा देश में साम्प्रदायिकता लाने का हो, जिनकी कल्पना हिन्दू राष्ट्र की है। इस प्रकार की जो संस्थाएं चलती हैं, जो संकुचित दायरे में कार्य करती हैं, वे हमारे लोकतन्त्र पर हमला करने वाली हैं, उन संस्थाओं के नुमायन्दों को बोलने नहीं देना चाहिए। कुम्भाराम···

श्री मदनसिंह : राजस्थान में सरकार की···

श्री उपाध्यक्ष : सदन की यह बैठक आधा घन्टे के लिए और बढ़ाई जाती है।

श्री मूलचन्द डागा : 5 मार्च को जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में मैं पढ़ना चाहता हूं कुछ बातें और बताना चाहता हूं कि भाषण देते समय जो वकील नहीं हैं, धारा-शास्त्री नहीं हैं वे अपनी बात को रखते समय कुछ भी कह दें तो उनके भाषण से क्या तथ्य निकलता है उसका उनको पता नहीं

(श्री मूलचन्द डागा)
चलता मैं कहता हूं कि 4 तारीख को इन्होंने एक स्वप्न देखा था कि मैं भी एक मंत्री बनूंगा। क्या आपने यह स्वप्न नहीं देखा था कि फाइनेन्स मिनिस्टर बनूंगा ? कांग्रेस को हटायेंगे•••

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने कौनसा मंत्री बनने का स्वप्न देखा था?

श्री भैरोंसिह : चपरासी बनने का।

(5 म. प.)

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्री और चपरासी एक बात है।

श्री मूलचन्द डागा : 5 तारीख को ये बातें हुई, उपाध्यक्ष महोदय, जब जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो धाराशास्त्री की तरह बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, लेकिन मुझे अफसोस है कि जब नया मसला आपके सामने लाया जाता है तो सुनने का माद्दा नहीं है। अगर आप गलत हैं तो दुनिया आपकी निन्दा करेगी।

कहा गया कि इतने आदमी मारे गये, सारे रोजनामचे बदले गये। जययुर से आने वाले माननीय सदस्य कोई दूसरा काम करने वाले थे। जब होम मिनिस्टर ने पूछा कि रोजनामचे का रद्दोबदल कहाँ हुआ तो आप क्या कहना चाहते हैं ? एफ.आई. आर. के बारे में कहना चाहते हैं ? आप पुलिस का पहले का रोजनामचा तो बता दीजिये। इस प्रकार की बातें करने से पहले आप कानून की बारीकियों को तो देख लें। उन बारीकियों के आधार पर कहें कि सारा फेलेशस हो गया। फेलेशस वह होगा जो मैं कहना चाहता हूं। जजमैंट में कहा गया है भंवरसिंह पुलिस वाले के बयान में क्या कहा है? उसने कहा कि मेरे पास स्टेन गन थी। उससे पूछा गया कि राइफल थी तो उसने कहा कि राइफल नहीं थी। क्या जांच लिखी है। उसके पास स्टेन गन थी तो उसने कहा कि स्टेन गन थी क्योंकि पुलिस वाला, पुलिस का कॉन्स्टेबल समझता था कि स्टेन गन और राइफल में क्या फर्क है, लेकिन किसी एक की फाइंडिंग मान ली और यह कहकर चले कि फाइंडिंग ठीक है। आप क्या कह सकते हैं ? बेरी कमीशन ने 92 आदमी खड़े थे लिखा है कि माणकचौक पर खड़े थे। क्यों ? क्या उस रिपोर्ट को सही मान लें। अनुसूयाप्रसाद का सारा स्टेटमैंट रॉंग था। वहां पर लोग हजारों की तादाद में थे। होम मिनिस्टर उस सारे स्टेटमैंट को डिनाई करते हैं। सारे स्टेटमैंट की आप बातें करते हैं। 7 तारीख के स्टेटमैंट में एक विटनेस के एक स्टेटमैंट को मानते हैं और ऐसे एक को ही मानकर चल देते हैं तो उस जजमैंट को क्या कहा जायगा ? जहां 92 आदमी खड़े थे वहां हजारों आदमी खड़े कर दिये।

(कोलाहल एवं व्यवधान)

मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राष्ट्रीय संपत्ति बरबाद करने वाले लोगों के साथ क्या बरताव किया जाय। उस समय सारे जयपुर का आसमान लाल हो रहा था। जनसंघ के अखबार जो चाहते है लिखते हैं बड़े बड़े हैडिंग में।

यह बैरी कमीशन ने स्वीकार किया है कि सुखाड़ियाजी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं था। उसके बाद मुंह चुप हो जाना चाहिए

(श्री मूलचन्द डागा)

था। उसके वाद आप शान्ति धारण करते और कहते कि हम इतनी हानि कर चुके हैं। जो लोग आप लोगों के वहकावे के कारण कानून की अवहेलना करके, नियमों की अवहेलना करके आपके पीछे चले और आप आगे आगे चलें जीपों में बैठकर। गायत्री देवी सब कर लेंगी। गायत्री देवी की मुस्कान के कारण वोट मिलते हैं। गायत्री देवी हंसती हुई निकल गई। गायत्री देवी ने कहा था कि जनता उसके पीछे चली आये। यह नहीं कहा तो वे भूल जाते हैं कि किस ने कहा था कि सुखाड़िया जी के बंगले पर हमला करो ...

एक माननीय सदस्य : बिल्ली बोल रही है।

श्री विजयसिंह : मारवाड़ी में कहावत है कि 'मीनक्यां कठे नहीं वोले'...

एक माननीय सदस्य : आपने 'मीनक्यां' छोड़ रखी है।

श्री मदनसिंह : गवर्नमैंट का विरोध कर रही है।

श्री मूलचन्द डागा : आप तो बोलने के काविल हैं ही नहीं।

श्री मदनसिंह : मैं आज भी राजपूत हूं और वोलने के काविल हूं। मेरी रगों में खून है।

श्री मूलचन्द डागा : खून हरेक इन्सान में है।

मैं जो वात सुनाना चाहता हूं कि जो बातें माननीय बैरी कमीशन ने और निर्णय ले लिया कि यह घटना घटी तो इसमें दो राय नहीं ले सकते हैं। उसमें लिखा है—

"Some people went in Jeep shouting slogans and asking shopkeepers to close their shops.

Nine persons were arrested ..."

आपका ऑर्डर हो गया। धारा लग गई परन्तु आपका राज्य चला जायगा, आपकी लीडरी को खतरा था। लीडरों ने खास तौर से कानून की अवहेलना की है इस बात को मान लिया है बैरी कमीशन ने—

"Then a number of stones and fires took place in Tripolia Bazar. Then the Police party was assaulted by stones injuring one platoon Commander and three constables. Eleven persons were arrested."

एक माननीय सदस्य : क्या पढ़ रहे हैं?

श्री मूलचन्द डागा : मैं वह पढ़ रहा हूं जो कि आपको समझना चाहिए की डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले, लोकतन्त्र की दुहाई देने वाले, लोकतन्त्र बचाओ मोर्चा कायम करने वाला ग्रुप जनता को किस प्रकार वरगलाते हैं, मरवाते हैं और अलग हो जाते हैं। 7 तारीख को आप कहां थे?

श्री भैरोंसिंह : 7 तारीख को सरकार को रो रहे थे।

श्री मूलचन्द डागा : अभी तक तो आप कई दिनों तक रोयेंगे। अपनी गलती पर आपको रोना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : गलती पर कौन रोयेगा इसका तो अब पता लगेगा।

श्री मूलचन्द डागा : जो आदमी अपनी गलतियों पर रोता है वह सचमुच में पश्चाताप करता है।

श्री विजयसिंह : 7 तारीख के पश्चात् तो बंगले वालों से बंगले खाली करवा कर छोड़े है।

श्री मूलचन्द डागा : बंगले खाली कराने का स्वप्न देखा था—

"In Tripolia Bazar and Sire Deorhi Bazar announcement by loudspeakers... ..."

यह भी कमीशन ने सही माना है।

"A number of precidents of malviolations and serious injuries to Police took place between 9 to 10 p. m."

यह भी घटना सही मान ली है।

"Then at 8 p. m. Fires in Tripolia Bazar.....City Magistrate rushed ...Fire Brigades were broken..."

सूचना केन्द्र को तोड़ दिया गया। राष्ट्रीय संपत्ति के साथ खिलवाड़ कर दिया। राष्ट्र की संपत्ति का नाश करने वाले दुश्मनों के लिए अभी गृह मन्त्री ने एलान किया था कि 'शूट एट साइट'। इस प्रकार का एक स्टेटमैन्ट गृह मन्त्री ने दिया था कि 'शूट हिम एट साइट' जो इस तरह से राष्ट्र की सम्पत्ति का नाश करते हैं.........

श्री मदनसिंह : यह गांधी जी ने सबक सिखाया था।

श्री मूलचन्द डागा : गांधी जी ने कहा था कि हिम्मत वाले ही राज्य कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जहां पर राष्ट्र की सम्पत्ति को नुकसान हो वहां पर उनको मजबूती के साथ कदम उठाना चाहिए।

"The stone throwing and rioting continued up to 3.30 p. m. mainly in Chandpol area and Tripolia Bazar."

मैंने आपको पूरी घटनाएं बताई है तो इसका तात्पर्य यह है कि आप चाहते थे प्रवोकेशन पैदा किया जाये। कानून के द्वारा जनता को बहकाया जाये। इसीलिए आप को बताना चाहता हूं कि 5 तारीख को ये जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं......

श्री रामचन्द्र आर्य : जनता आप को हटाना चाहती थी। इसलिए विरोध करती थी।

श्री मूलचन्द डागा : पांच बत्ती के पास ब्रिज के पास प्वॉइन्ट आउट किया। आप की रानी गायत्री देवी ने कहा है। अब कहते हैं, धारा 144 एक बड़ा गलत कदम उठाया है। क्या कहा था दिल्ली में जाकर, गायत्री देवी ने हमारे गृहमंत्री को जाकर ? क्या कहा, आपने क्या आश्वासन दिया। क्य

(श्री मूलचन्द डागा)
स्टेटमैंट दिया था। अपनी बात पर सोचिये, आपकी गायत्री देवी ने क्या कहा था, जो आपकी मुख्य मन्त्री बनना चाहती थी। क्या उनका सपना था ? उन्होंने क्या स्टेटमैंट दिये हैं। मुझे दुःख है। इस प्रकार यह माननीय सतीशचन्द्र अग्रवाल हैं, इनका स्टेटमैंट पढ़िए। यह एडवोकेट हैं। इसको पढ़ें। इन्होंने क्या स्टेटमैंट दिया है। इससे अब क्या मतलब निकालेंगे। इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं। मैं चाहता हूं वह स्टेटवट आपके सामने रखूं।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : आप के पास कौन सी फाइल है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यही बतादें, यह कौन सी फाइल है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप की दी हुई फाइल है।

एक माननीय सदस्य : कोई बात नहीं कल और पढ़ेंगे।

श्री मूलचन्द्र डागा : इन्होंने क्या बयान दिये हैं। वह बयान देखते हुए, इन्होंने बताया है। इन्होंने यह बताया है कि हमने यह तोड़फोड़ नहीं की है। लेकिन इन्होंने बयानों में जाकर अपने आपको बदल दिया है।

श्री भैरोंसिंह : यह क्या कह रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपको यह कह रहा हूं कि जो सतीशचन्द्र जी ने बयान दिये हैं, इन्होंने बयानों में यह बात कही है (कागजों को उलटते हुए)

(विराम)

एक माननीय सदस्य : कागज मिल ही नहीं रहे हैं।

श्री पृथ्वी सिंह : यह फाइल है या अखबार ? आपकी फाइल है तो आपको मालूम होना चाहिए।

(विराम)

श्री मूलचन्द डागा : हां, मिल गया। At a later stage. यह स्टेटमैंट दिया है। वह पढ़िये। वह कह रहे हैं, मुझे इस बात के लिए...

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में है क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : "The plan which was envisaged at a meeting of the Lok Tantra Bachao Samiti was the same as I have stated to you but on the 4th March, 67 it was held at the Manak Chowk Chaupar, the plea was modified........"

यह एक बड़े एडवोकेट हैं। पहले तो आप कह रहे हैं:—

"And it was considered necessary that the leaders must be followed by the public and that it may be felt by the Governor that there was a public in support of the Sanyukt Dal,'

(श्री मूलचन्द डागा)

यह आप ने स्टेटमैंट दिया है। कि हमने:—

"In announcement expressed on the 4th March calling upon the entire Janata to defy Section 144 ...."

क्यों साहब, माननीय सतीशचन्द्र जी, आप ने 144 धारा के अन्दर जनता को कहा था, नो, नॉटएट ऑल। इस प्रकार की बहस करने से पहले माननीय सदस्य जयपुर से आने वाले सदस्य कह रहे थे, क्या कहा था ? यह कहा था। आप ने गवर्नर एड्रेस में कहा है। इन्होंने कहा कि अखबारों में पहले से छपा दो। माननीय भैरोंसिंह ने गर्जना की है। वह करनी नहीं चाहिए थी श्री सतीशचन्द्र जी बयान दे रहे हैं। नॉट एट ऑल। वह आप ने देखा है 4 तारीख को माननीय मदनसिंह दाँता में जोश था। कुम्भाराम का सीना फूला हुआ था। उस महिला ने कहा था, आप हमारे साथ चलोगे मैं पूछ कर आ जाती हूं। मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, बैरी कमीशन की रिपोर्ट की बाबत, यह निर्णय अलग अलग है। इससे मालूम होगा कि जज ने कई बातों में पूरा जस्टिस नहीं किया है। माइण्ड को पूरा अप्लाई नहीं किया है। कई मामलों में इकतरफा राय कर दी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्वॉइण्ट ऑफ ऑर्डर !

श्री मूलचन्द डागा : पूछ कर आये हैं, या प्वॉइण्ट ऑफ ऑर्डर उठा रहे हैं। जो आप कह रहे हैं वह यह कह रहे हैं कि गायत्री देवी ने जो भाषण दिया वह अलंकृत भाषा है। जो यह कह दे चलो, 144 धारा तोड़ने चलोगे। कुम्भाराम जी बयान देते हैं, यह वल्गर है। इन्होंने देश के अन्दर लोकतंत्र के नाम पर, मैं इनको कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र को कायम रखने के लिये कांग्रेस ने जो किया है, आज मुझे इस बात का दुःख है कि अगर कांग्रेस की हकूमत नहीं रहेगी तो राजस्थान में वह पार्टियां शासन करती जिन पार्टियों ने लोकतंत्र के सिद्धान्त को नहीं माना है। अगर मानने वाले होते तो राजा और रानी के साथ में सहयोग नहीं करते। समझौता नहीं करते।

श्री मदनसिंह दांता : वित्त मंत्री के यहां शादी में कैसे ले गये राजाओं को ?

श्री मूलचन्द डागा : आप यह कहते हैं देश को बचाओ, कांग्रेस को हटाओ। और समझौता हुआ संयुक्त मोर्चे से नियम एक नहीं, विचारधारा एक नहीं, कोई काम का तरीका एक नहीं.........

श्री केदारनाथ : (श्री गंगानगर) बिहार में क्या हो रहा है ?

श्री मूलचन्द डागा : बिहार में कुछ भी हो रहा हो, वह सिद्धान्त पर हो रहा है। जिसको करने वाली आपकी पार्टियां ही वहां पर हैं। यह आपको मालूम होना चाहिए। एक बात आपको और मालूम होनी चाहिए कि बैरी कमीशन द्वारा जो टीका टिप्पणी की है, जो बातें की हैं उन्हें हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इस पर इस हाउस में डिस्कशन हो.........

श्री भैरोंसिंह : यह सरकार का दृष्टिकोण है या आपका है ?

श्री मूलचन्द डागा : सरकार का क्या, यह मेरा दृष्टिकोण है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार का तो यह नहीं मानना है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं खुद का दृष्टिकोण बता रहा हूं। गृह मंत्री जी सरकार की ओर से उत्तर देंगे। मैं अपनी बात कह रहा हूं। आपने बिना जाने हुए, कुछ सेन्टेन्सेज पढ़ कर सुनाये, यह बात जानते हुए भी कि यह गवर्नर के अभिभाषण पर वाद-विवाद है और इस पर आपका यह कर्त्तव्य नहीं था कि आप बेरी कमीशन की बात कहते हैं···

श्री भैरोंसिंह : वह तो ठीक है। मैंने दूसरी बात पूछी थी।

श्री मूलचन्द डागा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बेरी कमीशन ने कुछ बातों पर कुछ निर्णय, मेरे ख्याल में, सारे सिद्धान्तों के विरुद्ध दिये हैं, नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध दिये हैं······

श्री भैरोंसिंह : आज तक सरकार क्यों नहीं बोली ?

श्री मूलचन्द डागा : क्यों नहीं बोली ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी भी सरकार नहीं बोल रही है। माननीय सदस्य अपने विचार रख रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : वह हम भी जानते हैं कि इनकी कितनी इज्जत है सरकार में।

श्री मूलचन्द डागा : जैसा मैंने बतलाया कि बेरी कमीशन ने जो निर्णय दिये हैं वह आपने कुछ पढ़ कर सुनाये। इस कमीशन के निर्णय पर चर्चा करना ही चाहते हैं तो आज इस बेरी कमीशन की बात कहना या निर्णयों की बात उठाना कोई वक़्त नहीं रखता है। मेरे ख्याल में उन बातों को कहने का लाभ नहीं जब तक कि सारी रिपोर्ट को एक सही दृष्टिकोण से पढ़ कर अपनी बात न कहें। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, अब आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूं······

श्री भैरोंसिंह : घड़ी की ओर ध्यान ले जायं आप तो।

श्री मूलचन्द डागा : हम चाहते थे कि देश के अन्दर श्रेणीहीन, शोषण विहीन राज्य कायम हो, धर्म निरपेक्ष राज्य कायम हो······

श्री केदारनाथ : अवाड़ी !

श्री मूलचन्द डागा : ऐसी स्थिति में क्या यह उचित होगा कि जो छात्रावास चलाते हैं उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए छात्रावास अलग से चलायें। मेरा निवेदन है कि सरकार इनको खत्म कर दे अगर वह इन क्लासेज को खत्म करना चाहती है। हमें इस प्रकार के छात्रावास नहीं चलाने चाहिए जो हरिजनों के नाम पर, मेघवाल के नाम पर, भांभियों के नाम पर हों। इन छात्रावासों को खत्म करना होगा और इन लड़कों को भी कॉलेजों के लिए बने हुए होस्टलों में ही भर्ती कराना होगा और उनको ज्यादा पैसा, ज्यादा सुविधा देकर आगे बढ़ाना होगा। इसके साथ ही नगरपालिकाओं की उन कॉलोनीज को भी

(श्री मूलचन्द डागा)

मिटाना होगा, जो कि हरिजन कॉलोनी हैं। मेरा निवेदन है कि श्रेणीहीन राज्य के निर्माण के लिए आपको यह कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। महात्मा गांधी के शताब्दी वर्ष के समय जो कदम आप उठाना चाहते हैं उनमें पहला कदम यह होना चाहिए कि हरिजनों में जो दरिद्रता व्याप्त है, उसको खत्म कर दें। इसके अलावा हैड लोड ले जाते हैं, वह कानूनन बन्द कर दें। उनके द्वारा हैड लोड नहीं उठया जा सकता यह मानवता पर कलंक है हम बार बार यह कहना चाहते हैं कि गांधीजी के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आप इस प्रकार का कानून पास करायें और इसको समाप्त कर दें। हमने जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, राजाओं के राज्य को खत्म कर दिया। हम चाहते हैं कि हरिजनों को जो हैड लोड ले जाने के लिए बाध्य किया जाता है इस प्रथा को खत्म कर दिया जाय, कलम के एक स्ट्राक से खत्म कर दिया जाय। इसके अलावा हरिजन कॉलोनी और हरिजन छात्रावासों को भी खत्म कर दिया जाय। मैं चाहता हूं कि आप साढ़े बारह प्रतिशत के बनिस्बत बीस तीस प्रतिशत को मौका दीजिये। अगर इन लोगों को ऊंचा उठाना है तो साढ़े बारह प्रतिशत से ही काम नहीं चलेगा। मेरा मानना है कि समाजवाद में जब श्रेणीहीन और शोषण विहीन समाज हम चाहते हैं तो पहला कदम यह हो जो गांधी शताब्दी के समय में आप उठायें और इस प्रकार अनुसूचित जाति और जन जाति को काफी ऊंचा उठायें। अभी तक छात्रवृत्ति के मामले में किस प्रकार ऊंचा उठाया है, वह मैं बताना चाहता हूं। आप पचास रुपये एक कॉलेज स्टूडेंट को देते हैं लेकिन अभी जो विद्यार्थी और लड़के थर्ड डिवीजन से पास हुए उनको आपने पचास रुपये देने से इन्कार कर दिया उसके कारण से पाली में रिकवरी अफेक्ट की जा रही है। क्या समाज कल्याण मंत्री यह बतायें कि जो विद्यार्थी इस वातावरण में पले हैं, जो गरीबी में पले हैं, जिन्होने हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है, उनको क्या आप इस प्रकार से ही आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देंगे...

एक माननीय सदस्य : क्या समाज कल्याण मंत्री वही हैं जो दल बदल कर गये हैं ?

श्री जयनारायण सालोदिया : नहीं, नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक बात चाहता हूं कि जब आप श्रेणीहीन समाज चाहते हैं तो आपका पहला कर्त्तव्य होना चाहिए, कि आप इस ओर कदम उठायें। इससे ही सामाजिक सुधार होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो समाज में जब कि नये मूल्य स्थापित हो गये हैं और पुराने मूल्य टूट रहे हैं तो हम पुराने तरीके भी नहीं चाहते हैं, हम एक नई तब्दीली चाहते हैं, हमें तमन्नायें हैं, जोश है...

श्री विजयसिंह : सबको ठण्डा कर दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : तो इसको वही तरीका है, जिस तरीके को हम अख्तियार करना चाहते हैं। इसके लिए मेरे ख्याल में कुछ और भी कदम उठाने चाहिये। उनमें पहला कदम यह होना चाहिए कि विकास

(श्री मूलचन्द डागा)

हो महिला शिक्षा के मामले में । मैं समझता हूं कि जिस देश में गृहस्थ आगे बढ़ते हैं समाज भी आगे बढ़ता है, देश भी आगे बढ़ता है । इसलिए हमें शिक्षा के मामले में कम्पलसरी स्त्री शिक्षा करनी होगी । अगर गृहस्थ आगे बढ़ते हैं तो समाज आगे बढ़ता है और देश भी आगे बढ़ता है लेकिन राजस्थान में अभी भी स्त्री शिक्षा पर इतना बल नहीं दिया गया है । इस बारे में आपको कोई कानूनन व्यवस्था करनी होगी, लड़कियों को मैट्रिक पास करनी होगी, और छात्राओं को आगे बढ़ाना होगा । इस तरह से ही आप घूंघट प्रथा को खत्म कर सकते हैं । मेरा निवेदन है कि जिस देश में अभी तक घूंघट प्रथा है वह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता हैं, वह पीछे ही हट सकता हैं । इसलिए इस सम्बन्ध में आपको कुछ कानून बनाना होगा और कानून बनाकर ही इन बुराइयों को आप काट कर फेंक सकते हैं, और कानून बनाकर ही हम राजस्थान को ऊंचा उठा सकते हैं । राजस्थान के कुछ हिस्सों में स्त्री समाज में जो पिछड़ापन है उसको आगे बढ़ाने का यही एक तरीका है । इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा । अब तक की प्रणाली से काम नहीं चलेगा । मैट्रिक करने के बाद आज विद्यार्थी केवल बाबू बनता है···

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक माननीय सदस्य : समय समाप्त हो गया ।

श्री भैरोंसिंह : सर्व श्रेष्ठ भाषण हो रहा है ।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा निवेदन है कि मेट्रिकुलेशन के बाद में आप एक नई प्रणाली शुरू करें । उसके बाद लड़के को कॉलेज में लाने से कोई फायदा नहीं होगा । इसके लिए आपको कुछ कदम उठाने होंगे, इसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए । सेनिटरी इन्सपेक्टर, कम्पाउन्डर कोर्स की आप ट्रेनिंग दें सारे विद्यार्थियों को । मैट्रिक के बाद जो लड़के नौकरी के लिए सरकार की ओर देखते हैं, जो पढ़े लिखे लोग सरकार की ओर देखते हैं उन लोगों को इस प्रकार ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाना होगा । मेरा निवेदन है कि इस प्रकार आपको शिक्षा के मामले में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा । आज कॉलेजों की संख्या बढ़ाने से लाभ नहीं है, कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने से लाभ नहीं है । आपको लड़कों की क्वालिटी देखनी होगी, लड़कों को अलग अलग क्षेत्र में ट्रेंड करना होगा । लड़कों को आगे बढ़ाने के लिए नई प्रणाली उत्पन्न करनी होगी । राजस्थान हर मामले में तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला प्रान्त कहलाता है इसलिए राजस्थान को शिक्षा के मामले में भी बिल्कुल परिवर्तन करना होगा और इस प्रकार करना होगा कि विद्यार्थी समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आगे आयें । विद्यार्थी पास करते हैं परीक्षायें और पास करने के बाद गवर्नमेंट की नौकरी पर ही निर्भर रहते हैं । तो इस प्रकार के छात्र कॉलेजों से नहीं निकालने चाहिए । हम ऐसे विद्यार्थी नहीं चाहते हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि शिक्षा का जो तरीका है उसमें तेजी से परिवर्तन लाना होगा । अगर यह काम नहीं किया और

(श्री मूलचन्द डागा)

राजनैतिक क्षेत्र में कुछ नये चित्र, कुछ नये प्रश्न उभर रहे हैं, उनकी ओर ध्यान आकर्षित नहीं हुआ जो राजनैतिक क्षेत्र में उभरने वाले इन नये चित्रों और नये प्रश्नों से लोकतंत्र को और समाज को खतरा है। इसलिए आपको बेकारी का और गरीबी का नाश करना होगा, इनके ऊपर सीधा आक्रमण करना होगा और इस प्रकार समाजवाद को कायम करना होगा। विषमता को मिटाना होगा। क्योंकि हम इनको मिटा नहीं सके हैं और पिछले वर्षों में धीरे धीरे चले हैं, धीरे धीरे चलकर अपने लक्ष्य के स्थान पर नहीं पहुंचे हैं इसलिए हमको अपने कदमों में तेजी लानी होगी, तेज रफ्तार से चलना होगा, मजबूती से चलना होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह कदम उठायें जिससे देश आगे बढ़ सके।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 5 बज कर 30 मिनिट पर बृहस्पतिवार दिनांक 6 मार्च, 1969 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 86 की सूची)

मालिकों की सूची जिन्हें अभी किराया नहीं चुकाया गया है ।

1.	श्री ठा० विजयसिंह मकराना	1-11-66 से 31-8-67 तक 50) रुपये माहवार से 500) रुपये ।
2.	श्री कालूराम मोहन लाल	12-10-66 से 12-11-66 तक 20) रुपये माहवार से 20) रुपये ।
3.	श्री कल्याणमल भंवर मकराना	1-4-65 से अभी तक यह दुकान किराये पर है । 20) रुपये माहवार से ।
4.	श्री हाजी शेख नथू एण्ड कं०	1-11-65 से 26-8-68 तक 20) रुपये माहवार से 676) रुपये 67 पैसा ।
5.	श्री हबी बुल्ला अलारख	6-11-67 से 1-8-68 तक 20) रुपये माहवार से 177) रुपये 33 पैसा ।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 87 की सूची)

PART 'A'

1.	Cost of making temporary diversion road for transporting the materials and machines in the sandy bed of river.	1,036.00
2.	Cost of working platforms 4 Nos. @1,000/-	4,000.00
3.	Cost of shifting platforms from one joint to another.	1,500.00
4.	Cost of M. S. Reinforcement work complete including fabrication.	478.00
5.	Cost of welding, M.S. reinforcement including labour charges, cost of electrods, fuel consumption and hire charges of plants etc. complete for total 48 joints.	4,000.00
6.	Cost of guniting process complete with cost of cement, hire charges of machines, fuel and labour charges 23 jobs.	1.000.00
7.	Shuttering and plaster etc.	817.00
8.	Hire charges of truck, tractor etc. for transporting of material from store to site.	700.00
		13,531.00

PART 'B'

Cost of measures adopted for safety of traffic and bridge.	
Cost of masonry and iron caution, as well as sign boards including cost of barriers and operation thereof.	10,700.00
Total Rs.	24,231.00

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 89 की सूची)

तहसीलवाइज आबादी विस्तार की सूची

क्रमांक	नाम ग्राम	तहसील	आवश्यक पत्रादि भेजे गये हैं	विशेष
1	2	3	4	5
1.	शाहबाद	शाहबाद		जिलाधीश कार्यालय में विचाराधीन है।
2.	समरोनिया	,,	श्री परगना अधिकारी बारां के यहाँ से मुकम्मिल रिपोर्ट हेतु।	
3.	परेदवा	,,	,, ,,	
4.	गदेरेटा	,,	,, ,,	
5.	तोरण	दीगोद	श्री तहसीलदार सांगोद से मुकम्मिल कागजात पेश नहीं हुए।	
6.	जाखडोद	दीगोद	ए०डी०एम० कोलोनाइजेशन की रिपोर्ट हेतु भेजा।	
7.	बमोरी	,,		जिलाधीश कार्यालय में विचाराधीन है।
8.	वांसधुनी	किशनगंज	तहसीलदार किशनगंज जब पत्रांक 3233/राज./क/ 68, दिनांक 12 जून, 68 को लिखा।	
9.	रामपुरा	,,		
10.	कापडी खेड़ा	,,		
11.	पल्दी	,,		
12.	हरीपुरा	,,		
13.	कोटड़ी	सांगोद	परगना अधिकारा रामगंजमंडी।	
14.	बोरीना कलां	,,	तहसीलदार सांगोद।	
15.	हींगी	,,	परगना अधिकारी रामगंजमंडी।	
16.	मारू कलां	,,	,, ,,	
17.	खजुरी	,,	,, ,,	
18.	हीगोद	,,	,, ,,	
19:	देवली	,,	,, ,,	
20.	आंक	,,	,, ,,	
21.	लटूरी	,,	,, ,,	
22.	मोई कलां	,,	,, ,,	

परिशिष्ट 3

(समाप्त)

1	2	3	4	5
23.	घुलेट	सांगोद	परगना अधिकारी रामगंजमंडी ।	
24.	खजूरना	,,	,, ,,	
25.	सावन भादो	,,	,, ,,	
26.	कुराड़	,,	,, ,,	
27.	बृजनगर	,,	,, ,,	
28.	बन्दा	,,	,, ,,	
29.	तुमड़ा	,,	,, ,,	
30.	कुशालीपुरा	,,	,, ,,	
31.	बजल्या	,,	,, ,,	
32.	कुन्दनपुर	,,	,, ,,	
33.	वधावर कलां	,,	,, ,,	
34.	कमोलर	,,	,, ,,	
35.	किशनपुरा	,,	,, ,,	
36.	खैराबाद	रामगंजमंडी	कार्यालय में पैन्डिग है ।	
37.	रामगंजमंडी	,,	परगना अधिकारी रामगंजमंडी ।	

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 94 की सूची)

सूची

सूचि तहसील नागौर में आबादी के पड़ोस में सरकारी पड़त नाकाबिल काश्त भूमि में घर व बाड़ों द्वारा अतिक्रमण करने सं० 2020 से पहले के मामलों की।

संख्या		नाम ग्राम	मुकदमें
1.	ग्राम	नागौर में	2
2.	,,	मूंन्डवा	3
3.	,,	अलाय	1
4.	,,	रामसीया	24
5.	,,	नागड़ी	61
6.	,,	वासनी	56
7.	,,	लालावास	4
		योग :	151

सूची

संख्या 1	नाम ग्राम 2	मुकदमें 3
1.	मालासुख	4
2.	वोड़वा	14
3.	रोहिणा	2
4.	तरनाऊ	2
5.	डिडिया कलां	46
6.	गुगरियाली	36
7.	नोखाजो चीवा	49
8.	वरनेल	3
9.	आकोड़ा	34
10.	दूगोली	2
11.	ईंह	8

परिशिष्ट 4

(क्रमशः)

1	2	3
12.	लूणसरा	1
13.	डग्यार	1
14.	रोल	17
15.	जायल	21
16.	खियाला	5
17.	कठोली	6
	योग :	251

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 104 की सूची)

गाड़ी पर हुए खर्चे का विवरण

विवरण	1957-58	1958-59	1959-60	1960-61	1961-62
1. स्टाफ पर खर्चा	7008.58	7789.56	7755.13	8910.00	9617.88
2. गाड़ी की मरम्मत तथा चलाने का खर्चा	5639.71	3087.97	1538.58	2452.70	2415.58
योग:—	12648.19	10877.52	9293.71	11363.44	12033.46

कुल योग: 56,236.32 पैसे

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न संख्या 109 की सूची)

जिला श्रीगंगानगर के थानेवाइज सन् 1968 में दर्ज हुए कत्ल व झगड़ों की सूची

क्र० स०	थाने का नाम	कत्ल	झगड़े
1	2	3	4
1.	कोतवाली गंगानगर	2	40
2.	सदर ,,	4	28
3.	हिन्दुमल कोट	5	19
4.	जूनागढ़	4	14
5.	करनपुर	4	23
6.	केसरीसिंहपुर	4	9
7.	पदमपुर	3	31
8.	रायसिंहनगर	—	27
9.	मुकलावा	5	16
10.	घड़साना	—	—
11.	अनूपगढ़	6	28
12.	सूरतगढ़	9	22
13.	रावतसर	—	14
14.	हनुमानगढ़ जंक्शन	4	26
15.	,, टाउन	3	23
16.	सादुलशहर	3	21
17.	संगरिया	7	15
18.	टीबी	1	25
19.	नोहर	2	19
20.	भादरा	2	12
21.	भीरानी	1	6
	योग	69	418

परिशिष्ट 7

(तारांकित प्रश्न संख्या 112 की सूची)

जिलेवार सन् 1954 से 1968 तक जागीरदारों को चुकाया गया मुआवजा

1.	अजमेर	...	1,77,93,655.44
2.	अलवर	...	59,68,091.36
3.	बांसवाडा	...	36,07,130.63
4.	बाड़मेर	...	59,51,927.22
5.	भरतपुर	...	62,92,900.83
6.	भीलवाड़ा	...	66,96,655.81
7.	बीकानेर	...	46,13,229.16
8.	बूंदी	....	10,11,728.44
9.	चित्तौड़	...	75,87,558.45
10.	चुरू	...	34,26,809.35
11.	डूंगरपुर	...	16,63,519.46
12.	गंगानगर	....	16,66,862.57
13.	जयपुर	...	13,37,25,252.11
14.	जैसलमेर	—	10,54,219.14
15.	जालौर	....	91,71,369.93
16.	झालावाड़	...	14,68,327.61
17.	झुन्झुनू	...	1,00,05,952.93
18.	जोधपुर	...	1,56,18,068.92
19.	कोटा	...	47,59,246.50
20.	नागौर	....	1,14,31,533.67
21.	पाली	...	1,21,17,803.38
22.	सवाई माधोपुर	...	45,71,177.15
23.	सीकर	....	84,98,573.62
24.	सिरोही	...	20,55,817.22
25.	टौंक	...	33,41,754.39
26.	उदयपुर	...	1,35,66,047.77

कुल योग:— 29,76,65,213.06 पैसे

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 34 की सूची)

COMPARATIVE STATEMENT FOR SANITARY AND PIPE FITTING AT LADNUN MILLS

S. No.	Name of Item	M/s Nath Mal	M/s B. K. Sharma	M/s Cam-ention
1	2	3	4	5
1.	S. & F. Indian Type W.C. 23″ Complete	232.00	220.00	265.00
2.	S. & F. Flat Back Urinal	87.00	80.00	97.00
3.	S. & F. Auto flushing Cistern 2 Gallons.	66.00	68 00	75.00
4.	S. & F. Auto flushing Cistern 3 Gallons.	92.00	85.00	94.00
5.	Cromium Urinal Crop.	13.50	12.00	17.00
6.	S. & F. Wash hand Basin 22″ x 16″	122.00	115.00	130.00
7.	S. & F. Towel Rail	19.50	18.00	21.00
8.	S. & F. S. Tap.	17.00	15.00	17.00
9.	S. & F. Pillar ckck 1/2″	24.50	22.00	23.00
10.	S. & F. Vaste Nipple 1¼″	13.00	11.00	13.00
11.	Rubber Plug.	4.00	3.00	3.00
12.	Nahani Trap 4″ x 2″	31.00	28.00	31.00
13.	Stop Cock 1/2″	17.00	15.00	16.00

परिशिष्ट 8
(क्रमशः)

1	2	3	4	5
14.	Bil cock 1/2"	16.50	15.00	16.00
15.	Lead Pipe with Union	23.00	20.00	22.00
16.	S. & F. G. I. Pipe 1" Tata.	2.60Per Ft.	2.30Per Ft.	2.50Per Ft.
17.	S. & F.G.I. Pipe 1/2" Tata.	2.07 ,,	1.80 ,,	2.00 ,,
18.	Main Hole Cover 18" x 15"	57.00	50.00	55.00
19.	S. & F. A. C. Pipe 4"	3.50	3.50	3.65
20.	S. & F. A. C. Pipe V.P.	3.63	3.50	3.65
21.	S. & F. A. C. Pipe R. W.	3.63	3.50	3.65
22.	S. & F. A. C. Bend	19.00	16.00	17.00
23.	S. & F. A. C. Tee	23.00	18.00	19.00
24.	S. & F. Brackets angle	4.50	3.00	4.00
25.	S. & F. A. C. Pipe Clamps	1.87	1.50	3.50
26.	S. & F. A. C. Covel	13.00	11.00	11.00
27.	G. M. Wheel Valve 1"	33.00	30.00	32.00
28.	G.I. Pipe fitting Union 1"	9.00	7.00	9.00
29.	,, ,, Elbow 1"	3.00	2.00	2.00
30.	,, ,, Cross 1"	4.50	3.00	3.25
31.	,, ,, Elbow 1/2"	1.65	1.50	1.60
32.	,, ,, Reducer 1½" x 1"	3.00	2.00	2.50

परिशिष्ट 8

(क्रमशः)

1	2	3	4	5
33.	G.I. Pipe fitting Reducer 2"x1"	6.00	3.50	3.50
34.	,, ,, ,, 1¾" x 1"	3.00	2.50	2.75
35.	Brick under Roads	1.50Rft.	1.00Rft.	1.15Rft.
36.	G.I. Pipe S. & F. with fitting	11.50Rft	11.00Rft.	11.00Rft.
37.	Main Hole 18" x 15" x 3"	40.00Each	40.00Each	50.00Each
38.	G. N. Valve 3"	57.00 ,,	52.00 ,,	55.00 ,,
39.	Construction of Septic Tank 10' x 5' x 7' with stockpit.	650.00	500.00	560.00
40.	Floors including base floors	5.50	3.00	4.00
41.	Plaster on walls	3.00	1.00	1.25
42.	Excavation in trench and pits	27.00Per hundred cft.	20.00	25.00

ठेकेदार को भुगतान निम्न तरीके से किया गया, एवम् आखिरी भुगतान के समय सिक्योरिटी डिपाजिट 10 प्रतिशत काट कर रखली गई थी।

16-2-68 - भुगतान 3,000)
अप्रेल, 68 के प्रथम सप्ताह में 500)
,, ,, ,, 2,997)59

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 37 की सूची)

	नाम थाना	मुकदमात दर्ज हुए	चालान	अदम वकूए	अदम पता	अदम सबूत	पेन्डिग पुलिस
1.	सर्किल कोटा, सर्किल	29	15	6	4	1	3
2.	सुलतानपुर	2	2	–	–		
3.	खतौली	1	–	1	–		-
4.	कैथुन	3	–	1	–		–
5.	इन्दरगढ़	–	–	–	–		–
6.	मन्डावा	1	–	–	–		1
7.	बुढादीत	–	–	–	–		–
8.	इटावा	1	–	–	–	1	–
9.	सर्किल छबडा	21	4	10	–		7
10.	सर्किल बारां	14	4	6	–		4
11.	शाहबाद	8	1	–	4		3
12.	सर्किल राम गंज मंडी	13	4	4	1		4
	कुल	93	30	28	9	2	24

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 38 की सूची)

कोटा मण्डल के छबड़ा सब-डिवीजन में दिनांक 1-1-67 से 31-12-68 तक की डकैतियों की विस्तृत सूची ।

कुल डकैतियां	जिनका माल बरामद हुआ	अदम वकूए	जेर तफतीश
6	2	1	3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 38 की सूची)

वृत छबड़ा में 1-1-67 से 31-12-68 तक कुल मिलाकर 6 डकैतियां हुई जिनका विवरण थाने वाइज निम्न प्रकार है:—

(1) थाना हरनावदा:—में कुल दो डकैतियां हुई जिनमें एक मुकदमा इ० नं० 6 धारा 397 ता० हि०, ता० 8-9-68 को कायम हुआ। इसमें एक डकैत पकड़ा गया व उसके कब्जे से चुराई हुई देशी बन्दूक इस डकैती की बरामद होकर उसका चालान अदालत में 17-12-68 को पेश किया जा चुका है और बकाया मुल्जिमान की तलाश जारी है।

(2) दूसरी मु० इ० नं० धारा 397 ता० हि०, दिनांक 4-6-68 को हुई जो अभी जेर तफतीश है।

(3) थाना मोठपुर:—में एक डकैती हुई जिसका मु० नं० 9 धारा 395 ता० हि० 148/379/352/427 ता० हि०, ता० 3-4-68 है। इसमें कुल 3,000) रु० का माल गया जो बरामद किया जा चुका है तथा 9 मुल्जिमान के विरुद्ध चार्जशीट ता० 25-5-68 को अदालत में पेश हो चुकी है।

(4) थाना छबड़ा :—में एक डकैती हुई जिसका मु० नं० 128 धारा 395 ता० हि०, ता० 28-10-68 को पंजीबद्ध हुआ। इसमें कुल मिलाकर 46) रु० का माल चोरी गया। यह मुकदमा अभी तक जेर तफतीश है।

(5) थाना बापचा :—में सन् 1967 में कुल दो डकैती हुई जिसमें से एक मु० ई० नं० 18 धारा 148/395 ता० हि०, ता० 13-5-67 को कायम हुआ। तथा ता० 23-7-67 को इस मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट अदम वकूए में दी जा चुकी है।

(6) दूसरा मु० ई० नं० 35 धारा 395 ता० हि०, दिनांक 17-9-67 को कायम हुआ। इसमें कुल मिलाकर 2,037) रु० का माल चोरी हुआ। यह मुकदमा अभी तक जेर तफतीश है।

इस तरह से वृत छबड़ा में 1967 और 68 में कुल 6 डकैतियां हुई जिनमें से एक अदम वकूए गई तथा दो बरामद हुई जिनका चालान अदालत में पेश हो चुका है। बकाया की तफतीश अभी जारी है।

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 39 की सूची)

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (क) विभाग

आदेश

सं० एफ० 1 (20) सा०प्र०/क/63 जयपुर दिनांक 30-1-1965

विषय :—राज्य सेवाओं में स्थानान्तरण ।

राज्य सेवाओं में जल्दी जल्दी स्थानान्तरण के दुष्प्रभावाओं के सन्दर्भ में राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि किसी भी अधिकारी को उसके स्थापन के स्थान पर कम से कम दो वर्ष तक रखा जाय । आम तौर पर उन्हें तीन साल तक अपने पदों पर रखा जावे ।

यदि किसी प्रशासनिक परिस्थिति में इस अवधि के पूर्व स्थानान्तरण करना ही हो तो बिना विभागाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये ऐसा नहीं किया जायगा तथा उसकी सूचना सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा संलग्न रूप पत्र में अपने सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के सचिव एवं मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) को प्रत्येक तिमाही के बाद आने वाले माह के अन्त तक निश्चित रूप से दिसम्बर की तिमाही के बारे में 31 जनवरी 66 तक प्राप्त होने चाहिये । इसी क्रम से यह विवरण पत्र अप्रेल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के अन्त तक त्रैमासिक भेजे जाते रहेंगे ।

अधीनस्थ सेवाओं के विषय में यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें एक ही जिले में पांच वर्ष तक सामान्यतः काम करने दिया जाना चाहिये तथा उनके अन्तर्क्षेत्रीय स्थानान्तरण न्यूनतम हो तथा इन सेवाओं के अधिकारियों को अपने मूल स्थान के जिले में स्थापन नहीं किया जाना चाहिये तथा यथा सम्भव उनको उस क्षेत्र में ही रखना चाहिये जिसमें कि उनके मूल निवास स्थान का जिला सम्मिलित है । इस विषय में क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी मन्त्रिमण्डल सचिवालय का परिपत्र सं० 12 (16) कैवि०/62 भाग-2 दिनांक 30-9-62 अवलोकनीय है उपरोक्त आदेशों के अनुपालन अपेक्षित जानकारी और पेरा 2 पर अपेक्षित विवरण भेजने की जिम्मेदारी विभागाध्यक्षों की वैयक्तिक रूप से होगी ।

इस आज्ञा के अपवाद स्वरूप यदि कोई स्थानान्तरण किये जाना अनिवार्य ही हो तो उसके विषय में भी पूर्व निर्दिष्ट विवरण पत्र अलग से उपरोक्त त्रैमासिक क्रम में प्रेषित किये जाना आवश्यक है । इस आज्ञा की प्राप्ति की सूचना कृपया अविलम्ब प्रेषित करें ।

ह० उप शासन सचिव ।

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (क) विभाग

सं० प्र० 2 (30) सा० प्र०/क/66 जयपुर दिनांक 8-11-66

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति की तद्‌विषयक सिफारिशों पर विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा आदेश प्रदान करते हैं कि:—

1. अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारियों को स्थानान्तरण क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी अपने क्षेत्र की परिसीमा के अन्तर्गत कर सकते हैं।

2. विकास विभाग के राजपत्रित अधिकारी जिलाधीश के परामर्श के उपरान्त अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों को सम्बन्धित विभाग में स्थानान्तरित कर सकते हैं।

3. अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारियों को सामान्यतया एक जिले में कम से कम पांच वर्ष तक रक्खा जाना चाहिये। ऐसे अधिकारियों के सम्बन्ध में अन्तर्क्षेत्रीय स्थानान्तरण अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में ही किये जा सकेंगे।

4. अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारियों का स्थापन उन जिलों में नहीं किया जाना चाहिये जहां उनका घर हो. परन्तु जहां तक सम्भव हो उन्हें उसी क्षेत्र में रक्खा जावेगा जहां के वे हों।

उपरोक्त आदेशों के प्रचलन के बाद इस विषय पर अब तक जो आदेश उपलब्ध हों वे असंगति की सीमा तक निरस्त माने जावेंगे।

आज्ञा से,
शरफअली,
उप शासनसचिव।

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न सं० 60 की सूची)

सूची

संख्या	नाम व्यक्ति का	विवरण कब्जा	कब से है
1.	श्री गणपत पुत्र तिलोका माली	बाड़ा	1 वर्ष से
2.	,, खींवराज पुत्र कुनणराम	छपरा	3 वर्ष से
3.	,, रामचन्द्र पुत्र जेताराम	भूंपा	4 वर्ष से
4.	,, पूनाराम पुत्र गिरधारीराम	बाड़ा	6 माह से
5.	,, सोहनलाल पुत्र रामदेव दरोगा	बाड़ा	6 माह से
6.	,, माणकचन्द पुत्र लादूराम	पक्का मकान व चौभीता	1 वर्ष से
7.	,, वेगाराम पुत्र हड़मान माली	भूंपा	1 वर्ष से
8.	,, लिखमाराम पुत्र मेरा जाट	पक्का मकान	7 माह से
9.	,, भालूराम पुत्र भूलाराम	पक्का ओरा	8 माह से
10.	,, मेगाराम पुत्र गिरधारी	बाड़ा	6 माह से

इस सम्बन्ध में जांच कराई गई तब यह आदेश दिया।

1. किसी व्यक्ति को आबादी हेतु कब्जा नहीं करने दिया जावे व जिन्होंने कर लिया है, उन्हें अतिक्रमी मानकर कानूनी कार्यवाही करें।

2. नगरपालिका को आदेश दिया जा रहा है कि किसी को तामीर बनाने की इजाजत नहीं देवें।

3. भूमि की आबादी का पट्टा सैटलमैन्ट अधिकारी ने दिया है उसको खिलाफ मानते हुए निरस्त करने हेतु जिलाधीश द्वारा धारा 84 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अधीन राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को लिखा जा रहा है।

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न सं० 61 की सूची)

सूची संख्या 1

नाम तहसील	भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या
नैनवा	2,254
बूंदी	2,088
केशोराय पाटन	1,056
हिन्दोली	1,635
कुल	7,033

सूची संख्या 2

नाम तहसील	तादाद व्यक्ति	तादाद रकबा
नैनवा	290	896
बूंदी	518	2,336
केशोरायपाटन	5	23
हिन्डोली	305	977
योग	1,118	4,232

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न सं० 64 की सूची)

प्रतिलिपि

राजस्थान सरकार

राजस्व (ख) विभाग

संख्या एफ० 6 (6) राजस्व (ख) 64 जयपुर, दिनांक 12 मार्च, 1965

प्रति,

समस्त जिलाधीश

विषय:—आबादी विस्तार के लिए भूमि।

आबादी विस्तार के लिए भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में इस विभाग से 2 परिपत्र क्रमांक एफ० 6 (42) राज०/ख०/61, दिनांक 20-4-61 तथा एफ० 6 (114)/राज०/ख०/63, दिनांक 12-12-63 को प्रसारित किये जा चुके हैं। इन आदेशों के अन्तर्गत आबादी विस्तार के लिए भूमि की मांग ग्राम पंचायत द्वारा जिलाधीश को करनी होती है। परन्तु विदित हुआ है कि पंचायतों से ऐसी मांग प्राप्त नहीं हुई है और ग्रामवासियों को मकान बनाने के लिए आबादी भूमि प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। अतः निदेशानुसार लेख है कि आप अपने अधीनस्थ तमाम पटवारियों को आदेश दें कि वे प्रत्येक ग्राम पंचायतों की बैठक में शामिल हों, आबादी विस्तार की भूमि के लिए लिखित में प्रस्ताव प्राप्त करें और उस प्रस्ताव को अपने तहसीलदार को प्रस्तुत करें। तहसीलदार उन प्रस्तावों को आपको प्रस्तुत करें और उन प्रस्तावों पर आबादी भूमि की स्वीकृति आप प्रदान करें। इस तमाम कार्य में 2 माह से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। इस अवधि के अन्दर तमाम ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार के लिए भूमि प्रदान हो जावे इसकी व्यवस्था कृपया की जावे।

हस्ताक्षर

आर० के० चतुर्वेदी,

राजस्व सचिव।

शुद्धि-पत्र

(बुद्धवार, दिनांक 5 मार्च, 1969)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
3	अंतिम से 11	श्री मूलचन्द डा	श्री मूलचन्द डागा
4	,, 6	श्री गवानदास शास्त्री	श्री भगवानदास शास्त्री
13	,, 14	दुवान	दुकान
20	अंतिम में 14	'मुल्कराज ख्रिन्द	श्री मुल्कराज खिन्द
,,	,, 5	श्री ओमदत्त भटी	श्री ओमदत्त भाटी
22	,, 16	फाल्ड	फील्ड
38	,, 2	श्री फूलचन्द वफना	श्री फूलचन्द बाफना
39	,, 3	एम्र	एक
41	,, 17	ममेटी	कमेटी
43	, 13	सही मैं	सही है मैं
52	,, 7	श्री कृष्ण कुमार गोयल	श्री कृष्णकुमार गोयल
58	अंतिम से 4	श्री रघुानथ 'विश्नोई	श्री रघुनाथ विश्नोई
119	,,	का),	का,
126	4	Sorrounded	Surrounded
127	7	भ्रौर	भ्रोर
129	7	Verandan	Verandah
130	6	cvidance	evidence
,,	11	heartessness	heartlessness
,,	अंतिम से 10	इसो	इसको
130	2	हिमम्त	हिम्मत
,,	20	विया	दिया
144	11	than	then
152	अंतिम से 3	कि	की
156	8	खुन	खून
157	अंतिम	काशिश	कोशिश
159	अंतिम से 13	एक्शन जो होगा	एक्शन होगा
163	18	हसारा	हमारा
172	3	सोरिअस	सीरिअस

1	2	3	4
177	अंतिम से 16	के	की
178	12	मन्त्रीयों	मन्त्रियों
180	11	आपने	आपमें
181	अंतिम से 3	रेविन ऐरियाज में को	रेविन ऐरियाज को
183	3	ही	हो
,,	अंतिम से 5	किया है उसके	किये हैं उनके
184	8	हैपजर्ड	हैप्हैजर्ड
185	7	की	का
186	19	फर्टिल्टी	फर्टिलिटी
194	अंतिम से 15	सव	सर्वे
203	9	की	का
208	17	रोजना	रोजाना
209	अन्तिम से 13	सम्बन्ध	इस सम्बन्ध
214	,, 9	कांरेजी	कांकरेज
215	,, 7	चााऐ	चाहिए
218	,, 4	व्यव्स्था	व्यवस्था
219	8	किमी	कि जिसकी
,,	,,	किसको	जिसको
222	14	इन	इस
,,	22	सहयता	सहायता
225	10	श्री दुर्गालाल वाडदार	श्री दुर्गालाल बाढ़दार
232	अंतिम से 14	ता	तो
,,	13	हस्र्व	ह्रस्व
,,	,, 9	प्राईमरा	प्राइमरी
233	,, 2	छुटटी	छुट्टी
234	4	ने	के
,,	अंतिम से 10	आपका	आपको
,,	,, 4	को	का
275	,, 16	स्ट्राक	स्ट्रोक